भारत

के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

1979-80

(वाणिज्यिक)

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

सरकारी वाणिज्यिक संस्थाएं जिनके लेखाओं की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक द्वारा की जाती है, निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं :

(i) सरकारी कम्पनियां,

(ii) सांविधिक निगम, और

(iii) विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रम ।

2. इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् सहित सांविधिक निगमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के परिणामों की चर्चा है । विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक और अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखा परीक्षा के परिणामों की चर्चा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में की गई है ।

3. सरकारी कम्पनियों के मामले में, लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों द्वारा की जाती है, किन्तु कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक पूरक या नमूना लेखापरीक्षा करने के लिए अधिकृत है । उन्हें यह भी शक्ति दी गई है कि वे चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर अपनी टिप्पणी दें या पूरक प्रतिवेदन दें । कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह शक्ति भी दी गई है कि लेखापरीक्षकों को उनके कार्य निष्पादन हेतु निर्देश दें । ये निर्देश समय-समय पर दिये गये ।

4. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् जो कि सांविधिक निकाय हैं, के सम्बन्ध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ही एकमात्र लेखापरीक्षक है, जबकि अन्य दो सांविधिक निगमों, यथा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम और उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के सम्बन्ध में उन्हें (सम्बन्धित अधिनियमों के प्राविधानों के अनुसार) सम्बद्ध अधिनियमों के अधीन नियुक्त किए गए चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों द्वारा की गई लेखापरीक्षा से स्वतंत्र लेखा परीक्षा करने का अधिकार है ।

5. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 1979–80 में की गई लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आए तथा वे भी, जो पिछले वर्षों में देखने में आए थे किन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका था । जहां कि आवश्यक समझा गया है, 1979–80 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले भी शामिल कर लिए गए हैं ।

6. प्रतिवेदन में वे बातें कही गई हैं जो उपर्युक्त उपक्रमों के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आई हैं । इनका अभिप्राय न तो संबंधित उपक्रमों के वित्तीय प्रशासन पर किसी प्रकार का सामान्य आक्षेप व्यक्त करना है और न ही उनका यह अर्थ समझा जाए ।

विषय–सूची

		अनुभाग	पृष्ठ
	प्रस्तावनात्मक टिप्पणी		(i)
अध्याय I	**सरकारी कम्पनियां**		
	विषय प्रवेश	I	1
	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	II	11
	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	III	32
	अन्य सरकारी कम्पनियां	IV	45
अध्याय II	**सांविधिक निगम**		
	विषय प्रवेश	V	57
	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्		
	विषय प्रवेश	VI	60
	उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम	VII	65
	पारेषण कार्य	VIII	89
	राजस्व की हानि	IX	112
	अन्य रोचक विषय	X	118
	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	XI	121
	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	XII	145

परिशिष्ट

परिशिष्ट क	**सरकारी कम्पनियों के कार्य कलापों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम**	160
परिशिष्ट ख	**सांविधिक निगमों के कार्य कलापों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम**	168

अध्याय I

सरकारी कम्पनियां

अनुभाग–I

1.01. विषय प्रवेश

गत वर्ष के अन्त में 81* सरकारी कम्पनियों (31 सहायक कम्पनियों सहित) के प्रति 31 मार्च 1980 को 87 सरकारी कम्पनियां (36 सहायक कम्पनियों सहित) थीं। वर्ष के दौरान निम्नलिखित कम्पनियां निगमित की गईं अथवा सरकारी कम्पनियां बन गईं :

कम्पनी का नाम	निगमन की तारीख	अधिकृत पूंजी (लाख रुपयों में)
यू0पी0 कारबाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	23 अप्रैल 1979	500.00
अपट्रान डिजिटल सिस्टम लिमिटेड	18 मई 1979	100.00
अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड	29 मई 1979	25.00
अपट्रान विडियो लिमिटेड	18 अक्टूबर 1979	50.00
यू0पी0 मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	27 अक्टूबर 1979	100.00
अपट्रान इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड	15 नवम्बर 1979	10.00

निम्नलिखित कम्पनियां परिसमापनाधीन थीं :

कम्पनी का नाम	निगमित होने की तिथि	परिसमापता में जाने की तिथि
इंडियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड	22 फरवरी 1924	10 सितम्बर 1973
शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड	4 मार्च 1975	9 अगस्त 1977
गंडक समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड	15 मार्च 1975	7 जून 1977
रामगंगा समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड	15 मार्च 1975	6 मई 1977

1.02. लेखाओं का संकलन

वर्ष 1979–80 के लिए 33 कम्पनियों (12 सहायक कम्पनियों सहित) ने अपने लेखे तैयार किए (मार्च 1981)। इसके अतिरिक्त 14 कम्पनियों (4 सहायक कम्पनियों सहित) ने पूर्ववर्ती वर्षों के अपने लेखे तैयार किए। उपलब्ध अंततम लेखाओं के आधार पर 47 कम्पनियों का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम दर्शाने वाला संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट 'क' में दिया है। निम्नलिखित 47 कम्पनियों** (21 सहायक कम्पनियों सहित) के लेखे उनके सामने लिखी अवधि के लिए बकाया में थे :

कम्पनी का नाम	बकाया की सीमा
यू0पी0 प्लान्ट प्रोटेक्शन एप्लायेन्सेज प्राईवेट लिमिटेड	1972–73 से 1979–80 तक
यू0पी0 बिल्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड	1972–73 से 1979–80 तक
कृष्णा फास्टनर्स लिमिटेड	1973–74 से 1979–80 तक
यू0पी0 रूफिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	1973–74 से 1979–80 तक

*23 मई 1977 का 25 लाख रुपये की अधिकृत अंशपूंजी से निगमित हुई अपट्रान सैम्पैक लिमिटेड इसमें शामिल है।

**कम्पनियों (जो मई से नवम्बर 1979 के बीच निगमित हुईं) के लेखे इस वर्ष में देय नहीं हुए।

कम्पनी का नाम	बकाया की सीमा
फैजाबाद रूफिंग्स लिमिटेड	1974–75 से 1979–80 तक
नार्दर्न इलेक्ट्रीकल इक्विपमेण्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	1974–75 से 1979–80 तक
यू0पी0 पाटरीज (प्राइवेट) लिमिटेड	1975–76 से 1979–80 तक
यू0पी0 एब्सकाट प्राइवेट लिमिटेड	1975–76 से 1979–80 तक
बुन्देलखण्ड कान्क्रीट स्ट्रक्चुरल्स लिमिटेड	1975–76 से 1979–80 तक
यू0पी0 पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	1976–77 से 1979–80 तक
यू0पी0 बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	1976–77 से 1979–80 तक
यू0पी0 प्रेस्ट्रेस्ड प्रोडक्ट्स लिमिटेड	1977–78 से 1979–80 तक
यू0पी0 पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	1977–78 से 1979–80 तक
उपाय लिमिटेड	1977–78 से 1979–80 तक
अपट्रान सैम्पैक लिमिटेड	1977–78 से 1979–80 तक
मोहम्मदाबाद पीपुल्स टेनरीज लिमिटेड	1977–78 से 1979–80 तक
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	1977–78 से 1979–80 तक
उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1977–78 से 1979–80 तक
यू0पी0 पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1977 से 1979 तक
यू0 पी0 स्माल इण्डस्ट्रीज पाट्रीज लिमिटेड	1978–79 से 1979–80 तक
गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1978–79 से 1979–80 तक
यू0पी0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	1978–79 से 1979–80 तक
हैन्डलूम इंटेन्सिव डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (गोरखपुर और बस्ती) लिमिटेड	1978–79 से 1979–80 तक
हैण्डलूम इंटेन्सिव डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड	1978–79 से 1979–80 तक
टरपेन्टाइन सब्सीडियरीज इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1978–79 से 1979–80 तक
यू0पी0 स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	1978–79 से 1979–80 तक
यू0 पी 0 स्टेट हार्टिकल्चर प्रोड्यूस मारकेटिंग एण्ड प्रासेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	1978–79 से 1979–80 तक
यू0पी0 टैक्सटाइल प्रिंटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	1978–79 से 1979–80 तक
यू0पी0 स्टेट फूड एण्ड इसेन्सियल कमोडिटीज कारपोरेशन लिमिटेड	1978–79 से 1979–80 तक
तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1978–79 से 1979–80 तक
यू0पी0 पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	1978–79 से 1979–80 तक
यू0पी0 स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	1978–79 से 1979–80 तक
इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1979–80

कम्पनी का नाम	बकाया की सीमा
यू0पी0 सेड्यूल्ड कास्ट फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	1979–80
यू0पी0 भूमि सुधार निगम लिमिटेड	1979–80
यू0पी0 स्टेट मिनिरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	1979–80
कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1979–80
वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1979–80
लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	1979–80
गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1979–80
कुमायूं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1979–80
गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1979–80
टेलीट्रानिक्स लिमिटेड	1979–80
ट्रान्सकेबिल्स लिमिटेड	1979–80
यू0पी0 (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	1979–80
यू0पी0 स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड	1979–80
यू0पी0 मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1979–80

लेखाओं को अन्तिम रूप देने में बकाये की स्थिति पिछली बार सरकार के ध्यान में मार्च 1981 में लाई गई थी ।

1.03. प्रदत्त पूंजी

31 मार्च 1979 को 14511.82 लाख रुपये की कुल प्रदत्त पूंजी (46 सरकारी, कम्पनियों, 4 कम्पनियों जो परिसमापनाधीन थीं और 31 सहायक कम्पनियों को छोड़कर) 31 मार्च 1980 को (47 सरकारी कम्पनियों, 36 सहायक कम्पनियों और 4 परिसमापनाधीन कम्पनियों को छोड़कर) बढ़कर 15701.52 लाख रुपये हो गई जिसके ब्योरे नीचे दिए जाते हैं :

कम्पनियों का विवरण	कम्पनियों की संख्या	किसके द्वारा निवेशित: राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	जोड़
		(लाख रुपयों म)			
ऐसी कम्पनियां जिन पर राज्य सरकार का पूर्ण स्वामित्व है	35	14,010.62	..	..	14,010.62
ऐसी कम्पनियां जिन पर केन्द्रीय सरकार । अन्य का संयुक्त रूप से स्वामित्व है	12	1,288.16	341.83	60.91	1,690.90
योग	47	15,298.78*	341.83	60.91	15,701.52

*वित्तीय लेखाओं के अनुसार धनराशि 15,484.02 लाख रुपये है । 185.24 लाख रुपये का अन्तर दो केन्द्रीय सरकार की कम्पनियों (15 लाख रुपये) परिसमापनाधीन 4 कम्पनियों (142.74 लाख रुपये), 2 सहायक कम्पनियों (19 लाख रुपये) में निवेश और हस्तान्तरित पर्यटन बंगलों की लागत (24 लाख रुपये) को निरूपित करता है, 15.50 लाख रुपये का अन्तर (दो कम्पनियों) समाधान के अन्तर्गत हैं ।

1.04. कर्जे

31 मार्च 1980 को 11 कम्पनियों (23 सहायक कम्पनियों को छोड़कर) के सम्बन्ध में दीर्घ कालिक कर्जों का शेष 10,480.55 लाख रुपये था (राज्य सरकार: 4,066.08 लाख रुपये, अन्य पार्टियां : 6,414.11 लाख रुपये, आस्थगित भुगतान क्रेडिट : 0.36 लाख रुपये) जबकि 31 मार्च 1979 को 8692.99 लाख रुपये था (11 कम्पनियां)।

1.05. प्रत्याभूति

राज्य सरकार ने 17 कम्पनियों (5 सहायक कम्पनियों सहित) द्वारा लिये गए ऋणों के पुन-र्भुगतान (और उस पर ब्याज के भुगतान के लिए) की प्रत्याभूति दी थी। 31 मार्च 1980 को 15 कम्पनियों के सम्बन्ध में प्रत्याभूति की गई कुल धनराशि और उसके प्रति अवशेष धनराशि क्रमश: 10,280.65 लाख रुपये और 8,710.44 लाख रुपये थी। ब्योरे नीचे दिए जाते हैं :

कम्पनी का नाम	प्रत्याभूति की गई धनराशि	31 मार्च 1980 को बकाया धन-राशि
	(लाख रुपयों में)	
यू0पी0 स्टेट सीमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	3,635.00	3,635.00
यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड	1,380.15	747.75
यू0पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 1) लिमिटेड	946.50	818.99
यू0पी0 स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड	845.00	727.50
*नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	750.00	724.95
दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू0पी0 लिमिटेड	660.00	660.00
*चांदपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड	387.00	349.18
*छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	377.00	366.10
**यू0पी0 (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	320.00	172.66
**य0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	300.00	137.14
*किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	211.00	102.55
**यू0पी0 स्टेट फूड एण्ड इसेन्शियल कमोडिटीज कारपोरेशन लिमिटेड	175.00	..
यू0पी0 स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	110.00	110.00
**यू0पी0 (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	104.00	80.86
**यू0पी0 (रुहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	80.00	77.76
योग	10,280.65†	8,710.44†

*सहायक कम्पनियों को प्रतिदर्शित करता है।

**उन कम्पनियों को प्रतिदर्शित करता है जहां न्यूनावधि ऋण प्रत्याभूति किए गये हैं।

†वित्तीय लेखाओं के अनुसार आंकड़े 11256.52 लाख रुपये और 7651.32 लाख रुपये (16 कम्पनियों) हैं, दो कम्पनियो से सूचना प्रतीक्षित थी। अन्तर समाधान के अन्तर्गत है।

.06. कम्पनियों का कार्य निष्पादन

1.06.1 निम्नलिखित तालिका में वर्ष 1979–80 के दौरान लाभ अर्जित करने वाली 18 कम्पनियों (2 सहायक कम्पनियों सहित) के ब्योरे और गत वर्ष के लिए तुलनात्मक आंकड़े दिये जाते हैं :

कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी		लाभ (+) / हानि (–)	
	1978–79	1979–80	1978–79	1979–80
कम्पनियां		(लाख रुपयो में)		
यू0पी0 स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड	2214.19	2414.19	(+) 70.66	(+) 357.31
यू0पी0 स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	1430.73	1432.73	(+) 71.50	(+) 119.63
दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एंड इनवेस्टमन्ट कारपोरेशन आफ यू0पी 0 लिमिटेड	814.51	665.75	(+) 66.51	(+) 73.57
यू0पी0 नलकूप निगम लिमिटेड	200.00	390.00	(+) 8.34	(+) 2.02
यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार-रेशन लिमिटेड	185.00	275.00	(+) 5.29	(+) 11.55
यू0पी0निर्यात निगम लिमिटेड	134.00	134.00	(+) 0.40	(+) 2.80
आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	106.51	406.51	..	(+) 0.17
मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00	100.00	(+) 3.16	(+) 3.15
आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00	100.00	(+) 2.37	(+) 0.38
यू0पी0 लघु उद्योग निगम लि0	77.00	85.00	(+) 10.54	(+) 24.96
यू0 पी0 लदर डेबलप-मेन्ट एण्ड मारकेटिंग कारपो-रेशन लिमिटेड	67.00	67.00	(+) 1.07	(+) 9.16
यू0पी0 डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	60.00	60.00	(+) 0.34	(+) 5.14
यू0 पी0 (रुहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	22.70	22.81	(+) 3.18	(+) 5.73

कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी		लाभ (+) / हानि (-)	
	1978-79	1979-80	1978-79	1979-80
	(लाख रुपयों में)			
यू0पी0 (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	14.64	15.29	(+) 0.11	(+) 1.42
यू0पी0 (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	13.31	13.65	(+) 0.41	(+) 1.57
इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	21.83	21.89	(+) 15.40	(+) 11.50
सहायक कम्पनियां				
यू0पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0-1) लिमिटेड	1070.00	1150.00	(-) 6.03	(+) 60.41
किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (30 सितम्बर 1980 को समाप्त वर्ष) ..	187.79	187.79	(-) 79.89	(+) 14.30

1.06.2 वर्ष के दौरान 6 कम्पनियों ने निम्नलिखित लाभांश घोषित किये :

कम्पनी का नाम	वितरण योग्य अधिशेष	व्यापार में रोकी गई धनराशि	घोषित लाभांश	प्रदत्त पूंजी की तुलना में लाभांश का प्रतिशत
	(लाख रुपयों में)			
यू0पी0 स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट कारपोशन लिमिटेड	205.05	162.13	42.92	3
इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	159.72	157.68	2.04	10
दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्ट-मेन्ट कारपोरेशन आफ यू0पी0 लिमिटेड	61.86	48.54	13.32	2
यू0पी0 लघु उद्योग निगम लिमिटेड	49.92	44.82	5.10	6
य0पी0 (रुहेलखंड तराई) गन्ना बीज एवम् विकास निगम लिमिटेड	5.55	4.41	1.14	5
यू0पी0 (पश्चिम) गन्ना बीज एवम् विकास निगम लिमिटेड	1.70	0.38	1.32	9

1.06.3. निम्नलिखित सारणी में 10 कम्पनियों, (5 सहायक कम्पनियों सहित जिन्हें वर्ष) 1979–80 के दौरान हानि हुई थी, के ब्यौरे और गत वर्ष के लिए तुलनात्मक आंकड़े दिये जाते हैं :

कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी		हानि	
	1978–79	1979–80	1978–79	1979–80
	(लाख रुपयों में)			
कम्पनियां				
यू0पी0 स्टेट सीमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	3707.00	3707.00	216.33	248.50
यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड	1910.00	1998.00	607.89	237.67
यू0पी0 चलचित्र निगम लिमिटेड	77.85	158.07	1.69	8.01
प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम लिमिटेड	50.00	50.00	3.09	1.14
हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड	15.00	15.00	1.12	2.14
सहायक कम्पनियां				
नन्दगंज–सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	503.00	503.00	249.87	232.35
चांदपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड	258.00	258.00	121.47	70.60
छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	253.00	253.00	66.35	89.81
यू0पी0 इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड	7.01	27.51	24.64	28.43
यू0पी0 डिजिटल्स लिमिटेड	9.20	9.20	0.36	1.55

1.06.4. 16 कम्पनियों (प्रदत्त पूंजी : 11304.48 लाख रुपये) के सम्बन्ध में संचित हानि 6221.37 लाख रुपये थी। 6 कम्पनियों, जिनकी संचित हानि (1979–80) उनकी प्रदत्त पूंजी से अधिक थी, के विवरण नीचे दिए जाते हैं :

कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी	संचित हानि	प्रदत्त पूंजी पर संचित हानि का प्रतिशत
	(लाख रुपयों में)		
यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड	1998.00	2637.99	132.00
नन्दगंज–सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	503.00	688.88	137.00
किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	187.79	582.13	310.00
चांदपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड	258.00	403.03	156.2
छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	253.00	378.15	149.5
यू0पी0 इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड	27.51	104.95	381.5

1.06.5. निम्न तालिका निर्माणाधीन कम्पनियों (सहायक कम्पनियों) और 1978-79 1979-80 के दौरान किये गये व्यय के ब्योरे दर्शाती हैं :

कम्पनी का नाम[1]	प्रदत्त पूंजी		किया गया खर्च	
	1978-79	1979-80	1978-79	1979-80
	(लाख रुपयों में)			
सहायक कम्पनियां				
यू0पी0 कारबाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	..	206.13	..	6.86
यू0पी0 टायर्स एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड	50.00	50.00	68.88	64.47
अपट्रान डिजिटल सिस्टम्स लिमिटेड (31 दिसम्बर 1979 को समाप्त होने वाला वर्ष)	..	28.47	..	22.00
अपट्रान कैपेसिटर्स लिमिटेड (31 दिसम्बर 1979 को समाप्त होने वाला वर्ष)	..	26.65	..	48.40
यू0पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0-II) लिमिटेड	0.01	0.01	..	0.01

1.07. इसके अतिरिक्त 5 कम्पनियां ऐसी थीं जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ख के अन्तर्गत आती थीं, उनके ब्योरे नीचे दिये जाते हैं :

कम्पनी का नाम	लेखाओं का नवीनतम वर्ष	प्रदत्त पूंजी	निवेश			वर्ष में लाभ (+)/ हानि (-)
			राज्य सरकार द्वारा	सरकारी कम्पनियों द्वारा	सरकारी निगम द्वारा	
			(लाख रुपयों में)			
भदोही ऊलेन मिल्स लिमिटेड	1979-80	40.89	..	14.24	15.75	(-) 31.92 (71.24)*
अल्मोड़ा मैगनेसाइट लिमिटेड	1978-79	140.00	..	85.40	..	(+) 41.29
स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड	1978	89.84	..	36.88	17.95	(-) 47.85 (102.13)*
इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इंडिया) लिमिटेड	1978 से 1980 तक के वर्षों के लेखे बकाये में हैं					
सिन्थेटिक फोम्स लिमिटेड	1979-80 के लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं					

*आंकड़े संचित हानि दर्शाते हैं।

1.08. कम्पनी अधिनियम, 1956 में भारत के नियंत्रक –महालेखापरीक्षक को सरकारी कम्पनियों के सम्प्रेक्षकों को उनके कार्य सम्पादन संबंधी निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार दिये हुए निर्देशों के अनुपालन में वर्ष के दौरान 12 कम्पनियों के सम्बन्ध में कम्पनी सम्प्रेक्षकों के विशेष प्रतिवेदन प्राप्त हुए। इन प्रतिवेदनों में पाई गई महत्वपूर्ण बातों का सारांश नीचे दिया गया है :

त्रुटियों की प्रकृति	उन कम्पनियों की संख्या जहां त्रुटियां पाई गईं
लेखा मैनुअल का अभाव	8
अपूर्ण लेखा पद्धति	2
नियमित लागत लेखा प्रणाली का अभाव	1
पर्याप्त बजट पद्धति का अभाव	1
आंतरिक सम्परीक्षा मैनुअल का अभाव	12
आंतरिक सम्परीक्षा पद्धति का अभाव	3
आंतरिक सम्परीक्षा पद्धति का व्यापार के आकार एवं स्वभाव के अनुरूप न होना	3
उत्पादन लागत मूल्य से कम पर विक्रय	1
फालतू/अनुपयोगी सामानों का अनिर्धारण	4
क्रय हेतु निविदा पद्धति का अभाव	4
सम्पत्ति/भूमि/परिसम्पति के रजिस्टर का न रक्खा जाना/दोषपूर्ण रक्खा जाना	1
श्रमिक एवं मशीनरी का निष्क्रिय समय निश्चित करने की पद्धति का अभाव	2
रहतियें/पुर्जों की अधिकतम एवं न्यूनतम सीमाओं का अनिर्धारण	4
जनशक्ति के मानकों का अनिर्धारण	2

1.09. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को कम्पनी के लेखा परीक्षकों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर टिप्पणी करने या उसे संपुरित करने का अधिकार है। इसके अधीन सरकारी कम्पनियों के वार्षिक लेखाओं की समीक्षा चयनात्मक आधार पर की जाती है। वार्षिक लेखाओं की समीक्षा के दौरान ध्यान में आई हुई कुछ त्रुटियां/चूकें आदि नीचे दर्शाई जाती हैं :

चिट्ठा (बैलेन्स शीट)

–अंश आवेदन की राशि (आवंटन की प्रतीक्षा वाले अंशों के विरुद्ध) प्रदत्त पूंजी में सम्मिलित कर ली गई थी :

–उन अंशों का जिनका आवंटन नकद राशि के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए किया गया था, का प्रकटीकरण न किया जाना,

–उपार्जित ब्याज, दांडिक ब्याज, आदि खर्चों के दायित्वों का प्राविधान न किए जाने के कारण दायित्वों का कम प्रदर्शन हुआ, संदेहास्पद देनदारों का प्राविधान न करने के कारण लाभ/हानि का ज्यादा प्रदर्शन/कम प्रदर्शन,

–पूंजीगत व्यय का लेखाबद्ध न किया जाना,

–रहतिया मूल्यांकन पद्धति का अप्रकटीकरण ,

लाभ-हानि खाता

–लाभ–हानि खाता न बनाया जाना या अशुद्ध बनाया जाना,

–कमियों को उपभोग की सामग्री में शामिल करने के फलस्वरूप किये गए कार्य के मूल्य का अधिक प्रदर्शन,

–ब्याज की आय की गलत गणना,

–राजस्व आय व व्यय का लेखाबद्ध न किया जाना,

सामान्य

–निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित करने के पूर्व ही कम्पनी के सम्प्रेक्षकों द्वारा लेखाओं का प्रमाणित करना,

–वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष लेखाओं का कम्पनी सम्प्रेक्षकों द्वारा प्रमाणित होने के पूर्व ही रक्खा जाना ।

अनुभाग II

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

2.01. विषय प्रवेश

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड राज्य का औद्योगिक विकास प्रोन्नत और विकसित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में 29 मार्च 1961 को निगमित की गई थी। सम्परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1973–74 में आखिरी बार कम्पनी की कार्य–प्रणाली की समीक्षा की गई थी।

2.02. कार्यवाहियां

कम्पनी वर्तमान में निम्न कार्यवाहियों में व्यस्त है :

–औद्योगिक क्षेत्रों का विकास,

–इक्विटी भागीदारी,

–पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा निर्गत अंशों का अन्डरराइटिंग,

–ब्रिजिंग ऋण, और

–संयुक्त क्षेत्रीय परियोजनाओं आदि की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेंसों की अधिप्राप्ति।

2.03. संगठनात्मक ढांचा

कम्पनी का प्रबन्ध आयुक्त एवं सचिव, उद्योग विभाग, जो पदेन अध्यक्ष होता है द्वारा प्रधानित एक निदेशक मण्डल में निहित है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रबन्ध निदेशक और ग्यारह अंश कालिक निदेशक होते हैं। प्रबन्ध निदेशक कम्पनी का मुख्य कार्यकारी होता है और दिन प्रतिदिन के प्रशासन में दो सामान्य प्रबन्धकों से सहायता पाता है जिनमें से एक योजनाओं और संयुक्त क्षेत्रीय परियोजनाओं की वित्तीय निगरानी करता है और दूसरा सामान्य प्रशासन के अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों और सिविल निर्माण प्रखण्डों को देखता है।

2.04. पूंजी संरचना

कम्पनी 100 रुपए प्रति अंश के 5,00,000 अंशों में विभक्त 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से पंजीकृत हुई थी जो 1977–78 तक 20 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई थी। 1,432.73 लाख रुपये (31 मार्च 1980 को) की सम्पूर्ण प्रदत्त पूंजी राज्य सरकार द्वारा लगाई गई है।

2.05. कर्जे

(क) औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिये योजनाओं के वित्त पोषण हेतु कम्पनी ने राज्य सरकार से 11.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष (समय से भुगतान करने पर 3.5 प्रतिशत छूट के साथ) ब्याज दर पर ऋण प्राप्त किया। 31 मार्च 1980 को 197.40 लाख रुपये के ऋण बकाया थे।

(ख) इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने 10.25 प्रतिशत भुगतान योग्य ऋण-पत्रों (1989) के निर्गमन द्वारा 1976–77 में 110 लाख रुपये भी उधार लिए।

(ग) "हाफ-ए-मिलिअन जाब्स स्कीम" के लिये राज्य सरकार (ऋण और अनुदान के रूप में समान) द्वारा स्वीकृत (मार्च 1975) 91.98 लाख रुपए की धनराशि कम्पनी द्वारा 29 मार्च 1975 को आहरित की गई। ऋण 11.25 प्रतिशत (समय से भुगतान करने पर 3.5 प्रतिशत छूट क साथ) ब्याज के साथ 10 वार्षिक किस्तों (एक

वर्ष के अधिस्थगन के साथ) में पुनर्भुगतान योग्य था। मार्च 1976 में देय प्रथम किस्त मार्च 1977 में विलम्ब से (दूसरी किस्त के साथ), 3.5 प्रतिशत छूट समायोजन के बाद, जो ग्राह्य न थी, पुनर्भुगतान की गई और 29 मार्च 1976 से 28 मार्च 1977 तक ब्याज के 1.61 लाख रुपये की रकम 28 मार्च 1977 को और भुगतान योग्य थी। कम्पनी ने दण्ड ब्याज माफ करने के लिये राज्य सरकार तक पहुंच की (फरवरी 1979) और सरकार का निर्णय प्रतीक्षित था (मई 1981)। योजना की भौतिक प्रगति के कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे (मई 1981)।

(घ) जबकि कम्पनी के पास अधिकतम 6 प्रतिशत ब्याज दर की 395.14 लाख रुपये की फिक्स्ड/काल डिपाजिट थीं (मार्च 1977) उसने जनवरी 1977 में किए गए अनुबन्ध के विरुद्ध 16.84 लाख रुपये का ऋण एक बैंक से आहरित किया। अनुबन्ध में वार्षिक आधार पर 9.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज का प्राविधान था। तथापि ऋण की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान, तिमाही आधार पर 30 जून 1979 तक ब्याज की गणना करके (4.03 लाख रुपये), किया गया जो 0.15 लाख रुपये के अधिक भुगतान में परिणत हुआ। यदि कम्पनी द्वारा धन 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से मियादी निक्षेपों के विरुद्ध अग्रिम के रूप में आहरित किया गया होता तो इसके परिणामस्वरूप 0.77 लाख रुपये की बचत हुई होती।

2.06. आर्थिक स्थिति

निम्न तालिका 1979–80 तक के तीन वर्षों के अन्त की आर्थिक स्थिति को मुख्य शीर्षकों में संक्षेप में दर्शाती है :

	1977–78	1978–79	1979–80
दायित्व		(लाख रुपयों में)	
प्रदत्त पूंजी	1,422.73	1,430.73	1,432.73
संचित और आधिक्य	246.99	275.43	314.67
उधार			
राज्य सरकार से			
—ऋण	377.31	289.64	197.40
—सरकार द्वारा प्रायोजित विशिष्ट योजनाओं के लिए निधि	41.12	50.11	43.89
अन्य	126.83	126.83	110.00
व्यापारिक देय व अन्य चालू दायित्व (प्राविधानों सहित)	712.50	955.88	1,254.18
योग	2,927.48	3,128.62	3,352.87
परिसम्पत्तियां			
सकल अचल परिसम्पत्तियां	54.24	94.38	130.32
घटाया :			
ह्रास	10.89	13.49	19.85
शुद्ध अचल परिसम्पत्तियां	43.35	80.89	110.47
पूंजीगत कार्य प्रगति में	37.37	24.47	18.73

	1977–78	1978–79	1979–80
		(लाख रुपयों में)	
विनियोग (लागत पर)	107.43	148.32	213.30
चालू सम्पत्तियां, ऋण व अग्रिम	2,734.39	2,870.73	3,006.75
विविध व्यय	4.94	4.21	3.62
योग	2,927.48	3,128.62	3,352.87
नियोजित पूंजी	2,172.43	2,138.24	2,078.71
शुद्ध मूल्य	1,664.78	1,701.95	1,743.78

टिप्पणी : (1) नियोजित पूंजी प्रदत्त पूंजी, संचित व आधिक्य (वे जो निधि में परिवर्तित और बाहरी विनियोगों द्वारा समर्थित हैं के सिवाय), ऋण पत्र और उधार के प्रारम्भिक व अन्तिम शेषों के योग का औसत प्रदर्शित करती है।

(2) शुद्ध मूल्य प्रदत्त पूंजी और संचित व आधिक्य के योग से अदृश्य सम्पत्ति को घटा कर निकाला गया है।

2.07. (क) कार्य-कलापों का परिणाम

निम्न तालिका 1979–80 तक के तीन वर्षों के लिए कम्पनी के कार्य–कलापों का परिणाम बताती है :

	1977–78	1978–79	1979–80
		(लाख रुपयों में)	
सकल आय	149.47	153.21	204.07
व्यय			
––वेतन व अन्य व्यय	39.33	41.68	50.25
––ऋण व ऋण पत्र पर ब्याज	40.63	40.03	34.19
योग	79.96	81.71	84.44
कर पूर्व लाभ	69.51	71.50	119.63
कर के लिए प्राविधान	22.00	18.75	37.47
कर के बाद लाभ	47.51	52.75	82.16
कर के बाद लाभ का प्रतिशत		(प्रतिशत)	
––प्रदत्त पूंजी से	3.3	3.7	5.7
––नियोजित पूंजी से	2.2	2.5	4.0
––शुद्ध मूल्य से	2.9	3.1	4.7

प्रबंधकों द्वारा लाभ में क्रमिक वृद्धि का कारण सहायक कम्पनियों में लिए गए अंशों पर लाभांश, बैंकों में काल/फिक्स्ड डिपाजिट में रखे आधिक्य निधि पर उपार्जित ब्याज और औद्योगिक

क्षेत्रों के विकास के लिये योजनाधीन आबंटित भूमि पर स्थगित प्रीमियम पर प्राप्त ब्याज में वृद्धि बताया गया (जून 1980), जैसा कि नीचे इंगित है :

विवरण	1977–78	1978–79 (लाख रुपयों में)	1979–80
सहायक कम्पनियों से लाभांश	27.24	32.25	40.60
बैंकों से निक्षेपों पर ब्याज	33.31	27.70	23.00
भूमि पर स्थगित प्रीमियम पर ब्याज	41.71	61.03	82.54
योग	102.26	120.98	146.14

(ख) रोकड़ प्रबन्ध

1979–80 तक के 4 वर्षों के दौरान कम्पनी ने अपनी कार्यवाहियों के वित्त पोषण हेतु अंश पूंजी के रूप में 565 लाख रुपये और ऋण के रूप में 155 लाख रुपये राज्य सरकार से आहरित किए। निम्न तालिका से प्रकट होगा कि अधिकतर निधि अपेक्षित न थी और बैंकों में फिक्ज्ड/काल डिपाजिट में रख दी गई :

वर्ष	वर्ष के दौरान आहरण		योग (संचयी)	वर्षान्त में फिक्ज्ड/काल डिपाजिट में धनराशि	प्रतिशत
	अंश पूंजी	ऋण			
		(लाख रुपयों में)			
1976–77	555.00	80.00	635	395.14	62.2
1977–78	..	75.00	710	416.97	58.7
1978–79	8.00	..	718	412.99	57.5
1979–80	2.00	..	720	299.56	41.6

7 मार्च 1979 को राज्य सरकार ने सभी सरकारी कम्पनियों को कोषागार में पर्सनल लेजर एकाउन्ट्स (पी0एल0 एज0) खोलने और सरकारी निधि (ऋण या अंश पूंजी के रूप में आहरित) के सम्पूर्ण आधिक्य को उसमें जमा करने, जिससे आवश्यकतानुसार धन आहरित किया जा सके, का निर्देश दिया। फिक्ज्ड डिपाजिट्स में पड़ी राशियां यथासमय आहरित और पी0एल0एज0 में जमा होनी थीं। तथापि यह जानकारी में आया कि जून-अक्तूबर 1979 के दौरान 57.50 लाख रुपये कम्पनी द्वारा 3 से 12 माहों तक की अवधि के लिए फिक्ज्ड / टर्म डिपाजिट में पुनर्विनियोजित किए गये।

जब कि कम्पनी ने निर्देशों में कोई शिथिलता प्राप्त नहीं की, प्रबंधकों ने बताया (मई 1980) कि ब्याज युक्त ऋणों की राशि का पी0एल0ए0में (बिना किसी प्रतिलाभ के) जमा करना उपयुक्त न होगा। यह भी बताया गया कि कम्पनी की संयुक्त क्षेत्रीय परियोजनाओं हेतु "प्राइवेट प्लेसमेंट" आधार पर इक्विटी भागीदारी, अन्डरराइटिंग, सावधि ऋण, आदि के लिए बैंकों से धन की प्राप्ति सुनिश्चित करनी थी और यह कि बैंकों ने फिक्ज्ड डिपाजिट रसीदों के विरुद्ध कम्पनी की ओर से भारी राशियों की गारन्टियां निर्गत कर रखी थीं। तथापि यह जानकारी में आया कि बैंक गारन्टियां केवल 3 बैंकों से प्राप्त की गई थीं जबकि फिक्ज्ड डिपाजिट 16 बैंकों में थे।

2.08. औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

(क) प्रस्तावना

वर्ष 1973–74 के सम्परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के अनुच्छेद 31 (अनुभाग IV) में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की योजना की कार्य प्रणाली का वर्णन किया गया था।

कम्पनी ने जुलाई 1974 में उद्यमियों द्वारा औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में शेड निर्माण करने की एक योजना परिचित कराई। कम्पनी ने क्षेत्रों में केन्द्रीय भवन, होस्टल्स, पुलिस चौकियां, कामगार क्वाटर्स, बस शैड्स और मार्ग प्रकाश आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण भी हाथ में लिया (1975–76)।

शेडों का निर्माण कम्पनी द्वारा स्वत: प्रेरणा पर और उद्यमियों की निश्चित मांग के विरुद्ध भी कराया जाता है। भूखण्ड 90 वर्ष के पट्टे पर आवंटित होते हैं और शेड किराया–क्रय आधार पर बेचे जाते हैं।

भूखण्डों के लिए पट्टा किराया प्रथम 30 वर्षों के लिए 250 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष, अगले 30 वर्षों के लिए 370 रुपये और अन्तिम 30 वर्षों लिए 560 रुपये की समान दर से भुगतान योग्य था।

प्रीमियम अंकित क्षेत्र पर व्यय की गई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत के आधार पर निकाली जाती है। प्रीमियम का 10 प्रतिशत (लोनी रोड, मेरठ रोड, साहिबाबाद रोड, सेक्टर XXII और गाजियाबाद की लोनी इन्डस्ट्रियल इस्टेट के औद्योगिक क्षेत्रों के सम्बन्ध में 15 प्रतिशत) आवंटन पर और शेष क्षेत्रों की स्थिति जहां भूखण्ड/शेड स्थित हैं, के अनुरूप आवंटन के 2 वर्ष बाद से प्रारम्भ होकर (13–15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और 2–3 प्रतिशत छूट के साथ) 8–10 वार्षिक किस्तों में देय है।

शेडों के मामले में बिक्री मूल्य में साधारणतया निर्माण व्यय (निर्माण के दौरान ब्याज सहित) और प्रत्यक्ष लागत का 12.5 प्रतिशत प्रशासकीय भार और 3 प्रतिशत अन्य विविध भार लगा रहता है।

(ख) भूमि का उपयोग

(i) कम्पनी के कब्जे में 15002.2 एकड़ (6071.3 हेक्टेयर) भूमि (35 औद्योगिक क्षेत्रों) में से 31 मार्च 1980 तक 13224.7 एकड़ (5351.9 हेक्टेयर) के लिए हस्तांतरण विलेख कार्यान्वित किये गये थे। शेष 1777.5 एकड़ भूमि, जिसके लिए हस्तांतरण विलेख बाकी थे, में 1974–75 और 1976–77 में ली गई 1154.50 एकड़ भूमि सम्मिलित है। 31 मार्च 1980 तक कम्पनी इस भूमि (1777.5 एकड़) के विकास आदि पर 85.92 लाख रुपये व्यय कर चुकी थी।

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1980) कि राज्य सरकार के पास अन्तिम निर्णय के लिए पड़े मामलों के अतिरिक्त विलेखों के कार्यान्वयन में विलम्ब मुख्य रूप से विवादास्पद मामलों के कारण था।

(ii) कम्पनी ने क्षतिपूर्ति के रूप में 8.66 करोड़ रुपये के भुगतान के विरुद्ध 15002.2 एकड़ भूमि कब्जे में ली और 31 मार्च 1980 तक विकास पर 10.60 करोड़ रुपये व्यय किये। इसमें से 9725 एकड़ भूमि 31 मार्च 1980 तक 10.02 करोड़ रुपये (भूमि की लागत छोड़कर: 7.96 करोड़ रुपये) की कुल लागत से विकसित की गयी थी। शेष 5277.2 एकड़ भूमि में से 1206.5 एकड़ पर 1979–80 तक के 4 वर्षों के दौरान कम्पनी ने 51.17 लाख रुपये विकास पर व्यय किया, जैसा कि नीचे इंगित है :

क्षेत्र	1976–77 में अधिग्रहीत भूमि का क्षेत्र (एकड़ में)	भूमि की लागत	विकास में व्यय				योग
			1976–77	1977–78	1978–79	1979–80	
			(लाख रुपयों में)				
फैजाबाद	104.00	4.59	0.01	0.37	5.49	2.47	12.93
जगदीशपुर	992.50	37.20	14.76	19.05	0.27(–)	0.13	71.15
मुजफ्फरनगर	110.00	19.52	0.05	3.41	2.05	3.37	28.40
योग	1206.50	61.31	14.82	22.83	7.81	5.71	112.48

जगदीशपुर (सुल्तानपुर) में 71.15 लाख रुपये (भूमि की लागत : 37.20 लाख रुपये सहित) का कुल व्यय किया जा चुका था जबकि सभी मुख्य उद्यमियों, जो प्रारम्भ में उद्योग स्थापित करने में रुचि रखते थे, ने अपने प्रस्ताव त्याग दिये (जून 1977)। परिणाम-स्वरूप कम्पनी को आगे का विकास कार्य रोक देना पड़ा (नवम्बर 1977)। प्रबन्धकों ने बताया (जून 1980) कि क्षेत्र में किस प्रकार के उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं इस बात की जांच करने और सलाह देने के लिए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी (अप्रैल 1980)। समिति के प्रतिवेदन (जून 1980) पर राज्य सरकार का निर्णय अभी भी प्रतीक्षित था (मई 1981)। 71.15 लाख रुपये का सम्पूर्ण विनियोग अब तक (सितम्बर 1980) निष्फल साबित हुआ ; इसके अतिरिक्त 1.95 लाख रुपये मूल्य की उपयोग में न आई सड़क सामग्री नवम्बर 1977 से पड़ी हुई थी।

इसके अतिरिक्त कम्पनी ने जुलाई-अक्टूबर 1976 के दौरान 1126.37 एकड़ भूमि (11.91 लाख रुपये) प्रतापगढ़ (98 एकड़: 6.30 लाख रुपये), मुरादाबाद (34.76 एकड़ : 2.99 लाख रुपये) और ललितपुर (993.61 एकड़ : 2.62 लाख रुपये) में तीन इकाइयों के विशेष उपयोग के लिए अधिग्रहीत की और भूमि बिना किसी विकास के उन्हें पट्टे पर दे दी गई।

ललितपुर इकाई के लिए 20 अक्टूबर 1976 को 2.62 लाख रुपये की लागत से अधि-ग्रहीत 993.61 एकड़ भूमि 24 जनवरी 1977 को इकाई को हस्तान्तरित कर दी गई। इकाई ने न तो भूमि की लागत का कोई भुगतान किया और न ही 3 वर्षों में पूर्ण होने के लिए निश्चित परियोजना कार्य पूरा किया, जैसा कि कम्पनी के लिये भूमि के अधिग्रहण और हस्तांतरण के लिए सरकार द्वारा दी गई शर्तों में निहित था। देयों की वसूली या भूमि वापस लेने की कोई कार्यवाही नहीं की गई (मई 1981)। प्रबन्धकों ने बताया (जून 1980) कि वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ होने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति की दिनांक से इकाई द्वारा आर्थिक किराया देय होगा।

(iii) 1979–80 तक विकसित की गई 9725 एकड़ भूमि के विरुद्ध प्लाटिंग और आवंटन की प्रगति नीचे दर्शाई गई है :

	भूखण्ड	क्षेत्र (एकड़ में)
प्लाटित भूमि	5637	7203
आवंटित भूखण्ड	3455	4635
उत्पादन में	1063	2624
निर्माणाधीन	703	980

बकाया 2182 भूखण्ड (2568 एकड़ मूल्य : 14.69 करोड़ रुपये) 31 मार्च 1980 को आवंटन की प्रतीक्षा में थे। आवंटित 1689 भूखण्डों (1031 एकड़) पर भूखण्ड धारकों द्वारा कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था। प्रबन्धकों द्वारा आवंटित भूखण्डों के उपयोग में धीमी प्रगति का कारण मुख्यरूप से असंतोषजनक विद्युत आपूर्ति और कच्चे माल की कम/न आपूर्ति बताया गया (अप्रैल 1980)।

(iv) 31 मार्च 1980 तक कम्पनी ने 114.23 लाख रुपये की लागत से 291 शेडों का निर्माण किया जिसमें से 225 शेड (कीमत : 142.56 लाख रुपये) आवंटित किये जा चुके थे, शेष 66 शेड (कीमत : लगभग 58.05 लाख रुपये) आवंटन की प्रतीक्षा में थे (मार्च 1980)। 225 आवंटित शेडों में से 106 पर उद्यमियों ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया था।

(v) कम्पनी ने 1979–80 तक निम्न आय वर्ग (एल0 आई0जी0) के लिए 16 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई0 डब्ल्यू0 एस0) से सम्बन्धित कामगारों के लिए 138 आवासीय क्वार्टरों का निर्माण कराया।

निम्न तालिका क्वार्टरों के निर्माण/आवंटन की प्रगति के साथ–साथ 1979–80 तक उन पर किये गये व्यय को दर्शाती है :

स्टेशन	निर्मित क्वार्टरों की संख्या ई0 डब्ल्यू0 एस0	एल0 आई0 जी0	योग	पूरा किये जाने की दिनांक	आवंटित क्वार्टरों की संख्या ई0डब्ल्यू0 एस0	एल0आई0 जी0	1979–80 तक कुल व्यय (लाख रुपयों में)
संडीला	36	16	52	सितम्बर 1977	36	..	4.11
संडीला	20	..	20	जनवरी 1979	..	..	1.17
उन्नाव	53	..	53	मार्च 1979	..	..	3.09
सिकन्दराबाद	29	..	29	अक्तूबर 1979	..	..	2.01
योग	138	16	154		36	..	10.38

यह देखा जायगा कि 154 क्वार्टरों में से मात्र 36 (23 प्रतिशत) अब तक आवंटित किये गये थे (मार्च 1980)।

(vi) दोषी पट्टेदारों/आवंटियों से वसूलियां प्रभावी करने और इस उद्देश्य से वैधानिक कार्यवाही प्रेरित करने में विलम्ब था। 3 रीजन के औद्योगिक क्षेत्रों में 31 मार्च 1980 को 1039 पट्टेदारों/आवंटियों से 176.46 लाख रुपये अधिदेय थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

	आगरा	गाजियाबाद	लखनऊ	योग
दोषियों की संख्या	109	729	201	1039
			(लाख रुपयों में)	
अधिदेय प्रीमियम	3.60	69.77	22.32	95.69
अधिदेय ब्याज	7.30	54.69	18.05	80.04
कुल अधिदेय	10.90	124.46	40.37	175.73

टिप्पणी:—आगरा और गाजियाबाद के सम्बन्ध में अधिदेय पट्टा किराया उपलब्ध नहीं था। लखनऊ के सम्बन्ध में अधिदेय पट्टा किराया 0.73 लाख रुपये था।

अधिदेयों का वर्षवार विवरण निम्न है :

वर्ष	आगरा		गाजियाबाद		लखनऊ		योग	
	दोषियों की संख्या	देय रकम (लाख रुपयों में)	दोषियों की संख्या	देय रकम (लाख रुपयों में)	दोषियों की संख्या	देय रकम (लाख रुपयों में)	दोषियों की संख्या	देय रकम (लाख रुपयों में)
1977 तक	85	2.61	270	80.59	152	34.19	507	117.39
1978	शून्य	शून्य	54	14.37	13	1.92	67	16.29
1979	14	7.66	373	26.38	30	4.26	417	38.30
1980 (31 मार्च तक)	10	0.63	32	3.12	6	0.73	48	4.48
योग	109	10.90	729	124.46	201	41.10	1039	176.46

नीचे दिये दोष के दो सोदाहरण मामले हैं:

(i) अप्रैल 1972 में उन्नाव क्षेत्र में एक उद्यमी को तीन भूखण्ड आवंटित किये गये। इकाई अप्रैल 1974 में देय प्रथम किस्त तक भुगतान करने में असफल रही और 31 मार्च 1980 को कुल देय बढ़ कर 9.11 लाख रुपये (ब्याज सहित : 4.33 लाख रुपये) हो गए। ऋण का पुन: अनुसूचन कम्पनी के विचाराधीन था (मार्च 1981)।

(ii) कानपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक उद्यमी को एक भूखण्ड आवंटित किया गया (दिसम्बर 1973) और प्रथम किस्त दिसम्बर 1975 में देय थी। पार्टी भुगतानों में निरन्तर चूक करती रही और अगस्त 1977 तक अधिदेय धनराशि 0.53 लाख रुपये (ब्याज सहित : 0.30 लाख रुपये) तक बढ़ गयी। पार्टी ने निवेदन किया कि ब्याज सुविधाओं (जैसे टेलीफोन, सुरक्षा, विद्युत आपूर्ति और क्षेत्र में पहुंच मार्ग) के प्राविधान की दिनांक से लिया जाना चाहिये, न कि आवंटन की तिथि से। दिसम्बर 1975 से सितम्बर 1976 तक की 0.23 लाख रुपये की ब्याज राशि, एक विशेष मामले के रूप में, अगस्त 1978 में छोड़ दी गई। तथापि पार्टी चूक करती रही और फरवरी 1980 तक वसूली के लिए अधिदेय राशि 0.77 लाख रुपये (ब्याज सहित : 0.09 लाख रुपये) तक बढ़ गई थी।

(ग) लेखाओं में निधि का समायोजन—

31 मार्च 1980 तक कम्पनी ने भूमि के अधिग्रहण और औद्योगिक क्षेत्रों (शेडों के निर्माण सहित) के विकास पर 19.26 करोड़ रुपये व्यय किये थे। कम्पनी ने सरकार से अनुदान के रूप में 2.58 लाख रुपये और आवंटित भूखण्डों और शेडों पर प्रीमियम के रूप में 617.68 लाख रुपये प्राप्त किये। प्रीमियम और बयाना राशि के रूप में प्राप्त 12.21 लाख रुपये जब्त किये जा चुके थे। ये प्राप्तियां (6.32 करोड़ रुपये) योजना बजट के विरुद्ध समायोजित कर ली गईं और 12.94 करोड़ रुपये की शेष राशि कम्पनी के स्थिति पत्रक (मार्च 1980) में चालू सम्पत्ति के रूप में दिखाई गई। जबकि 1973–74 से 1979–80 की अवधि के दौरान प्रीमियम और पट्टा किराया पर ब्याज के रूप में प्राप्त रकम (345.47 लाख रुपये) लाभ-हानि खाते में आय के रूप में अभिलेखित की गई थी, तथापि अधिदेय प्रीमियम और किराया और उस पर अर्जित ब्याज लेखाओं में नहीं लाया गया। योजना के वार्षिक परिणामों को भी नहीं आंका गया।

(ब) **अन्य रोचक प्रसंग**

औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए योजना के कुछ अन्य पहलू नीचे वर्णित हैं :

(i) जून 1976 में कम्पनी ने अन्य सरकारी कम्पनियों/विभागों द्वारा स्थापित काम्पलेक्सों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का विकास निक्षेप कार्य के रूप में करने का निर्णय लिया। मार्च 1977 तक कम्पनी ने 6.50 लाख रुपये की कीमत से उद्योग विभाग द्वारा प्रायोजित होजरी काम्प्लेक्स के लिए काशीपुर इण्डस्ट्रियल स्टेट में अपने स्वयं के साधनों से 14 शेडों का निर्माण कराया क्योंकि उद्योग विभाग में उसके लिये किसी बजट का प्राविधान न था। मार्च 1977 में पूर्ण होने के बाद ये शेड अगस्त 1977 में उद्योग विभाग को सौप दिये गये। काम्प्लेक्स के लिये योजना के अनुसार कीमत का 10 प्रतिशत उद्यमियों द्वारा जमा किया जाना था और शेष 90 प्रतिशत वित्त उत्तर प्रदेश वित्त निगम (यू0 पी0 एफ0 सी0) द्वारा उद्यमियों को उपलब्ध कराना था। कम्पनी द्वारा किये गये 6.50 लाख रुपये व्यय के विरुद्ध उसने यू0पी0एफ0सी0के माध्यम से मात्र 0.90 लाख रुपये प्राप्त किये (1978)। आपूर्ति में विलम्ब इस तथ्य के कारण था कि उसी क्षेत्र में निजी उद्यमियों द्वारा वैसे ही निर्माण के लिए निर्माण लागत 27 रुपये प्रति वर्ग फुट के विपरीत 44 रुपये प्रति वर्ग फुट निकलती थी। प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1980) कि सम्बन्धित अभिलेख सतर्कता अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिये गये थे और यह कि वसूली के लिए कार्यवाही सतर्कता विभाग द्वारा उनके वापस किये जाने के बाद की जायगी।

(ii) राज्य सरकार के एक निर्णय (1976) के अनुसरण में, कि आगरा नगर के सारे ढलाई घर विकसित होने वाली एक नवीन साइट पर स्थानान्तरित कर दिये जाने चाहिये, कम्पनी ने आगरा जिले में दो गावों (नवाइच मुस्तकील और एतक सवोदसार) में 167.79 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की और अक्तूबर/नवम्बर 1976 में भूमि का कब्जा ले लिया। क्षति के अन्तिम प्राक्कलन (53.67 लाख रुपये) में से 3.09 लाख रुपये और 13 लाख रुपये का आंशिक भुगतान कम्पनी द्वारा क्रमशः अगस्त 1976/अगस्त 1977 में किया गया। अन्य तत्वों के साथ मुआवजे में भूमि की लागत (17.10 लाख रुपये), भवनों की लागत (23.87 लाख रुपये) और कब्जे की तिथि से भुगतान की तिथि तक भूमि की लागत पर 6 प्रतिशत ब्याज (1.58 लाख रुपये) शामिल था। कम्पनी निर्मित भागों का कब्जा नहीं ले सकी क्योंकि मालिक भवनों को छोड़ने को तैयार न थे और कुछ मामलों में न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त कर चुके थे। अतः क्षेत्र का विकास भूमि के खाली भाग तक सीमित रहा और लगभग 11 एकड़ माप के भू खण्ड आवंटित नहीं किये गये थे (सितम्बर 1981)। वर्तमान भवनों को तत्कालीन मालिकों को पुनर्हस्तान्तरित करने के लिए विचार करने के लिये कम्पनी द्वारा गठित समिति (दिसम्बर 1977) का प्रतिवेदन प्रतीक्षित है (सितम्बर 1981)।

(iii) उन्नाव में एक लेदर काम्प्लेक्स स्थापित करने की एक योजना उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा प्रायोजित की गई थी। उद्यमियों की ओर से 20 शेडों के निर्माण का कार्य (भूमि विकास सहित) कम्पनी द्वारा इस आधार पर प्रारम्भ किया गया (नवम्बर 1976) कि उद्यमियों को ऋण की प्रथम किस्त भुगतान करते समय शेडों की कीमत यू0पी0एफ0सी0 द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। इसके लिए पट्टा विलेख यू0 पी0 एफ0 सी0 को, उसके पक्ष में इक्वीटेबुल मारगेज के लिये हस्तान्तरित होने थे।

कम्पनी शेडों पर 29.76 लाख रुपये व्यय कर चुकी थी लेकिन उद्यमियों द्वारा शेडों की लागत, पूंजी पर ब्याज का संगणन आदि के विरोधाभास के कारण देयों की वसूली में विलम्ब हो गया और अधिकतर मामलों में भूमि, शेडों की लागत और उस पर अर्जित ब्याज स्वीकृत ऋणों से अधिक था। यू0पी0एफ0सी0 इस शर्त पर ऋण वितरण को सहमत हुई (अगस्त 1979) कि शेडों के सम्बन्ध में किसी भी भावी दावे के विरुद्ध कम्पनी उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। उद्यमियों को ब्याज के और बोझ से बचाने के आशय से कम्पनी द्वारा इस पर सहमति दे दी गई (दिसम्बर 1979)।

31 दिसम्बर 1980 को 20 निर्मित शेडों में से 14 के सम्बन्ध में वसूली योग्य राशि 11.30 लाख रुपये थी (यू0 पी0 एफ0 सी0 : 8.78 लाख रुपये और उद्यमी : 2.52 लाख रुपये)। बकाया 6 शेडों के सम्बन्ध में देय कम्पनी द्वारा आंके नहीं गये थे (मार्च 1981)।

2.09. अंशों की अण्डरराईटिंग

(क) अपने उद्देश्यों के अनुसरण में कम्पनी मुख्यरूप से राज्य के अन्दर निर्माता इकाईयों की स्थापना और प्रोन्नति में सहायता देने के लिए पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अंशों के पब्लिक निर्गमन की अण्डरराईटिंग करती है।

31 मार्च 1980 तक कम्पनी ने 51 इकाइयों के 610.48 लाख रुपये मूल्य के अंश अन्डरराइट किये थे (कुल 4966.18 लाख रुपये के निर्गमन में से) और उसे 486.47 लाख रुपये की सीमा तक इन दायित्वों का भुगतान करने को कहा गया।

(ख) निदेशक मण्डल ने निर्णय लिया था (मई 1963) कि प्रत्येक मामले में अधिकतम अन्डरराइट की गई रकम कुल निर्गमित की जाने वाली पूंजी के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। कम्पनी द्वारा 11 मामलों में इस सीमा का उल्लंघन कर दिया गया और अण्डरराइट किये गये धन में 21.1 से 37.3 प्रतिशत तक वैभिन्नता थी। अण्डर-राईटिंग दायित्वों की दृष्टि से 6 मामलों में अंशों का मूल्य जो कम्पनी को स्वीकार करना पड़ा 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक था और प्रतिशत वैभिन्नता 20.5 से 36.2 तक थी।

प्रबन्धकों ने बताया (जून 1980) कि मण्डल ने इकाइयों को योग्यता के आधार पर सहायता स्वीकृत की थी और इस सीमा को बढ़ाने में समर्थ था। तथापि सीमा अतिक्रमण नियमित करने के लिए 2 इकाइयों के सम्बन्ध में पुनः क्रय अनुबन्ध किये गए।

तथापि निदेशक मण्डल ने निर्णय लिया (मई 1980) कि अंशों को अण्डरराइट करने के लिए कम्पनी को प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू0 पी0 लिमिटेड द्वारा अनुसरित 15 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।

(ग) कम्पनी द्वारा रखे गए 51 कम्पनियों के अंशों का बाजार मूल्य 31 मार्च 1980 को निम्न प्रकार था :

अंशों के प्रकार	कम्पनियों की संख्या	अंकित मूल्य	बाजार मल्य	लाभ (+)/ हानि (-)
		(लाख रुपयों में)		
(क) कोटेड				
-सममूल्य से कम				
इक्विटी	14	68.68	37.93	(-) 30.75
अधिमान	5	34.10	29.56	(-) 4.54
	19	102.78	67.49	(-) 35.29
-सममूल्य के बराबर या अधिक				
इक्विटी	12	162.88	534.10	(+) 371.22
अधिमान	2	18.83	18.87	(+) 0.04
	14	181.71	552.97	(+) 371.26
(ख) नाट कोटेड				
इक्विटी	12	54.48	..	..
अधिमान	34	159.33	..	..
	46	213.81	..	..

कम्पनी ने 3 इकाइयों से (विनियोग : 79.19 लाख रुपये) 44.04 लाख रुपये मूल्य के बोनस इक्विटी अंश प्राप्त किए थे (मार्च 1980)। कम्पनी ने 5 इकाइयों में 13.94 लाख रुपये मूल्य के अधिकार इक्विटी अंश भी अधिग्रहीत किए थे ।

(घ) अण्डर राईटिंग दायित्वों के रूप में क्रय किए गए अंशों के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा 1979–80 तक के तीनों वर्षों के दौरान प्राप्त लाभांश का विवरण नीचे दिया गया है :

	1977–78	1978–79	1979–80
इकाइयों की संख्या	50	51	51
कम्पनी द्वारा अभिदत्त पूंजी (लाख रुपयों में)	493.51	500.41	498.30*
इकाइयों की संख्या जिनसे लाभांश मिला	8	8	11
प्राप्त लाभांश की राशि (लाख रुपयों में)	27.24	32.25	40.60
कुल उपयोग पर लाभांश का प्रतिशत	5.5	6.4	8.2

(ङ) अंशों का निकाला जाना

कम्पनी ने अंशों की बिक्री / निस्तारण के लिए अपनी नीति की समीक्षा की (अक्टूबर 1970) और निर्णय लिया कि अंकित मूल्य से ऊपर कोट किए गए अंशों के छोटे समूह में बिक्री द्वारा उसे अपने आर्थिक संसाधनों की वृद्धि करनी चाहिये वशर्ते वसूली गई राशि और अधिक अच्छा लाभ प्राप्त करने हेतु या अण्डर राइटिंग के माध्यम से नए विनियोगों में विनियोजित की जा सके । प्राथमिकता के आधार पर इस मामले की जांच करने और मण्डल को अपनी संस्तुतियां देने हेतु सितम्बर 1975 में मण्डल द्वारा एक उप-समिति गठित की गई; तथापि उप-समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई । सितम्बर 1978 में एक और समीक्षा के बाद मण्डल ने निर्णय लिया कि इस सम्बन्ध में मार्ग दर्शन हेतु एल० आई० सी०, यू० टी० आई०, आर० डी० बी० आई० आदि जैसी संस्थाओं से सलाह ली जानी चाहिये ।

इन्ही सलाहों के आधार पर निदेशक मण्डल द्वारा मार्गदर्शक निर्देश अनुमोदित किए गए (जनवरी 1979) और यह निर्णय लिया गया कि अंशों के निस्तारण का प्रत्येक मामला इन मार्गदर्शक निर्देशों का ध्यान रखते हुए योग्यतानुसार विचारणीय होगा ।

तथापि, कुछ निश्चित इकाइयों के साथ हुए पुन: क्रय अनुबन्धों द्वारा आच्छादित मामलों के सिवाय कम्पनी द्वारा अब तक कोई भी अंश (इक्विटी या अधिमान) निस्तारित नहीं किये गये थे। मण्डल ने अंश संविभाग के प्रबन्ध के लिए एक अलग कक्ष स्थापित करने का भी निर्णय लिया (जनवरी 1979); तथापि, अब तक (जनवरी 1981) कक्ष स्थापित नहीं किया गया था ।

(च) अलाभकर अंशधारिता

कम्पनी अंशधारिता की समीक्षा ने निम्न बातें प्रकट की :

(i) विदेशी तकनीकी सहयोग से मुजफ्फरनगर में फौलाद ढलाई घर की स्थापना के लिए निगमित (नवम्बर 1964) एक औद्योगिक इकाई द्वारा पब्लिक अभिदान के लिए प्रस्तावित 5 लाख रुपये (60 लाख रुपये के निर्गमन में से) के इक्विटी अंश और 5 लाख रुपये (17.50

---

*कम्पनी द्वारा प्राप्त बोनस अंशों सहित ।

लाख रुपये के निर्गमन में से) के अधिमान अंश अण्डरराइट करने का निर्णय कम्पनी ने लिया (नवम्बर 1975)। अण्डर राइटिंग दायित्व के अनुसरण में कम्पनी को 9.95 लाख रुपये (इक्विटी अंश : 4.98 लाख रुपये और अधिमान अंश: 4.97 लाख रुपये) मूल्य के अंश स्वीकार करने पड़े।

इकाई विदेशी सहयोगी की सहायता के बिना जनवरी 1968 में वाणिज्यिक उत्पादन में चली गयी। दिसम्बर 1977 तक के दस वर्षों के दौरान इकाई 5,000 टन प्रतिवर्ष की अपनी स्थापित क्षमता के विरुद्ध मात्र 4,228 मीटरी टन कास्टिंग्स का उत्पादन कर सकी। संयंत्र क्षमता के लगातार कम उपयोग के परिणामस्वरूप इकाई हानि उठाती रही और 77.33 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी के विरुद्ध 31 दिसम्बर 1977 को संचित हानि 139 लाख रुपये की थी।

सम्बन्धित वित्तीय संस्थाओं ने इकाई की कार्य प्रणाली की समीक्षा की (फरवरी 1977) और निष्कर्ष निकाला कि विद्युत अपर्याप्तता द्वारा आसन्न इकाई की कठिनाई प्रवर्तकों की अनुभव-हीनता, उचित तकनीकी और प्रशासकीय कर्मचारियों की कमी, उत्पादन क्षमता का इस्पात कास्टिंग्स की अपेक्षा धातु पिण्ड निर्माण के लिए विपथन, लगभग सारे उपकरणों का बार-बार ब्रेक डाऊन, प्रवर्तकों द्वारा पर्याप्त कार्यशील पूंजी संग्रह की असमर्थता और विदेशी सहयोगी से तकनीकी सहायता के उपयोग की असफलता द्वारा और बढ़ा दी गई जुलाई 1977 में उच्च न्यायालय ने इकाई की बंधक संपत्ति के लिये एक ग्रहीता नियुक्त कर दिया और बंधक सम्पत्ति को बेच देने का आदेश दिया (मई 1979)।

एक पार्टी का इकाई के इक्विटी और अधिमान अंशों को उनके अंकित मूल्य के क्रमश: 22 प्रतिशत और 30 प्रतिशत पर इसको और/या इसके नामित को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव चूंकि वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था अत: मण्डल ने कम्पनी की अंशधारिता को 7.36 लाख रुपये की हानि उठा कर इन शर्तों पर पार्टी को बेचने का निर्णय लिया (मार्च 1981)। तथापि, अंशों की बिक्री अब तक (मई 1981) प्रभावी नहीं हो पाई थी।

(ii) आगरा में स्वायल पाइप निर्माण (एक विदेशी फर्म के सहयोग से) करने की अपनी परियोजना कार्यान्वित करने के लिये एक पाइप निर्माता कम्पनी द्वारा 35 लाख रुपये के इक्विटी अंशों के निर्गमन में से कम्पनी ने 3 लाख रुपये मूल्य के अंश अण्डरराइट करने का निर्णय लिया (नवम्बर 1962)। क्योंकि दूसरे अण्डरराइटर्स मुकर गए इसलिये कम्पनी 10 लाख रुपये के निर्गमन में से 6.50 लाख रुपये (जून 1967/मार्च 1969) के अधिमान अंशों को और अण्डरराइट करने के बाद में सहमत हो गई। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को 2.80 लाख रुपये के इक्विटी अंशों (अक्तूबर 1963) और 6.47 लाख रुपये के अधिमानों अंशों (अक्तूबर 1969) का अभिदान करना पड़ा।

कम्पनी ने भारी हानियां उठाईं। 44.58 लाख रुपये की अपनी प्रदत्त पूंजी के विपरीत 31 दिसम्बर 1978 को 92.85 लाख रुपये की संचित हानि थी।

अधिमान अंशों की दूसरी किश्त (2.50 लाख रुपये) की अण्डरराइटिंग के मामले की प्रक्रिया के समय मण्डल ने कम्पनी की कार्य प्रणाली में कमियों, जैसे उत्पादों की खराब किस्म, भारी अस्वीकृतियां, प्रबन्ध अभिकर्ताओं/निदेशकों का अपर्याप्त आर्थिक दांव, आदि पर विचार किया (मार्च 1969), और मण्डल ने इस आधार पर कि इकाई का प्रबन्ध बदल गया था अधिमान अंशों (4 लाख रुपये) के लिए पूर्व दायित्वों के सम्बन्ध में मान्यता वृद्धि (जून 1969 तक) के साथ-साथ अतिरिक्त दायित्व (2.50 लाख रुपये) वहन करने का निर्णय लिया। परिवर्तित प्रबन्ध भी सफल न था और अन्ततः वित्तीय संस्थाओं ने अपने बकाया देयों को वापस कराने का निर्णय लिया (मई 1979) और इकाई की सम्पत्तियां 10.35 लाख रुपये में नीलाम कर दी गईं (अक्तूबर 1979)/कम्पनी को 9.27 लाख रुपये के विनियोग की हानि हो गई।

(iii) अमौसी (लखनऊ) के पास वनस्पति संयंत्र (50 मीटरी टन प्रति दिन) स्थापित करने के लिये लखनऊ की एक कम्पनी द्वारा 7.50 लाख रुपये के अधिमान अंश के संपूर्ण निर्गमन को अण्डरराइट करने के लिए जून 1977 में कम्पनी सहमत थी। कम्पनी को 7.47 लाख रुपये के अंश अभिदान करने पड़े।

कम्पनी ने सन्तोषजनक तरीके से कार्य नहीं किया और 35.98 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी के विरुद्ध नवम्बर 1974 तक 33.63 लाख रुपये की इसकी संचित हानि था। उसके बाद उसने कम्पनी के अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए। अन्ततः इकाई की सम्पत्तियां 40.50 लाख रुपये में नीलाम कर दी गई (अक्तूबर 1977)। संस्था परिसमापनाधीन है (मई 1980)।

(iv) 1963 में कम्पनी अनुगढ़ नगर (मुरादाबाद) में परिशुद्ध औद्योगिक पेचों के निर्माण के लिए एक कारखाना स्थापित करने हेतु इक्विटी और अधिमान अंशों का क्रमशः 10 लाख रुपये (105 लाख रुपये में से) और 5 लाख रुपये (10 लाख रुपये में से) की सीमा तक अण्डरराइट करने को सहमत हो गई। इक्विटी और अधिमान अंशों के सम्बन्ध में कम्पनी का अण्डरराइटिंग दायित्व क्रमशः 9.92 लाख रुपये और 4.92 लाख रुपये निश्चित हुआ। कम्पनी ने अधिकार इक्विटी अंशों के लिए 3 लाख रुपये का और अभिदान किया (1972)। परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ और परियोजना कीमत 110 लाख रुपये से 200 लाख रुपये और पुनः 372 लाख रुपये तक बढ़ गई (अगस्त 1977)।

इकाई अप्रैल 1978 में उत्पादन में चली गई लेकिन अधिकतर बन्द रही और प्रवर्तकों के प्रतिकूल और असहयोगी रवैये के कारण 1979–80 के दौरान कुछ भी उत्पादन न था। एक वित्तीय संस्थान और इकाई द्वारा उच्च न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र दिए जाने के परिणामस्वरूप दिसम्बर 1979 में एक ग्रहीता नियुक्त किया गया। आगे की प्रगतियां प्रतीक्षित थीं (अप्रैल 1981)।

(v) गाजियाबाद में यवरस बनाने की परियोजना स्थापित करने के लिए नवम्बर 1970 में प्रवर्तित नई दिल्ली की एक कम्पनी के 4.60 लाख रुपये के सम्पूर्ण अधिमान अंशों का निर्गमन कम्पनी ने अण्डरराइट कर दिया था (सितम्बर 1971)। अण्डरराइटिंग दायित्व के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी को सम्पूर्ण राशि के अंशों को अभिदान करना पड़ा।

इकाई ने जुलाई 1974 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया लेकिन विपणन सम्बन्धी समस्याओं और कार्यशील पूंजी की अत्यधिक कमी से ग्रस्त रहीं। कम्पनी ने हानियां उठाईं और 31 दिसम्बर 1975 को 21 लाख रुपये की इसकी प्रदत्त पूंजी के विरुद्ध 12.93 लाख रुपये की संचित हानियां थीं।

उच्च न्यायालय, दिल्ली के परिसमापन आदेश द्वारा दिसम्बर 1977 में एक सरकारी परिसमापक की नियुक्ति हो गई थी। अंशधारकों को कुछ भी रकम पाने के अवसर अत्यन्त क्षीण हैं क्योंकि सम्पत्तियों का निस्तारण सुरक्षित लेनदारों के देयों तक को कवर करने में शक्य नहीं लगता है।

(vi) कम्पनी ने चार इकाइयों, जहां 178.89 लाख रुपये की उनकी प्रदत्तपूंजी के विरुद्ध 278.41 लाख रुपये की संचित हानि थी, में 31.29 लाख रुपये के अपने विनियोगों के सम्बन्ध में सम्भावित हानि के लिये कोई प्राविधान नहीं किया।

(vii) निम्न तालिका 7 अन्य इकाइयों, जिनमें कम्पनी ने 46.34 लाख रुपये विनियोजित किया था, के कार्यकारी परिणाम दर्शाती है। 281.62 लाख रुपये की कुल प्रदत्त पूंजी (और 118.71 लाख रुपये के संचित) के साथ इन इकाइयों में 596.59 लाख रुपये की संचित हानियां थीं (1976–77 और 1977–78)।

कम्पनी का नाम	लेखाओं का वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी और संचित	संचित हानियां और अदृश्य संपत्तियां	शुद्ध मूल्य (लाख रुपयों में)	कम्पनी का अंशों में विनियोग	टिप्पणी
अ	1977–78	117.50 (54.71)	173.34	(–) 55.85	11.94	प्रबन्ध में परिवर्तन के साथ इकाई ने 1977–78 में लाभ कमाया (2.48 लाख रुपये)।
ब	1977–78	72.78 (14.47)	104.34	(–) 31.56	9.95	इकाई ने विद्युत् समस्या के कारण हानि उठाई और 1976–77 से बन्द पड़ी है।
स	1978	70.88 (1.21)	95.83	(–) 24.95	9.32	इकाई ने विपणन समस्याओं और धन की कमी के कारण हानि उठाई।
द	1977–78	35.50	61.06	(–) 25.56	8.88	इकाई ने पावर कट, क्षमता का कम उपयोग, धन की कमी और मजदूरी लागत व अन्य खर्चों में वृद्धि के कारण हानि उठाई।
य	1978	17.24 (0.29)	59.69	(–) 42.45	2.50	5 लाख रुपये के सावधि ऋण (मई 1969) के विरुद्ध 10.04 लाख रुपये (ब्याज सहित 5.87 लाख रुपये) की राशि भी इकाई से वसूली

कम्पनी का नाम	लेखाओं का वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी और संचित	संचित हानियां और अदृश्य सम्पत्तियां	शुद्ध मूल्य	कम्पनी का अंशों में विनियोग	टिप्पणी
			(लाख रुपयों में)			
						जानी थी (फरवरी 1980)/ गाजियाबाद की एक औद्योगिक इकाई, जिसने इकाई को एक साल के पट्टे पर लेने में रुचि दिखाई (मार्च 1980), को विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया था (जनवरी 1981)।
र	1977–78	71.52 (46.52)	75.04	(–) 3.52	1.99	इकाई आवश्यक कार्यशील पूंजी और कोयले और विद्युत् की बढ़ी कीमतों के कारण हानि में रही।
ल	1976–77	14.92 (1.51)	27.29	(–) 12.37	1.76	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा विद्युत कनेक्शन काट दिए जाने के कारण इकाई 1976-77 से बन्द पड़ी है।

टिप्पणी : कोष्टकों में दिये आंकड़े कुल धनराशि में सम्मिलित संचित और आधिक्य को दर्शाते हैं।

2.10. पूरक ऋण

दिसम्बर 1975 में कम्पनी ने उन उद्यमियों को, जिन्हें यू0 पी0 एफ0 सी0 और/या प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू0 पी0 लिमिटेड (पिकअप) द्वारा ऋण स्वीकृत किए गए थे, को वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और वास्तविक वितरण के बीच के अन्तर को पूरा करने हेतु अल्प अवधि के लिए धन प्रदान करने की एक योजना अनुमोदित की। अन्य बातों के अलावा मार्गदर्शक निर्देशों में प्राविधान था कि पूरक ऋणों की मात्रा साधारणतया यू0 पी0 एफ0 सी0 और/या पिकअप द्वारा स्वीकृत ऋणों की 25–40 प्रतिशत तक प्रतिबन्धित रहेगी। वित्तीय संस्थाओं के पुष्टिकरण के साथ उद्यमियों द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किए जाने पर यू0 पी0 एफ0 सी0/पिकअप पूरक ऋण की राशि (उस पर ब्याज सहित) कम्पनी को सीधे पुनर्भुगतान करेगी। समय से भुगतान के लिए 2 प्रतिशत छूट के साथ 3 माह के लिए अल्प अवधि ऋणों पर ब्याज पिछड़े हुए घोषित जिलों के लिए 16 प्रतिशत और अन्य जिलों के लिये 18 प्रतिशत था (बाद में क्रमशः 14 और 16 प्रतिशत तक कम किया गया)।

31 मार्च 1980 तक कम्पनी ने 31 इकाइयों को 838.02 लाख रुपये के कुल पूरक ऋण स्वीकृत किये जिसके विरुद्ध 24 इकाइयों को 649.45 लाख रुपये वितरित किये गए। 1 मार्च 1980 को इन इकाइयों से 143.12 लाख रुपये (ब्याज के 3.99 लाख रुपये सहित) वसूली के लिये अधिदेय था।

व्यक्तिक्रम के कुछ मामले नीचे वर्णित किए गए हैं :

(i) एक राष्ट्रीयकृत बैंक की प्रत्याभूति पर दिसम्बर 1977 में एक एकाई को कार्यशील पूंजी के मार्जिन मनी के लिये (मार्गदर्शक निर्देशों द्वारा कवर्ड नहीं) 6 महीनों के लिए (16 प्रतिशत ब्याज दर पर) 15 लाख रुपये का एक पूरक ऋण स्वीकृत किया गया। जुलाई 1978 में पुनर्भुगतान के लिए देय ऋण सितम्बर 1978 तक बढ़ा दिया गया। इकाई ने 14.34 लाख रुपये (ब्याज सहित : 1.68 लाख रुपये) सितम्बर 1978 में भुगतान किये। 31 मार्च 1980 को 2.91 लाख रुपये (ब्याज सहित : 0.57 लाख रुपये) अब भी बकाया थे। बैंक प्रत्याभूति के विरुद्ध शेष राशि के पुनर्भुगतान का समय 30 जून 1980 तक बढ़ा दिया गया।

(ii) मण्डल के अनुमोदन से (मार्च 1978) उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड (यू0 पी0 ई0 सी0) को एक संयुक्त क्षेत्रीय परियोजना को 6 महीनों के लिए (14 प्रतिशत ब्याज दर पर) 24.50 लाख रुपये का पूरक ऋण स्वीकृत किया गया जो अनुमोदित मार्गदर्शक निर्देशों से कवर्ड नहीं था। इकाई द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान पब्लिक निर्गमन (सितम्बर 1978) में से होना था और पुनर्भुगतान यू0 पी0 एफ0 सी0 द्वारा प्रत्याभूत था। पुनर्भुगतान की देय तिथि (अक्तूबर 1978) जनवरी 1979 तक और पुनः सितम्बर 1979 तक बढ़ा दी गई। तथापि इकाई ने 11.25 लाख रुपये (ब्याज सहित : 5.90 लाख रुपये) मात्र पुनर्भुगतान किये और 20.57 लाख रुपये (ब्याज सहित : 1.41 लाख रुपये) 31 मार्च 1980 को बकाया थे।

2.11. संयुक्त क्षेत्रीय परियोजनाएं

(क) अक्तूबर 1970 में कम्पनी ने संयुक्त क्षेत्रीय परियोजनायें स्थापित करने की एक योजना परिचित कराई। योजना के अन्तर्गत अंशपूंजी का 51 प्रतिशत कम्पनी (26 प्रतिशत) और सहयोगियों/सहकर्ताओं (25 प्रतिशत) द्वारा अभिदत्त होना था और शेष 49 प्रतिशत सार्वजनिक अभिदान के लिये प्रस्तावित किया जाना था।

निम्न तालिका 31 मार्च 1980 तक इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में स्थिति दर्शाती है :

31 मार्च तक	आशय पत्रों की संख्या		परियोजना लागत (करोड़ रुपयों में)	ली गई परियोजनाओं की संख्या	कम्पनी द्वारा किया गया व्यय (लाख रुपयों में)
	प्रार्थित	प्राप्त			
1977	60	35	229.52	25	92.73
1978	65	39	238.80	30	130.94
1979	65	39	238.80	32	182.25
1980	70	40	239.82	44*	229.91

1979–80 तक ली गई परियोजनाओं और उनमें कम्पनी के विनियोग की स्थिति निम्न थी :

	संख्या	विनियोजित धन (लाख रुपयों में)
परियोजनायें जिनके लिये कम्पनियां निगमित की गई :		
उत्पादन में	4	141.97
निर्माणाधीन	7	80.71£
क्रियान्वयन में परियोजनायें	15	4.88
निष्क्रिय परियोजनायें	1	0.32
त्याग दी गई परियोजनायें	17	2.03
योग	44	229.91

(ख) निम्न तालिका 1979–80 तक कम्पनी द्वारा स्थापित कुछ संयुक्त क्षेत्रीय

---

*पंजीकरण प्रमाण पत्रों के आधार पर स्थापित इकाइयों में ली गई परियोजनाओं सहित ।

£3.19 लाख रुपये के विनियोजन वाली एक कम्पनी सहित जहां कम्पनी ने अंशों की बिक्री का निर्णय ले लिया था ।

परियोजनाओं की स्थिति दर्शाती है :

इकाई का नाम	निगमन की तिथि	प्रदत्त पूंजी	विनियोग			सहयोगियों के हिस्से में कमी	निर्मित होने वाले उत्पाद
			कम्पनी द्वारा	सहयोगियों द्वारा	अन्यों द्वारा		
			(लाख रुपयों में)				
यू0पी0 इन्स्ट्रूमेंट्स लि0, लखनऊ	जनवरी 1975	27.50	17.50	10.00	..	3.47	वाटर मीटर, स्पीडोमीटर, मैग्नेटोज

इकाई (एक राज्य सरकार प्रतिष्ठान) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड (49 प्रतिशत) के सहयोग से हाथ में ली गई (51 प्रतिशत)। जब कि कम्पनी 1974–75 से अंश पूंजी में अंशदान कर रही थी, सहयोगियों ने केवल फरवरी मार्च 1980 में अंशदान किया। इकाई की संचित हानियां 76.53 लाख रुपये थीं (मार्च 1979)।

यू0पी0 टायर्स एण्ड ट्यूब्स लि0, लखनऊ	जनवरी 1976	70.00	35.70	34.30	..	कोई कमी नहीं	स्कूटरों के टायर्स और ट्यूब्स

51:49 आधार पर स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के सहयोग से ही स्थापित। मई 1979 में प्रारम्भ कर दिये जाने के लिए निश्चित इकाई ने नवम्बर 1980 में परीक्षण उत्पादन प्रारम्भ किया और वाणिज्यिक उत्पादन फरवरी 1981 में प्रारम्भ होने की आशा थी।

अपार केम लि0, कानपुर	जनवरी 1976	24.83	13.70	11.13	..	1.04	बेता नेप्थल बोनासिड

एक फर्म आर0 के0 वायर्स (प्रा0) लि0, कानपुर के सहयोग से स्थापित। कम्पनी ने 35 लाख रुपये का पूरक ऋण भी दिया था जिसमें से 8.50 लाख रुपये बकाया थे (मार्च 1980)। जून 1979 में 10 लाख रुपये (35 लाख रुपये में सम्मिलित) का अतिरिक्त पूरक ऋण स्वीकृत करते समय मण्डल ने चाहा था कि कम्पनी की इक्विटी में प्रवर्तकों द्वारा समान अभिदान देने के बाद ऋण वितरित किया जाय। तथापि प्रवर्तकों के अभिदान में 1.04 लाख रुपये की कमी के बावजूद भी सितम्बर/अक्टूबर 1979 में सम्पूर्ण राशि दे दी गई। इसके अलावा कम्पनी ने अंशों की मांग के विरुद्ध समयोजित होने वाली 3.90 लाख रुपये की एक राशि भी (अग्रिम में) भुगतान की।

(ग) प्रिंटिंग मशीनरी परियोजना

उन्नाव में प्रिण्टिग मशीनरी के निर्माण की एक परियोजना स्थापित करने के लिए भारत सरकार से एक आशय पत्र जनवरी 1971 में प्राप्त हुआ। सितम्बर 1973 में सहयोग अनुबन्ध सम्पन्न हुआ और नवम्बर 1973 में परियोजना कार्यान्वयन हेतु प्रिंटिंग मशीन्स (इंडिया) लिमिटेड निगमित की गई (अधिकृत पूंजी : 150 लाख रुपये)। कम्पनी और सह–प्रवर्तक ने प्रारम्भिक व्ययों को वहन करने के लिये क्रमश: 3.19 लाख रुपये और 3.06 लाख रुपये अंशपूंजी के रूप में दिए। 1974 में एक विपरीत बाजार आख्या के कारण निदेशक मण्डल ने परियोजना पर आगे और कुछ भी व्यय न करने का निर्णय लिया। तथापि पश्चिम जर्मनी की एक फर्म से तकनीकी जानकारी का अनुबन्ध अगस्त 1975 में किया गया। 31 मार्च 1978 तक किया गया कुल व्यय 3.30 लाख रुपये था। कोई भी अन्य विवरण उपलब्ध नहीं था क्योंकि उसके बाद अभिलेख सतर्कता विभाग द्वारा जब्त कर लिये गये थे।

बिलम्ब के कारण सह-प्रवर्तक ने परियोजना में भागीदार होने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी क्योंकि परियोजना लागत 2.60 करोड़ रुपये से बढ़कर 3.60 करोड़ रुपये हो गई थी।

अप्रैल 1980 में मण्डल ने निर्णय किया कि इकाई समाप्त कर दी जाये जिससे 2 लाख रुपये की अनुमानित हानि हुई। चूंकि सह-प्रवर्तक ने कम्पनी के निर्णय को स्वीकार नहीं किया, मण्डल ने कम्पनी की अंशधारिता को कानपुर की फर्म को 1.24 रुपये प्रति अंश के उसके प्रस्ताव पर 2.79 लाख रुपये की हानि उठा कर बेच देने का निर्णय लिया (सितम्बर 1980)। तथापि अंशों की बिक्री अब तक प्रभावी नहीं हो पाई थी (मई 1981)।

2.12. लेखा विधि और आतंरिक सम्परीक्षा

कम्पनी ने विभिन्न कक्षों, शाखाओं और कार्यालयों के कार्यों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों और पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण परिभाषित करते हुए कोई लेखा मैनुअल नहीं तैयार किया था। कम्पनी ने व्यवस्थित आन्तरिक सम्परीक्षा हेतु 1977–78 में एक आन्तरिक सम्परीक्षा सेल (एक सम्परीक्षा अधिकारी, वाणिज्यिक सम्परीक्षक और प्रभागीय लेखाकार द्वारा गठित) स्वीकृत किया लेकिन निर्णय अब भी क्रियान्वित होना है (सितम्बर 1981)।

2.13. अन्य रोचक विषय

उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड––एक सहायक कम्पनी

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड (एच0एम0टी0), बंगलौर से तकनीकी सहयोग में भोवाली (नैनीताल) में हाथ घड़ियों के संयोजन हेतु एक परियोजना स्थापित किए जाने का निर्णय दिसम्बर 1976 में कम्पनी ने लिया।

जनवरी 1977 में किए गए एक अनुबन्ध के अनुसार एच0 एम0 टी0 को कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना था, घटकों को निःशुल्क आपूर्ति करनी थी और निरीक्षण के पश्चात् संयोजित घड़ियों को संग्रह करना था। अनुबन्ध के हस्ताक्षर हो जाने के बाद कम्पनी ने तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए एच0 एम0 टी0 को एक लाख रुपये भुगतान किया। एच0 एम0 टी0 द्वारा 1.50 रुपया प्रति घड़ी केसिंग के लिए और 5.60 रुपया प्रति घड़ी संयोजन के लिए अनुबन्ध की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक कम्पनी को देना था जो नवम्बर 1980 में, फरवरी 1980 से पूर्वकालिक प्रभाव से, 3 वर्ष आगे की अवधि के लिए पुनर्नवीकृत कर दिया गया।

परियोजना क्रियान्वित करने के लिए कानपुर में पंजीकृत कार्यालय के साथ कम्पनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के रूप में उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड निगमित की गई (मार्च 1978)।

परियोजना में एक शिफ्ट के आधार पर 2.50 लाख घड़ियां प्रतिवर्ष संयोजन का लक्ष्य था और सेमी नाक डाउन (एस के डी) संयोजन और कम्प्लीट नाक डाउन (सी के डी) संयोजन के रूप में दो चरणों में कार्यान्वित होना था।

परियोजना की अनुमानित लागत (24.10 लाख रुपये) कम्पनी से 9.20 लाख रुपये की अंश पूंजी और यू0 पी0 एफ0 सी0 से 14.90 लाख रुपये के सावधि ऋण से पूरी की जानी थी।

इकाई ने पहली दिसम्बर 1977 से संयोजन प्रारम्भ किया (परीक्षण आधार पर)। निश्चित लक्ष्यों (एच0एम0टी0 की सलाह से) के विरुद्ध 31 मार्च 1980 तक घड़ियों के संयोजन की स्थिति निम्न प्रकार थी :

	लक्ष्य	वास्तविक (संख्या में)	वैभिन्य (+)/(−)	प्रतिशत
एस के डी संयोजन				
31 मार्च तक				
1978	60,000	65,864	(+) 5,864	109.8
1979	2,40,000	2,40,600	(+) 600	100.3
1980	1,92,000	1,78,277	(−) 13,723	92.9
योग	4,92,000	4,84,741	(−) 7,259	98.5
सी के डी संयोजन				
31 मार्च तक				
1978	..	..	..	..
1979	10,000	2,500	(−) 7,500	25.0
1980	75,000	25,440	(−) 49,560	33.9
योग	85,000	27,940	(−) 57,060	32.9

प्रबन्धकों ने विद्युत की और एच0एम0टी0 से घटकों की अनियमित आपूर्ति को कमी का कारण बताया। 31 मार्च 1980 तक कम्पनी ने 1.90 लाख रुपये की हानि उठाई।

2.14. निष्कर्ष

(i) नियोजित पूंजी से कर पश्चात् लाभ का प्रतिशत 1977–78 में 2.2, 1978–79 में 2.5 और 1979–80 में 4.0 था।

(ii) औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की योजना के अन्तर्गत कम्पनी ने राज्य के 35 औद्योगिक क्षेत्रों में 15,002.2 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की, भूमि की लागत (7.96 करोड़ रुपये) को छोड़कर 10.02 करोड़ रुपये की कुल लागत से 31 मार्च 1980 तक 9725 एकड़ भूमि का विकास किया।

(iii) 9725 एकड़ विकसित भूमि में से कम्पनी ने 7203 एकड़ में 5637 भूखंड (विकसित भूमि का 74 प्रतिशत) बनाए, 3455 भूखंड (4635 एकड़) औद्योगिक इकाइयों को आवंटित किए गए; 1063 भूखण्ड धारक (2,624 एकड़) उत्पादन में गए और 703 भूखण्डों (980 एकड़) पर निर्माण कार्य प्रगति में था। औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों द्वारा भूखण्डों के उपयोग में धीमी प्रगति का कारण प्रबन्धकों द्वारा असंतोषजनक विद्युत आपूर्ति स्थिति और कच्चे माल की कमी / अनापूर्ति बताया गया।

(iv) कम्पनी ने 114.23 लाख रुपये की लागत से 291 शेडों का निर्माण कराया, 225 शेड आवंटित किए गए और 106 शेडों पर उद्यमियों ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया।

(v) 31 मार्च 1980 तक कम्पनी ने ई0 डब्ल्यू0 एस0 और एल0 आई0 जी0 योजनाओं के अन्तर्गत 154 क्वार्टर (10.38 लाख रुपये) निर्मित कराए जिनमें से मात्र 36 ई0 डब्ल्यू0 एस0 क्वार्टर आवंटित किए गए।

(vi) लखनऊ, आगरा और गाजियाबाद क्षेत्रों में 1039 औद्योगिक भूखण्ड आवंटियों से 176.46 लाख रुपये की वसूली अधिदेय थी।

(vii) काशीपुर इण्डस्ट्रियल स्टेट में उद्योग विभाग द्वारा प्रायोजित एक होजरी काम्प्लैक्स के लिए कम्पनी ने 6.50 लाख रुपये की लागत से 14 शेड निर्मित कराए। उद्यमियों को 10 प्रतिशत जमा कराना था और शेडों की कीमत का शेष 90 प्रतिशत यू0 पी0 एफ0 सी0 द्वारा स्वीकृत ऋण में से वसूल होना था। कम्पनी कीमत नहीं वसूल कर पाई क्योंकि उद्यमियों द्वारा वह बहुत अधिक समझी गई। सम्बन्धित अभिलेख सतर्कता विभाग द्वारा कब्जे में ले लिए गए थे।

(viii) मार्च 1980 के अन्त तक कम्पनी ने 51 इकाइयों के पूंजी निर्गमन को अण्डरराइट किया था (610.48 लाख रुपये) और अपने द्वारा अण्डरराइट अंशों का 79.7 प्रतिशत या कुल 486.47 लाख रुपये के इक्विटी (38 इकाइयों) और अधिमान अंशों (41 इकाइयों) को अधिग्रहीत किया।

(ix) कम्पनी के 102.78 लाख रुपये के विनियोजन (इक्विटी अंश: 14 कम्पनियां; अधिमान अंश: 5 कम्पनियां) का बाजार मूल्य 67.49 लाख रुपये था जो 35.29 लाख रुपये की कमी प्रतिबिम्बित करता था।

(x) कम्पनी ने 1978-79 में 8 कम्पनियों से (51 में से) और 1979-80 में 11 कम्पनियों से लाभांश प्राप्त किया।

(xi) 9 कम्पनियों की संचित हानि (कम्पनी का विनियोजन: 65.56 लाख रुपये) उनकी प्रदत्त पूंजी से अधिक थी।

(xii) उद्यमियों को कम अवधि के लिए धन प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत कम्पनी ने कुल 838.02 लाख रुपये के कम अवधि के पूरक ऋण स्वीकृत किए (31 इकाइयां) जिसके विरुद्ध 31 मार्च 1980 तक 649.45 लाख रुपये (24 इकाइयां) वितरित किए गए। 143.12 लाख रुपये (ऋण: 139.13 लाख रुपये और ब्याज: 3.99 लाख रुपये) की धनराशि 31 मार्च 1980 तक निश्चित अवधि के अन्दर पुनर्भुगतान नहीं की गई।

(xiii) कम्पनी ने 31 मार्च 1980 तक 44 संयुक्त क्षेत्रीय परियोजनाओं पर 229.91 लाख रुपये का व्यय किया।

ग्यारह परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नई कम्पनियां स्थापित की गईं जिनमें से 4 कम्पनियों ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया था और 7 परियोजनाएं निर्माण अवस्था में थीं। शेष 33 परियोजनाओं में से मात्र 13 परियोजनाएं क्रियान्वयन के अधीन थीं; एक निष्क्रिय थी और 17 परियोजनाएं, जिन पर कम्पनी 2.03 लाख रुपये खर्च कर चुकी थी, त्याग दी गई थीं।

(xiv) मीटर, स्पीडोमीटर, मैग्नेटोज आदि (कम्पनी का विनियोजन 17.50 लाख रुपये) के निर्माण के लिये स्थापित एक परियोजना में 31 मार्च 1979 तक 27.50 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी के विरुद्ध 76.53 लाख रुपये की संचित हानि थी।

अनुभाग III

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

3.01. विषय प्रवेश

प्रदेश म पर्यटन को बढ़ावा देने एवं विकास करने के लिये राज्य सरकार ने 1972 में एक पर्यटन निदेशालय की स्थापना की। व्यवसायिक आधार पर पर्यटकों हेतु सुविधायें प्रदान करने एवं समन्वित करने के लिये 5 अगस्त 1974 को यू0पी0 स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड निगमित (कम्पनीज ऐक्ट 1956 के अन्तर्गत) हुआ था।

सरकार ने 3 पर्यटक आवास गृह (हरिद्वार, लखनऊ तथा वाराणसी) मई 1975 में, 4 पर्यटक आवास गृह (आगरा, इलाहाबाद, अयोध्या तथा सारनाथ) फरवरी 1977 में (आरम्भ में जुलाई 1975 से पट्टे पर दिया गया) और महोबा पर्यटक आवास गृह जुलाई 1977 में (वस्तुतः जनवरी 1977 में हस्तांतरित), इस शर्त के साथ कम्पनी को हस्तांतरित किया कि हस्तांतरित आवास गृहों (जलपान गृहों के साथ) के मूल्य (प्रत्येक लाट के लिए कल्पना से निर्धारित मूल्य 8 लाख रुपये) को अंश पूंजी हेतु सरकार का अभिदान माना जायेगा। आवास गृहों के हस्तांतरण हेतु अब तक औपचारिक अनुबंध नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1981)। सरकार ने चित्रकूट पर्यटक आवास गृह को भी जनवरी 1978 में कम्पनी को हस्तांतरित कर दिया जिसकी शर्तें अभी तक निश्चित नहीं की गयी हैं (अक्टूबर 1980)। इन आवासगृहों के मूल्य निर्धारण, जून 1974 में इस उद्देश्य से गठित एक समिति द्वारा विचाराधीन रहने से, कम्पनी को हस्तांतरित (चित्रकूट को छोड़कर) अचल परिसम्पतियों का मूल्य अनन्तिम तौर पर 24 लाख रुपये समायोजित किया गया है। परन्तु इस धनराशि के अंश सरकार को अभी आवंटित करने हैं (सितम्बर 1981)।

3.02. उद्देश्य

कम्पनी के मुख्य उद्देश्य हैं :

होटलों, मोटलों, रेस्तरांओं, यात्री लाजों, अतिथि गृहों, मनोरंजन केन्द्रों, हस्तकलाओं एवं इम्पोरियमों का प्रवर्तन करना, ग्रहण करना, विकसित करना, चलाना, क्रय करना, निर्माण करना, पट्टे पर लेना, अनुरक्षण करना, प्रबंध व परिचालन करना;

पर्यटन के विकास से संबंधित भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी विभाग की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के लेने की व्यवस्था करना;

परिवहन इकाइयों की स्थापना एवं प्रबंध करना, कारों, टैक्सियों, बसों, गाड़ियों, नावों, रज्जु मार्गों, वायुयानों, अंतदशीय जलयानों का परिचालन करना या चलाया जाना, और एयरलाइन्स, रेलवे, जहाजी कम्पनियों के यात्रा अभिकर्ता के रूप में कार्य करना;

पर्यटक प्रचार सामग्री का उत्पादन, वितरण एवं विक्रय करना;

प्रचुरमात्रा में प्रचार की व्यवस्था करना तथा विदेशी एवं भारतीय पर्यटकों हेतु दिलचस्प स्थानों का कन्डेक्टेड टूर प्रदान करना।

3.03. पूंजी संरचना

अंशपूंजी

कम्पनी की अधिकृत अंशपूंजी 100 रुपये प्रत्येक के, 100,000 इक्विटी अंशों में विभाजित 100 लाख रुपये हैं। इसकी प्रदत्त पूंजी 31 मार्च 1980 को राज्य सरकार द्वारा पर्णरूप से अभिदत्त 85.87 लाख रुपये थी । निदेशक मंडल ने अधिकृत अंश पूंजी को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ करने का निश्चय किया (अप्रैल 1980) और इसके अनुमोदन के लिये सरकार से अनुरोध किया जो अभी प्रतीक्षित है (मई 1981)।

3.04. संगठनात्मक व्यवस्था

कम्पनी का प्रबंध राज्य सरकार द्वारा नामित एक निदेशक मंडल में निहित है। सचिव पर्यटन विभाग तथा पर्यटन निदेशक कम्पनी के क्रमशः पदेन (अंशकालिक) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। निदेशक मंडल में कोई भी पूर्णकालिक निदेशक नहीं है। कम्पनी के आर्टिकिल्स आफ एशोसियेशन की धारा 136 में प्राविधान है कि कम्पनी का प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार के अनुमोदन से नियुक्त किया जायेगा और एक समय में 5 वर्ष की अवधि तक इस पद पर रहेगा। परन्तु यह देखा गया कि कम्पनी के प्रादुर्भाव यथा अगस्त 1974 से प्रबंध निदेशक आठ बार बदले गये।

जबकि कम्पनीज ऐक्ट 1956 के प्राविधानों के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा एक पूर्णकालिक अर्ह सचिव रखना आवश्यक है फिर भी कम्पनी के प्रादुर्भाव से ही कम्पनी का एक लेखाधिकारी सचिव का कार्य अंशकालिक आधार पर सम्पादित करता रहा है।

3.05. वित्तीय स्थिति

कम्पनी के 1977–78 तथा बाद के लेखे बकाये में थे (मार्च 1981)। लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब को सरकार की जानकारी में अंतिम बार मार्च/अगस्त 1980 में लाया गया। फिर भी, कम्पनी की वित्तीय स्थिति 1979–80 तक तीन वर्षों के दौरान अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर निम्न थी :

	1977–78	1978–79 (अनन्तिम) (रुपये लाखों में)	1979–80
दायित्व			
प्रदत्त पूंजी	80.87	85.87	85.87
संचित एवं आधिक्य	1.54	1.56	1.56
निक्षेप	0.36	0.36	22.08
चालू दायित्व (प्राविधानों को सम्मिलित करते हुए)	29.24	29.54	29.75
योग	112.01	117.33	139.26
परिसम्पत्तियां			
सकल अचल परिसम्पत्तियां	37.26	39.44	44.90
घटाइये : ह्रास	8.25	11.06	14.06
शुद्ध अचल परिसम्पत्तियां	29.01	28.38	30.84
चालू परिम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	82.87	88.84	104.48
अदृश्य परिसम्पित्तियां			
प्रकीर्ण व्यय	0.13	0.11	0.09
एकत्रित हानियां	..	..	3.85
योग	112.01	117.33	139.26
नियोजित पूंजी	82.64	87.68	105.57
शुद्ध मूल्य	82.64	87.68	105.57

टिप्पणी:—नियोजित पूंजी शुद्ध अचल परिसम्पत्तियों तथा कार्यशील पूंजी के योग का प्रतिनिधित्व करती है।

शुद्ध मूल्य प्रदत्त पूंजी, निक्षेपों तथा संचित के योग से अदृश्य परिसम्पत्तियों को घटा कर निकाला गया है।

3.06. **कार्य परिणाम**

निम्न सारणी में कम्पनी के 1979–80 तक तीन वर्षों का कार्य परिणाम (अनन्तिम) सारांश में दिया गया है:–

	1977–78	1978–79 (अनन्तिम) (रुपये लाखों में)	1979–80
आय			
पर्यटक आवास तथा जलपान			
गृहों से आय	10.50	16.84	17.76
कन्डक्टेड टूर्स तथा टैक्सी भाड़ा	0.13	0.08	0.25
नक्शों की बिक्री	0.12	0.06	0.08
बैंक से ब्याज	4.86	2.50	1.72
प्रकीर्ण आय	0.16	0.32	0.71
अन्य समायोजन	..	1.16	..
योग	15.77	20.96	20.52
व्यय			
वेतन मजदूरी एवं अन्य भुगतान	8.69	13.15	15.22
किराया, शुल्क एवं कर	0.31	0.38	0.88
अपलिखित भंडार	0.73	0.55	0.84
ह्रास	2.52	2.26	2.16
नक्शों के रहतिये में घटाव	0.12	0.06	0.08
प्रकीर्ण व्यय	2.92	4.53	5.19
योग	15.29	20.93	24.37
लाभ (+)/हानि (–)	(+) 0.48	(+) 0.03	(–) 3.85

कम्पनी ने तीन वर्षों के दौरान बैंक/डाकघर में सावधि निक्षेपों या बचत खातों से ब्याज के रूप में 9.08 लाख रुपये अर्जित किया था। यह देखा गया कि जबकि पर्यटक आवास तथा जलपान गृहों से आय 1977–78 में 10.50 लाख रुपये से बढ़कर 1979–80 में 17.76 लाख रुपये (69 प्रतिशत) हुई उसी अवधि के दौरान वेतन और मजदूरी 8.69 लाख रुपये से बढ़कर 15.22 लाख रुपये (75 प्रतिशत) हो गई।

(i) अनियमित अग्रिम

(क) कम्पनी ने पर्यटन निदेशक* की प्रेरणा से हरियाणा टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (एच टी सी) को (बिना किसी विस्तृत अध्ययन या साध्यता प्रतिवेदन या निदेशक मंडल के अनुमोदन के) नरोरा में एक पर्यटक काम्प्लेक्स (एक रेस्तरां, पानागार तथा पर्यटक आरामगृह से युक्त) के निर्माण हेतु 5 लाख रुपये (सावधि निक्षेप को 0.14 लाख रुपये के ब्याज के हानि पर अपरिपक्व भुनाकर) का अग्रिम भुगतान किया (जुलाई 1976)। इस अग्रिम में प्रचार, विज्ञापन तथा काम्पलेक्स को (कम्पनी के अभिकर्ता के रुप में) दो वर्ष तक (आपसी समझौते द्वारा दो वर्ष तक बढ़ाये जाने योग्य) चलाने हेतु तदर्थ धन (0.25 लाख रुपये) भी शामिल थे। काम्पलेक्स सितम्बर 1976 में पूर्ण हुआ और इसने दिसम्बर 1976 से कार्य करना आरम्भ किया।

इसको ग्रहण किये जाने (नवम्बर 1977) तक अचल परिसम्पत्तियों (4.04 लाख रुपये), परामर्श (0.45 लाख रुपये) और काम्प्लैक्स को चलाने (2.07 लाख रुपये) पर कुल व्यय (0.09 लाख रुपये के प्रारम्भिक व्यय को छोड़ कर) 6.56 लाख रुपये हुआ। इस अवधि के दौरान 0.83 लाख रुपये की आमदनी हुई परिणामतः 1.24 लाख रुपये की परिचालन हानि हुई। एच टी सी का 0.73 लाख रुपये का दावा विचाराधीन था (मई 1981)।

(ख) एच टी सी को दुग्ध आयुक्त, लखनऊ द्वारा भी मथुरा, ताज (आगरा), फतेहपुर सीकरी और सिकन्दरा में दुग्ध पानागार स्थापित करने के लिये 11.39 लाख रुपये का अग्रिम दिया गया (सितम्बर 1976)। राज्य सरकार ने तय किया (अगस्त 1977) कि ये दुग्ध पानागार कम्पनी द्वारा चलाये जाने चाहिये तथा एच टी सी को पूर्ण धनराशि कम्पनी को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया (जनवरी 1978)। एच टी सी ने सूचित किया (जनवरी 1979) कि 1.85 लाख रुपये के धन विनियोग से मथुरा का दुग्ध पानागार अप्रैल 1977 में तैयार था परन्तु विद्युत् कनेक्शन, जिसके लिये राज्य विद्युत परिषद् को 4500 रुपये जमा किया गया था, के अभाव में परिचालित नहीं किया जा सका। यह भी सूचित किया गया कि अप्रैल 1974 से दुग्ध पानागार की देख भाल पर 300 रुपये प्रति माह का व्यय किया जा रहा था। अप्रैल 1980 में तैयार की गई साध्यता आख्या 1.55 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता को इंगित करती थी और आगामी 5 वर्षों के दौरान 12.20 लाख रुपये से 26.20 लाख रुपये प्रति वर्ष का अनुमानित लाभ प्रक्षेपित करती थी। मथुरा में दुग्ध पानागार की स्थापना तथा उसकी साध्यता प्रतिवेदन अभी निदेशक मंडल से अनुमोदित होने हैं (मई 1981)। 11.39 लाख रुपये के अग्रिम के विरुद्ध, एच टी सी द्वारा किये गये व्यय का समायोजन तथा शेष धनराशि की वापसी अब तक होना बाकी थी (मई 1981)।

(ग) कम्पनी ने पर्यटन निदेशक की प्रेरणा पर (निदेशक मंडल के अनुमोदन के बिना) अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन), बांदा और मथुरा को महोबा (जुलाई 1977 में हस्तांतरित) चित्रकूट (जनवरी 1978 में हस्तांतरित) तथा मथुरा (अभी तक हस्तांतरित नहीं) में पर्यटक आवास गृहों के निर्माण एवं विद्युतीकरण को पूर्ण करने के लिये 6.65 लाख रुपये के अग्रिम दिये (दिसम्बर 1974 से मार्च 1976 के दौरान)। ये पर्यटन निदेशक के वित्तीय एवं प्रशासकीय नियंत्रण में थे।

---

* कम्पनी के पदेन प्रबन्ध निदेशक भी

कम्पनी ने पर्यटन निदेशक की प्रेरणा पर वाराणसी और सारनाथ के पर्यटक आवास गृहों के फर्नीचर तथा सज्जा के लिये मार्च 1974 में पर्यटन निदेशक द्वारा किये गये पूर्ति आदेश के विरुद्ध 0.70 लाख रुपये का भी भुगतान किया था (अगस्त 1975)। ये आपूर्तियां जून–अक्टूबर 1974 के दौरान प्राप्त हुई जबकि पर्यटक आवास गृह कम्पनी को क्रमश: मई 1975 तथा फरवरी 1977 में हस्तांतरित हुए ।

(ii) धन का अनियोजित उपयोग

पर्याप्त विकास मान क्रिया कलापों के अभाव में सरकार से अंश पूंजी (85.87 लाख रुपये) और अन्य योजनाओं (4.01 लाख रुपये) के निमित्त प्राप्त धन का अधिकांश भाग 3 से 37 महीने के लिये सावधि निक्षेप में निविष्ट किया गया था या बैंक/डाकघर में बचत/चालू खातों में रखा गया था।

सावधि निक्षेप में वर्ष वार निवेश की स्थिति नीचे इंगित की जाती है :

अवधि	अंशपूंजी हेतु प्राप्त धन	एक माह में अधिकतम और न्यूनतम निवेश	वर्ष के अंत में नकद और बैंक अवशेष	औसत निवेश	अर्जित ब्याज
			(रुपये लाखों में)		
1974–75	14.88*	5.50 से 9.05	2.02	6.67	0.21
1975–76	55.00	9.18 से 14.18	55.75	12.93	0.97
1976–77	5.00	66.42 से 72.23	2.89	69.34	5.56
1977–78	10.00	38.30 से 65.68	15.70	53.95	4.86
1978–79	5.00	25.00 से 38.68	17.54	34.49	2.50
1979–80**	शून्य	25.00 से 32.97	58.48	31.37	1.72

(iii) ऋण एवं अनुदान का उपयोग न किया जाना

भारत सरकार की "हाफ ए मिलियन जाब प्रोग्राम" के अन्तर्गत राज्य सरकार ने कम्पनी के माध्यम से सम्पादित करने के लिये शिक्षित बेरोजगारों को होटल प्रबन्ध एवं खानपान की एक रोजगार प्रोन्नति योजना (इम्पलायमेंट प्रमोशन स्कीम) स्वीकृत की (फरवरी 1975)। योजना में 100 युवकों को 4 माह के प्रशिक्षण का प्राविधान था जिन्हें तब बाद में होटल इकाइयों की स्थापना में मदद देनी थी। यह अनुमान लगाया गया था कि प्रत्येक प्रशिक्षित व्यक्ति

---

*हाफ ए मिलियन जाब प्रोग्राम के लिये 4.01 लाख रुपये सम्मिलित हैं ।

**अगस्त 1979 के बाद सावधि निक्षेप में कुछ भी धन नहीं रखा गया था।

को होटल स्थापित करने में 0.34 लाख रुपये की आवश्यकता होगी। ये धन प्रशिक्षार्थियों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से, कम्पनी द्वारा 7.5 प्रतिशत ब्याज की दर पर दिये जाने वाले 10 प्रतिशत मार्जिन मनी के भरण के सहारे पर प्राप्त करने थे।

योजना की कुल लागत 4.01 लाख रुपये अनुमानित की गई थी। यह पूरी धनराशि (4.01 लाख रुपये) कम्पनी द्वारा अनुदान के रूप में (1,77,500 रुपये), 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर भरण के रूप में (1,77,500 रुपये) और प्रशिक्षण लागत (46,000 रुपये) के लिए मार्च 1975 में आहरित कर ली गयी। इस धन में से कम्पनी ने 3.55 लाख रुपये 1 वर्ष के लिए (परिवक्तता पर 13 महीने के लिए और बढ़ाई गई) सावधि निक्षेप में जमा कर दिया (मार्च 1975)।

कम्पनी ने 94 व्यक्तियों के प्रशिक्षण पर 0.46 लाख रुपये (विभागीय तौर पर 0.02 लाख रुपये को शामिल कर) व्यय किया किन्तु उनमें से कोई भी मार्जिन मनी की सहायता के लिये आगे नहीं आया। राज्य सरकार के निर्देश पर, खर्च न किया हुआ 3.55 लाख रुपये का शेष धन, राज्य सरकार को वापस कर दिया गया (मार्च 1977)। परन्तु, अनुदान के भाग पर अर्जित (मार्च 1975 से मार्च 1977) ब्याज (0.27 लाख रुपये) जो वापस करना आवश्यक था सरकार को वापस नहीं किया गया।

(iv) रोकड़ की बसूली तथा प्रेषण

(क) प्रत्येक पर्यटक आवास तथा जलपान गृह का एक अलग बैंक खाता है जिसमें प्राप्तियां जमा की जाती हैं तथा दिन प्रतिदिन के व्यय के लिये धन आहरित होता है। रोकड़ प्राप्तियों को अगले कार्य दिवस पर बैंक में जमा करना आवश्यक होता है। परन्तु, यह देखा गया कि धन को जमा करने में 3 से 30 दिन तक का विलम्ब हुआ।

(ख) रोकड़ को सम्भालने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों (स्वागती तथा काउन्टर क्लर्क) ने न तो कोई जमानत दिया था और न उनको समुचित लेखा पुस्तकों एवं लेखाओं के रखरखाव हेतु प्रशिक्षण दिया गया था।

(ग) लेखाओं के रख-रखाव के लिये कोई प्रक्रिया या निर्देश निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(घ) लेखाओं पर पर्यवेक्षण कर्मचारियों (सुपरवाइजरी स्टाफ) द्वारा जांच की कोई प्रणाली नहीं है।

(ङ) जलपान गृह के समस्त कमचारी दैनिक मजदूरी पर नियुक्त हैं।

(च) लखनऊ पर्यटक आवास गृह के जलपान गृह में सितम्बर 1977 से फरवरी 1978 की अवधि के दौरान 0.32 लाख रुपये का एक गबन पकड़ में आया। सम्परीक्षा में परख जांच (मई 1978) से लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों में उपरिलेखन तथा काट-कूट जानकारी में आया और काउन्टर क्लर्क (दैनिक मजदूरी पर नियुक्त) की सेवायें समाप्त कर दी गयीं थीं (फरवरी 1978)। प्रबंधक को एक कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था (जून 1978) परन्तु उस के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। फरवरी 1978 में पुलिस को प्रतिवेदित मामला अभी भी अनुसंधान में था (मार्च 1981)।

3.07. क्रिया-कलाप

पर्यटक आवास तथा जलपान गृहों के (आगरा जलपान गृह जिसको अभी नहीं लिया गया को छोड़कर) आय और प्रत्यक्ष खर्चों के आधार पर, 1979–80 तक तीन वर्षों के कार्य परिणाम* नीचे दिये जाते हैं :–

---

*भवनों के मरम्मत, नवीनीकरण/परिवधन तथा परिवर्तन एवं उन पर ह्रास पर हुआ व्यय सम्मिलित नहीं है।

	लाभ/हानि		
	1977–78	1978–79 (रुपये लाखों में)	1979–80
हरिद्वार	0.30	0.29	0.28
लखनऊ	0.60	0.90	0.58
वाराणसी	0.06	0.43	0.91
आगरा	0.68	0.80	0.94
इलाहाबाद	0.19	0.34	0.14
अयोध्या	(–) 0.16	(–) 0.06	(–) 0.01
सारनाथ	0.06	(–) 0.11	(–) 0.02
महोबा	(–) 0.04	(–) 0.20	(–) 0.13
नरोरा	(–) 0.18	(–) 0.23	(–) 0.22
चित्रकूट	..	(–) 0.21	(–) 0.02
कुकरैल	0.03	(–) 0.09	(–) 0.08
योग	1.54	1.86	2.37

यह देखा जायेगा कि अयोध्या, सारनाथ, महोबा, नरोरा और चित्रकूट के पर्यटक आवास गृह तथा कुकरैल का जलपान गृह अपने परिचालन व्यय को भी उगाही नहीं कर पा रहे हैं।

(i) पर्यटक आवास गृह

(क) निम्न सारणी 1979–80 तक के तीन वर्षों की शय्या उपलब्ध क्षमता, आवास का अधिभोग (आकुपैन्सी), अधिभोग का प्रतिशत, अर्जन क्षमता, वास्तविक अर्जन तथा वास्तविक अर्जन का अर्जन क्षमता पर प्रतिशत के विवरण देती है :

कुल शय्या	वर्ष के लिए शय्या क्षमता	अधिभोग	अधिभोग का प्रतिशत	अर्जन क्षमता	वास्तविक अर्जन*	क्षमता पर अर्जन का प्रतिशत
	(संख्या)			(रुपये लाखों में)		
हरिद्वार 50						
1977–78	18250	9548	52.3	1.96	0.93	47.4
1978–79	18250	9067	49.7	2.01	1.17	58.2
1979–80	18300	11511	62.9	2.01	1.21	60.2
लखनऊ 59						
1977–78	20440	13490	66.0	2.20	1.85	84.0
1978–79	19435	14424	74.2	2.28	2.05	90.0
1979–80	19398	14311	73.8	2.36	2.07	87.7

*निगम द्वारा आंकी गई।

कुल शय्या	वर्ष के लिए शय्या क्षमता (संख्या)	अधिभोग	अधिभोग का प्रतिशत	अर्जन क्षमता	वास्तविक अर्जन*	क्षमता पर अर्जन का प्रतिशत
				(रुपये लाखों में)		
वाराणसी 81						
1977–78	29565	15470	52.3	3.31	1.57	47.4
1978–79	29565	17885	60.5	3.31	2.04	61.6
1979–80	29646	19976	67.4	3.32	2.29	69.0
आगरा 70						
1977–78	25550	16316	63.9	2.32	1.76	75.9
1978–79	25550	18502	72.4	2.88	2.28	79.2
1979–80	25620	20781	81.1	2.93	2.52	86.0
इलाहाबाद 30						
1977–78	10950	6515	59.5	1.32	0.94	71.2
1978–79	10950	7762	70.9	1.37	1.12	81.8
1979–80	10980	7824	71.3	1.37	1.19	86.9
अयोध्या 26						
1977–78	9490	3394	35.8	0.44	0.19	43.2
1978–79	9490	4229	44.6	0.44	0.24	54.5
1979–80	9516	4597	48.3	0.44	0.24	54.5
सारनाथ 42						
1977–78	15330	2256	14.7	1.30	0.39	30.0
1978–79	15330	2053	13.4	1.33	0.36	27.1
1979–80	15372	2675	17.4	1.33	0.46	34.6
महोबा 36						
1978–79	13140	1177	9.0	0.88	0.08	9.1
1979–80	13176	1708	13.0	0.88	0.17	19.3
नरोरा 8						
1978–79	2920	290	9.9	0.36	0.04	11.1
1979–80	2928	684	23.4	0.36	0.09	25.0
चित्रकूट 36						
1978–79	13140	3678	28.0	0.95	0.21	22.1
1979–80	13176	4667	35.4	0.96	0.38	39.6

यह देखा जावेगा कि अयोध्या, सारनाथ, महोबा, नरोरा और चित्रकूट के आवास गृहों का अधिभोग तथा अर्जन बहुत कम रहा।

*निगम द्वारा आंकी गई।

प्रबन्धकों द्वारा महोबा पर्यटक आवास गृह से कम अर्जन का कारण, स्थल का गलत चयन, अपर्याप्त प्रचार और भवन क अनुरक्षण में भारी लापरवाही बताया गया (जुलाई 1979)।

(ख) किराये की वसूली न होना

जबकि कम्पनी ने पर्यटक आवास गृहों का ग्रहण कर लिया था, क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालयों ने (पर्यटक निदेशक के) लखनऊ (363 वर्ग फुट), वाराणसी (974 वर्ग फुट), इलाहाबाद (752 वर्ग फुट) और अयोध्या (1546 वर्ग फुट) के आवास गृहों में स्थित कार्यालयों पर कब्जा जारी रखा। निदेशक मंडल ने कब्जे की तिथि पर प्रचलित बाजार दर से किराया वसूल करने का निर्णय लिया (नवम्बर 1976) और मार्च 1980 तक प्राप्य किराया (0.98 लाख रुपये) अभी वसूल करना है (मई 1981)। क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, अयोध्या द्वारा जुलाई 1979 से आवासीय उद्देश्य के लिये तीन कमरों (1530 वर्ग फुट) पर कब्जा जारी है (नवम्बर 1980)। इस आवासीय हिस्से का न तो किराया ही निश्चित किया गया है (अक्टूबर 1980) और न ही उक्त अधिकारी से कम्पनी या सरकार द्वारा कोई किराया वसूल किया जा रहा है। आनुपातिक विद्युत् तथा जल व्यय भी वसूल नहीं किये जा रहे हैं (मई 1981)।

(ii) जलपान गृह

राज्य सरकार द्वारा पर्यटक आवास गृहों को कम्पनी को हस्तांतरण के साथ उनके साथ लगे जलपान गृह भी कम्पनी द्वारा ग्रहण किये गये। ये जलपान गृह पहले निजी पार्टियों को 1 रुपया प्रतिमाह के सांकेतिक किराये पर दिये गये थे जो कि उनके कम्पनी को हस्तांरण के बाद भी जारी रहा। दिसम्बर 1975 में, निदेशक मंडल ने जनवरी 1976 से प्रभावी वाराणसी और आगरा के जलपान गृहों के लिये 750 रुपये, लखनऊ और हरिद्वार जलपान गृहों के लिये 300 रुपये, और इलाहाबाद के जलपान गृह के लिये 100 रुपये प्रतिमाह की दर से किराया भारित करने का निर्णय लिया जिसका सभी जलपान गृह ठेकेदारों ने विरोध किया। हरिद्वार के जलपान गृह ठेकेदार ने किराये का पूर्ण और आगरा के ठेकेदार ने आंशिक भुगतान किया, परन्तु अन्य ठेकेदारों ने कुछ भी किराये की अदायगी नहीं की। आगे यह भी निर्णय लिया गया (दिसम्बर 1975) कि सभी जलपान गृहों (उपरोक्त 5 जलपान गृहों को सम्मिलित कर) को, प्रबंध निदेशक द्वारा तय किये गये टैरिफ पर परिवेषण के लिये, वार्षिक निविदा आधार पर किराये पर उठा दिया जाये। परन्तु इस निर्णय का क्रियान्वयन नहीं किया गया और अन्य जलपान गृह निजी पार्टियों को पहले की तरह किराये पर देने जारी रहे।

नवम्बर 1976 में निदेशक मंडल ने खानपान व्यवस्था को निजी पार्टियों से लेने का तथा जलपान गृहों को विभागीयतौर पर चलाने का निर्णय लिया तथापि, निजी पार्टियों को इलाहाबाद और लखनऊ के जलपान गृहों को जनवरी 1977 तक, हरिद्वार के जलपान गृह को सितम्बर 1977 तक और वाराणसी तथा अयोध्या के जलपान गृहों को फरवरी 1978 तक किराये की बिना उगाही किये हुए, हरिद्वार जलपान गृह को छोड़कर, परिचालित करने की अनुमति दी गयी। इस संबंध में किराये की कुल प्राप्य राशि 0.24 लाख रुपये थी। आगरा जलपान गृह के ठेकेदार ने जलपान गृह खाली नहीं किया था (मई 1981) और वह मामले को न्यायालय में ले गया, मामला न्यायाधीन है। उसके विरूद्ध बकाया किराया की राशि 0.38 लाख रुपये थी (मार्च 1981)। किसी भी पार्टी से विद्युत् व्ययों की वसूली नहीं की गयी। पार्टियों द्वारा कम्पनी के क्राकरी, फर्नीचर इत्यादि के प्रयोग किये जाने के संबंध में शर्तें भी तय नहीं की गयी थीं।

नरोरा और कुकरैल स्थित जलपान गृहों को विभागीय तौर पर क्रमशः नवम्बर 1977 और जनवरी 1978 में ग्रहण किया गया।

प्रत्यक्ष सामग्री लागत (मजदूरी, किराया, विद्युत्, जल तथा ऊपरी खर्चों को छोड़कर), के आधार पर 1979–80 तक तीन वर्षों के दौरान इन जलपान गृहों (आगरा को छोड़-

कर) क परिचालन परिणाम निम्न थे :

	विभागीय परिचालन	1977–78			1978–79			1979–80		
		व्यय	सकल बिक्री	आधिक्य/ कमी	व्यय	सकल बिक्री	आधिक्य/ कमी	व्यय	सकल बिक्री	आधिक्य/ कमी
					(लाख रुपयों में)					
सारनाथ	अक्टूबर 1976	0.36	0.44	0.08	0.21	0.22	0.01	0.21	0.24	0.03
इलाहाबाद	फरवर्र 1977	0.16	0.16	..	0.23	0.27	0.04	0.34	0.39	0.05
लखनऊ	फरवरी 1977	0.87	0.90	0.03	1.92	2.43	0.51	1.68	1.72	0.04
अयोध्या	मार्च 1977	0.01	0.01	..	0.09	0.12	0.03	0.09	0.12	0.03
हरिद्वार	अक्टूबर 1977	0.27	0.32	0.05	0.63	0.76	0.13	0.73	0.85	0.12
महोबा	नवम्बर 1977	0.29	0.25	(–) 0.04	0.04	0.06	0.02	0.06	0.14	0.08
नरोरा	नवम्बर 1977	0.37	0.23	(–) 0.14	1.02	0.81	(–) 0.21	0.96	0.74	(–) 0.22
चित्रकूट	जनवरी 1978	0.12	0.12	..	0.14	0.19	0.05	0.22	0.36	0.14
कुकरैल	जनवरी 1978	0.12	0.15	0.03	0.25	0.16	(–) 0.09	0.22	0.14	(–) 0.08
वाराणर्स	माच 1978	0.94	0.97	0.03	1.74	2.09	0.35	2.28	2.46	0.18
	योग	3.51	3.55	0.04	6.27	7.11	0.84	6.79	7.16	0.37

यह देखा जायगा कि सामग्री लागत विभागीय जलपान गृहों के कुल अर्जन का 88 से 99 प्रतिशत तक रही।

पर्यटक आवास गृहों के प्रबंधकों को, कुल लागत पर 40 प्रतिशत का स्पष्ट मार्जिन का प्राविधान करने के लिये, जलपान गृह टैरिफ (अगस्त 1977 में अन्तिम बार निश्चित) को संशोधित करने के लिये अधिकृत किया गया था (नवम्बर 1979)। परन्तु अब तक (अक्तूबर 1980) टैरिफ संशोधित नहीं किये गये थे। यह भी जानकारी में आया कि जबकि कम्पनी भोज्य सामग्री तथा अल्पाहार के विक्रय पर बिक्रीकर देने के लिए उत्तरदायी थी, फिर भी इस सम्बन्ध में नतो कोई वसूली ही की जा रही थी और न ही कोई भुगतान किया गया था। इस मद पर 1977–78 से 1979–80 तक दायित्व लगभग 1.25 लाख रुपये हुआ।

(iii) कन्डक्टेड यात्रायें

कम्पनी ने मई 1977 से मई 1978 की अवधि के दौरान यू0पी0एस0आर0टी0सी0 से किराये पर एक डीलक्स बस लेकर लखनऊ में एक निश्चित घंटों की कन्डक्टेड टूर सेवा परिचालित की। इस अवधि में 0.57 लाख रुपये के किराया व्यय के विरुद्ध कुल आय 0.33 लाख रुपये हुई।

मई 1978 से कम्पनी ने 0.30 लाख रुपये में खरीदी हुई एक पुरानी मिनी बस से कन्डक्टेड टूर परिचालित किया। मई 1978 – मार्च 1980 की अवधि के दौरान 0.42 लाख रुपये के विरुद्ध कुल आय 0.36 लाख रुपये हुई। परिचालन मार्च 1980 तक 0.30 लाख रुपये की हानि में परिणत हुआ।

नवम्बर 1977 से मई 1978 के दौरान कम्पनी ने यू0पी0एस0आर0टी0सी0 से एक बस किराये पर लेकर लखनऊ से नैमिषारण्य (सीतापुर) तक कन्डक्टेड टूर परिचालित किया और 0.07 लाख रुपये का घाटा उठाया। मई 1978 से फरवरी 1979 के दौरान कम्पनी ने अपने वाहन से नैमिषारण्य तक और वहां से वापसी की 7 ट्रिपें (230 किलोमीटर) परिचालित की और 0.03 लाख रुपये का घाटा उठाया।

कम्पनी ने मार्च 1979 में लखनऊ नगर में कन्डक्टेड टूर हेतु एक डिलक्स बस क्रय करने का निर्णय लिया परन्तु बाद में वातानुकूलित बस चलाने का निश्चय किया (सितम्बर 1979)। 1.34 लाख रुपये में खरीदी गयी (अगस्त 1979) एक चैसिस और 1.31 लाख रुपये (0.11 लाख रुपये के प्रासंगिक व्यय को सम्मिलित करते हुए) के मूल्य से बम्बई की एक फर्म से खरीदे हुए (सितम्बर 1979) एक वातानुकूलन संयत्र को 2 या 3 महीने में 1.15 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर बस ढांचे के निर्माण को पूरा करने के लिये यू0पी0एस0 आर0टी0सी0 की केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर को भेजा गया था (अक्तूबर 1979)। वातानुकूलन संयंत्र की निष्पादन गारन्टी जनवरी 1981 में समाप्त हो गयी थी। बस ढांचा अभी तक नहीं बनाया गया था (मई 1981)।

(iv) वातानुकूलित टैक्सियां

यद्यपि कम्पनी का फालतू धन सावधि निक्षेप में निविष्ट था तथापि कम्पनी ने एक बैंक से 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज पर 4.20 लाख रुपये का ऋण लेकर 4.18 लाख रुपये में 3 वातानुकूलित जापानी (टायोटा) कारें क्रय कीं (नवम्बर 1976)। यदि कम्पनी का अपना धन उपयोग में लाया गया होता तो कम्पनी ब्याज के 0.21 लाख रुपये बचा लेती। इन टैक्सियों के परिचालन हेतु कोई साध्यता रिपोर्ट या आय एवं व्यय प्रपत्र तैयार नहीं किये गये थे। ये कारें आगरा में परिचालित की गयीं और दिसम्बर 1976 से सितम्बर 1979 की अवधि में परिचालन घाटा 2.94 लाख रुपये हुआ।

कम्पनी ने दिसम्बर 1978 में इन कारों को बेचने का निर्णय लिया परन्तु उनका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है (मई 1981)।

नवम्बर/दिसम्बर 1976 में निर्धारित की गई टैक्सी भाड़े की दरें अभी तक संशोधित नहीं की गईं (मई 1981)।

(v) रामचरित मानस कार्यक्रम

कम्पनी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) के गीत और नाटक प्रभाग के सहयोग से वाराणसी में 15 नवम्बर से 17 दिसम्बर 1979 तक एक (प्रकाश एवं ध्वनि) सांस्कृतिक कार्यक्रम "रामचरित मानस" का मंचन किया। यह कार्यक्रम 90 दिन के मूल कार्यक्रम के विरुद्ध निदेशक मण्डल द्वारा 45 दिन के लिये अनुमोदित किया गया था (अक्तूबर 1979)। 90 दिन के कार्यक्रम पर 10.89 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अनुमानित किया गया था। गेट पर प्राप्त धनराशि का 50 प्रतिशत गीत एवं नाटक प्रभाग को दिया जाना था।

इस कार्यक्रम पर 2.33 लाख रुपये के व्यय के विरुद्ध कुल आय की राशि 0.21 लाख रुपये हुई जिसके फलस्वरूप 2.12 लाख रुपये की हानि हुई। प्रबन्धकों द्वारा हानि का कारण, (i) लोकसभा के चुनाव के कारण कार्यक्रम का जल्दी बन्द किया जाना, (ii) जाड़े की वर्षा, और (iii) विद्युत में कटौती के कारण विद्युत की त्रुटिपूर्ण आपूर्ति बताया गया (अप्रैल 1980)।

3.08. कार्यालय भवन का किराये पर लेना

निदेशक मण्डल ने विधानसभा मार्ग लखनऊ पर एक भवन किराये पर लेने तथा इसका एक मंजिल पर्यटन निदेशालय को किराये पर उठाने का निर्णय लिया (जून 1976)। तदनुसार एक भवन के दो मंजिल (लगभग 2500 वर्ग फुट) पहली अगस्त 1976 से 3,500 रुपये मासिक किराये पर लिये गये और एक मंजिल (लगभग 1250 वर्गफुट) पयटन निदेशालय को किराये पर उठा दिया गया। किराया, कम्पनी तथा पर्यटन निदेशालय के बीच बराबर बराबर हिस्से में बंटना था परन्तु चूंकि यह किराया राज्य सरकार से अनुमोदित नहीं कराया गया था, निदेशालय केवल 1263.55 रुपये प्रतिमाह के दर से किराया दे रहा था, परिणामस्वरूप फरवरी 1981 तक 0.41 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

3.09. लेखा नियमावली तथा आंतरिक संपरीक्षा

कम्पनी ने लेखा प्रक्रिया तथा अधिष्ठान के मामलों के लिये अब तक कोई नियमावली नहीं तैयारकी है।

पर्यटक आवास/जलपानगृहों के लेखाओं की सामयिक जांच के लिये कोई आंतरिक संपरीक्षा प्रणाली नहीं थी किन्तु 1979–80 तथा 1980–81 वर्षों के लिये चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की दो फर्में आन्तरिक सम्परीक्षकों के रूप में नियुक्त की गई हैं।

मामला सरकार/प्रबंधकों को अक्टूबर 1980 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा थी (मई 1981)।

3.10. सारांश

(i) कम्पनी आवश्यकता से अधिक धन प्राप्त करती रही है और धन का अधिकांश भाग (5.50 लाख रुपये से लेकर 72.23 लाख रुपये तक) कम्पनी द्वारा सावधि निक्षेप, बचत/चालू खातों में रखा गया था।

(ii) कम्पनी ने राज्य सरकार से लोगों को होटल प्रबंध एवं खानपान के प्रबंध में प्रशिक्षण देने और उनको अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने में सहायता देने के लिए भारत सरकार की "हाफ ए मिलियन जाब्स प्रोग्राम" के अन्तगत 4.01 लाख रुपये प्राप्त किया (मार्च 1975)। कम्पनी ने केवल 94 व्यक्तियों के प्रशिक्षण आदि पर 0.46 लाख रुपये का व्यय किया और 3.55 लाख रुपये सावधि निक्षेप में रखा।

खर्च में की गई राशि सरकार को मार्च 1977 में वापस कर दी गयी। कोई भी प्रशिक्षित व्यक्ति होटल व्यवसाय स्थापित करने के लिये आगे नहीं आया।

(iii) पर्यटक आवास गृह, लखनऊ में जलपान गृह में सितम्बर 1977 से फरवरी 1978 की अवधि के दौरान 0.32 लाख रुपये का एक गबन हुआ था।

(iv) अयोध्या, सारनाथ, महोबा, नरोरा और चित्रकूट के पर्यटक आवास गृह तथा जलपान गृह घाटा उठा रहे थे।

(v) शैय्या अधिभोग अनुपात अयोध्या, सारनाथ, महोबा, नरोरा और चित्रकूट में बहुत कम था और यह 9.1 से 54.5 प्रतिशत के बीच रहा।

(vi) कम्पनी ने 1.34 लाख रुपये में एक चेसिस (अगस्त 1979) और 1.31 लाख रुपये में एक वातानुकूलन संयंत्र (सितम्बर 1979) क्रय किया। 1.15 लाख रुपये के अनुमानित लागत पर रोडवेज केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर में बस ढांचा बनाने का कार्य अब तक पूर्ण नहीं हुआ था (मई 1981) और इस बीच वातानुकूलन संयंत्र की निष्पादन गारंटी समाप्त हो चुकी थी।

(vii) कम्पनी ने 4.18 लाख रुपये में 3 वातानुकूलित जापानी कारें क्रय कीं (नवम्बर 1976) जो कि टैक्सी के रूप में आगरा में परिचालित की गईं। सितम्बर 1979 तक परिचालन हानि 2.94 लाख रुपये हो चुकी थी। नवम्बर/दिसम्बर 1976 में निर्धारित टैक्सी भाड़े की दरें अभी तक संशोधित नहीं की गयी थीं। इन टैक्सियों के निस्तारण करने का दिसम्बर 1978 में लिया गया निर्णय अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया था (मई 1981)।

(viii) कम्पनी ने नवम्बर/दिसम्बर 1979 के दौरान वाराणसी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पर 2.12 लाख रुपये का घाटा उठाया।

अनुभाग IV

अन्य सरकारी कम्पनियां

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

4.01. परिहार्य व्यय

(क) कम्पनी ने उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम (यू0पी0एस0डब्लू0सी0) के लिए औरैया (इटावा) में 3 गोदामों का निर्माण कार्य लागत जमा प्रतिशत व्यय के आधार पर लिया। कार्य अप्रैल 1977 में प्रारम्भ हुआ और अक्टूबर 1977 में पूरा हो गया। कम्पनी की इकाई द्वारा अप्रैल और अक्टूबर 1977 के बीच गोदामों की कुर्सी तथा सड़कों पर 3,037 घन मीटर मिट्टी भराई का कार्य करवाया गया। उपर्युक्त भरी हुई मिट्टी में से, 2819 घन मीटर मिट्टी इकाई द्वारा पीस रेट वर्कर्स से 0.48 लाख रुपये (दर: 17 रुपये प्रति घन मीटर) में खरीदी गई। उसी अवधि के दौरान 2,489 घन मीटर मिटटी उसी कार्य स्थल पर गोदामों की नीवों में से खोदी गई थी। यह मानते हुए कि नीव की खाइयों का 2/3 घनफल लीन कंक्रीट तथा ईंट कार्य से भर दिया गया था, गोदामों की नीवों की झिर्री भराई में खुदी हुई मिट्टी का केवल 1/3 घनफल प्रयोग किया जा सकता था। इस प्रकार, नीवों में से खोदी गई मिट्टी की 2/3 मात्रा (1,658 घन मीटर) कुर्सी भराई के लिए उपलब्ध होनी चाहिये थी। इसके विरुद्ध केवल 218 घन मीटर मिट्टी का प्रयोग किया गया और खोदी हुई शेष मिट्टी (1,440 घन मीटर) के निस्तारण/उपयोग के अभिलेख सम्परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। 1,440 घनमीटर की मात्रा तक मिट्टी के क्रय के परिणामस्वरूप 0.24 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला प्रबन्धकों/सरकार को फरवरी/मई 1980 म सूचित किया गया ; उत्तरों की प्रतीक्षा है।

(ख) इकाई ने 17 रुपये प्रति घनमीटर की दर से 2,819 घन मीटर मिट्टी की आपूर्ति ली और इसकी भराई पर 5 रुपये प्रति घन मीटर की दर से और व्यय किया। इसके अतिरिक्त 354 घन मीटर मिट्टी (भराई सहित) का कार्य पीस रेट वर्कर्स को 17 रुपये प्रति घन मीटर की (भराई सहित) दर से दिया गया। दरें वार्तालाप द्वारा निर्धारित की गई थीं (अप्रैल–अक्टूबर 1977) और कोई भी निविदा या कुटेशन आमंत्रित नहीं किए गये थे। सम्परीक्षा में निकाले गये विश्लेषण के अनुसार, आपूर्ति सहित मिट्टी की भराई के कार्य की उचित दर 13.75 रुपये प्रति घन मीटर निकाली गई। इस प्रकार 22 रुपये प्रतिघन मीटर (2,819 घन मीटर) और 17 रुपये प्रति घन मीटर (354 घन मीटर) की दरें असामान्य रूप से ऊंची थीं। मिट्टी की आपूर्ति और भराई के लिए 13.75 रुपये की दर के आधार पर (दरों के विश्लेषण के अनुसार) 3,173 घन मीटर मिट्टी की आपूर्ति और भराई पर 0.24 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 1980) कि औरैया भंडारागार का कार्य शीघ्र किया जाने वाला कार्य था और कटाई के मौसम तथा गर्मी के महीनों के दौरान जून 1977 के अन्त तक पूरा किया जाना था। इन तथ्यों को ध्यान में रखने पर दरों का विश्लेषण 16.06 रुपये प्रति घन मीटर आयेगा।

इस सम्बन्ध में यह वर्णनीय है कि 16.06 रुपये प्रति घन मीटर की दर द्वितीय किलो मीटर की लीड के लिए 2 रुपये (1 रुपये के स्थान पर) प्रति किलो मीटर की दर मान कर निकाली गई है।

4.02. अधिक माप

कम्पनी की जसवन्तनगर भंडारागार इकाई ने, जिसे भंडारागारों का निर्माण कार्य सौंपा गया था, पीस रेट वर्कर्स (पी0 आर0 डब्लू0) के माध्यम से कार्य करवाया। सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी0 डब्लू0 डी0) की विस्तृत विशिष्टियों के अनुसार ईंट के कार्य में दीवालों की चौड़ाई आधी ईंट के गुणकों में मापी जानी चाहिये, जो मसाला के जोड़ों को सम्मिलित करती हुई मानी जानी चाहिये, लेकिन रेखा–चित्र (ड्राइंग) में निर्धारित की गई चौड़ाई तक सीमित होनी चाहिये। मसाले के मोटे जोड़ों या बड़े आकार की ईंटों के कारण दीवालों की मोटाई में हुई किसी भी वृद्धि का भुगतान नहीं करना होता है। तथापि इकाई ने दीवालों की चौड़ाई रेखा-चित्र में निर्धारित चौड़ाई से अधिक अभिलेखित की, परिणामस्वरूप अधिक माप (196 घन मीटर) हुई और 0.31 लाख रुपये का अधिक भुगतान हो गया।

प्रबन्धकों/सरकार ने बताया (अक्टूबर 1980) कि कार्यस्थलीय कर्मचारियों ने,जो अनुभवहीन थे, अनभिज्ञता के कारण, मोटाई को, जैसी कार्य स्थल पर वास्तविक रूप से पाई गई वैसी ही अभिलेखित कर दी थी जो राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्रचलित रीति के विरुद्ध थी। आगे यह भी बताया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की पद्धति के अनुसार मापों को अभिलेखित करने के लिए एक परिपत्र निर्गत किया जा रहा था।

उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड

4.03. विद्युत् प्रभारों का अधिक भुगतान

भारी शक्ति उपभोक्ताओं को लागू दर सूची के अनुसार, यदि किसी भी माह विशेष में वास्तविक विद्युत व्यय न्यूनतम उपभोग गारण्टी से कम होते हैं तो अनुबन्धित मांग पर 30 रुपये प्रति के वी ए प्रति माह की दर से 360 रुपये प्रति के वी ए प्रति वर्ष की न्यूनतम उपभोग गारण्टी वर्ष के अंतिम बिल में समायोजन के अधीन लगाई जानी होती है।

कम्पनी की चार इकाइयों ने, उन महीनों के लिये जिनमें वास्तविक विद्युत् व्यय न्यूनतम उपभोग गारण्टी से कम थे, न्यूनतम उपभोग व्ययों का भुगतान किया था, लेकिन सम्बन्धित वर्षों के अंतिम बिलों में समायोजनों का दावा नहीं किया था, परिणामस्वरूप 3.81 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ, जैसा नीचे वर्णित है :

इकाई का नाम	अवधि	धनराशि
		(लाख रुपयों में)
खड्डा	1975–76 से 1979–80	0.98
भटनी	1976–77 से 1979–80	0.47
सखोती टांडा	1977–78 से 1979–80	1.38
बाराबंकी	1978–79	0.98
	योग	3.81

प्रबन्धकों ने बताया (फरवरी 1981) कि 1.03 लाख रुपये (भटनी : 0.05 लाख रुपये और बाराबंकी : 0.98 लाख रुपये) तब से वसूल/समायोजित किए जा चुके थे और शेष के लिए मामला अनुसरण में था।

सरकार को मामला सितम्बर 1980 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1981)।

चांदपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड

4.04. परिहार्य विद्युत् व्यय

वृहत और भारी विद्युत् उपभोक्ताओं पर लागू दर सूची के अनुसार, यदि किसी फैक्ट्री को आपूर्ति की गई विद्युत् अनौद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है तो ये परिपथ उपभोक्ता द्वारा अलग किये जाने होते हैं, अलग से मीटर किये जाने होते हैं और उपभोग को उपयुक्त दर सूची के अन्दर प्रभारित किया जाना होता है। त्रुटि होने की दशा में सम्पूर्ण उपभोग मिश्रित भार पर लागू उच्च दर पर प्रभारित किया जाना होता है।

कम्पनी ने 300 के डब्लू के अनुबन्धित भार का एक विद्युत् कनेक्शन लिया (फरवरी 1977) लेकिन अप्रैल 1980 तक आवासीय कालोनी के लिए विद्युत् सर्किट अलग नहीं किया, परिणाम-स्वरूप अगस्त 1977 से अप्रैल 1980 तक की अवधि के लिये 1.96 लाख रुपये का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

मामला प्रबन्धकों/सरकार को मई 1980 में सूचित किया गया ; उत्तरों की प्रतीक्षा है (मई 1981)।

4.05. कम वसूली

कम्पनी ने चांदपुर (बिजनौर) में एक चीनी मिल के लिए (प्रति दिन 1,250 मैट्रिक टन गन्ना) 327.08 लाख रुपये में संयंत्र एवं मशीन को आपूर्ति करने, खड़ा करने तथा चालू करने के लिए नैनी की एक फर्म को ठेका दिया (सितम्बर 1976)। फैक्ट्री जनवरी 1978 में चालू कर दी गई।

अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, कम्पनी द्वारा फर्म को विद्युत् आपूर्ति अदायगी पर करनी थी, जिसका आधार निर्धारित नहीं किया गया था। जनवरी 1977 से जनवरी 1978 के दौरान, कम्पनी ने 1,78,486 यूनिट अपने स्वयं के डीजल जनरेटिंग सैट्स से (औसत अनुमानित लागत: 75 पैसे प्रति यूनिट) और 78,320 यूनिट राज्य विद्युत परिषद् से 1.06 लाख रुपये की लागत में प्राप्त 1,77,060 यूनिटों (औसत लागत: 60 पैसे प्रति यूनिट) में से आपूर्ति की। फर्म को आपूर्ति की गई सभी यूनिटों के लिए 22.83 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रभारित किया गया, परिणामस्वरूप 1.24 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

प्रबन्धकों ने बताया (जनवरी 1981) कि चूंकि अनुबन्ध में भुगतान के आधार के बारे में कुछ नहीं दिया गया था, इसलिये परिषद् की दर सूची के अन्तर्गत भारी शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू दर विचार विमर्श के बाद तय कर ली गयी (फरवरी 1978)। प्रबन्धकों ने आगे और बताया कि चूंकि संशोधित दर (परिषद् से प्राप्त अनुपूरक बिलों के आधार पर) 39 पैसे प्रति यूनिट निकाली गई, इसलिये 0.42 लाख रुपयों के लिये (16.17 पैसे प्रति यूनिट) एक अनुपूरक डेबिट नोट निर्गत किया जा रहा था।

मामला सरकार को मई 1980 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1981)।

किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड

4.06. बिक्री कर का अधिक भुगतान

उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 (26 मई 1975 से संशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत अपने स्वयं के प्रयोग के लिए खरीदे गये सामान पर कम्पनी बिक्री कर की रियायती दर के लिए पात्र थी (30 जून 1975 तक 3 प्रतिशत और उसके बाद 4 प्रतिशत)। रियायत प्राप्त करने के लिए कम्पनी द्वारा व्यापारियों को निर्धारित प्रपत्र पर एक घोषणा देनी थी।

1979–80 तक की 3 वर्षों के दौरान कम्पनी ने अपने स्वयं के प्रयोग के लिए 10.76 लाख रुपये मूल्य का सामान खरीदा था लेकिन यह वांछित घोषणा देने में असफल रही, परिणामस्वरूप 0.46 लाख रुपये के बिक्री कर का परिहार्य भुगतान हो गया।

प्रबन्धकों ने बताया (मार्च 1981) कि अधिकतर मदें क्षुद्र थीं जिनके लिये निर्धारित प्रपत्र देना साध्य नहीं था; यह कि जहां कहीं साध्य था, भुगतान किये गये अतिरिक्त कर की वापसी के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ मामला उठाया जा रहा था और यह कि कम्पनी को भविष्य में, जहां कहीं भी लागू हों, प्रपत्र देने के लिए निर्देश निर्गत किये जा रहे थे।

मामला सरकार को सितम्बर 1980 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1981)।

उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड

4.07. सूत की हानि

कम्पनी व्यापारियों के माध्यम से प्रचलित बाजार मूल्य पर सूत बेचती है, जिनको 1 प्रतिशत तक व्यापारिक छूट (स्लेब के आधार पर) दी जाती है। व्यापारियों को भेजे गये सूत के लिए प्रलेख बैंक के माध्यम से एकत्रित करने के लिए भेजे जाते हैं।

जुलाई 1977 से मार्च 1978 के दौरान, 83.18 लाख रुपये मूल्य का सूत कानपुर के एक व्यापारी को कम्पनी की 4 इकाइयों–संडीला (हरदोई), काशीपुर (नैनीताल), मेरठ और झांसी–द्वारा सड़क परिवहन ठेकेदारों के माध्यम से भेजा गया और प्रेषण प्रलेख बैंक के माध्यम से भेजे गये। व्यापारी ने 55.87 लाख रुपये मूल्य के प्रलेख बैंक से छुड़ा लिये और 11.65 लाख रुपये मूल्य के सूत की सुपुर्दगी लेने की व्यवस्था परिवहन ठेकेदारों को चेकें देकर कर ली। पार्टी द्वारा निर्गत सभी चकें (अगस्त 1977 से अप्रल 1978 तक) प्रस्तुत करने पर अनादृत कर दी गईं। इसके अतिरिक्त बैंक ने प्रलेखों को न छुड़ाये जाने/देर से छुड़ाने जाने के कारण मार्च 1979 तक 1.94 लाख रुपये बैंक व्यय तथा ब्याज के रूप में लगाये।

15.66 लाख रुपये मूल्य का न छुड़ाया गया सूत कम्पनी द्वारा 1.79 लाख रुपये की हानि पर निस्तारित कर दिया गया जो (अनुबन्ध के अनुच्छेद 9 की शर्तों के अनुसार) व्यापारी से वसूलने योग्य था।

इसके अतिरिक्त, व्यापारी से उसके द्वारा सुपुर्दगी लिये गए परेषण से सम्बन्धित बिक्री कर के कारण 1.75 लाख रुपये वसूलने थे।

प्रबन्धकों ने बताया (जून 1980) कि व्यापारी और परिवहन ठेकेदारों के विरुद्ध 5 प्रथम सूचना प्रतिवेदन पुलिस में दर्ज करा दिए गये थे और दो परिवहन ठेकेदारों ने 1.07 लाख रुपये जमा कर दिए थे। यह भी बताया गया कि व्यापारी और परिवहन ठेकेदारों के विरुद्ध 12.37 लाख रुपये की धनराशि की हानियों और उस पर ब्याज को आच्छादित करते हुए चार याचिकायें सिविल जज, कानपुर के न्यायालय में दर्ज करा दी गई थीं (मई 1980)।

मामला सरकार को मई 1980 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1981)।

उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं०–I) लिमिटेड

4.08. सूत की बिक्री पर हानि

मार्च 1978 में उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0–1) लिमिटेड ने अपनी रायबरेली की फैक्ट्री से प्रत्येक 40 गांठों वाले (7,264 किलोग्राम; मूल्य: 2.61 लाख रुपये) तीन परेषणों में सूत की 120 गांठें कलकत्ता की एक फर्म को बंगलादेश निर्यात करने के लिए भेजीं। फर्म ने केवल एक परेषण (40 गांठों) की सुपुर्दगी ली और निम्न कोटि की होने तथा टैक्सटाइल कमेटी, कलकत्ता द्वारा रद्द किए जाने के कारण अन्य दो परेषणों की सुपुर्दगी लेने से मना कर दिया। ढुलाई करने वालों के पास पड़ी 80 गांठें बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गईं (सितम्बर 1978)। हानि/क्षति की सीमा अनुमानित करते समय, 40 गांठें कम्पनी द्वारा अच्छी दशा में पायी गईं और कलकत्ता में नीची दर पर निस्तारित कर दी गईं, परिणामस्वरूप 0.45 लाख रुपये की कम वसूली हुई। यद्यपि फर्म हानि का 50 प्रतिशत वहन करने के लिए सहमत हो गई थी (मार्च 1980) लेकिन धन अब तक वसूला नहीं गया था (सितम्बर 1981)। 5 गांठें (0.33 लाख रुपये) ढुलाई कर्ता के पास कम पाई गईं, जिसके लिए बीमा कम्पनी से दावा किया गया बताया गया था, लेकिन धन की अभी तक वसूली नहीं हुई थी (दिसम्बर 1980)। शेष 35 गांठें (मूल्य: 2.28 लाख रुपये) जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं फैक्ट्री में वापस ढुला ली गईं और फैक्ट्री में अनिस्तारित पड़ी हुई थीं (सितम्बर 1981)।

प्रबन्धकों/सरकार ने बताया (जुलाई/नवम्बर 1980) कि कम्पनी द्वारा किये गये दावे अनुसरण में थे और उनके शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना थी और यह कि इस प्रकार की घटनायें व्यापार के आम लक्षण थे।

उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेण्ट्स लिमिटेड

4.09. मूलधन तथा ब्याज का भुगतान न करना

गवर्नमेन्ट प्रीसीजन इन्स्ट्रूमेन्ट्स फैक्ट्री, लखनऊ (जी0पी0आइ0एफ0) को शुद्ध ह्रसित मूल्य पर कम्पनी को हस्तांतरित करने (प्रथम मार्च 1975 से) के राज्य सरकार के निर्णय के अनुसरण में, 32.41 लाख रुपये की धनराशि का, जिसका कम्पनी द्वारा हस्तान्तरण की तिथि से 12 माह के अन्दर भुगतान किया जाना था, अभी तक भुगतान नहीं किया गया था (मार्च 1981)।

हस्तान्तरण की शर्तों के अनुसार भंडार सूची तथा रहतिया का मूल्य (पुस्तक मूल्य पर हस्तान्तरित), 5 वर्षों के अन्दर पुनर्भुगतान करने योग्य 8.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वहन करने वाला, ऋण माना जाना था। भंडार सूची का यथार्थ मूल्य सरकार एवं कम्पनी के बीच अभी भी निश्चित होना था (मार्च 1981)।

जब कि कम्पनी ने 93.40 लाख रुपये (अचल परिसम्पत्तियों के मूल्य को सम्मिलित करते हुए 32.41 लाख रुपये) को सरकार से असुरक्षित ऋण के रूप में मान लिया था (क्रय प्रतिफल के रूप में) तब भी अभी तक किसी भी किस्त का भुगतान नहीं किया गया था। सरकार को देय ब्याज की धनराशि मार्च 1976 में भुगतान किये गये 2.50 लाख रुपये को समायोजित करने के बाद 26.79 लाख रुपये निर्धारित की गयी (मार्च 1980)।

प्रबन्धकों ने बताया (अगस्त 1980) कि भण्डार सूची के मूल्य पर ब्याज को माफ करने के लिए तथा उपयुक्त अधिस्थगन काल के बाद धनराशि को 5 वर्षों की अवधि में किश्तों में पुनर्भुगतान करने के लिए सरकार से अनुरोध किया गया था (अप्रैल 1979)। सरकार का निर्णय अभी तक प्रतीक्षित था (मार्च 1981)।

मामला सरकार को मई 1980 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1981)।

4.10. स्पीडो मीटर्स का निर्माण

मई 1975 में कम्पनी ने अपने कार्य स्थल, लखनऊ में स्कूटरों के वास्ते प्रति वर्ष 1,00,000 स्पीडोमीटर बनाने के लिए सुविधा प्रदान करने का निश्चय किया। इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए साथ ही साथ मैग्नैटोज तथा अन्य उत्पादों का निर्माण करने के लिए कम्पनी ने उत्तर प्रदेश फाइनैनशियल कारपोरेशन से 10 लाख रुपये का एक ऋण स्वीकृत करवाया (नवम्बर 1977) जिसके विरुद्ध 7.16 लाख रुपये की धनराशि आहरित कर ली गई थी (नवम्बर 1978)।

कम्पनी ने बंगलौर की एक फर्म को तकनीकी ज्ञान प्रदान करने तथा पुर्जों की प्रारम्भिक आपूर्ति के लिए लगाया (मई 1975)। परामर्श व्यय, आदि के कारण फर्म को देय 3 लाख रुपयों के विरुद्ध, 1.75 लाख रुपये अगस्त, 1980 तक भुगतान किए जा चुके थे।

कम्पनी ने 1975–76 से 1978–79 के दौरान मशीनों एवं उपकरण के क्रय पर 1.34 लाख रुपये का व्यय किया।

कम्पनी ने 1975–76 से 1979–80 की अवधि के दौरान 3.51 लाख रुपये की कुल लागत से (ऋण पर ब्याज तथा बचन बद्ध व्ययों को छोड़कर) केवल 2,801 स्पीडोमीटर बनाये और स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ को उनकी बिक्री से 1.08 लाख रुपये पाये, इस प्रकार 2.43 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रबन्धकों ने बताया (अगस्त, 1980) कि स्पीडोमीटर का उत्पादन गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ क्योंकि तकनीकी सहयोगी ने, परामर्श एवं तकनीकी ज्ञान व्ययों के शेष बकाये का भुगतान न करने के कारण, सहयोग नहीं दिया।

मामला सरकार को मई 1980 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1981)।

4.11. कर्मचारियों की भविष्य निधि

कम्पनी के भविष्य निधि नियमों के प्राविधानों के अनुसार, कम्पनी को न्यासधारियों की परिषद् को नियोजक तथा कर्मचारियों दोनों के अंशदान का हिस्सा प्रत्येक माह के अन्त से 15 दिन के अन्दर भुगतान करना होता है, जिसमें असफल होने पर कम्पनी को नियमों में निर्धारित दरों पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है किन्तु कम्पनी निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत अंशदानों को जमा करने में असफल रही और अपने आपको मार्च 1975 से फरवरी 1980 की अवधि के लिए 5.58 लाख रुपये ब्याज के रूप में (2 से 80 प्रतिशत की सीमा की दरों पर) भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया।

प्रबन्धकों ने बताया (अगस्त 1980) कि कम्पनी में लगातार हानियां होती रहीं और इसकी वित्तीय समस्यायें सुलझायी न जा सकीं। इसलिए भविष्य निधि अंशदानों के भुगतान में 1 से 6 माह की अवधि की देर हुई।

मामला सरकार को मई 1980 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है; (मार्च 1981)।

4.12. बिक्री कर की कम वसूली

कम्पनी ने, अपने स्वयं के निर्धारण के आधार पर, 1975–76 के लिए ग्राहकों से वसूल किए गए क्रमशः केन्द्रीय और राज्य बिक्री कर के रूप में 2.40 लाख रुपये और 1.58 लाख रुपये जमा किए। किन्तु बिक्री कर प्राधिकारियों ने कम्पनी पर अधिक धनराशि का कर निर्धारण किया और कम्पनी को अतिरिक्त बिक्री कर के रूप में (2 प्रतिशत मासिक की दर से 0.11 लाख रुपये ब्याज को सम्मिलित करते हुए) 0.24 लाख रुपये भुगतान करने पड़े (1978–80)।

सरकार/प्रबंधकों ने बताया (सितम्बर/अगस्त 1980) कि यह इसलिए हुआ कि कर्मचारी नये थे और प्रभार करने योग्य बिक्री कर की दरों से पूर्ण रूप से परिचित नहीं थे और यह कि ग्राहकों से अतिरिक्त बिक्री कर वसूल करने की कार्यवाही अब प्रारम्भ कर दी गयी थी।

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

4.13. सिलपैब्स / नये जूट के बोरों के निस्तारण में हानि

डाला फैक्ट्री में प्रथम अप्रैल 1972 को 48 मीटर टन सिलपैब्स (पीसने का एक माध्यम) का रहतिया होते हुए भी कम्पनी ने 120 मीटरी टन सिलपैब्स (2.23 लाख रुपये) 1972–73 (70 मीटरी टन: 1.17 लाख रुपये) और 1974–75 (50 मीटरी टन: 1.06 लाख रुपये) के दौरान खरीदे। मिल को 1972–73 में 26 मीटरी टन और 1975–76 में 38 मीटरी टन का निर्गमन (रहतिया से) किया गया; 1973–74 और 1974–75 में कोई भी निर्गमन नहीं किया गया।

भौतिक सत्यापन करने पर (जनवरी 1977) कम पाये गये 6.646 मीटरी टन सिलपैब्स (मूल्य : 0.12 लाख रुपये) 1976–77 में उत्पादन पर प्रभारित कर दिए गये। शेष मात्रा (97 मीटरी टन) फालतू घोषित कर दी गई (मार्च 1977) क्योंकि इसके प्रयोग से बिजली का अधिक उपभोग होता और मिलों का उत्पादन कम होता। फालतू घोषित की गई मात्रा में से, 94 मीटरी टन नई दिल्ली की एक फर्म को 1,820 रुपये प्रति मीटरी टन के औसत पुस्तक मूल्य के विरुद्ध 1,000 रुपये प्रति मीटरी टन की दर से बेच दये गये (मई से अक्टूबर 1977), परिणाम-स्वरूप 0.77 लाख रुपये की हानि हुई। शेष सिलपैब्सों का 1977–78 के दौरान उपभोग हो गया।

प्रबन्धकों ने बताया (मार्च 1981) कि भण्डार सूची रखने की लागत ध्यान में रखते हुए, पुस्तक मूल्य से कम मूल्य पर इनका निस्तारण कम्पनी के अधिक हित में था और यह कि निस्तारण में हानि नवम्बर 1978 में अपलेखित कर दी गई थी।

मामला सरकार को सितम्बर 1980 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (मई 1981)।

उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड

4.14. अनुपयोगी रहतिया

अप्रैल 1977 में कम्पनी ने लखनऊ में एक नए स्वचालित संयंत्र की स्थापना के द्वारा 1977–78 के दौरान 9,000 मीटरी टन पशु आहार के उत्पादन के लिए एक योजना पर निर्णय लिया और 7.50 लाख रुपये की लागत पर आवश्यक कच्चे माल को खरीदने की कार्यवाही की (मई 1977)। किन्तु संयंत्र नहीं लगाया गया और 1977–78 के अंत में कम्पनी के पास संतुलित पशु आहार फैक्ट्री, लखनऊ में 2.71 लाख रुपये मूल्य का कच्चा माल (अनाज उपजों) का रहतिया पड़ा हुआ था।

पन्तनगर विश्वविद्यालय द्वारा नमूनों की जांच करवाई गई जिसने सूचित किया कि माल निम्न-स्तर का था या मानक पशु आहार बनाने के लिये उपयुक्त नहीं था तथा कम्पनी ने हानि को अपलेखित करने का निर्णय ले लिया (अप्रैल 1979)। प्रबन्धकों ने बताया (जनवरी 1980) कि पशु आहार के बढ़े हुए उत्पादन के लिए कच्चा माल अधिकतर 1977–78 में खरीदा गया, जो साकार न हो सका क्योंकि स्वचालित संयंत्र नहीं लगाया गया था।

नवम्बर 1980 में सरकार ने बताया कि कम्पनी को बहुत बड़ी हानि से बचाने के लिए माल को छटवाया गया और 1.43 लाख रुपये मूल्य का सामान उत्पादन में प्रयोग कर लिया गया। यह भी बताया गया कि 0.06 लाख रुपये मूल्य का सामान भौतिक सत्यापन (मार्च 1979) के दौरान कम पाया गया और शेष (1.22 लाख रुपये) निस्तारण/अपलेखन हेतु रहतिये में पड़ा हुआ था।

4.15. मैन्था तेल का निष्कर्षण

कम्पनी ने 1977–78 में तेल निकालने के लिए एक मैन्था घास प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना की (विकास सम्बन्धी कार्यकलाप क रूप में)। प्रतिदिन 14 किलोग्राम मैन्था तेल उत्पादन की क्षमता वाला (एक पारी में) एक मैन्था तेल निष्कर्षण संयंत्र 1.13 लाख रुपये की लागत से स्थापित किया गया (जून 1977)। परन्तु भूमि अभ्याप्ति करने या तेल निष्कर्षण संयंत्र लगाने के पहले मिट्टी का कोई भी परीक्षण नहीं किया गया था। मैन्था घास 12 एकड़ के क्षेत्र में उगाई गई और 1976–77 तथा 1977–78 के वर्षों के दौरान 33.45 कुन्तल घास पैदा की गई। इसके बाद मिट्टी का परीक्षण किया गया (1977) जिसमें वह मैन्था घास उगाने के लिए अनुपयुक्त पाई गई। मैन्था तेल का निष्कर्षण 1977–78 में 155 किलोग्राम और 1978–79 में 198 किलोग्राम हुआ और प्रति वर्ष 0.17 लाख रुपये का तेल बेचा गया। 1979–80 के दौरान कुछ भी तेल नहीं निकाला गया। प्रबन्धकों ने बताया कि यह खेत या स्थानीय किसानों से घास की अनुपलब्धता के कारण था। संयंत्र (ह्रासित मूल्य : 0.76 लाख रुपये) अप्रैल 1979 से बिना उपयोग के पड़ा था।

कम्पनी ने इस योजना पर किये गये व्यय का अलग से विवरण नहीं रक्खा था। किन्तु प्रबन्धकों द्वारा 1977–78 और 1978–79 के दौरान 0.42 लाख रुपये की हानि का अनुमान लगाया गया, इसके साथ ही साथ संयंत्र एवं मशीनरी तथा भवन पर ह्रास, कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों, विद्युत् एवं अनुरक्षण व्ययों, आदि के कारण 32,000 रुपये वार्षिक की आवर्ती हानि भी अनुमानित की।

प्रबन्धकों ने बताया (जनवरी 1980) कि संयंत्र का निस्तारण सक्रिय रूप से विचाराधीन था।

4.16. बिना बिका हुआ रहतिया

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1976–77 के अनुच्छेद 2.08 ब (घ) में कम्पनी की तालकटोरा वर्कशाप के कार्य कलाप का वर्णन किया गया था। टिकाऊ और मानक कृषि औजारों की व्यवस्था करने के लिये कम्पनी ने 1971–72 में 33 थ्रैसर्स निर्माण किए थे जिनमें से केवल 1 थ्रैसर बेचा जा सका (फरवरी 1972) और शेष 32 थ्रैसर्स बिना बिके पड़े थे (मार्च 1981)।

बाजार या उनकी मांग का अनुमान लगाये बिना थ्रैसरों के निर्माण के कारण पिछले 9 वर्षों से 0.80 लाख रुपये (32 थ्रैसर) की सीमा तक का धन फंसा पड़ा था।

मामला कम्पनी/सरकार को मई/सितम्बर 1980 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (मार्च 1981)।

कुमायूं मन्डल विकास निगम लिमिटेड

4.17. रज्जु मार्गों का निर्माण

मई 1978 में सरकार ने यह निर्णय लिया कि कम्पनी को केवल उन्हीं रज्जुमार्गों का निर्माण कार्य ग्रहण करना चाहिये जो आर्थिक रूप से साध्य हों। परिणामस्वरूप बोना-शेरघाट और हारटोला–रामघाट रज्जुमार्गों (जो कम्पनी द्वारा उनकी आर्थिक साध्यता को ध्यान में न रखकर नवम्बर 1976 में प्रारम्भ किये गये थे) का निर्माण रोक दिया गया (दिसम्बर 1978), परिणामस्वरूप इन दो रज्जु मार्गों की डिजाइन तथा सर्वेक्षण पर 1.87 लाख रुपये का (बोना-शेरघाट रज्जु मार्ग: 1.23 लाख रुपये; हारटोला–रामघाट रज्जुमार्ग : 0.64 लाख रुपये) व्यर्थ व्यय हुआ।

सरकार ने बताया (फरवरी 1981) कि पहले से किया गया सर्वेक्षण और डिजाइन कार्य भविष्य में उपयोग में लाया जा सकेगा ।

4.18. सेवों का विक्रय

लखनऊ के एक व्यक्ति के साथ किये गये अनुबन्ध में (अक्टूबर 1973), जो सेवों के लिए थोक वितरक के रूप में नियुक्त किया गया था (लखनऊ और उपनगरों के लिए), यह प्राविधान था कि वह बिल प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर मूल्य का 60 प्रतिशत और शेष 2 माह के अन्दर भुगतान करेगा । बिलम्बित भुगतानों पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वसूलना था । वितरक ने कम्पनी को 0.15 लाख रुपये की जमानत जमा दी थी (सितम्बर 1973) ।

कम्पनी ने 60 प्रतिशत का भुगतान सुनिश्चित किये बिना वितरक को सेवों के परेषण (कुल मूल्य : 0.49 लाख रुपये) भेजना जारी रक्खा (जनवरी 1974 तक) जिसके परिणामस्वरूप वितरक के विरुद्ध 0.41 लाख रुपये के देय एकत्रित हो गये । वितरक के विरुद्ध 0.31 लाख रुपये की वसूली के लिए (जमानत का समायोजन तथा ब्याज व्ययों को सम्मिलित करने के बाद) एक दीवानी मुकद्दमा दायर किया गया (अगस्त 1975) जिसकी डिगरी लागत सहित (2888 रुपये) कम्पनी के पक्ष में हुई (सितम्बर 1976) । लेकिन कोई भी धनराशि वसूल न की जा सकी थी (फरवरी 1981) क्योंकि वितरक के नाम कोई भी चल या अचल सम्पत्ति नहीं थी । अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार भुगतानों को सुनिश्चित किये बिना आपूर्ति जारी रखने के कारण सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही की गई थी (फरवरी 1981) और न ही धनराशि को अपलेखित किया गया था (फरवरी 1981) ।

सरकार ने बताया (फरवरी 1981) कि भुगतान में चूक किए जाने के कारण थोक वितरक को सेवों की आपूर्ति व्यापारिक रीति रिवाज के अनुसार तुरन्त ही नहीं रोकी गई क्योंकि अनुबन्ध में ब्याज भुगतान करने का प्राविधान था और वस्तु नाशवान थी । यह और बताया गया कि सभी सम्बन्धित कर्मचारी अब कम्पनी की सेवा में नहीं थे ।

यह वर्णन करने योग्य है कि भुगतान में चूक 20 सितम्बर 1973 से प्रारम्भ हुई लेकिन आपूर्ति 30 जनवरी 1974 तक जारी रही ।

उत्तर प्रदेश टायर्स एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड

4.19. अतिरिक्त व्यय

(क) 22.44 लाख रुपये के मूल्य पर 8 मिक्सिंग मिल और 2 एक्सट्रूडर की आपूर्ति के लिए बम्बई की एक फर्म को दो आर्डर दिये गये (मार्च 1976) । आपूर्तियां क्रमशः जनवरी और मई 1977 तक पूरी होनी थीं । फर्म के पास सभी मशीनें आपूर्ति के लिए तैयार थीं (अप्रैल 1977) लेकिन इनको 2 सप्ताह के अन्दर उठाने के लिए फर्म की सूचना (दिसम्बर 1977) के बावजूद भी कम्पनी द्वारा इनकी सुपुर्दगी नहीं ली गई । चार मिक्सिंग मिल और एक एक्सट्रूडर (मूल्य : 13.28 लाख रुपये) जुलाई–अक्टूबर 1978 के दौरान अन्तिम रूप से लिये गये जिसके लिये फर्म ने ब्याज तथा भण्डार सूची व्ययों के रूप में 1.25 लाख रुपये का दावा किया (मई 1978), जिसका भुगतान कर दिया गया (जुलाई 1978) ।

शेष मशीनों के लिए (मूल्य : 9.16 लाख रुपये) जो दिसम्बर 1979 से मार्च 1980 के बीच प्राप्त हुई थीं फर्म ने मूल्यों में वृद्धि के कारण 2.70 लाख रुपये का दावा किया जो बातचीत के बाद (अप्रैल 1979) 1.60 लाख रुपये पर तय हो गया । अतिरिक्त व्यय का भार 1.83 लाख रुपये निकला (उत्पाद कर और केन्द्रीय बिक्री कर को सम्मिलित करते हुए) ।

इस प्रकार मशीनों की सुपुर्दगी लेने में विलम्ब के कारण 3.08 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। कम्पनी ने विलम्ब के कारण वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा सावधि ऋण और अंश-धारियों द्वारा पूंजी का अंशदान का भुगतान न किया जाना बताये (नवम्बर 1979)।

(ख) 1.86 लाख रुपये में रायबरेली में न्यून/उच्च बोल्टता केबिल्स की आपूर्ति करने के लिए कम्पनी ने लखनऊ की एक फर्म को आर्डर दिया (जून 1977)। आपूर्तियां सितम्बर 1977 तक पूरी हो जानी थीं। कम्पनी ने 1.08 लाख रुपये मूल्य के केबिल्स का परेषण (सितम्बर 1977 में फर्म द्वारा आपूर्त किया गया) स्वीकार नहीं किया, और परिणामस्वरूप भाड़ा, बिलम्ब शुल्क तथा स्थान शुल्क आदि के रूप में आपूर्तिकर्ता को 0.10 लाख रुपये प्रतिपूर्त करने पड़े (अक्टूबर 1978)।

चूंकि केबिलों की अविलम्ब आवश्यकता थी, अतः कम्पनी ने उसी फर्म को एक नया आर्डर 0.88 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत पर दिया (अक्टूबर 1978)।

इस प्रकार कम्पनी ने 0.98 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया जिसको बचाया जा सकता था अगर पिछले आर्डर के विरुद्ध आपूर्तियां स्वीकार कर ली गई होतीं। परेषण को छुड़ाये न जाने का कारण प्रबन्धकों ने धन की कमी (वित्तीय संस्थाओं द्वारा सावधि ऋणों के भुगतान में विलम्ब के कारण) बताया (नवम्बर 1979)।

(ग) कम्पनी ने एअर कम्प्रैसर्स (उपपुर्जों सहित), वाटर चिलिंग यूनिट (कूलिंग टावरों सहित) और 3 रोल कलैन्डर्स (सिंगिल लैट आफ, कूलिंग ड्रम्स, आदि को सम्मिलित करते हुए) की आपूर्ति करने के लिए 3 फर्मों को फरवरी-अक्टूबर 1977 के दौरान आर्डर दिये (मूल्य : 7.64 लाख रुपये)।

परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब होने के कारण कम्पनी ने या तो आपूर्तियों को स्थगित करने के लिये कहा या अग्रिम भुगतान करने (आर्डरों के अनुसार) या उत्पाद शुल्क विभाग से आवश्यक प्रमाण-पत्र देने में असफल रही। इसी बीच फर्मों ने कीमतें बढ़ा दीं, परिणामस्वरूप 0.44 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबन्धकों ने बताया (मार्च 1981) कि वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से सावधि ऋणों का भुगतान और प्रवर्तक कम्पनियों से पूंजी के रूप में अंशदान समय से प्राप्त न होने के कारण, परेषणों को समय से नहीं छुड़ाया जा सका।

ये मामले सरकार को मई 1980 में सूचित किये गये; उत्तरों की प्रतीक्षा है (मार्च 1981)।

दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड

4.20. केन्द्रीय बिक्री कर की वसूली न करना

स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया (एस0टी0सी0) के माध्यम से कम्पनी ने कुल 21.66 लाख रुपये मूल्य के अपने उत्पादों को ऐसी बिक्रियों पर बिक्री कर लगाये बिना निर्यात किया (1974-75)। बिक्री कर प्राधिकारियों ने माल पर 10 प्रतिशत की दर से कम्पनी पर बिक्री कर (2.16 लाख रुपये) का निर्धारण किया (फरवरी 1979) जिसका भुगतान कम्पनी द्वारा मार्च 1979 में कर दिया गया। 3 प्रतिशत की रियायती दर पर कर निर्धारण का कम्पनी का तर्क, निर्यात बिक्री पर लागू, बिक्री कर प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि माल का संचलन एस0टी0सी0 के साथ हुए अनुबन्ध के अन्तर्गत था न कि विदेशी फर्मों के साथ।

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1980) कि बिक्री कर प्राधिकारियों ने बिक्री कर बेदल तबर्नी की आधारों पर लगाया था, और यह कि बिक्री कर आयुक्त (अपील) के यहां अपील कर दी गई थी (अप्रैल 1979)।

मामला सरकार को नवम्बर 1979 में सूचित किया गया ; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1981)।

उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड

4.21. रोकड़ / भण्डार में अनियमितताएं

एक कार्य प्रभारी सुपरवाइजर, जिसका त्यागपत्र, मिट्टी में कमी के लिए उसको उत्तरदायी पाने पर, स्वीकार कर लिया गया था, (अप्रैल 1976), बाद में नियमित सुपरवाइजर के रूप में उसके पुराने चालचलन को, जबकि वह कम्पनी की सेवा में था ध्यान में रखे बिना नियुक्त कर लिया गया (जनवरी 1977) और इसके शीघ्र बाद उसकी प्रोन्नति सहायक प्रबन्धक के रूप में कर दी गई (मार्च 1977)। जनवरी 1977 से अप्रैल 1979 की अवधि के दौरान उसके कार्य प्रभार में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :

	(लाख रुपयों में)
गिट्टी और सोलिंग मैटीरियल की कमी	0.51
कर्मचारियों को अनधिकृत अग्रिम (स्वयं को 2223 रुपये सम्मिलित करते हुए)	0.19
अनधिकृत बिक्री (उधार)	0.08
लेखाबद्ध न किया जाना (432 रुपये) और दोहरा भुगतान (200 रुपये)	0.01
	0.79

उसकी सेवायें मई 1979 में समाप्त कर दी गईं और पुलिस में प्रथम सूचना प्रतिवेदन जून 1979 में दर्ज कराया गया। पुलिस का अंतिम प्रतिवेदन प्रतीक्षित था (मार्च 1981)।

प्रबन्धकों ने बताया (मार्च 1981) कि मामले से सम्बन्धित सभी अभिलेख अपराध अनुसंधान विभाग (सी0आई0डी0) के पास थे और यह कि अंकों एवं तथ्यों का पुष्टीकरण सी0आई0डी0 से प्रतिवेदन मिलने पर ही किया जायगा।

मामला सरकार को सितम्बर 1980 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1981)।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड

4.22. आलू के विपणन में हानि

क्षेत्रीय अर्थ व्यवस्था का विकास करने के विचार से कम्पनी ने 1979–80 के दौरान आलू का विपणन प्रारम्भ किया। कम्पनी ने हरसिल क्षेत्र, उत्तरकाशी से आलू के 1636 बोरे (1350 कुन्तल) खरीदे (जनवरी /फरवरी 1980) और उनको ऋषिकेश, देहरादून और दिल्ली तक ढुलवाया। आलू के 129 बोरे बर्फपात/मार्ग रुकावट के कारण क्षतिग्रस्त हो गये और 173 बोरों की विपणन केन्द्रों पर कमी पायी गयी। कम्पनी ने 1.16 लाख रुपये का व्यय आलुओं के क्रय (0.51 लाख रुपये), बंधाई (0.04 लाख रुपये), परिवहन (0.48 लाख रुपये) और बिक्री (0.13 लाख रुपये) पर किया था। आलू के 1334 बोरे 0.41 लाख रुपये में बेचे गये, परिणामस्वरूप 0.75 लाख रुपये की हानि हुई। कम्पनी ने 0.48 लाख रुपये का अनुदान सरकार से प्राप्त किया और इस लेनदेन में 0.27 लाख रुपये की शुद्ध हानि उठायी।

सरकार ने सूचित किया (जून 1981) कि हानि के लिये मुख्य कारण यह था कि कार्य एक विकासशील कार्य के रूप में शुरू किया गया था।

ट्रान्सकेबिल्स लिमिटेड

4.23. न प्राप्त हुई आपूर्तियों का भुगतान

जून 1979 में, पूना की फर्म के एक प्रतिनिधि ने 10,850 रुपये प्रति मीटरी टन की दर पर (500 रुपये कमीशन को सम्मिलित करते हुए) जो बाजार दर से कम थी, 21 मीटरी टन अल्युमीनियम की छड़ें आपूर्त करने का प्रस्ताव किया। अध्यक्ष द्वारा क्रय 4 जुलाई 1979 को अनुमोदित कर दिया गया।

कम्पनी के गुण नियंत्रण अधिकारी तथा लेखाधिकारी को पूना इन निर्देशों के साथ भेजा गया कि फर्म को बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान तभी किया जाय जबकि माल का परीक्षण कर लिया गया हो, सुपुर्द कर दिया गया हो तथा कम्पनी को प्रेषण के लिये ट्रक में चढ़ा दिया गया हो। किन्तु फर्म के प्रतिनिधि ने 2,17,350 रुपये का बैंक ड्राफ्ट पूना में लेखाधिकारी से माल की सुपुर्दगी, परीक्षण तथा प्रेषण के पहले ही प्राप्त कर लिया (11 जुलाई 1979)। उसके बाद प्रतिनिधि का पता न लग सका। बैंक ड्राफ्ट (फर्म के नाम में) 11 जुलाई 1979 को भुना लिया गया। पूना पुलिस में प्रथम सूचना प्रतिवेदन 12 जुलाई 1979 को दर्ज कराया गया। जांच के परिणाम प्रतीक्षित थे (मार्च 1981)। लेखाधिकारी की सेवायें मार्च 1980 में समाप्त कर दी गईं।

सरकार ने बताया (जनवरी 1981) कि कम्पनी/सरकार महाराष्ट्र सरकार के साथ सम्पर्क में थी; न तो अपराधी पकड़ा गया था और न ही कोई धनराशि वसूल की गई थी (मार्च 1981)।

उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड

4.24. परिहार्य व्यय

कम्पनी ने अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए 25 लाख रुपये का ऋण सरकार से 1 वर्ष की अवधि के लिए 12.5 प्रतिशत ब्याज दर पर लिया (अप्रैल 1976) जिस पर 3.5 प्रतिशत की छूट मिलनी थी यदि ऋण का पुनर्भुगतान एक वर्ष के अन्दर कर दिया जाय। विलेख को निष्पादित करने के लिये स्टाम्प ड्यूटी का मूल्य 0.94 लाख रुपये था। निदेशक मण्डल के निर्णय के अनुसार (अप्रैल 1976), कम्पनी ने 15 लाख रुपये 13 माह के लिए सावधि जमा में 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर विनियोग किये (प्रथम जून 1976)। विनियोग 4 जुलाई 1977 को परिपक्व हुआ और 15 लाख रुपये राज्य सरकार को 18 जुलाई 1977 को वापस कर दिये गये।

15 लाख रुपये का (25 लाख रुपये के ऋण में से) उपयोग न किये जाने के परिणामस्वरूप स्टाम्प ड्यूटी के रूप में 0.56 लाख रुपये की अनुपातिक धनराशि के अतिरिक्त 1.12 लाख रुपये के ब्याज व्यय का परिहार्य भुगतान हुआ (अप्रैल 1976–जुलाई 1977)।

मामला प्रबन्धकों को नवम्बर 1979 में और सरकार को मई 1980 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (मार्च 1981)।

अध्याय II

सांविधिक निगम

अनुभाग V

5.01. विषय प्रवेश

31 मार्च 1980 को 4 सांविधिक निगम थे :

—उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्,
—उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम,
—उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, और
—उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्ष 1977–78 से 1979–80 तक के लेखा बकाया थे (नवम्बर 1981)।

लेखाओं को अन्तिम रूप देने में बकाया की स्थिति सरकार के ध्यान में पिछली बार जून 1980 में लाई गयी थी। नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के आधार पर निगमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है ।

5.02. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के कार्य चालन परिणाम और परिचालन निष्पादन की समीक्षा इस प्रतिवेदन के अनुभाग VI में की गई है ।

5.03. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के कार्य चालन परिणाम और परिचालन निष्पादन की समीक्षा इस प्रतिवेदन के अनुभाग XI में की गई है ।

5.04. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

5.04.01. विषय प्रवेश

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (डेवलपमेन्ट) एण्ड वेयर-हाउसिंग एक्ट, 1956, जो वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स एक्ट, 1962 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, की धारा 28(1) के अन्तर्गत मार्च 1958 में स्थापित किया गया था ।

5.04.02. प्रदत्त पूंजी

31 मार्च 1980 को राज्य भण्डारागार निगम की प्रदत्त पूंजी 282.50 लाख रुपये (राज्य सरकार : 141.25 लाख रुपये ; केन्द्रीय भण्डारागार निगम : 141.25 लाख रुपये) थी जब कि 31 मार्च 1979 को प्रदत्त पूंजी 242.50 लाख रुपये (राज्य सरकार : 141.25 लाख रुपये; केन्द्रीय भण्डारागार निगम : 101.25 लाख रुपये) थी ।

5.04.03. कर्ज

निगम ने भण्डारागारों के निर्माण के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया से 11 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज पर कर्ज लिया है । कर्जों का पुनर्भुगतान 27 अर्द्धवार्षिक किश्तों में होना है, प्रथम किश्त

कर्ज आहरण के 2 वर्ष पश्चात् देय है। 31 मार्च 1980 को 1025 लाख रुपये का कर्ज बकाया था।

5.04.04. गारन्टियां

निगम द्वारा लिये गये कर्जों की वापस अदायगी और उन पर ब्याज की अदायगी के लिए सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों के ब्योरे नीचे तालिका में दिखाए गये हैं:

विवरण	गारन्टी का वर्ष	गारन्टीकृत राशि	31 मार्च 1980 को बकाया राशि		
			मूल	ब्याज	जोड़
स्टेट बैंक आफ इण्डिया से ऋण			(लाख रुपयों में)		
1025.00	1977–78	350.00	325.00	27.48	352.48

5.04.05. वित्तीय स्थिति

1979–80 तक तीन वर्षों के लिए मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत निगम की वित्तीय स्थिति संक्षेप में नीचे तालिका में दी जाती है:

	1977–78	1978–79	1979–80
	(लाख रुपयों में)		
देयताएं			
(क) प्रदत्त पूंजी	202.50	242.50	282.50
(ख) आरक्षित निधि और अधिशेष	503.85	636.28	724.50
(ग) उधार	368.36	1025.75	1025.00
(घ) व्यापारिक देयतायें और अन्य चालू देयतायें	140.18	136.63	261.81
जोड़	1214.89	2041.16	2293.81
परिसंपत्तियां			
(क) सकल ब्लाक	651.71	1222.71	1554.54
(ख) घटायें : मूल्य ह्रास	25.64	58.55	124.37
(ग) निवल स्थायी परिसम्पत्तियां	626.07	1164.16	1430.17
(घ) पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य	207.47	416.41	..
(ङ) चालू परिसम्पत्तियां, कर्जे और पेशगियां	381.35	460.59	857.37
(च) आस्थगित राजस्व व्यय	..	..	6.27
जोड़	1214.89	2041.16	2293.81
नियोजित पूंजी	858.83	1479.88	2025.73
निवेशित पूंजी	1048.16	1896.41	2023.90

टिप्पणी :– नियोजित पूंजी निबल स्थायी परिसम्पत्तियों और कार्य चालन पूंजी की द्योतक है।

निवेशित पूंजी प्रदत्त पूंजी और दीर्घ कालिक कर्जों और मुक्त आरक्षित निधियों की द्योतक है।

5.04.06. कार्यचालन परिणाम

निम्न तालिका में 1979–80 तक तीन वर्षों के निगम के कार्य चालन परिणामों के ब्योरे दिये जाते हैं :

	1977–78	1978–79	1979–80
		(लाख रुपयों में)	
1. आय			
(i) भण्डारागार प्रभार	461.22	481.93	489.61
(ii) अन्य आय	10.72	11.83	12.50
जोड़	471.94	493.76	502.11
2. व्यय			
(i) स्थापना प्रभार	96.15	110.72	133.23
(ii) ब्याज	9.79	43.88	79.74
(iii) अन्य व्यय	177.57	190.69	176.01
जोड़	283.51	345.29	388.98
3. कर पूर्व लाभ	188.43	148.47	113.13
4. कर का प्राविधान	..	..	..
5. अन्य विनियोग	175.40	132.50	90.31
6. लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	13.09	16.20	22.84
7. प्रदत्त लाभांश	13.00	16.20	22.60
8. नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	198.22	192.35	192.87
9. निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिफल	198.22	192.35	192.87
10. निम्नलिखित पर प्रतिफल की प्रतिशतता		प्रतिशत	
(क) नियोजित पूंजी	23.08	13.00	9.52
(ख) निवेशित पूंजी	18.91	10.14	9.53

5.04.07. परिचालन निष्पादन

1979–80 तक तीन वर्षों के लिए निगम के निष्पादन के सम्बन्ध में बनाई गई भण्डारण क्षमता, प्रयुक्त क्षमता और अन्य सूचना के ब्योरे निम्न तालिका में दिये जाते हैं:

विवरण	1977–78	1978–79	1979–80
1. सम्मिलित स्टेशनों की संख्या	132	139	139
2. वर्ष के अन्त तक बनाई गई भण्डारण क्षमता (लाख मीटरी टनों में)			
(क) स्वामित्व की	4.31	6.45	7.74
(ख) किराये की	9.47	8.04	6.63
जोड़	13.78	14.49	14.37
3. वर्ष के दौरान प्रयुक्त औसत क्षमता (लाख मीटरी टनों में)	13.80	14.61	14.43
4. उपयोग की प्रतिशतता	100.1	100.8	100.4
5. प्रति वर्ष प्रति मीटरी टन औसत राजस्व (रुपये)	34.20	33.80	34.80
6. प्रति वर्ष प्रति मीटरी टन औसत व्यय (रुपये)	20.54	23.63	26.96

5.05. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कार्य चालन परिणाम और परिचालन निष्पादन की समीक्षा इस प्रतिवेदन के अनुभाग XII में की गई है ।

अनुभाग VI

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्

6.01. विषय प्रवेश

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 5 (1) के अधीन पहली अप्रैल 1959 को बनाया गया था।

6.02. पूंजी

परिषद् की पूंजी की आवश्यकता सरकार; जनता, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेकर पूरी की जाती है।

मार्च 1980 के अन्त तक परिषद् द्वारा प्राप्त किये गये दीर्घकालिक कर्जों (सरकार से लिए गये कर्जों सहित) का कुल योग 2138.51 करोड़ रुपये था और वह पिछले वर्ष के समाप्त होने पर 1903.37 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक कर्जे से 235.14 करोड़ रुपये अधिक था, अर्थात् 12.4 प्रतिशत। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर्जों के ब्योरे और मार्च 1980 तक दो वर्षों के अन्त में बकाया राशि नीचे दी गई है :

स्रोत	31 मार्च को बकाया राशि		प्रतिशत वृद्धि
	1979	1980	
	(करोड़ रुपयों में)		
राज्य सरकार	1600.29	1759.24	9.9
अन्य स्रोत	303.08	379.27	25.1
जोड़	1903.37	2138.51	12.4

6.03. गारन्टियां

सरकार ने परिषद् द्वारा 362.28 करोड़ रुपये तक लिए गए कर्जों की वापसी तथा उस पर ब्याज देने की गारन्टी की थी। गारन्टी किया गया तथा बकाया मूलधन की राशि 31 मार्च 1980 को 243.89 करोड़ रुपये थी।

6.04. वित्तीय स्थिति

मार्च 1980 तक तीन वर्षों के अन्त में परिषद् की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

	1977–78	1978–79	1979–80
	(करोड़ रुपयों में)		
देयताएं			
सरकार से कर्जे	1420.21	1600.29	1759.24
अन्य दीर्घ कालिक कर्जे (बांड सहित)	260.92	303.08	379.27

	1977–78	1978–79	1979–80
	(करोड़ रुपयों में)		
आरक्षित निधि और अधिशेष	68.03	80.38	89.49
चालू देयताएं	161.10	175.40	324.46
जोड़	1910.26	2159.15	2552.46
परिसम्पत्तियां			
सकल अचल परिसम्पत्तियां	1140.18	1238.65	1281.57
घटाएं––मूल्य ह्रास	164.17	198.04	198.29
निवल अचल परिसम्पत्तियां	976.01	1040.61	1083.28
पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य	515.35	666.22	831.77
चालू परिसम्पत्तियां	259.29	285.06	487.19
अब तक अपलेखित न किये गये विविध व्यय	6.58	7.80	8.26
संचयी हानियां	153.03	159.46	141.96
जोड़	1910.26	2159.15	2552.46
नियोजित पूंजी*	1074.20	1150.27	1246.01
निवेशित पूंजी**	1749.16	1983.75	2228.0

6.05. कार्यचालन परिणाम

मार्च 1980 तक तीन वर्षों के परिषद् के कार्य चालन परिणाम संक्षिप्त रूप से नीचे दिये गये हैं :

	1977–78	1978–79	1979–80
	(करोड़ रुपयों में)		
राजस्व प्राप्तियां	176.27	224.82	256.70
राज्य सरकार से आर्थिक सहायता	..	..	101.00
जोड़	176.27	224.82	357.70
राजस्व व्यय	172.90	208.38	215.48
वर्ष के लिए सकल अधिशेष	3.37	16.44	142.22
विनियोग			
सामान्य आरक्षित निधि	4.61	..	..

*नियोजित पूंजी निबल अचल परिसम्पत्तियों (पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों को निकाल कर) और कार्य चालन पूंजी को दर्शाती है ।

**निवेशित पूंजी चुकता पूंजी और दीर्घकालिक कर्जों तथा मुक्त आरक्षित निधि को दर्शाती है ।

	1977–78	1978–79	1979–80
		(करोड़ रुपयों में)	
निम्नलिखित पर ब्याज			
––सरकारी कर्जे	0.56	..	95.91
––अन्य कर्जे	20.67	21.91	27.71
अदृश्य परिसम्पत्तियों का अपलेखन	0.67	0.96	1.10
	26.51	22.87	124.72
निवल आधिक्य (+) /न्यूनता (–)	(–) 23.14	(–) 6.43	(+) 17.50
नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	(–) 1.91	(+) 15.48	(+) 141.12
निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिफल	(–) 1.91	(+) 15.48	(+) 141.12
निम्नलिखित पर प्रतिफल की दर		(प्रतिशत)	
––नियोजित पूंजी	..	1.35	11.33
––निवेशित पूंजी	..	0.78	6.33

31 मार्च 1980 को परिषद् की 370.96 करोड़ रुपये की संचयी आकस्मिक देयता थी जिसके ब्योरे नीचे दिये गये हैं :

	1979–80 वर्ष के लिये	31 मार्च 1980 को संचयी
		(करोड़ रुपयों में)
सरकारी कर्जों पर ब्याज	51.17*	334.17
मूल्य ह्रास	36.79	36.79
जोड़	87.96	370.96

6.06. परिचालन निष्पादन

31 मार्च 1980 तक 3 वर्षों का परिषद् का परिचालन निष्पादन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

विवरण	1977–78	1978–79	1979–80
प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)			
––ताप बिजली	1666.50	1981.10	2173.10
––पनबिजली	1068.35	1068.35	1068.35
––अन्य	12.50	12.50	12.50
जोड़	2747.35	3061.95	3253.95

*इसमें वर्ष 1959–60 से 1973–74 तक के लिए निर्माणाधीन कार्यों पर ब्याज का 49.33 करोड़ रुपये सम्मिलित है जो सम्बन्धित वर्षों में आकस्मिक देयताओं के रूप में नहीं दर्शाये गये ।

विवरण	1977–78	1978–79	1979–80
सामान्य अधिकतम मांग (मेगावाट)	2730	2000	2571
उत्पादित बिजली		(मिलियन किलोवाट घंटे)	
––ताप बिजली	6114.286	6441.701	6854.305
––पन बिजली	3174.975	3682.547	3265.797
––अन्य	*	5.744	3.729
जोड़	9289.261	10129.992	10123.831
घटाएं : अनुषंगी खपत (मिलियन किलोवाट घंटे)	678.044	760.912	804.752
निवल उत्पादित बिजली	8611.217	9369.080	9319.079
खरीदी गई बिजली	118.094	482.482	404.385
बिक्री के लिए उपलब्ध कुल बिजली	8729.311	9851.562	9723.464
बेची गई बिजली			
––बेची गई और बिल की गई	6919.320	7915.659	7869.089
––बेची गयी लेकिन बिल न की गई	57.590	93.437	13.402
––निःशुल्क आपूर्त की गई बिजली	17.961	18.254	12.868
जोड़	6994.871	8027.350	7895.359
पारेषण और वितरण हानियां	1734.440	1824.212	1828.105
		(प्रतिशत)	
भार तत्व	29.0	29.9	27.6
पारेषण और वितरण हानि की प्रतिशतता	19.9	18.5	18.8
प्रतिष्ठापित क्षमता के प्रति कि0 वा0 उत्पादित यूनिटों की संख्या	3381	3308	3111

6.07. 31 मार्च 1980 तक समाप्त हुए 3 वर्षों के अन्त में परिषद् के कार्य चालन के अन्य ब्योरे निम्नलिखित तालिका में दिये गये हैं :

विवरण	1977–78	1978–79	1979–80
ग्राम/शहर जहां बिजली पहुंचाई गई (संख्या)	1928	1272	2262
बिजली से चलाए गये पम्प सेट /कुएं (संख्या)	30762	25587	3741 3
उप बिजली घरों की संख्या	119	132	142
पारेषण/वितरण लाइनें (कि0मी0)			
––उच्च बोल्टेज	12029	12876	14453
––मध्यम बोल्टेज	125520	129182	£
––निम्न बोल्टेज	85615	92372	£
जोड़	223164	234430	..

*ताप बिजली में सम्मिलित ।

£आंकड़े परिषद् के पास उपलब्ध नहीं ।

विवरण	1977–78	1978–79	1979–80
जितने भार के कनेक्शन दिये गये (मेगावाट)	4310.209@	4537.155@	4932.856@
उपभोक्ताओं की संख्या	1823059	1923947	2081945
कर्मचारियों की संख्या	*	93000	*

6.08. निम्नलिखित तालिका 1979–80 तक 3 वर्षों के दौरान बेची गई बिजली तथा बेची गई प्रति किलोवाट घंटे के लिये राजस्व, व्यय और लाभ के ब्योरों को दर्शाती है :

	1977–78	1978–79	1979–80
बेचे गये यूनिट (मिलियन किलोवाट घण्टे)			
कृषि	2045.719	2401.106	2529.226
औद्योगिक	3433.645	3958.022	3515.119
वाणिज्यिक	82.40	75.05	61.274
घरेलू	683.836	807.361	963.835
अन्य	691.673	692.369	812.503
जोड़	6937.281	7933.913	7881.957
प्रति किलोवाट घण्टा राजस्व (पैसे)	25.41	28.33	45.38
प्रति किलोवाट घण्टा व्यय£ (पैसे)	24.92	26.26	32.01
प्रति किलोवाट घण्टा लाभ (पैसे)	0.49	2.07	13.37

@ हिन्डालको का 0.25 मेगावाट भार सम्मिलित है जो उनके बद्ध उत्पादन से पूरा किया गया ।

*आंकड़े परिषद् के पास उपलब्ध नहीं ।

£कुल मूल्य ह्रास को मिलाकर लेकिन कर्जों पर ब्याज को घटाकर निकाला गया ।

अनुभाग VII

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

7.01. संपरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1973–74 के अनुभाग II के अनुच्छेद 13 में राज्य में 1973–74 तक के ग्रामीण विद्युतीकरण में प्रोन्नति के बारे में बताया गया था। आगे के अनुच्छेदों में अगली प्रोन्नति वर्णित की गई है।

7.02. परिषद ने अपने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम पर 1979–80 तक 288.90 करोड़ रुपए का कुल खर्च किया। 1979–80 तक के तीन वर्षों के दौरान किया गया खर्च, विद्युतीकृत ग्राम, ऊर्जित पम्प नीचे प्रदर्शित किए गए हैं:

	1977–78	1978–79	1979–80
किया गया खर्च (करोड़ रुपयों में)	24.39	24.85	33.01
राज्य में ग्रामों की कुल संख्या	112561	112561	112561
विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या :			
–वर्ष के दौरान	1928	1272	2262
–वर्ष के अन्त तक	35026	36298	38560
विद्युतीकृत ग्रामों की प्रतिशतता	31.1	32.2	34.3
विद्युतीकृत हरिजन बस्तियां :			
–वर्ष के दौरान	1991	1457	1505
–वर्ष के अन्त तक	10996	12453	13948
विद्युतीकृत नलकूपों/पम्प सेटों की संख्या :			
–वर्ष के दौरान	25725	25573	37305
–वर्ष के अन्त तक	293603	319176	356481
विद्युतीकृत प्रति ग्राम ऊर्जित नलकूपों/ पम्प-सेटों की औसत संख्या	8	9	9
राज्य में ऊर्जा की कुल बिक्री (एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0 में)	6937.281	7933.913	7881.957
कृषि कार्य के लिए ऊर्जा का उपभोग (एम के डब्ल्यू एच में)	2045.719	2401.106	2529.226
कृषि ऊर्जा उपभोग की प्रतिशतता	29.5	30.3	32.1

7.03. कार्यक्रम का वित्त पोषण

ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्यक्रम परिषद द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत योजनागत कार्यों के रूप में चलाया जा रहा है जैसे राज्य (सामान्य), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर ई सी) लिमिटेड (सामान्य) और आर ई सी–निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम एन पी)/धन राज्य सरकार, आर ई सी, कृषि पुनर्वित्त व विकास निगम (ए आर डी सी) और भूमि,

विकास बैंक (एल डी बी) द्वारा प्रदान किया जाता है। 1979–80 तक के तीन वर्षों के दौरान इस कार्य के लिये विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धन नीचे वर्णित है :

विवरण	1977–78		1978–79		1979–80	
	धन	प्रतिशतता	धन	प्रतिशतता	धन	प्रतिशतता
			(धन करोड़ रुपयों में)			
राज्य सरकार	16.35	67.0	2.08	8.3	10.11	30.6
आर ई सी	6.48	26.6	14.08	56.7	16.67	50.5
ए आर डी सी और एल डी बी	1.56	6.4	8.69	35.0	6.23	18.9
जोड़	24.39		24.85		33.01	

7.04. योजनाओं का निरूपण

हरिजन बस्तियों (तदर्थ आधार पर स्वीकृत) के विद्युतीकरण के लिए योजनाओं के अतिरिक्त अन्य सभी योजनाएं उनके क्रियान्वयन के 15–25 वर्ष बाद विनियोग पर 3.5 प्रतिशत (ह्रास, ब्याज, परिचालनीय और अनुरक्षण व्ययों के बाद) की शुद्ध वापसी प्राप्त करने की उनकी आर्थिक शक्यता के आधार पर ली गई थीं।

7.05. आर ई सी द्वारा वित्त पोषित योजनाएं

आर ई सी उन आर्थिक शक्य योजनाओं को जो नियत अवधि के बाद 3.5 प्रतिशत की प्राप्ति कर लेंगी के लिए ऋण देता है (राज्य सरकार की प्रत्याभूति के विरुद्ध) जैसे साधारण उन्नत क्षेत्रों के लिए 15 वर्ष, साधारण पिछड़े क्षेत्रों के लिए 20 वर्ष और विशेष रूप से अविकसित क्षेत्रों के लिये 25 वर्ष।

कर्ज 35 किश्तों में (क्रियान्वयन की अवधि कवर करने हेतु) मुक्त किया जाता है और वापिस अदायगी निश्चित वार्षिक किस्तों में अनुमानित प्राप्ति पर आश्रित 6.25 से 9.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज वैभिन्य सहित करनी होती है। कागजातों की आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं और अन्य प्रारम्भिक व्यवस्थाओं की पूर्ति पर प्रथम किश्त मुक्त कर दी जाती है। द्वितीय, तृतीय और बाद की किश्तें योजनाओं के क्रियान्वयन की भौतिक प्रगति और पूर्व मुक्त किश्तों के उपयोग के अनुसार मुक्त की जाती है।

निम्न तालिका 1979–80 तक आर ई सी द्वारा स्वीकृत राशि और परिषद द्वारा किया गया वास्तविक व्यय प्रदर्शित करती है :

स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	अनमानित लागत/ स्वीकृत कर्जे (करोड़ रुपयों में)	आहरित कर्जे	वास्तविक व्यय	उपयोग प्रतिशतता वर्धमान
1976–77 तक	141	78.16	37.85	15.77	42
1977–78	17	9.26	6.48	13.07	65
1978–79	40	21.14	14.08	1.16	51
1979–80	68	23.59	16.67	4.71	46
योग ..	266	132.15	75.08	34.71	

यह देखा जायगा कि 132.15 करोड़ रुपए की स्वीकृति के विपरीत मात्र 75.08 करोड़ रुपए (56.9 प्रतिशत) आहरित किए गए। 57.07 करोड़ रुपए के कम आहरण का कारण परिषद् द्वारा योजनाओं की मन्द प्रगति को दिया गया (अक्टूबर 1978)। आर ई सी ने कहा (मार्च 1979) कि किए गए कार्यों की प्रगति का उसे कम प्रतिवेदन देना कम आहरण का कारण था। रैस्पो के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के अनुसार फील्ड में अभिलेखों का उचित अनुरक्षण न होना इसका कारण था।

भावी उपभोक्ताओं में उत्साह की कमी और धन का आर ई सी योजनाओं के अलावा विपथन परिषद् द्वारा आहरित राशि के उपयोग में कमी का कारण बताया गया (अक्टूबर 1978) 1979–80 तक स्वीकृत 266 योजनाओं (लागत : 132.15 करोड़ रुपए) के विपरीत 66.1 प्रतिशत (लागत : 55.4 प्रतिशत) प्रतिनिधित्व वाली मात्र 176 योजनाएं मार्च 1980 तक ली गई थीं।

7.06. योजनाओं का प्रतिपादन

(क) 31 मार्च 1979 तक आर ई सी द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन (जुलाई 1979) के अनुसार चरण बद्ध लक्ष्यों के सम्बन्ध में (सितम्बर 1978 तक आहरित ऋणों की किस्तों की संख्या पर आधारित) उपलब्धियां निम्न प्रकार तालिका बद्ध हैं :

विवरण	चरणबद्ध लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता	अखिल भारतीय* प्रतिशतता
नए ग्रामों का विद्युतीकरण (संख्या)	8413	5745	68.3	77.3
एच टी लाइनें (कि मी)	20276	12471	61.5	81.2
एल टी लाइनें (कि मी)	14785	8877	60.0	84.6
वितरण ट्रांसफार्मर (क्षमता के वी ए में)	494022	330176	66.8	84.3
सेवाएं (संख्या)				
पम्प-सेट	35198	21453	60.9	75.2
लघु उद्योग	11993	1552	12.9	55.6
घरेलू/वाणिज्यिक	144749	29985	20.7	61.2
मार्ग प्रकाश	43908	7555	17.2	72.3
जोड़	235848	60545	25.7	65.3

यह देखा जायेगा कि जबकि वितरण ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता 66.8 और एच टी/एल टी लाइनों की 60–61.5 प्रतिशत थी, सेवाओं की सम्पूर्ण उपलब्धि मात्र 25.7 प्रतिशत थी।

स्वीकृत योजनाओं का भौतिक लक्ष्य और 1979–80 तक की वास्तविक उपलब्धियां नीचे प्रदर्शित की जाती हैं :

	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की प्रतिशतता
ग्रामों का विद्युतीकरण (संख्या)	22446	7563	33.7
एच टी लाइनें (कि मी)	35486	13769	38.8
एल टी लाइनें (कि मी)	82492	10835	13.1
सब-स्टेशनों की संख्या	42929	12335	28.7
निजी नल कूपों/पम्प-सेटों का ऊर्जीकरण (संख्या)	87264	26556	30.4
लघु उद्योगीय संयोजन (संख्या)	25931	3246	12.5
घरेलू संयोजन (संख्या)	422939	40219	9.5
मार्ग प्रकाश (संख्या)	107885	8434	7.8

* साधन-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन 1978-79

(ख) 1979–80 तक के 3 वर्षों के दौरान वर्ष वार कार्यक्रम और ग्रामों का वास्तविक विद्युतीकरण और नलकूपों/पम्प-सेटों का ऊर्जीकरण निम्न प्रकार था :

वर्ष	ग्राम			नलकूप/पम्प-सेट		
	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की प्रतिशतता	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की प्रतिशतता
1977–78	2000	1600	80.0	6400	4386	68.5
1978–79	1820	1020	56.0	6800	4974	73.1
1979–80	2665	1691	63.4	13600	6967	51.2

31 दिसम्बर, 1980 को 18242 प्रार्थियों ने औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं और अपने नलकूपों के ऊर्जीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे।

(ग) निम्न तालिका 1974–75 तक स्वीकृत 95 योजनाएं जिनमें कार्य पूरा किए जाने की अनुसूचित अवधि (3 वर्ष) पहले ही समाप्त हो चुकी थी में से 39 के सम्बन्ध में 1979–80 तक के संचयी व्यय को प्रदर्शित करती है :

स्वीकृत का वर्ष	योजनाओं की संख्या	कर्ज की राशि	आहरित कर्ज	कमी	कमी की प्रतिशतता	वास्तविक व्यय
		(लाख रुपयों में)				
1970–71	4	217.15	172.01	45.14	20.8	144.92
1971–72	5	398.61	307.87	90.74	22.8	308.45
1972–73	14	804.45	581.03	223.42	27.8	524.51
1973–74	13	689.53	289.69	399.84	58.2	252.17
1974–75	3	155.84	84.32	71.52	45.9	51.83
जोड़	39	2265.58	1434.92	830.66		1281.88

यह देखा जायगा कि कुल कमी 830.66 लाख रुपये (36.6 प्रतिशत) की थी। अनुसूचित अवधि के अन्दर भौतिक लक्ष्यों की अनुपलब्धि के कारण यह निधि आहरित नहीं की जा सकी। इसी प्रकार आहरित कर्जों के उपयोग में 153.04 लाख रुपए की कमी थी। उदाहरण के लिए : 1973–74 में 46.07 लाख रुपये के लिए स्वीकृत कानपुर–II योजना के लिए आर ई सी ने प्रथम किस्त के रूप में 24.22 लाख रुपये अग्रिम दिया (1975) जिसके विरुद्ध मार्च 1980 तक 9.44 लाख रुपये मात्र उपयोग किए जा सके। 67 ग्रामों और 563 नलकूपों के लक्ष्य के विरुद्ध योजना के अन्तर्गत 7 ग्राम विद्युतीकृत और 4 नलकूप ऊर्जीकृत किए गए।

(घ) 1979–80 तक 39 योजनाओं के लक्ष्यों और उपलब्धियों का विश्लेषण नीचे दिया गया है :

स्वीकृत का वर्ष	विद्युतीकृत ग्राम			पम्प-सेटों का ऊर्जीकरण			अन्य संयोजन (घरेलू, औद्योगिक और मार्ग प्रकाश)		
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता
1970–71	417	354	84.9	2,964	829	28.0	14,490	2,233	15.4
1971–72	814	572	70.3	5,942	474	8.0	20,723	1,980	9.6
1972–73	1,846	1,201	65.1	5,494	838	15.3	54,740	11,690	21.4
1973–74	1,248	477	38.2	6,234	364	5.8	44,947	4,606	10.2
1974–75	333	141	42.3	2,230	107	4.8	9,753	509	5.2
जोड	4,658	2,745	58.6	22,834	2,612	11.4	1,44,653	21,018	14.5

इस सम्बन्ध में निम्न बातें जानकारी में आईं :

(i) जबकि किया गया व्यय योजनाओं के लिये स्वीकृत कर्जों का 57 प्रतिशत था पम्प-सेटों और अन्य संयोजनों के ऊर्जीकरण के लक्ष्य को मात्र 11.4–14.5 प्रतिशत की सीमा तक प्राप्त किया गया ।

(ii) 597.40 लाख रुपये की लागत से विद्युतीकृत 1295 ग्रामों (13 योजनाओं) में 0.44 प्रति गांव की औसत प्राप्ति से मात्र 573 पम्प सेट और कुछ औद्योगिक संयोजन थे ।

684.48 लाख रुपये की लागत से विद्युतीकृत 1450 ग्रामों (26 योजनाओं) में 2.03 की औसत प्राप्ति से 2942 नलकूप और कुछ औद्योगिक संयोजन थे । 1975–76 से 1979–80 तक 39.07 लाख रुपये की लागत से विद्युतीकृत 130 ग्रामों (6 जिलों) में कोई भी संयोजन प्रदान नहीं किया जा सका (मार्च 1980) क्योंकि कोई मांग नहीं थी ।

(iii) नैनीताल II (अ) योजना (फरवरी 1972 में स्वीकृत) पर 77.29 लाख रुपये की अनुमानित लागत के विरुद्ध परिषद् ने 122.97 लाख रुपये का व्यय किया जिस पर 45.68 लाख रुपये (59.1 प्रतिशत) का अधिक व्यय हुआ । तथापि, 109 नलकूपों और 5102 अन्य संयोजनों के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 22 नलकूपों और 822 अन्य संयोजनों को ऊर्जित किया जा सका । पथरीली भूमि के कारण नल कूप संयोजनों के और अधिक विस्तार के अवसर परिसीमन के कारण परिषद ने नवम्बर 1979 में योजना बंद कर देने का निर्णय लिया, तथापि योजना अब तक (मार्च 1981) बन्द नहीं की गई है ।

(iv) मैनपुरी I योजना 60 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए 42.60 लाख रुपये की स्वीकृत (जनवरी 1974) की गई थी, तथापि, 12.84 लाख रुपये की लागत से मात्र 15 ग्राम विद्युतीकृत किए गए और 500 नलकूपों और 120 औद्योगिक संयोजनों के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 29 नलकूप ऊर्जीकृत किए गए और 5 औद्योगिक संयोजन दिए गए । आर ई सी ने निरूपित किया (नवम्बर 1977) कि अधिकतर ग्राम ऊसर भूमि वाले थे और नलकूप संयोजनों की कोई मांग न थी ।

54.34 लाख रुपये से सितम्बर 1972 में स्वीकृत खीरी I योजना में संयोजनों की मन्द प्रगति का कारण आर ई सी द्वारा नए नहर तन्त्र और क्षेत्र में बिना पर्याप्त सब-स्टेशन तन्त्र के अधिक लम्बी एच टी लाइनों के निर्माण को बताया गया (नवम्बर 1977) । 94 ग्रामों के विद्युतीकरण और 500 नलकूपों के ऊर्जीकरण के लक्ष्य के विरुद्ध मार्च 1980 तक परिषद् ने 19.92 लाख रुपये व्यय करके 6 ग्रामों का विद्युतीकरण और 11 नलकूपों का ऊर्जीकरण किया था ।

(v) नवम्बर 1977 में आर ई सी ने सुझाव दिया कि परिषद को 38 योजनाएं (पूर्व सन्दर्भित 39 में से 25 सहित), जो अधिक प्रगति नहीं कर रहीं थीं, पुनरीक्षित कर देनी चाहिए । नवम्बर 1979 में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (रेस्पो) ने क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को योजनाएं बन्द करने/पुनरीक्षण करने की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने को कहा । तथापि, योजनाएं न तो बन्द की गई थीं, न पुनरीक्षित की गईं थीं (मार्च 1981) । परिणामस्वरूप परिषद् इन योजनाओं के लिए स्वीकृत कर्जों के विरुद्ध शेष 797.02 लाख रुपये आहरित करने में अयोग्य थी (जनवरी 1981) ।

7.07. योजनाओं का क्रियान्वयन न किया जाना

1974–75 से 1978–79 तक स्वीकृत 130 योजनाओं में से 1359.02 लाख रुपये के लिए स्वीकृत 25 योजनाओं के सम्बन्ध में या तो कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था या 31 मार्च 1980 तक वास्तविक प्रगति उपेक्षणीय थी । आर ई सी ने इन योजनाओं के लिए कर्ज की प्रथम किश्त के

रूप में 545.16 लाख रुपये अग्रिम दिये थे जिसके विरुद्ध वास्तविक उपयोग मात्र 19.33 लाख रुपये (3.5 प्रतिशत) का था जैसा कि नीचे वर्णित है :

विवरण	1974–75	1975–76	1977–78	1978–79	योग
स्वीकृत योजनाओं की संख्या	3	2	7	13	25
				(लाख रुपयों में)	
अनुमानित धन	173.74	126.33	352.48	706.47	1359.02
आहरित धन	76.23	43.90	151.13	273.90	545.16
खर्च किया गया धन	11.16	शून्य	6.14	2.03	19.33
प्रतिशतता			(प्रतिशत)		
–स्वीकृत धन के विरुद्ध आहरित धन का	43.8	34.8	42.9	38.8	40.1
–आहरित धन के विरुद्ध व्यय किए गए धन का	14.6	शून्य	4.1	0.8	3.5
विद्युतीकृत ग्राम			(संख्या)		
लक्ष्य	236	297	717	1246	2496
वास्तविक	49	4	40	67	160
ऊर्जीकृत नलकूप					
लक्ष्य	1390	620	544	3455	6009
वास्तविक	84	2	72	118	276
लक्ष्यों से प्रतिशतता			(प्रतिशत)		
–विद्युतीकृत ग्राम की	20.8	1.3	5.6	5.4	6.4
–ऊर्जीकृत नलकूप की	6.0	0.03	13.2	3.4	4.6

परिणामस्वरूप परिषद् इन योजनाओं के लिए स्वीकृत कर्जों के विरुद्ध शेष 813.86 लाख रुपये आहरित करने में असमर्थ थी।

दयनीय उपलब्धियों के लिए कारण और आर ई सी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मुख्य समस्यायें/बाध्यताएं आर ई सी द्वारा निम्न प्रकार विश्लेषित की गई (अप्रैल 1979) :

(i) अत्यधिक आशावादी चित्रण;

(ii) अपर्याप्त कर्मचारी और परिवहन सुविधाएं;

(iii) कार्य अधिकारियों, राज्य विद्युत् परिषद्, राज्य सरकारी विभागों, विकास में लगे अभिकरणों और उधार देने वाली संस्थाओं के मध्य सामंजस्य का अभाव;

(iv) अपर्याप्त प्रबन्ध सूचना सेवा;

(v) माल, विद्युत् आपूर्ति और डीजल तेल की कमी;

(vi) लिए गये क्षेत्रों (आर ई सी/एम एन पी योजनाओं) का पिछड़ापन, ग्रामीण आबादी का सामान्य अज्ञान और भावी उपभोक्ताओं के मध्य उत्साह की कमी; और

(vii) आर ई सी से असम्बन्धित कार्यों की तरफ निधि का विपथन।

7.08. अनुमानित लागत पर आधिक्य

31 मार्च 1980 तक निम्न 6 योजनाओं में किया गया व्यय (449.90 लाख रुपये) अनुमानित लागत (373.88 लाख रुपये) से 76.02 लाख रुपये (20.3 प्रतिशत) अधिक था :

योजनाओं का नाम	अनुमानित लागत/ स्वीकृत कर्जे	आहरित धनराशि	वास्तविक व्यय	आधिक्य	आधिक्य की प्रतिशतता
				(लाख रुपयों में)	
मिर्जापुर I (अक्तूबर 1970)	58.05	58.05	62.31	4.26	7.3
गाजीपुर I (मार्च 1971)	61.04	61.04	70.28	9.24	15.1
नैनीताल II (अ) (फरवरी 1972)	77.29*	77.29	122.97	45.68	59.1
पौड़ी-गढ़वाल I (जुलाई 1972)	81.22*	78.31	89.92	8.70	10.7
गोंडा I (जुलाई 1972)	41.78	41.78	42.90	1.12	2.7
अल्मोड़ा I (अगस्त 1972)	54.50*	54.50	61.52	7.02	12.9
जोड़	373.88	370.97	449.90	76.02	20.3

निम्न तालिका से यह देखा जायेगा कि अक्तूबर 1970–अगस्त 1972 के दौरान स्वीकृत और 3 वर्षों के अन्दर पूरी होने को अनुसूचित ये योजनाएं अभी भी पूरी होनी थीं (मई 1980):

योजनाओं के नाम	ग्राम विद्युतीकरण			निजी नलकूपों/नलकूपों/पम्पसेटों का ऊर्जीकरण		
	लक्ष्य	वास्तविक	प्रतिशतता	लक्ष्य	वास्तविक	प्रतिशतता
मिर्जापुर I	87	44	50.6	636	434	68.2
गाजीपुर I	129	64	49.6	600	1000	166.7
नैनीताल II (अ)	215	199	92.6	109	30	27.5
पौड़ी–गढ़वाल I	288	218	75.7	7	2	28.6
गोंडा I	56	34	60.7	325	236	72.6
अल्मोड़ा I	190	120	63.2	18	3	16.7
जोड़	965	675	69.9	1695	1682	99.2

नैनीताल योजना के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य का कारण योजना में प्राविधानित 40 के विरुद्ध 54 (25 के वी ए) ट्रांसफार्मरों का अधिष्ठापन और उपभोक्ता लक्ष्य पर आधारित 5 किमी के प्राविधान के विरुद्ध 30 किमी एल टी लाइनों (10 ग्रामों) का कार्यान्वयन था।

अतिरिक्त कार्य परिषद का अनुमोदन प्राप्त किए बिना प्रभागीय अधिकारी द्वारा करा लिए गए। अन्य 5 योजनाओं में व्ययाधिक्य के कारण प्राप्त न थे (मार्च 1981)।

---

*शासन से प्राप्त प्रतिदान शामिल करके:

नैनीताल II (अ) : 20.87 लाख रुपये

पौड़ी गढ़वाल I : 21.93 लाख रुपये

अल्मोड़ा I : 14.71 लाख रुपये

7.09. आहरित कर्जे की राशि पर आधिक्य

छः योजनाओं के सम्बन्ध में परिषद् ने क्रमशः आर ई सी और राज्य सरकार से 1979–80 तक प्राप्त ऋण/प्रतिदान की राशि की अपेक्षा 122.20 लाख रुपये (95.9 प्रतिशत) अधिक व्यय किए थे, जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

योजना का नाम और स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत धनराशि			आहरितधनराशि			वास्तविक व्यय	आधिक्य
	आर ई सी कर्जे	सरकारी प्रतिदान	योग	ऋण	प्रतिदान	योग		
			(लाख रुपयों में)					
चमोली I (सितम्बर 1972)	19.61	47.13	66.74	16.70	7.39	24.09	45.81	21.72
मुरादाबाद II (सितम्बर 1972)	57.29	..	57.29	36.41	..	36.41	44.39	7.98
रायबरेली III (सितम्बर 1972)	57.35	..	57.35	37.29	..	37.29	41.63	4.34
पिथौरागढ़ I (मार्च 1973)	26.92	64.72	91.64	..	1.42	1.42	56.33	54.91
उत्तरकाशी I (नवम्बर 1973)	17.94	43.11	61.05	15.98	0.83	16.81	42.83	26.02
रायबरेली IV (जनवरी 1977)	20.03	..	20.03	11.29	..	11.29	18.52	7.23
जोड़	199.14	154.96	354.10	117.67	9.64	127.31	249.51	122.20

64.72 लाख रुपये के सरकारी प्रतिदान और 26.92 लाख रुपये के आर ई सी कर्जे से क्रियान्वित होने वाली पिथौरागढ़ I योजना आर ई सी ने 91.64 लाख रुपये के लिए स्वीकृत (अगस्त 1973) की थी जिसके विरुद्ध सरकार ने मात्र 1.42 लाख रुपये मुक्त किये (जून 1979)। परिणामस्वरूप जबकि परिषद् ने 56.33 लाख रुपये का व्यय कर लिया (मार्च 1980) आर ई सी ने 26.92 लाख रुपये का ऋण मुक्त नहीं किया था। 47.13 लाख रुपये के सरकारी प्रतिदान और 19.61 लाख रुपये के आर ई सी ऋण से क्रियान्वित होने वाली चमोली I योजना आर ई सी द्वारा 66.74 लाख रुपये के लिए स्वीकृत (सितम्बर 1972) की गई थी जिसके विरुद्ध सरकार ने मात्र 7.40 लाख रुपये मुक्त किए। परिणामस्वरूप जबकि परिषद् ने 45.81 लाख रुपये का व्यय कर लिया था (मार्च 1981) आर ई सी ने शेष 2.91 लाख रुपये मुक्त नहीं किए थे। इसी प्रकार 43.11 लाख रुपये के सरकारी प्रतिदान और 17.94 लाख रुपये के आर ई सी ऋण से क्रियान्वित होने वाली उत्तरकाशी I योजना आर ई सी द्वारा 61.05 लाख रुपये के लिए स्वीकृत (नवम्बर 1973) की गई थी जिसके विरुद्ध सरकार ने 0.83 लाख रुपये मुक्त किये थे। परिणामस्वरूप जबकि परिषद् ने 42.84 लाख रुपये का व्यय कर लिया (मार्च 1980) आर ई सी ने शेष 1.96 लाख रुपये मुक्त नहीं किये थे। इन मामलों में प्रतिदान आहरित न किए जाने के कारणों को सम्परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

7.10. स्पेशल प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर योजना

प्रभागों/उप प्रभागों से प्रशासनिक रूप से को-टर्मिनस क्षेत्रों (ग्रामों के उच्च पैदावार वाले क्लस्टर) में तत्कालिक उत्पादन के लिए पम्प-सेटों के ऊर्जीकरण को वित्त पोषित करने हेतु आर ई सी द्वारा स्पेशल प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर (एस पी ए) ऋण योजना परिचित कराई गई (फरवरी 1978)। ऋण दो श्रेणियों का है: एस पी ए (1) आठ वर्षीय ऋण 30 लाख रुपये तक, नल कूपों/पम्प-सेटों के संयोजन के लिए मात्र छोटे विस्तार की आवश्यकता रखने वाले, तैयार मांग और प्रारम्भिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लाइनों वाले क्षेत्रों में 2 वर्षों के अन्दर पूरा होने के लिए अनुसूचित परियोजनाओं के लिए और एस पी ए (2) 14 वर्षीय ऋण 50 लाख रुपये तक, कुछ प्रारम्भिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लाइनों और सब-स्टेशनों के निर्माण की आवश्यकता रखने वाले क्षेत्रों में 4 वर्ष के अन्दर क्रियान्वित होने वाली बड़ी योजनाओं के लिए।

निम्न तालिका से यह देखा जायेगा कि 1162.19 लाख रुपये की स्वीकृति के विरुद्ध मात्र 115.33 लाख रुपये (9.9 प्रतिशत) आहरित किए गए जिसके विरुद्ध व्यय मात्र 5.34 लाख रुपये (4.6 प्रतिशत) था (मार्च 1980 तक)।

वर्ष	योजनाओं की संख्या	स्वीकृत कर्जे की धनराशि	आहरित धनराशि	वास्तविक व्यय	निजी नलकूपों/पम्प-सेटों का ऊर्जीकरण	
					लक्ष्य	वास्तविक
		(लाख रुपयों में)				
1977–78	2	44.94	28.47	5.34	845	183
1978–79	5	174.42	55.30	..	1643	142
1979–80	34	942.83	31.56	..	9748	..
जोड़	41	1162.19	115.33	5.34	12236	325

1977–78 और 1978–79 के दौरान स्वीकृत 7 योजनाएं 2 वर्ष के अन्दर पूरी होनी थीं। इन 7 योजनाओं (अनुमानित लागत: 219.36 लाख रुपये) क विरुद्ध आहरित 83.77 लाख रुपये में से 5.34 लाख रुपये का व्यय एक अकेली योजना पर किया गया और अन्य 6 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था। परिणामस्वरूप ऋण की अगली किस्तें आहरित नहीं की जा सकीं। 1979–80 के दौरान स्वीकृत 34 योजनाओं के सम्बन्ध में प्रथम किस्त केवल 10 योजनाओं के विरुद्ध आहरित की गई थी और 24 योजनाओं (मार्च 1980 में स्वीकृत) के सम्बन्ध में अपेक्षित औपचारिकताएं दिसम्बर 1980 में पूरी की जा सकीं।

7.11. विशेष पारेषण योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण के लिये आवश्यक प्रतीत होने वाली एच टी पारेषण लाइनों और सम्बन्धित सब-स्टेशनों के निर्माण हेतु आर ई सी ने विशेष पारेषण योजना परिचित कराई (दिसम्बर 1971)। 5 जिलों में पारेषण लाइनों और सब-स्टेशनों के निर्माण के लिए 414.41 लाख रुपये की अनुमानित लागत के विरुद्ध आर ई सी ने 373.42 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किए (1972–73-1975–76) और शेष 41 लाख रुपये परिषद् को अपने आन्तरिक संसाधनों से जुटाने थे। परिषद् ने मार्च 1980 तक आर ई सी से 296.53 लाख रुपये (79.1 प्रतिशत) आहरित कर लिए

थे और मार्च 1980 तक कुल व्यय की राशि 336.79 लाख रुपये थी, जैसा नीचे प्रदर्शित है :

जिले का नाम और स्वीकृत का वर्ष	कार्य का विवरण	अनुसूचित पूर्णता	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	आर ई सी कज	आहरित धनराशि	वास्तविक व्यय	टिप्पणी
लखनऊ-रायबरेली 1972-73	33 के वी पारेषण लाइनें (136 कि मी) और 33/11 के वी 1.5 एम वी ए के 9 सब-स्टेशन	1974-75	72.25	57.80	57.01	79.25	प्रगति में
सुल्तानपुर-प्रतापगढ़ 1972-73	33 के वी पारेषण लाइनें (320 किमी) नए 33/11 के वी सब-स्टेशन और वर्तमान सब-स्टेशनों की क्षमता वृद्धि और स्विच गियर रूम का निर्माण	1974-75	84.29	67.43	66.33	56.36 (सिविल कार्य को छोड़कर)	प्रगति में
इलाहाबाद 1974-75	132 के वी (डी सी) (मनौरी) टेपिंग टी 2.5 के डब्ल्यू और 132/33 के वी (मनौरी) 1×2.5 एम वी ए सब-स्टेशन	1976-77	48.42	38.74	36.12	68.75	पूर्ण
बस्ती 1974-75	132 के वी (एस सी) बस्ती-बांसी लाइन (50 कि मी) और 2×12.5 एम वी ए 132/33 के वी बांसी सब-स्टेशन	1976-77	117.07	117.07	117.07	127.48	प्रगति में
उन्नाव 1975-76	132 के वी (एस सी) संडीला-बांगरमऊ लाइन 50 कि मी 1×12.5 एम वी ए 132/33 के वी बांगरमऊ सब-स्टेशन	1977-78	92.38	92.38	20.00	4.95	प्रगति में
		जोड़	414.41	373.42	296.53	336.79	

यह देखा जायेगा कि तीन योजनाओं (लखनऊ–रायबरेली, इलाहाबाद और बस्ती) में व्यय अनुमानित लागत से 37.74 लाख रुपये (15.8 प्रतिशत) अधिक था, तथापि, जिसके कारण प्राप्त नहीं थे। उन्नाव योजना 1977–78 तक पूर्ण हो जानी थी, तथापि 1979–80 के दौरान बिलम्बित भूमि अध्याप्ति (4.95 लाख रुपये) के कारण आर ई सी से मार्च 1976 में प्राप्त 20 लाख रुपये का ऋण बिना उपयोग के रहा।

आगे और जानकारी में आया कि 132 के वी सिंगिल सरकिट बस्ती–बांसी लाइन जो जुलाई 1979 में पूर्ण हो गयी थी के निर्माण पर परिषद ने 64.46 लाख रुपये का व्यय किया था। तथापि 2 (12.5 एम वी ए) में से प्रथम ट्रान्सफार्मर जनवरी 1980 में उर्जीकृत किया गया और दूसरा ट्रान्सफार्मर अभी भी उर्जीकृत होना था (मार्च 1981)।

7.12. सिस्टम सुधार योजनाएं

1973–74 के दौरान आर ई सी ने सिस्टम सुधार के लिए (एल टी कैपेसिटर्स की स्थापना और 33 के वी लाइनों और सब-स्टेशनों को बलशाली बनाकर लाइन की हानियां घटाकर) 83.72 लाख रुपये की कुल लागत से 5 योजनाएं स्वीकृत कीं। योजनाएं 2 वर्षों अर्थात 1975–76 तक पूरी हो जानी थीं। तथापि योजनाओं के कार्यान्वयन में दयनीय प्रगति के कारण मार्च 1978 तक 61.25 लाख रुपये का ऋण आहरित किया गया था जैसा नीचे प्रदर्शित है :

जिले	अनुमानित लागत	वास्तविक आहरण 1973–74	1974–75	1977–78	योग
		(लाख रुपयों में)			
आजमगढ़	14.81	11.11	..	0.53	11.64
बहराइच	14.00	10.60	..	..	10.60
फैजाबाद	13.23	9.92	..	..	9.92
मुरादाबाद	35.10	..	25.80	..	25.80
सीतापुर	6.58	..	3.29	..	3.29
जोड़	83.72	31.63	29.09	0.53	61.25

लाइनों और सब स्टेशनों को बलशाली करने का कार्य, सीतापुर को छोड़कर जहां अब तक कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था, 4 जिलों में 48.44 लाख रुपये की लागत से पूरा किया जा चुका था (मार्च 1980)।

मार्च 1980 तक उपभोक्ताओं के स्थानों पर स्थापना हेतु 6240 एल टी शन्ट कैपेसिटर्स (2–7 के वी ए आर) के लिए आदेश अप्रैल 1978 में 3 फर्मों (कीमत: 20.19 लाख रुपये) को पारित किये गये। जबकि संयंत्रों को योजनानुसार स्थापित करने के निर्देश फील्ड अधिकारियों को निर्गत कर दिये गये थे (जनवरी 1979) भारित किराए के सम्बन्ध में परिषद के निर्णय के अभाव में

स्थापना कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका (मार्च 1981)। जबकि 20.19 लाख रुपये कीमत के कैपसिटर्स दिसम्बर 1978 से भण्डार में पड़े थे परिषद 22.47 लाख रुपये राशि की कर्जे की अगली किस्तें आहरित करने में अक्षम थी (मार्च 1981)।

7.13. आर ई सी वित्त के अन्तर्गत न आ पाने वाली विकास योजनाएं

आर ई सी द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य परिषद द्वारा या तो अपने धन से या राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ऋणों से कराए जाते थे। 1979–80 तक के 3 वर्षों के दौरान ग्रामों के विद्युतीकरण, राज्य और निजी नलकूपों/पम्प-सेटों के ऊर्जीकरण सम्बन्धी ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में कार्यक्रमों और वास्तविक निष्पादनों को नीचे प्रदर्शित किया गया है :

वर्ष	ग्रामों का विद्युतीकरण			राज्य और निजी नलकूपों/पम्प-सेटों का ऊर्जीकरण		
	लक्ष्य	वास्तविक	प्रतिशतता	लक्ष्य	वास्तविक	प्रतिशतता
1977–78	1000	322	32.2	32000	21339	66.7
1978–79	2050	252	12.3	32000	20599	64.4
1979–80	1280	571	44.6	33000	30338	91.9
जोड़	4330	1145	26.4	97000	72276	74.5

जबकि परिषद् ने ऐसी योजनाओं से वसूले गए राजस्व और वापसी की प्रतिशतता के अलग लेखे नहीं रखे थे परिषद ने बताया (जुलाई 1978) कि अनुमानित भार प्राप्त नहीं हुए और प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत सकल वापसी किसी भी मामले में उपलब्ध नहीं हो पाई।

7.14. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में हानियों के विरुद्ध सरकार से प्रतिदान

वर्ष 1973–74 के लिए सम्परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में ग्रामीण विद्युतीकरण परिचालन पर हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए परिषद् द्वारा प्रतिदान की अप्राप्ति के सम्बन्ध में कहा गया था। 1969–70 से 1979–80 तक ऐसी योजनाओं पर परिषद् द्वारा अनुमानित हानि 348 करोड़ रुपये थी जैसा नीचे प्रदर्शित है :

वर्ष	हानि की राशि (करोड़ रुपयों में)
1976–77 तक	101.3
1977–78	66.1
1978–79	79.6
1979–80	101.0
जोड़	348.0

हानियों के लिए कारण, जैसा परिषद् द्वारा बताया गया (फरवरी 1980), थे :

(i) योजनाओं में विचारित प्रकाश और पंखों, लघु उद्योगों, नलकूपों और अन्य सेवाओं के लिए संयोजनों के भौतिक लक्ष्यों का प्राप्त न किया जाना;

(ii) पर्याप्त विद्युत् की अनुपलब्धता और लोड शेडिंग;

(iii) किसानों के पास संसाधनों का अभाव;

(iv) निजी नलकूपों/पम्प-सेटों पर समतल मूल्य सूची जो लागतोन्मुखी नहीं है;

(v) हरिजन बस्तियों में विद्युत् के लिए उपेक्षणीय मांग;

(vi) पहाड़ी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिए उच्च प्रारम्भिक लागत और नियत निम्न मूल्य सूची; और

(vii) समाज के कमजोर वर्गों उदाहरणार्थ हरिजनों, भूमिहीन मजदूरों और एक एकड़ या कम भूमि वाले कृषकों, भूतपूर्व सैनिकों और सैनिकों की विधवाओं के लिए जून 1976 में परिचित कराए गए अपारिश्रमिक जनता सेवा संयोजन (निम्न समतल मूल्य सूची पर)।

ग्रामीण विद्युतीकरण परिचालन के सम्बन्ध में परिषद् के परिचालनीय व्यय (ऋण पर ब्याज सहित) ऐसे परिचालनों के राजस्व से जिस राशि तक अधिक हों या नियोजित पूंजी पर 9.5 प्रतिशत की वापसी की दर प्राप्त करने और बनाए रखने के लिये अपेक्षित निम्नतर राशि के बराबर राशि हानियों के लिए प्रतिदान देने को पहली अप्रैल, 1979 से राज्य सरकार सहमत हो गई थी (मार्च 1979)। इस वचनबद्धता के आधार पर परिषद् ने 1979–80 वर्ष के लिए राज्य सरकार से वसूली योग्य प्रतिदान की राशि 101 करोड़ रुपये निकाली थी।

तथापि 1969–70 से 1978–79 तक के पूर्व वर्षों के लिए 247 करोड़ रुपये का एक दावा परिषद द्वारा प्रस्तुत किया गया था (जुलाई 1980) जो राज्य सरकार के पास पड़ा था (मई 1981)। 1979–80 के लिए प्रतिदान के भुगतान का दावा दाखिल नहीं किया गया था (मार्च 1981)।

वार्षिक प्रतिदान की ग्राह्य राशि निकालने के लिये परिषद् द्वारा उठाई गई हानियों का वास्तविक स्तर परिषद और राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाना था। गणना की विधि अभी भी (मार्च 1981) अन्तिम रूप से तय होनी थी। क्योंकि पूंजी/परिचालनीय व्यय, वसूला गया राजस्व और आर ई सी योजनाओं से वापसी की प्रतिशतता के कोई लेखे परिषद् द्वारा अलग से नहीं रखे गए थे उपरोक्त प्रदर्शित हानि के आंकड़े परिषद् द्वारा कच्चे तदर्थ अनुमानों पर संकलित थे।

7.15. अन्य रोचक विषय

(क) लाइनों और सब-स्टेशनों का निर्माण

(i) जून 1979 तक ग्रामों, हरिजन बस्तियों, और राजकीय नलकूपों के विद्युतीकरण के लिये 11 के वी एच टी और एल टी लाइनों का निर्माण सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप मस्टर रोल श्रमिकों के माध्यम से प्रभागों द्वारा कराया जाता था।

जुलाई 1979 से परिषद ने मस्टर रोल श्रमिकों का नियोजन निषिद्ध कर दिया और उसके बाद से कार्य या तो कार्यादेशों पर (सीमित कुटेशनों के विरुद्ध) या निविदाओं के विरुद्ध ठेकेदारों को दिये जाते रहे थे । 1979–80 के लिये 5 खण्डों के अभिलेखों की परख जांच ने प्रगट किया कि 2 खण्डों (फतेहपुर और कानपुर) में कार्य निविदाओं के आधार पर दिए गए जब कि 3 खण्डों (उन्नाव, पीलीभीत और सीतापुर) में कार्य सीमित कुटेशनों के विरुद्ध कार्यादेशों पर उप-प्रभागीय अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित करा लिए गए । 11 केवी एचटी/एलटी लाइनों (सब-स्टेशनों के निर्माण की लागत और सब-स्टेशन भण्डार से कार्य स्थान तक माल की ढुलाई सहित) की प्रति कि मी निर्माण लागत सीमित कुटेशनों पर दिए गए कार्यों के लिये सार्थक रूप से उच्चतर (कानपुर दर पर आधारित) थी और 2.66 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय आया जैसा कि नीचे प्रदर्शित है :—

खण्ड का नाम	कन्डक्टर्स की ढुलाई, इरेक्शन, स्ट्रिंजिग		भिन्नता की प्रतिशत		किए गए कार्य की मात्रा		अतिरिक्त व्यय
	एक सब-स्टेशन सहित एच टी लाइन (प्रति किमी लागत रुपयों में)	एल टी लाइन (3 फेज/5 वायर)	एच टी लाइन	एल टी लाइन	एच टी लाइन	एल टी लाइन	
					(किलोमीटर में)		(रुपये)
कानपुर	1272	1200	..	..	..	..	..
फतेहपुर	1720	1510	35.2	25.8	125	80	80800
उन्नाव	1750	2630	37.6	119.2	50	40	81100
सीतापुर	1890	2660	48.6	121.7	18	55	91424
पीलीभीत	2145	1925	68.6	60.4	12	3	12651
							265975

(ii) 4 इकाइयों के अभिलेखों की परख जांच के दौरान यह जानकारी में आया कि जब कि 46.87 लाख रुपये की कुल लागत से 1975–76 से 1977–78 तक के वर्षों के दौरान निर्मित की गई 152 कि मी 66 केवी और 33 केवी लाइनें (सिंगल सरकिट) ऊर्जीकृत नहीं की जा सकीं

क्योंकि सब-स्टेशन (11 के वी ग्रामीण पोषकों और 11 के वी पोषक लाइनों के लिये वोल्टेज स्टेप डाउन करने के लिये) तैयार नहीं थे (मार्च 1981) :

जिले का नाम	लाइनों के नाम	निर्माण का वर्ष	व्यय (लाख रुपयों में)
सीतापुर	66 के वी सीतापुर–वजीरनगर (20 कि मी)	1975–76 और 1976–77	9.26
	66 के वी सिधौली–सधना (20 कि मी)	1975–76 और 1976–77	6.78
हरदोई	66/33 के वी संडीला–अतरौली (18 कि मी)	1975–76 और 1976–77	7.02
	66 के वी संडीला–हसनपुर (21 कि मी)	1975–76 और 1976–77	4.13
	33 के वी सांडी–सेवाजपुर (32 कि मी)	1975–76 और 1976–77	6.10
उन्नाव	33 के वी सोनिक–पुरवा (21 कि मी)	1976–77 और 1977–78	5.55
प्रतापगढ़	33 के वी भोपियामऊ–संडवा-चंद्रिका (20 कि मी)	1976–77	8.03
		जोड़	46.87

(iii) 66 के वी सब-स्टेशनों वजीरनगर और सधना पर स्थापित किये जाने के लिये सितम्बर, 1978 में प्राप्त 5 एम वी ए के दो ट्रांसफार्मर (कीमत : 7 लाख रुपये) भण्डार (सीतापुर) में अब भी पड़े थे क्योंकि वजीरनगर सब-स्टेशन का निर्माण कार्य 1979–80 में लिया गया और सधना सब-स्टेशन के लिये भूमि अधिग्रहण अभी भी होना था (मार्च 1981)।

(iv) सीतापुर मुख्य भण्डार से वजीरनगर सब-स्टेशन तक ढुला कर लाए गये (नवम्बर 1979) 20.20 कि मी ए सी एस आर "रैबिट" कन्डक्टर और 4.60 कि मी "ह्वीजल", कन्डक्टर (कीमत : 0.50 लाख रुपये), जहां उनकी आवश्यकता नहीं थी, मई 1980 में चोरी चले गये।

1978-79 और 1979–80 के दौरान 3.02 लाख रुपये मूल्य के कन्डक्टर अऊर्जीकृत 66/33 के वी (सिधौली–सधना, सन्डीला–अतरौली, सन्डीला–हसनपुर और सोनिक-पुरवा) लाइनों से चोरी चले गये और तब से लाइनें क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी थीं (मार्च 1981)।

(ख) चोरियां और क्षतियां

परख सम्परीक्षा के दौरान (जून 1980) यह जानकारी में आया कि निर्माण के दौरान और बाद में लाइन माल की चोरी और क्षति के अनेकों उदाहरण थे, उनमें से कुछ नीचे बताये गये हैं :

लाइनों का विवरण	पूर्णता का वर्ष	लाइन की लागत (लाख रुपयों में)	टिप्पणी
11 के वी सधना–डिगरा (88 कि मी) सीतापुर	1974–75	1.27	38 टेकों, 6.8 कि मी लाइन की फिटिंग्स और कन्डक्टर (मूल्य: 0.76 लाख रुपये) की हानि मई 1979 में जानकारी में आई। मामला पुलिस को प्रतिवेदित नहीं किया गया। लाइन की मरम्मत के लिये साइट पर भेजा गया (जुलाई 1979) 13 कि मी कन्डक्टर (मूल्य : 0.26 लाख रुपये) भी चोरी चला गया (जुलाई 1979) जिसके लिये पुलिस को प्रतिवेदन दे दिया गया था। लाइन क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी थी (मार्च 1981)।

लाईनों का विवरण	पूर्णता का वर्ष	लाइन की लागत (लाख रुपयों मे)	टिप्पणी
11 के वी जहांगीरा-बाद–मरोर (6 कि मी) सीतापुर	1974–75	0.88	लाइन टेक 1975–76 में झुक गये थे। आधी लाईन (जहांगीराबाद–सांडा) जून 1977 में ऊर्जीकृत कर दी गई थी; दूसरी आधी क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी थी (मार्च 1981)।
11 के वी पंडरी–नेवनी (10 कि मी) उन्नाव	1973–74	1.20	एक निजी नलकूप संयोजन देते समय (अप्रैल 1977) यह जानकारी में आया कि 22 टेक और अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गये थे और सारा कंडक्टर गायब था। पुलिस को प्रथम सूचना प्रतिवेदन नहीं दिया गया। (0.18 लाख रुपये की लागत से 2.53 कि मी लाईन की विशेष मरम्मत करने के बाद उपभोक्ता को विद्युत् आपूर्ति दी गई)।
11 के वी बिछिया–तारगांव (4 कि मी) उन्नाव	1970–71	0.40	ये लाइनें कन्डक्टर जो चोरी चला गया बताया गया था (जून 1980) के बिना क्षतिग्रस्त पड़ी थीं। पुलिस को एफ आई आर नहीं लिखाई गई। हानि की सीमा निश्चित नहीं की गई थी और लाइने अब भी (मार्च 1981) क्षति-ग्रस्त अवस्था में पड़ी थीं।
11 के वी भवानीगंज–पारा (4 कि मी) उन्नाव	1973–74	0.40	
11 के वी भवानीगंज–सरवन (3 कि मी) उन्नाव	1974–75	0.30	
11 के वी घाटमपुर–विरसिंहपुर सारा (21.2 कि मी) कानपुर	1972–73	2.10	सितम्बर–दिसम्बर 1975 के दौरान 1.10 लाख रुपये मूल्य का 54.8 कि मी कन्डक्टर चोरी चला गया था जो पुलिस को सूचित कर दिया गया था और अधिक चोरी निवारण हेतु शेष कंडक्टर (8 कि मी) हटा लिया गया। 1979–80 और 1980–81 के दौरान 1.13 लाख रुपये व्यय करके लाइन की मरम्मत/ऊर्जीकृत कर दिया गया।
11 के वी सिकन्दरा–बेरिया–डेरापुर (21.3 कि मी) कानपुर	1974–75	1.66	अगस्त 1974–फरवरी 1975 के दौरान आधी लाइन का कन्डक्टर चोरी चला गया था जिसके लिये एक एफ आई आर दाखिल कर दी गई थी (अगस्त 1974-

लाइनों का विवरण	पूर्णता का वर्ष	लाईन की लागत (लाख रुपयों में)	टिप्पणी
			फरवरी 1975) और अधिक चोरी निवारणार्थ शेष कन्डक्टर हटा लिया गया। लाइन परित्यक्त पड़ी थी।
11 के वी भूल–मैथ (12.7 कि मी) कानपुर	1972–73	1.13	अऊर्जीकृत लाइन, विद्युत अनुरक्षण खण्ड, कानपुर को अगस्त 1973 में दी गई जब यह जानकारी में आया कि 11.65 किमी (37 स्पन) लाइन पर कन्डक्टर नहीं था। पुलिस को कोई एफ आइ आर नहीं लिखाई गई।
11 के वी घाटमपुर-गजनेर (17.1 कि मी) कानपुर	1971–72	1.24	लाइन के 22 स्पैन के कन्डक्टर (मूल्य: 0.18 लाख रुपये) गायब पाये गए (अगस्त 1974) और लाइन का 6.5 कि मी लम्बा अनुभाग अपूर्ण था; यह निर्णय किया गया कि कन्डक्टर लगाने और त्रुटियां दूर किए जाने की लागत (0.16 लाख रुपये) लाइन का निर्माण करने वाले अवर अभियन्ता स वसूल किया जाय। तथापि, वसूली की कोई कार्यवाही अभी तक (मार्च 1981) नहीं की गई थी।
11 के वी शिवगढ़-बैती फीडर (6 कि मी) रायबरेली	1974–75	0.53	10.8 कि मी "वीजल" कन्डक्टर और 4 पी सी सी खम्भे (मूल्य: 0.23 लाख रुपये) ग्यारह अवसरों पर चोरी गये (फरवरी 1978–नवम्बर 1979) जिसके लिए पुलिस को एफ आई आर लिखा दी गई थी।
11 के वी फीडर हराई-सतुआभार (25 कि मी) गोरखपुर	1973–74	2.50	किसी मांग की अनुपस्थिति म लाइन ऊर्जीकृत नहीं की गई। 69 कि मी कन्डक्टर (मूल्य: 1.04 लाख रुपये) 1974–75 से 1977–78 के दौरान चोरी चल गए जिसके लिये समय-समय पर पुलिस को प्रतिवेदन दाखिल कर दिए गये थे।

लाइनों की हानियों/क्षतियों के लिये कारण न तो जांचें पड़तालें गए थे न कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया था (मार्च 1981)।

(ग) निष्क्रिय विनियोग

(i) दो 33 के वी लाइनें (छपका–पसोही–14.26 कि मी और छपका-घोरावल–38.2 कि मी) और तीन 33 के वी सब-स्टेशन (पसोही, शाहगंज और घोरावल), क्रमश: 21.61 लाख रुपये और 8.25 लाख रुपयें की लागत से निर्मित (अगस्त 1972), निर्माण में त्रुटियों क कारण अभी भी परखने, ऊर्जीकृत करने और प्रारम्भ करने थे (मार्च 1981)।

(ii) नीचे बताई गई 11 के वी लाइनों में लगभग 2.94 लाख रुपये लागत से केवल टैक (981) खड़े किये गये थे :

लाइन का विवरण	अवधि	खड़े किये गये टेकों की संख्या
सिकन्दरा–असवा (कानपुर)	1974–75	204
विजशू-तेरा (कानपुर)	1974–75	54
सिकन्दरा–भांडेमऊ (कानपुर)	1974–75	172
अगवारा–सनिहानपुर (कानपुर)	1974–75	36
पाठकपुर–असोहा (उन्नाव)	1975–76 से पूर्व	26
नई सराय–नरायनपुर (उन्नाव)	1975–76 से पूर्व	106
वांगरमऊ–अटवा (उन्नाव)	1975–76 से पूर्व	144
सखन ग्राम के लिए (उन्नाव)	1975–76 से पूर्व	24
ककरघाट टी–आफ (सीतापुर)	1975–76	23
आशापुर अठगवां–अंधरपुर (प्रतापगढ़)	1975–76	126
सैकाबाद–अरैला (प्रतापगढ़)	1975–76	66
	जोड़	981

प्रभागीय अधिकारी द्वारा बताया गया (जून 1980) कि कन्डक्टर और उपभोक्ताओं की अप्राप्ति और कन्डक्टर की चोरी की सम्भावना निवारण भी इन लाइनों पर कन्डक्टर के न चढ़ाये जाने का कारण था। तथापि, परख जांच (जून 1980) के दौरान यह जानकारी में आया कि नई सराय–नरायनपुर (उन्नाव) पर 15 प्रत्याशित उपभोक्ताओं के प्रार्थना पत्र एक वर्ष से अधिक से पड़े थे।

(घ) नलकूपों के ऊर्जीकरण में विलम्ब

(i) सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के अनुसार यह राज्य देश में सर्वाधिक ग्राउन्ड वाटर क्षमता से सम्पन्न है लेकिन ग्राउन्ड वाटर पंपिंग के लिये विद्युत प्रदान करने में यह पिछड़ गया। 24 लाख का अनुमानित क्षमता के विरुद्ध 1979–80 तक राज्य में केवल 3.56 लाख ऊर्जीकृत नलकूप/पम्प सेट थे।

नलकूपों को समय से उर्जीकृत करने हेतु फरवरी 1978 में परिषद् ने निर्देश दिये कि प्रार्थना-पत्र के दिनांक से 6 महीने के अन्दर प्रभागीय अधिकारियों को सभी औपचारिकतायें (जैसे भार की स्वीकृति, लाइन का सर्वेक्षण, प्राक्कलन का तैयार किया जाना, शर्तों का तय किया जाना, अनुबन्धों का कार्यान्वयन) और लाइनों का निर्माण पूरा कर लेना चाहिये। जून 1978 से परिषद् ने लाइनों और सब-स्टेशनों के निर्माण के लिए अपेक्षित रोड़े, बालू, सीमेन्ट और श्रमिक आपूर्ति के लिए प्रत्याशी उपभोक्ताओं को उत्तरदायी बना दिया। तथापि, पांच खण्डों (पीलीभीत, सीतापुर, फतेहपुर, कानपुर और उन्नाव) में संयोजनों के अभिलेखों की परख जांच के दौरान यह जानकारी में आया (अक्टूबर 1980) कि 25 प्रतिशत उपभोक्ताओं के 2.7 महीनो और शेष को 7 महीने 5 वर्ष तक की अवधि में संयोजन दिये गये।

31 दिसम्बर 1980 को 18,242 प्रार्थी थे जहां बेसिक लोड फार्म जमा किये जा चुके थे और प्रार्थी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विद्युत संयोजनों की प्रतीक्षा में थे जैसा नीचे वर्णित है :

योजना	प्रार्थना-पत्रों की संख्या
राज्य सामान्य कार्यक्रम	6520
ग्रामीण विद्युतीकरण	2048
कृषि पुनर्वित्त और विकास	5158
स्पेशल प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर	3025
निक्षेप	1246
निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम	245
जोड़	18,242

लाइन सामानों की कमी, और प्रत्याशी उपभोक्ताओं द्वारा सब-स्टेशनों और लाइनों के निर्माण के लिये रोड़ी, बालू, सीमेन्ट और श्रम आपूर्ति में विलम्ब प्रभागीय अधिकारियों द्वारा विद्युत आपूर्ति किये जाने में देरी का कारण बताया गया (जून 1980) ।

(ii) एक खण्ड (फतेहपुर) में 1979-80 तक के 3 वर्षों के दौरान परिषद् के 3090 नलकूप/ऊर्जीकरण के लक्ष्य के विरुद्ध 3419 प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे लेकिन ऊर्जीकृत नलकूपों की वास्तविक संख्या केवल 1346 थी । कमी में 86 प्रार्थी थे जिन्होंने अनुबन्ध क्रियान्वित कर लिये थे और 1979-80 के दौरान बेसिक लोड (बी एल) फार्म (लाइसेन्स प्राप्त वायरमैनों द्वारा निर्गत) जमा कर दिये थे । प्रभागीय अधिकारी ने बताया (जून 1980) कि 20 बी एल फार्म नकली होने के कारण निरस्त कर दिये गये थे और शेष 66 प्रार्थियों का कार्य प्रगति में था (जून 1980) ।

एक अन्य खण्ड (कानपुर) में मार्च 1980 के अन्त तक 101 बी एल फार्म (राज्य सामान्य कार्यक्रम के आधीन 75 समेत) पड़े थे । इसके अतिरिक्त, प्रत्याशी उपभोक्ताओं को शर्तें प्रस्तावित करने के लिये 385 प्रार्थनापत्र पड़े थे । प्रभागीय अधिकारी ने बताया (जून 1980) कि राज्य सामान्य कार्यक्रम के आधीन परिषद् द्वारा नियत निम्न लक्ष्य के कारण ये पम्प-सेट 1979-80 के दौरान ऊर्जीकृत नहीं किये जा सके । तथापि, यह जानकारी में आया कि लक्ष्यों के पुनरीक्षण के लिए प्रभागीय अधिकारी ने परिषद् को नहीं लिखा ।

एक अन्य खण्ड (पीलीभीत) में 131 प्रार्थियों ने 1979-80 के दौरान पैसे जमा कर दिये थे और अनुबन्ध क्रियान्वित करा लिये थे लेकिन उनके संस्थापन बी एल फार्म और लाइन सामान के अभाव में अऊर्जीकृत बने रहे ।

(ङ) विविध

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य कर रहे प्रभागों के अभिलेखों की परख जांच के दौरान निम्न नैरन्तरिक त्रुटियां/कमियां जानकारी में आईं (जून 1980):

(i) निर्मित लाइनों और सब-स्टेशनों, उनकी पूर्णता दिनांक, ऊर्जीकरण और लागत दर्शाते हुए परिसम्पत्ति रजिस्टरों का न रखा जाना ;

(ii) पूर्ण किये जा चुके कार्यों के सम्बन्ध में पूर्णता प्रतिवेदनों या स्वीकृत प्राक्कलनों पर आधिक्य विश्लेषण का तैयार न किया जाना ; और

(iii) लाइनों और सब-स्टेशनों का सामयिक भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा था (मार्च 1981) ।

मामला परिषद्/सरकार को नवम्बर 1980 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1981)।

7.16. निष्कर्ष

—31 मार्च 1980 तक राज्य में 1,12,561 ग्रामों में से केवल 38,560 (34.3 प्रतिशत) विद्युतीकृत किये गये थे और 13,948 हरिजन बस्तियां और 3,56,481 नलकूप/पम्प-सेट विद्युतीकृत/ऊर्जीकृत किये गये थे।

—विद्युत के कुल उपभोग से कृषि विद्युत उपभोग की प्रतिशतता 1977–78 में 29.5 से 1979–80 में 32.1 तक बढ़ गई।

—31 मार्च 1980 तक आर ई सी द्वारा स्वीकृत 132.15 करोड़ रुपये (266 योजनायें) के विरुद्ध परिषद् ने 75.08 करोड़ रुपये आहरित किये जिसमें से 34.71 करोड़ रुपये (46.2 प्रतिशत) व्यय किया गया और निधि आर ई सी योजनाओं आदि के अलावा विपथित किया गया।

—266 स्वीकृत योजनाओं में से परिषद् ने 176 हाथ में लीं और 1979–80 तक वास्तविक प्राप्ति 7.8 प्रतिशत (मार्ग प्रकाश) से 38.8 प्रतिशत (एच टी लाइन) के बीच रही।

—1979–80 तक के 3 वर्षों के दौरान ग्रामों का विद्युतीकरण और नलकूपों/पम्प-सेटों का ऊर्जीकरण लक्ष्य का क्रमशः 56 से 80 प्रतिशत तक और 51 से 73 प्रतिशत तक रहा।

—1974–75 तक स्वीकृत 39 योजनाओं के सम्बन्ध में स्वीकृत 22.66 करोड़ रुपये कर्जे के विरुद्ध परिषद् ने 14.35 करोड़ रुपये आहरित किये और 31 मार्च 1980 तक वास्तविक व्यय 12.82 करोड़ रुपये था। लक्ष्यों की वास्तविक प्राप्ति ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये 58.6 प्रतिशत (4658 के विरुद्ध 2745), पम्प-सेटों के ऊर्जीकरण के लिये 11.4 प्रतिशत (22,834 के विरुद्ध 2,612) और अन्य संयोजनों के लिये 14.5 प्रतिशत (1,44,653 के विरुद्ध 21,018) थी।

—1975–76 से 1979–80 के दौरान 39.07 लाख रुपये की लागत से विद्युतीकृत 130 ग्रामों (6 जिलों) में कोई संयोजन नहीं दिया गया था।

—सितम्बर 1972 में स्वीकृत खीरी I योजना के सम्बन्ध में (अनुमानित लागत : 54.34 लाख रुपये) परिषद् ने 19.92 लाख रुपये की लागत से 6 ग्रामों को विद्युतीकृत और 11 नलकूपों को ऊर्जीकृत किया।

—1974–75 से 1978–79 तक के दौरान 13.59 करोड़ रुपये के लिये स्वीकृत 25 (130 में से) योजनाओं के सम्बन्ध में या तो कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था या 31 मार्च 1980 तक वास्तविक व्यय उपेक्षणीय था।

—1977–78 से 1979–80 तक के दौरान 1162.19 लाख रुपये से आर ई सी द्वारा स्वीकृत 41 स्पेशल प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर ऋण योजना के सम्बन्ध में वास्तविक आहरित राशि 115.33 लाख रुपये (9.9 प्रतिशत) थी जिसके विरुद्ध किया गया वास्तविक व्यय 5.34 लाख रुपये (4.6 प्रतिशत) था।

—आर ई सी वित्त के अन्तर्गत न आ पाने वाली योजनाओं के सम्बन्ध में 1979–80 तक के तीन वर्षों के दौरान 4330 ग्रामों के विद्युतीकरण और 97,000 नलकूपों/पम्प-सेटों के ऊर्जीकरण के लक्ष्य के विरुद्ध परिषद् ने 1145 ग्राम (26.4 प्रतिशत) विद्युतीकृत किये और 72276 नलकूप/पम्प-सेट (74.5 प्रतिशत) ऊर्जीकृत किये।

——1979–80 तक ग्रामीण विद्युतीकरण परिचालन पर परिषद् ने 348 करोड़ रुपये (1979-80 के लिये 101 करोड़ रुपये समेत) की हानि उठाई। जबकि सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये पहली अप्रैल 1979 से हानियों का प्रतिदान देने को सहमत हो गई, अब तक कोई भी प्रतिदान प्राप्त नहीं हुआ था।

——4 इकाइयों में 1975–76–1977–78 के दौरान 46.87 लाख रुपये की कुल लागत से निर्मित 152 कि मी 66/33 के वी लाइनें (सिंगिल सरकिट) ऊर्जीकृत नहीं की जा सकीं क्योंकि सब-स्टेशन तैयार नहीं थे (मार्च 1981)।

——सितम्बर 1978 में प्राप्त 5 एम वी ए के दो ट्रांसफार्मर (मूल्य : 7 लाख रुपये) भण्डार में पड़े थे क्योंकि वजीर नगर सब-स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति में था और सधना सब-स्टेशन के लिये भूमि अभी भी अधिग्रहीत होनी थी।

——अऊर्जीकृत 66/33 के वी लाइनों से 1978–79 और 1979–80 के दौरान 3.02 लाख रुपये मूल्य के कन्डक्टर चोरी चले गये और तब से ये लाइनें क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी थीं।

——लाइनों के निर्माण के दौरान और बाद में लाइन सामान की चोरी और क्षति के अनेकों उदाहरण थे जो न तो जांचे पड़ताले गये थे और न ही कोई उत्तरदायित्व निश्चित किया गया था।

——29.86 लाख रुपये की लागत से निर्मित (अगस्त 1972) दो 33 के वी लाइनें और 33 के वी सब-स्टेशन निर्माण त्रुटियों के कारण अभी भी परखे, ऊर्जीकृत और प्रारम्भ किये जाने थे।

——राज्य में 24 लाख पम्प-सेटों की अनुमानित क्षमता के विरुद्ध 31 मार्च 1980 को 3.56 लाख नलकूप/पम्प-सेट थे।

——31 दिसम्बर 1980 को 18,242 प्रार्थी (5 खण्ड) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विद्युत संयोजन की प्रतीक्षा में थे।

——एक परख जांच (5 खण्ड) ने प्रगट किया कि 75 प्रतिशत मामलों में संयोजन 7 माह से 5 वर्ष तक की अवधि के बाद दिये गये।

अनुभाग VIII

पारेषण कार्य

8.01. विषय प्रवेश

विद्युत उत्पादन स्टेशनों में उत्पादित विद्युत, खिचाव केन्द्रों (लोड सेन्टर्स) तक 132 के वी और उससे ऊपर की पारेषण लाइनों में से होकर और वितरण केन्द्रों तक उप-पारेषण लाइनों में से होकर, पारेषित की जाती है। टावरों के निर्माण से सम्बन्धित कार्य और लाइनों को पूरी तरह से खड़ा करने का कार्य परिषद् द्वारा मुख्यत: ठेकेदारों के माध्यम से करवाया जाता है। ऐसे ठेकों के लिये निविदायें, पारेषण और रूपान्तरण कार्यों के परियोजना प्राक्कलनों में दिये गये कार्य की मात्रा के संदर्भ में, आमन्त्रित और इन पर इलैक्ट्रिसिटी ट्रान्समीशन डिजाइन सर्किल,लखनऊ (ई टी डी सी) द्वारा कार्यवाही की जाती है एवं सेन्ट्रल स्टोर परचेज कमेटी (सी एस पी सी) द्वारा निर्णय लिया जाता है। कार्य की मुख्य मदों, जैसे टावरों का निर्माण, टावरों को खड़ा करना, कण्डक्टर तार खींचना,टावरों की नीव, टावर स्थलों का मंचीकरण (बैंचिग) व रिवट करना, इत्यादि के लिये भी, विस्तृत प्राक्कलन और दरों की अनुसूची, पथ प्रदर्शन के रूप में काम में आने के लिये, तैयार नहीं की गई थी, यद्यपि परिषद् के नियमों के अनुसार इनकी अपेक्षा की जाती है।

8.02. लाइनों का विकास

परिषद् के उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की निकासी के लिये पारेषण लाइनों का विकास नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	निर्मित लाइनें			वर्धमान योग
	132 के वी	220 के वी	400 के वी (सर्किट किलोमीटर)	
1960–61	346	..	..	346
1961–66	1,807	..	..	2,153
1966–71	2,281	1,854	..	6,288
1971–76	916	732	..	7,936
1976–77	307	205	..	8,448
1977–78	174	144	376	9,142
1978–79	944	88	..	10,174
1979–80	748	221	782	11,925
जोड़	7,523	3,244	1,158	11,925

परिषद् द्वारा पारेषण कार्यों पर 1979–80 तक की 3 वर्षों के दौरान किया गया पूंजीगत व्यय निम्न प्रकार था :

विवरण	1977–78	1978–79	1979–80	योग
			(करोड़ रुपयों में)	
योजना विनिधान	65.00	70.54	64.00	199.54
वास्तविक व्यय	71.53	85.10	58.09	214.72
योजना विनिधान के ऊपर कमी (–)/अधिकता (+)	(+) 6.53	(+) 14.56	(–) 5.91	(+)15.18

नीचे दिये गये अनुच्छेदों में कुछ पारेषण कार्यों के निष्पादन में कुशलता और मितव्ययता का विशेष ध्यान रखते हुए समीक्षा से उत्पन्न विषयों का विवेचन किया गया है :

8.03. अनुबन्धों का प्रदान किया जाना एवं निष्पादन–400 के वी लाइनें

(क) केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग, जो कि अब सेन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथोरिटी (सी ई ए) है, के द्वारा अनुमोदित 400 के वी लाइनों के टावर्स की तकनीकी विशिष्टियों के आधार पर ई टी डी सी द्वारा 400 के वी सिंगिल सर्किट ओबरा–मुल्तानपुर लाइन (250 किलोमीटर) को खड़ा करने एवं टावरों की आपूर्ति के लिये एक निविदा पूछतांछ निकाली । तकनीकी रूप से स्वीकार्य 123.30 रुपये का निम्नतम परिगणित मूल्य बम्बई की फर्म "ए" द्वारा गारन्टी सुदा भार एवं नीव आयतन के टावरों की आपूर्ति के लिये तथा लाइन को खड़ा करने के लिये दिया गया । फर्म "बी" द्वारा इस काम के लिये दिया गया परिगणित मूल्य (131.13 लाख रुपये) चतुर्थ न्यूनतम था ।

जैसा कि मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) तथा सदस्य (अभियांत्रिक) ने अवलोकन किया कि फर्म "ए" की निविदा, निविदा विशिष्टियों की सब तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करती थी । किन्तु सी एस पी सी के निणय के अनुसार निविदादाताओं से टावरों का गारन्टीसुदा भार एवं नीव आयतन दर्शाते हुए संशोधित डिजाइन के टावरों के लिये संशोधित निविदा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया (फरवरी 1970) । फर्म "ए" पुनः नरम इस्पात के टावरों के लिये निम्नतम थी (120.73 लाख रुपये) । फर्म "बी", नरम एवं स्वदेशी उच्च तनाव इस्पात मिश्रण (60 : 40) की टावरों के लिये फर्म "ए" के 75 : 25 के नरम एवं उच्च तनाव इस्पात मिश्रण के टावरों के लिये परिगणित किये गये मूल्य (121.79 लाख रुपये) की तुलना में निम्नतम (119.54 लाख रुपये) थी । नरम एवं उच्च तनाव इस्पात मिश्रण की टावरों के लिये फर्म "बी" की निविदा परिषद् को निम्न तथ्यों के कारण आर्थिक रूप से अनुकूल नहीं थी :

(i) फर्म "बी" ने परिषद् से इस्पात की आपूर्ति के लिये मांग की थी जबकि फर्म "ए" ने लगभग 4000 मीटरी टन (5200 मीटरी टन की कुल आवश्यकता के विरुद्ध) इस्पात अपने स्वयं के स्टाक से ज्वाइन्ट प्लान्ट कमेटी की दरों पर प्रयोग करने का प्रस्ताव किया था ।

चूंकि स्वदेशी उच्च तनाव इस्पात का उत्पादन ठीक उसी समय प्रारम्भ हुआ था अतः कार्य के लिये इसकी उपलब्धता निश्चित नहीं थी । अतः परिषद् को आयातित उच्च तनाव इस्पात का प्रबन्ध बाद में 49.61 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत पर करना पड़ा ।

(ii) फर्म "बी" ने अनन्तिम गारन्टी सुदा भार (कीलों सहित) और नीव आयतन के टावरों का प्रस्ताव दिया था जबकि फर्म "ए" ने निश्चित गारन्टीसुदा और आयतन के टावरों का प्रस्ताव दिया था । फर्म "बी" द्वारा अन्तिम रूप से डिजाइन किये गये टावरों को 172 मीटरी टन इस्पात (मूल्य : 2.68 लाख रुपये) और कीलों (मूल्य : 0.91 लाख रुपये) की अतिरिक्त आवश्यकता थी । इस प्रकार तुलना के लिये अपनाया गया फर्म की निविदा का परिगणित मूल्य यथार्थ नहीं था ।

(iii) टावरों के निर्माण के लिये फर्म "बी" द्वारा उद्धृत की गई इकाई दर (355 रुपये प्रति मीटरी टन) फर्म "ए" द्वारा उद्धृत की गई दर (347 रुपये प्रति मीटरी टन) की तुलना में इस्पात और जस्ता दोनों की लागत को निकाल कर अधिक थी (कुल अन्तर 0.40 लाख रुपये) ।

(iv) फर्म "बी" ने अपनी कार्यशाला स्थापित नहीं की थी और टावर निर्माण कार्य को लेने के लिये औद्योगिक लाइसेन्स प्राप्त नहीं किया था । फर्म के पास इस प्रकार की अतिरिक्त उच्च बोल्टता लाइनों पर कन्डक्टर बन्डल चढ़ाने के लिये कोई टैन्सन स्ट्रिंजिग उपकरण नहीं था और इसके पास गाल्वनाइजिंग बाथ न होने के कारण जस्ता के आवंटन नहीं थे ।

इन तथ्यों के बावजूद भी फर्म "बी" को काम दिया गया (अप्रैल 1971) ।

400 के वी सिंगिल सर्किट ओबरा–कानपुर–मुरादनगर लाइन (791 किलो मीटर) के ओबरा-कानपुर भाग (400 किलो मीटर) के लिये उसी डिजाइन के नरम तथा उच्च तनाव इस्पात मिश्रण (60 : 40) के टावरों (7578 मीटरी टन) की आपूर्ति का कार्य फर्म "बी" को इसके द्वारा

उद्धृत 1410 रुपये प्रति मीटरी टन की उच्चतम दर पर दिया गया (जुलाई 1973) यद्यपि निविदा पूछतांछ केवल नरम इस्पात के टावरों के लिये निकाली गई थी (जनवरी 1973)। नैनी (इलाहाबाद) की सार्वजनिक क्षेत्र की एक उपक्रम को सम्मिलित करते हुए 4 अन्य फर्मों की प्रथम चार निम्नतम तकनीकी रूप से स्वीकार्य दरें विभिन्न कारणों से उपेक्षित कर दी गई। साथ ही साथ कानपुर –मुरादनगर भाग का कार्य फर्म "ए" को इसके द्वारा उद्धृत 1280 रुपये प्रति मीटरी टन की न्यून दरों पर दिया गया।

इन दो फर्मों को इस लाइन का कार्य देने का निर्णय इन बातों को ध्यान में रखकर किया गया था कि उनकी निष्पन्न डिजाइनों के टावरों के लिये बटवारा करने से टावरों की डिजाइन और परीक्षण करने में लगने वाले 2 वर्ष के समय की बचत हो जायेगी, जिससे ओबरा थर्मल पावर स्टेशन से विद्युत की निकासी के लिये दिसम्बर 1976 तक लाइनों का समय से निर्माण सुनिश्चित हो जायेगा और यह कि लाइन को पूरा करने में विलम्ब से परिषद् को 60 लाख रुपये प्रतिवर्ष की हानि होगी।

ओबरा–सुल्तानपुर और ओबरा–कानपुर लाइनों के लिये टावरों की वृहत पैमाने पर आपूर्ति के लिये फर्म "बी" को काम दिये जाने से टावरों की आपूर्ति में विलम्ब हुआ, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

विवरण	अनुबन्धित सुपुर्दगी समय	वास्तविक सुपुर्दगी समय
ओबरा–सुल्तानपुर लाइन	सितम्बर 1973 से मार्च 1975 तक	जनवरी 1974 से नवम्बर 1977 तक
ओबरा–कानपुर लाइन	नवम्बर 1973 से मई 1975 तक	दिसम्बर 1973 से नवम्बर 1977 तक

ओबरा–सुल्तानपुर लाइन के अनुबन्ध में जून 1975 तक इस लाइन को वाणिज्यिक परिचालन के लिये चालू करने का प्राविधान था। किन्तु फर्म "बी" ने कार्य को दिसम्बर 1977 में पूरा किया। ओबरा--कानपुर लाइन के मामले में फर्म "बी" ने केवल 407 मीटरी टन टावर के हिस्से अनुबन्धित सुपुर्दगी अनुसूची के दौरान आपूर्ति किये। मुख्यत: टावरों की आपूर्ति में विलम्ब के कारण फर्म "डी" द्वारा, उसको उसी समय दिये गये अनुबन्ध में अनुबन्धित समय सारणी के अन्तर्गत (जुलाई 1976 तक), लाइन खड़ी नहीं की जा सकी।

इ टी डी सी द्वारा टावरों की आपूर्ति में विलम्ब का कारण परिषद् द्वारा फर्म को अनुरूप भागों में इस्पात की आपूर्ति में विलम्ब से दिया जाना बताया गया। किन्तु परख सम्परीक्षा में यह पाया गया कि फर्म "बी" को आपूर्ति किया गया इस्पात आवश्यकता से बहुत अधिक था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

(i) ओबरा–सुल्तानपुर लाइन के टावरों के लिए नवम्बर 1971 से मार्च 1974 के दौरान फर्म को परिषद् द्वारा आपूर्त किए गये 4049 मीटरी टन इस्पात के विरुद्ध फर्म ने मार्च 1975 तक केवल 2821 मीटरी टन टावर आपूर्त किये थे।

(ii) ओबरा–कानपुर लाइन के टावरों के लिए अपने स्वयं के स्टाक से फर्म द्वारा उद्दिदट किये गये 1,000 मीटरी टन इस्पात के लिए परिषद द्वारा फर्म को 12.42 लाख रुपये का भुगतान किया गया (दिसम्बर 1973)। उस समय यह लगभग 2500 मीटरी टन (मूल्य: लगभग 60 लाख रुपये) उपयोग न किये गये इस्पात का स्टाक रक्खे हुई थी जो इसको परिषद् द्वारा ओबराष्-सुल्तानपुर के टावरों के लिये दिया गया था।

(iii) अप्रैल और सितम्बर 1977 के दौरान फर्म ने परिषद के इस्पात का क्रमश: 1306 मीटरी टन तथा 77 मीटरी टन फालतू स्टाक, जो इसके द्वारा ओबरा–सुल्तानपुर लाइन के कार्य के लिये रक्खा गया था, ओबरा-कानपुर लाइन के कार्य पर और 919 मीटरी टन फालतू इस्पात, जो इसके द्वारा ओबरा–कानपुर लाइन के कार्य के लिए रक्खा गया था, ओबरा–सुल्तानपुर लाइन के कार्य पर स्थानान्तरित किया। सम्बन्धित लाइनों के कार्य के लिए इस्पात के अनुरूप भागों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अप्रैल/सितम्बर 1977 में फर्म द्वारा इन स्थानान्तरणों का सहारा लिया गया।

(iv) स्थानान्तरण का हिसाब करने के बाद, ओबरा–कानपुर लाइन के टावरों के लिए फर्म को दी गई इस्पात की मात्रा, इसके द्वारा आपूर्ति किए गये 9066 मीटरी टन टावरों के लिए आवश्यक 9972 मीटरी टन के विरुद्ध, 10531 मीटरी टन (मूल्य: 372.06 लाख रुपये) निकली। 559 मीटरी टन फालतू इस्पात (मूल्य: 19.75 लाख रुपये) फर्म द्वारा लौटाया नहीं गया (मई 1981)। इसने न तो हिसाब देने योग्य 3 प्रतिशत क्षति के लिए (272 मीटरी टन, मूल्य: 1.36 लाख रुपये) क्रैडिट दी थी और न ही परिषद् ने अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार उससे एक मीटर के ऊपर के टुकड़ों की वापसी की मांग की थी। फर्म को दिए गये इस्पात तथा जस्ते के हिसाब का समाधान अभी तक प्रतीक्षित था (मई 1981)।

(ख) 400 के वी की 4 लाइनों के खड़ा करने और टावरों की आपूर्ति के लिए अप्रैल 1978 की एक निविदा पूंछ तांछ के मामले में टावर आपूर्ति कार्य की निम्नतम निविदा लागत फर्म "ए" द्वारा निम्न प्रकार से उद्घृत की गई थी (उद्घृत दरें गारण्टीसुदा टावर भार की थीं) :

लाइन का नाम	निविदा लागत	परिगणित लागत
	(लाख रुपयों में)	
लखनऊ–संडीला	73.55	101.25
आनपारा–आजमगढ़	250.24	345.12
आजमगढ़–सुल्तानपुर	124.84	187.45
मुरादनगर–पानीपत	104.41	156.94

ई टी डी सी द्वारा किए गये निविदा दरों के परिकलन के आधार पर इन चार लाइनों के लिए टावरों की आपूर्ति के निम्नतम परिगणित मूल्य नीचे दर्शाये गए हैं :

लाइन का नाम	निविदा लागत	निम्नतम परिगणित लागत	फर्म का नाम
	(लाख रुपयों में)		
लखनऊ–संडीला	80.88	92.52	कलकत्ता की फर्म "सी"
आनपारा–आजमगढ़	283.75	333.86	बम्बई की फर्म "एच"
आजमगढ़–सुल्तानपुर	139.12	157.62	कलकत्ता की फर्म "सी"
मुरादनगर–पानीपत	120.29	133.12	बम्बई की फर्म "एच"

लखनऊ–संडीला और आनपारा–आजमगढ़ लाइनों का कार्य सी एस पी सी द्वारा फर्म "सी" और "एच" को उनकी निम्नतम परिगणित लागत के आधार पर दिया गया (मार्च 1979) जबकि अन्य दो लाइनों का कार्य फर्म "ए" को उसकी निम्नतम निविदा लागत के आधार पर दिया गया यद्यपि

फर्म के प्रस्ताव की परिगणित लागत अधिक थी। इस प्रकार, निविदाओं के मूल्यांकन के लिए कोई विश्वसनीय आधार तैयार करने के बजाय भिन्न-भिन्न फर्मों को कार्य देने के लिए भिन्न-भिन्न मानदण्ड अपनाये गये।

8.04. कार्यों का दिया जाना एवं निष्पादन–220/132 के वी लाइनें

8.04.01. दोषी फर्मों को काम दिया जाना

(क) 12 लाइनों (504 किलोमीटर) के लिए 2764 मीटरी टन टावरों की आपूर्ति का कार्य फर्म "बी" द्वारा दी गई (अक्टूबर 1970) 410 रुपये प्रति मीटरी टन की दर के विरुद्ध फर्म "एफ" को 611 रुपये प्रति मीटरी टन की दर पर इस आधार पर दिया गया (जनवरी 1972) कि फर्म "बी" पर पिछले आर्डरों का काफी बोझ था। फर्म "बी" द्वारा दी गई निम्नतम दर की तुलना में फर्म "एफ" को उच्चतर दर पर काम दिए जाने के परिणामस्वरूप अनुबन्धित मात्रा पर 5.56 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा।

(ख) 220 के वी (37 किलोमीटर) की मुगलसराय–देहरी लाइन के लिए निर्मित टावरों की आपूर्ति के लिए एक अनुबन्ध फर्म "एफ" को उसको दिए गये (दिसम्बर 1969) टावरों के निर्माण के लिए एक अन्य अनुबन्ध का क्षेत्र बढ़ाकर टावरों की मात्रा का उल्लेख किए बिना (मांग निर्धारित नहीं की गई), दिया गया (सितम्बर 1972)। मई 1978 तक फर्म ने बितानों (एक्सटैन्सन्स) तथा उपसाधनों सहित 565 मीटरी टन निर्मित टावरों की आपूर्ति की जिनमें से केवल 435 मीटरी टन लाइन को पूर्ण रूप से खड़ा करने में प्रयोग किये गये। शेष 130 मीटरी टन निर्मित टावरों तथा बितानों (मूल्य : 4.94 लाख रुपये) में से 82 मीटरी टन (मूल्य: 3.11 लाख रुपये) जून 1979 से जून 1980 के दौरान 220 के वी सिंगिल सर्किट मुगल सराय–आजमगढ़ लाइन के एक हिस्से के निर्माण में प्रयोग किए गये थे और 48 मीटरी टन (मूल्य: 1.83 लाख रुपये) खण्ड में बिना प्रयोग के पड़े हुए थे (मई 1981)।

(ग) ई टी डी सी ने केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत व्यवस्थित 220 के वी सिंगिल सर्किट ऋषिकेष-मोदीपुरम् (मेरठ) और ऋषिकेष–उत्तरकाशी लाइनों के टावरों के लिए विश्व निविदा आमंत्रित किए (फरवरी 1972)। 1570 रुपय की एक्स फैक्टरी परिवर्तनशील निम्नतम दर (जस्ता, इस्पात तथा कीलों की लागत सहित) फर्म "एफ" द्वारा इस शर्त के साथ दी गई थी (अगस्त 1972) कि इस्पात, आर्डर के दिनांक से 6 माह के अन्दर केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित (मई 1972) आयात सहायता के अन्तर्गत, उपलब्ध होगा।

यद्यपि फर्म "एफ" का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार द्वारा इस्पात की आपूर्ति की शर्त के साथ था, फिर भी फर्म को, 5 प्रतिशत की सीमा के अन्दर मूल्य परिवर्तनशीलता की शर्त के साथ, 4600 मीटरी टन टावर 1570 रुपये प्रति मीटरी टन की दर से आपूर्ति करने के लिये एक आर्डर दिया गया (दिसम्बर 1972)। आपूर्तियां मार्च 1974 तक पूरी करनी थीं (अंतिम रूप से मार्च 1978 तक बढ़ी)। सम्परीक्षा में परख जांच ने उक्त कार्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य प्रकट किए (मार्च 1979) :

(i) 132 के वी लाइन टावरों की आपूर्ति के लिए एक अन्य निविदा पूछतांछ के मामले में ई टी डी सी ने बताया था (अक्टूबर 1971) कि परिषद् को फर्म की टावर डिजाइन का बड़ा कटु अनुभव रहा, इसकी कार्यशाला में कुप्रबन्ध के कारण एक अन्य अनुबन्ध (220 के वी छिब्रो–रुड़की, मुरादनगर–शामली और मुगलसराय–डेहरी लाइनों के लिए) के अन्तर्गत 1969 मीटरी टन टावरों की आपूर्तियों में बहुत ही अधिक विलम्ब हुआ और वास्तव में,एक समय परिषद् इसको दिये गय सभी निर्माण कार्य वापिस लेने के लिये नोटिस देने के लिय गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही थी।

(ii) फर्म द्वारा उद्धृत निर्माण क्षमता (10,000 मीटरी टन टावर प्रति वर्ष) का सत्यापन आर्डर देने के पूर्व नहीं किया गया। अगस्त 1976 में मुख्य अभियन्ता (पारेषण डिजाइन) ने यह अवलोकित किया कि फर्म की निर्माण क्षमता केवल लगभग 350 से 400 मीटरी टन प्रति माह की थी।

(iii) ऋषिकेश–मोदीपुरम् (मेरठ) लाइन के "ए" प्रकार के टावर के आदिरूप (प्रोटो-टाइप) का टाइप टैस्ट फर्म नवम्बर 1973 में प्रबन्ध कर सकी। इस लाइन के "बी" और "सी" प्रकार के टावरों के आदिरूपों और ऋषिकेश-उत्तरकाशी लाइनों के "ए", "बी" और "सी" प्रकार के टावरों के आदिरूपों का परीक्षण मार्च 1974 तथा मार्च 1977 के बीच किया गया। इन टावरों में से किसी का विध्वंस परीक्षण नहीं किया गया।

(iv) फर्म ने 104 मीटरी टन टावरों की फरवरी से जुलाई 1974 तक और 2,814 मीटरी टन की अगस्त 1974 और मार्च 1978 के बीच आपूर्ति की। शेष 1,682 मीटरी टन टावरों की आपूर्ति करने में यह असफल रही, यद्यपि परिषद् द्वारा इसको विद्युत कटौती से छूट दी गई थी (मई 1973) जो कि अन्यथा उस पर लागू होती और उसको उसकी कार्यशाला को विद्युत की निरन्तर आपूर्ति दी गई।

(v) अनुबन्ध के अन्तर्गत फर्म से टावरों की अनुरूप हिस्सों में आपूर्ति करने की अपेक्षा की गई थी। किन्तु पूर्ण टावरों के लिये सभी अनुरूप हिस्से फर्म द्वारा आपूर्ति नहीं किये गये। फर्म "एफ" द्वारा आपूर्ति किए गए कुल 2,918 मीटरी टनों में से उपयोग न किये गये टावर हिस्सों का स्टाक 972 मीटरी टन (मूल्य: लगभग 40 लाख रुपये) आंका गया (अगस्त 1979)।

(vi) टावरों की आपूर्ति करने में फर्म की असफलता के कारण, परिषद् को ऋषिकेश-मोदीपुरम् (मेरठ) लाइन के लिये 1,305 मीटरी टन टावरों का फर्म "ए" से 3,936.20 रुपये प्रति मीटरी टन की दर से और ऋषिकेश–उत्तरकाशी लाइन के लिये 1,285 मीटरी टन टावरों का फर्म "बी" से 4,600 रुपये प्रति मीटरी टन दर से प्रबन्ध करना पड़ा जिससे 59.65 लाख रुपये (लगभग) का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(vii) सुपुर्दगी अवधि में मार्च 1978 तक की वृद्धि की स्वीकृति से फर्म को 7.29 लाख रुपये के दण्ड की बचत हुई।

(घ) लगभग 700 किलोमीटर लम्बी 220 के वी सिंगिल सर्किट पारेषण लाइनों के लिए टावरों की डिजाइन, निर्माण, जस्तीकरण/रंगाई और आपूर्ति के लिए प्राप्त (दिसम्बर 1973) 7 निविदाओं में से, 2 निम्नतम् निविदादाताओं के परिगणित मूल्य निम्नलिखित थे :

विवरण	फर्म "एफ"	फर्म "ई"
	(लाख रुपयों में)	
पूर्णरूप से जस्तीकृत टावर	381.77	379.60
पूर्णरूप से रंगे हुए टावर	309.80	311.80
आंशिक जस्तीकृत (40 प्रतिशत) और रंगे हुए (60 प्रतिशत) टावर	338.33	338.92

यद्यपि फर्म "एफ" ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत परिषद् द्वारा इसको दिए गये अनुबन्ध के अन्तर्गत 220 के वी लाइनों के लिये टावरों की आपूर्ति करना ठीक तभी (फरवरी 1974) शुरू किया था, सी एस पी सी न फर्म को 40 प्रतिशत जस्तीकृत और 60 प्रतिशत रंगे हुए हिस्सों

वाले टावरों की आपूर्ति के लिये उसके द्वारा दी गई निम्नलिखित न्यूनतम दृढ़ दरों पर काम देने का निर्णय लिया (मई 1974) :

टावरों की श्रेणी	दर प्रति मीटरी टन (रुपयों में)
जस्तीकृत (सामान्य)	768.30 (जस्ते की लागत को अलग करके)
जस्तीकृत (विशिष्ट)	968.30 (जस्ते की लागत को अलग करके)
रंगे हुए	880.00 (लाल लैड पेन्ट की लागत सम्मिलित करके)

220 के वी सिंगिल सर्किट की 6 लाइनों (635 किलोमीटर) के लिए 7,460 मीटरी टन टावरों की आपूर्ति के लिये फर्म को 63.72 लाख रुपये की लागत पर एक आर्डर दिया गया (मई 1974)।

यह निर्णय लिया गया यद्यपि ई टी डी सी ने निविदा संस्तुति में निम्नलिखित तथ्यों को स्पष्ट रूप से वर्णित कर दिया था :

——यह कि पिछले अनुबन्धों के अन्तर्गत फर्म का निष्पादन संतोषजनक नहीं था और इसके जस्तीकरण कुण्ड ने अच्छी तरह काम नहीं किया;

——पिछले अनुबन्धों के अन्तर्गत इसे दिए गए अतिरिक्त इस्पात का हिसाब फर्म ने नहीं दिया;

——फर्म की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी।

परख सम्परीक्षा में निम्नलिखित तथ्य देखे गये :

(i) मार्च 1980 तक फर्म ने 4,000 मीटरी टन निर्मित टावर आपूर्त किए तथा उसको इनका भुगतान किया गया जबकि अनुबन्धित समाप्ति की अवधि जून 1977 में थी। आपूर्त किये गये टावरों में उनको तोड़ में अनुबन्ध में उल्लेख की गई मात्रा से अधिक मात्रा में कंक्रीट की आवश्यकता पड़ी। इस कारण 4.97 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय निकला।

(ii) फर्म को जस्ते की कीमत (15 लाख रुपये), बिना पर्याप्त सत्यापन के क्षतिपूरक बंधों के आधार पर और इस बात की सूचना फर्म से मिलने पर कि इसकी निर्माणशाला पर या तो जस्ता प्राप्त हो गया था या इसको कार्य के लिये अलग से रख लिया गया था, भुगतान कर दी गई।

(iii) क्षेत्र अधिकारियों ने सूचित किया (अक्टूबर 1975 से जून 1978 तक) कि फर्म ने खराब किस्म का रंग प्रयोग किया था जिसके कारण रंगे हुए टावरों में जंग लग गई। इसके अतिरिक्त, सूराखों का ठीक तरह बेधन नहीं किया गया था और बहुत से निर्मित भाग संशोधन की सीमा के बाहर झुके हुए थे। लेकिन इस प्रकार प्राप्त जंग लगे हुए और / या दोषपूर्ण टावरों की वास्तविक प्रमात्रा के लिये परिषद् द्वारा फर्म के विरुद्ध अभी तक (फरवरी 1981) न तो कोई क्षतिपूर्ति दावा आंका गया और न ही किया गया।

(iv) फर्म "एफ" को दिए गये विभिन्न अनुबन्धों के सम्बन्ध में परिषद् के अध्यक्ष ने मत प्रकट किया (जुलाई 1977) कि:

(i) परिषद् ने फर्म को टावरों की आपूर्ति के लिये फर्म की सीमित निर्माण क्षमता तथा वित्तीय साधनों को ध्यान में रक्खे बिना बहुत से आर्डर दिए;

(ii) फर्म ने मुश्किल से 350 मीटरी टन टावरों का प्रति मास निर्माण किया जिसके परिणामस्वरूप परिषद् के पारेषण प्रोग्राम के निष्पादन में गम्भीर रूप से विलम्ब हुआ;

(iii) फर्म द्वारा पूरे टावरों के लिए सभी अनुरूप भागों के साथ टावर के हिस्से नहीं बनाये गये और न ही आपूर्त किए गये; और

(iv) परिषद् को फर्म के उच्च मूल्यों तथा अन्य रियायतों को देने के अनुरोधों (सितम्बर 1975) को एक-एक करके बाध्य होकर मानना पड़ा जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अतिरिक्त इस्पात की आपूर्ति और ब्याज-मुक्त वित्तीय सहायता देकर इसके निर्माण कार्य को वित्त-पोषित करना और विभागीय स्टाक से सामानों की आपूर्ति करना शामिल थे।

(च) विभिन्न अनुबन्धों के अन्तर्गत फर्म का खराब निष्पादन देखने के बाद ई टी डी सी ने भी सदस्य (पारेषण) को सूचित किया (जुलाई 1978) कि फर्म परिषद् से इस्पात और जस्ता टावरों की आपूर्ति के कार्य के लिये अनुबन्धित मात्राओं से अधिक मांगती रही थी। इसके पहले ई टी डी सी ने उल्लेख किया था (दिसम्बर 1974) कि फर्म ने परिषद् से विभिन्न अनुबन्धों के अन्तर्गत इसको सौंपे गये टावर आपूर्ति कार्यों के लिये 766 मीटरी टन इस्पात (मूल्य: 8.45 लाख रुपये) और 62 मीटरी टन जस्ता (मूल्य: 3.10 लाख रुपये) आवश्यकता से अधिक ले लिया था जिसके लिए निर्मित्त टावरों का 200 रुपये प्रति मीटरी टन की दर से वसूली फर्म के टावर आपूर्त बिलों, जो कि 28 दिसम्बर 1974 और उसके बाद प्रस्तुत किये गये थे, से करनी थी।

(छ) ई टी डी सी द्वारा किये गये अंतिम अनुमान (अगस्त 1980) के अनुसार फर्म से 87.19 लाख रुपये की धनराशि, इस्पात और जस्ते की अधिक आपूर्ति फर्म द्वारा वापस न करने (18.56 लाख रुपये), निर्णीत हर्जाना (22.65 लाख रुपये), गारण्टीशुदा टावर भार तथा नीव प्रमात्रा से आधिक्य (13.61 लाख रुपये), परिषद् द्वारा फर्म की ओर से दी गई इस्पात कीलकों की लागत (9.36 लाख रुपये), टावर हिस्सों की कमियों तथा क्षतियों (9.37 लाख रुपये), और ब्याज एवं अन्य देयों (13.64 लाख रुपये) के कारण प्राप्त करनी थी। इनमें से, जैसा कि ई टी डी सी द्वारा हिसाब लगाया गया (अगस्त 1980), 10.89 लाख रुपये की वसूलियां फर्म के बिलों से कर ली गई थीं और 6.95 लाख रुपये के बिल भुगतान के लिए पड़े थे। शेष 69.25 लाख रुपये फर्म के विरुद्ध बकाया पड़ा था। ई टी डी सी के पास नवीनतम स्थिति उपलब्ध नहीं थी (मई 1981)।

8.04.02. कार्यों के निष्पादन में बिलम्ब

तकनीकी रूप से स्वीकार्य निम्नतम निविदा के आधार पर, परिषद् ने फर्म 'सी' को पूरे टावरों की आपूर्ति और डिजाइन करने (1,676 मीटरी टन) तथा सुल्तानपुर से गोरखपुर तक (145 किलोमीटर) 220 के वी सिंगिल सर्किट लाइन को खड़ा करने का काम दिया (जून 1969)। अगस्त 1971 में औपचारिकरूप से निष्पादित अनुबन्ध के अन्तर्गत (मूल्य: 20.87 लाख रुपये) टावरों के आदिरूपों का परीक्षण अप्रैल 1971 में और लाइन का खड़ा किया जाना दिसम्बर 1972 तक पूरा करना था।

फर्म की तरफ से चूक होने के कारण परिषद् को जनवरी 1977 तक समय वृद्धि स्वीकार करनी पड़ी (फरवरी 1976)। फर्म को परिषद् द्वारा जून 1973 तक की गई 1,533 मीटरी टन इस्पात की आपूर्तियों के विरुद्ध इसन दिसम्बर 1973 तक 714 मीटरी टन टावरों की आपूर्ति की। फर्म ने 1,724 मीटरी टन निर्मित टावरों की आपूर्ति फरवरी 1977 तक की और लाइन को पूर्णरूप से जून 1977 में खड़ा किया (लाइन निर्धारित बोल्टता पर अक्तूबर 1977 में ऊर्जित की गई)।

अनुबन्ध के अन्तर्गत फर्म "सी" निचले क्षेत्रों में, नदी के किनारों, आदि पर टावर स्थलों को 70 रुपये प्रति घन मीटर की दर से रिवट करने के लिए उत्तरदायी थी। फरवरी 1976 में इस मद की दर 140 रुपये प्रतिघन मीटर तक बढ़ा दी गई, लेकिन फर्म ने कार्य करने से मना कर दिया (जुलाई 1976)। फलत: 8 टावर स्थलों का कार्य सुल्तानपुर की फर्म को उसकी 1.37 लाख रुपये की न्यूनतम निविदा लागत पर दिया गया (फरवरी 1978) किन्तु कार्य 3 भिन्न टावर स्थलों (8,13 और 14) पर 1.08 लाख रुपये की लागत पर करवाया गया जिसके लिए फर्म "सी" को 140 रुपये प्रतिघन मीटर की बढ़ी हुई अनुबन्धित दर पर केवल 0.58 लाख रुपये ही भुगतान करने पड़ते। फर्म "सी" से 0.50 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय वसूल करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि कार्य की व्यवस्था, फर्म को इस बात की आवश्यक सूचना दिए बिना कि यह इसकी जोखिम तथा लागत पर करवाया जा रहा है, की गई थी। अन्य टावरों के स्थलों पर रिवट करने के कार्य की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

8.04.03. **एक नई फर्म की असफलताएं**

(i) नवम्बर 1973 की एक निविदा पूंछ तांछ के विरुद्ध फर्म "आई" ने 132 के वी भोवाली-अलमोड़ा सिंगिल सर्किट लाइन के लिये 322 मीटरी टन टावरों (जस्तीकृत कीलकों सहित) की डिजाइन, निर्माण, जस्तीकरण आपूर्ति के लिए जस्ता (9,630 रुपये प्रति मीटरी टन), कीलकों तथा इस्पात (परिषद् द्वारा चालू नियंत्रित लागत पर आपूर्ति किया जाना) की लागत को सम्मिलित करते हुए 3,410 प्रति मीटरी टन के हिसाब से प्रथम बार दर दी (फरवरी 1974)। तकनीकीरूप से निम्नतम स्वीकार्य दर, फर्म "के" द्वारा दी गई थी। किन्तु कार्य फर्म "आई" को उसके निविदा की न्यूनतम परिगणित लागत (14.45 लाख रुपये) के आधार पर दिया गया (मई 1974)। फर्म "के" द्वारा दी गई दर के सम्बन्ध में परिगणित लागत (14.52 लाख रुपये) जस्ते की लेप के लिये गारण्टीसुदा टावर भार का 2 $\frac{1}{2}$ प्रतिशत (0.13 लाख रुपये) से और कीलकों की अधिप्राप्ति में विभागीय सहायता पर होने वाले व्ययों (0.07 लाख रुपये) से अनावश्यक रूप से भारित करके फर्म "आई" की लागत (14.45 लाख रुपये) से अधिक निकाली गई थी। दूसरी तरफ फर्म "आई" की परिगणित लागत अधिक नींव आयतन की लागत के कारण 0.51 लाख रुपये से भारित नहीं की गई जिसकी आवश्यकता इसके द्वारा दी गई टावर डिजाइन के कारण हुई।

निर्माण में छीजन के लिये फर्म द्वारा प्रारम्भ में मांगी गई 5 प्रतिशत इस्पात की मात्रा अक्टूबर 1975 में विस्तृत आर्डर देने के पहले 10 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई।

आर्डर की शर्तों के अनुसार, फर्म द्वारा टावरों की आपूर्ति फरवरी 1976 तक पूर्ण करनी थी। इसने आपूर्तियां दिसम्बर 1976 और अगस्त 1979 के बीच कीं। फर्म पर कोई भी दण्ड इस आधार पर नहीं लगाया गया कि परिषद् फर्म को इस्पात समय से न दे सकी लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रक्खा गया कि अपनी कार्यशाला की स्थापना करने तथा टावर डिजाइन को अंतिमरूप देने में विलम्ब के कारण फर्म टावरों का निर्माण शुरू न कर सकी।

132 के वी सिंगिल सर्किट लखनऊ-संडीला लाइन के लिये 1,500 मीटरी टन जस्तीकृत टावरों के निर्माण तथा आपूर्ति के लिये इसी फर्म को एक अन्य आर्डर 730 रुपये प्रति मीटरी टन की दर पर इस तथ्य के बावजूद भी दिया गया (दिसम्बर 1974) कि फर्म ने मई 1974 के आर्डर के विरुद्ध टावरों का निर्माण प्रारम्भ करने के लिये अपनी टावर डिजाइन विकसित नहीं की थी। इसलिए इससे फर्म "बी" की डिजाइन के टावरों के निर्माण के लिए कहा गया।

फर्म "आई" को इसके द्वारा अपनी कार्यशाला स्थापित करने के पहले दो आर्डर देने के परिणामस्वरूप टावरों की आपूर्ति में विलम्ब हुआ। दिसम्बर 1974 के आडर के अन्तर्गत 1,500 मीटरी टन की अनुबन्धित मात्रा के विरुद्ध इसने मार्च 1978 तक 424 मीटरी टन टावरों की आपूर्ति की।

(ii) परिषद् के एक अधिकारी द्वारा फर्म की कार्यशाला का निरीक्षण करने पर (अप्रैल 1976) यह पाया गया कि टावरों के जस्तीकरण करने की कोई व्यवस्था किए बिना फर्म ने केवल एक छोटी ड्रिलिंग मशीन तथा गैस वैल्डिंग सैट का प्रबन्ध किया था और इसकी कार्यशाला की इमारत उस समय तक निर्माणाधीन थी। परिषद् के अधिकारी ने पुनः सूचित किया (जनवरी 1977) कि फर्म का जस्तीकरण कुण्ड बन्द पड़ा था क्योंकि इसमें दो बार छेद हो चुका था और इसके बदलने की आवश्यकता थी। फर्म का इन दो अनुबन्धों के अन्तर्गत दोषी होने के बावजूद भी, ई टी डी सी ने इस फर्म को 132 के वी सिंगिल सर्किट लाइन के 2,500 मीटरी टन टावरों की कलकत्ता की फर्म "एच" की टावर डिजाइन के अनुसार 4,753 रुपये प्रति मीटरी टन की दर पर आपूर्ति करने के लिये एक अन्य आर्डर और दिया (नवम्बर 1977)। इस आर्डर के विरुद्ध यह कोई भी आपूर्ति करने में असफल रही (फरवरी 1981) यद्यपि आपूर्तियां जनवरी 1980 तक पूरी की जानी थीं। इसके बजाय इसने 38.42 लाख रुपये की मूल्य वृद्धि (इस्पात: 20.82 लाख रुपये, जस्ता: 3.54 लाख रुपये, उत्पाद शुल्क: 8.88 लाख रुपये और फर्म "एच" द्वारा अभिकल्पित उच्चतम सीमा से टावरों का अधिक भार: 5.18 लाख रुपये) का दावा इस आधार पर किया कि फर्म "एच" के परिरूप (डिजाइन) और रेखाचित्र (ड्राइंग) इसको अक्टूबर 1978 तथा इसके बाद से दिये गये थे। फर्म की मांग पर लिया गया निर्णय अभिलेखों पर नहीं था (फरवरी 1981)। इसी बीच परिषद् के कोटा से 691 मीटरी टन इस्पात (मूल्य: 20 लाख रुपये) फर्म को सितम्बर 1979 तक आवंटित कर दिया गया।

(iii) जबकि इन 3 आर्डरों के अन्तर्गत आपूर्तियां प्रतीक्षित थीं, 3,000 मीटरी टन 132 के वी लाइन के टावरों (अनुबन्धित मूल्य: 137.20 लाख रुपये) की आपूर्ति के लिये एक अन्य आर्डर दे दिया गया (नवम्बर 1979) जिसकी डिजाइन फर्म द्वारा अभी तक नहीं दी गई थी (फरवरी 1981)।

8.04.04. परिवर्ती दरों पर लाइन खड़ा किए जाने का कार्य

फर्म "एच" द्वारा दी गई डिजाइन के टावरों पर 910 किलोमीटर लम्बी 132 के वी सिंगिल सर्किट पारेषण लाइनों को खड़ा करने के लिये मई 1978 में 4 वर्गों (अ, ब, स, द) में निविदाएं खोली गईं। अ, ब, स और द वर्गों का काम क्रमशः लखनऊ की फर्म "एल", इलाहाबाद की फर्म "जे" (दोनों को उनकी न्यूनतम उद्धृत दरों पर), फर्म "ए" और "बी" (दोनों को उनकी तृतीय न्यूनतम उद्धृत दरों पर) को देने का निर्णय लिया गया (सितम्बर 1978)। तदनुसार, निम्न प्रकार से आर्डर दिये गये (अक्टूबर 1978):

	कार्य के वर्ग			
	अ	ब	स	द
	फैजाबाद और वाराणसी	कानपुर और झांसी	बरेली और मुरादाबाद	आगरा और मेरठ
फर्म का नाम	एल	जे	ए	बी
लाइनों की लम्बाई (किलोमीटरों में)	200	260	200	250
स्वीकृत की गई परिगणित लागत (लाख रुपयों में)	41.94	80.18	73.96	90.19
प्रति किलोमीटर औसत परिगणित लागत (लाख रुपयों में)	0.21	0.31	0.37	0.36

बम्बई की एक अन्य फर्म के वर्ग स (71.29 लाख रुपये) और वर्ग द (83.02 लाख रुपये) के कार्यों के लिये न्यूनतम प्रस्ताव इस आधार पर छोड़ दिए गये कि "फर्म ने कुछ उत्थापन (इरेक्शन) कार्य भूतकाल में किया था लेकिन पारेषण लाइनों के खड़ा करने का कोई काम बहुत वर्षों तक नहीं किया था"।

इन अनुबन्धों में कार्य की एक ही प्रकार की मदों के लिये एक ही प्रकार की डिजाइन के टावरों पर लाइनों के खड़ा करने के लिये और एक ही प्रकार की स्थलाकृतिक दशाओं में विस्तृत रूप से परिवर्ती दरें दी गईं।

एक ही प्रकार की डिजाइन के टावरों पर अन्य 3 वर्गों की लाइनों के लिये अ वर्ग के कार्यों की न्यूनतम तकनीकीरूप से स्वीकार्य दरों को प्राप्त करने की सम्भावना पर परिषद् द्वारा विचार नहीं किया गया। इसके बजाये ब, स, द वर्गों के कार्यों के लिये ऊंची दरें दी गईं। वर्ग अ के कार्यों की विभिन्न मदों के लिये समवर्ती दरों की तुलना में, ब, स और द वर्गों के कार्यों को उच्च दरों पर दिय जाने के परिणामस्वरूप 95.44 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा।

8.05. अनुचित तथा अतिरिक्त लाभों का दिया जाना

8.05.01. ओबरा–सुल्तानपुर 400 के वी लाइन

फर्म "बी" ने ओबरा-सुल्तानपुर लाइन के आर्डर को स्वीकार कर लिया था (मई 1971) लेकिन अनुबन्ध की बहुत सी शर्तें निपटारे के अधीन होने के कारण औपचारिक अनुबन्ध प्रलेखों का निष्पादन करने से मना कर दिया (मई 1972) और सितम्बर 1977 में जब इसने अनुबन्ध प्रलेखों का निष्पादन किया उसके पहले परिषद् द्वारा इसको निम्नलिखित आर्थिक लाभ दिए गये:

(i) फर्म की निविदा में दी गई उत्थापन (इरैक्शन) व्ययों में 13 प्रतिशत की तथा टावर निर्माण व्ययों में 39 रुपये प्रति मीटरी टन की छूट की वापसी द्वारा मार्च 1970 से नवम्बर 1972 के दौरान मूल्यों में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिये फर्म को मूल्य वृद्धि स्वीकार की गई (दिसम्बर 1974)। इससे 5.27 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(ii) यद्यपि निविदा दरें स्थिर थीं फिर भी फर्म ने दरों में वृद्धि का दावा इस आधार पर किया (अगस्त 1975) कि 1973 में 25 प्रतिशत की तथा 1974 में 35 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि हुई। सी एस पी सी के अनुमोदन से फर्म को सामान्य और विशेष टावरों के लिये क्रमश: 355 रुपये से 600 रुपये तथा 552 रुपये से 797 रुपये प्रति मीटरी टन तक की वृद्धि टावर निर्माण व्ययों की दरों में स्वीकार की गई। साथ ही साथ लाइन खड़ा करने की दरें भी 1975 (अप्रैल से), 1976, 1977 और 1978 में किए गए कार्यों के लिये क्रमश: 25 प्रतिशत, 35 प्रतिशत, 45 प्रतिशत और 60 प्रतिशत से बढ़ा दी गईं। निर्माण (2,021 मीटरी टन: 4.95 लाख रुपये) और लाइन खड़ा करने (9.70 लाख रुपये) की दरों में वृद्धि के कारण 14.65 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। ये वृद्धियां इस शर्त पर स्वीकृत की गईं कि निर्माण कार्य मार्च 1976 तक पूरा कर दिया जायेगा और लाइन खड़ा किया जाने का कार्य भी शीघ्रता पूर्वक निष्पादित कर दिया जायेगा। किन्तु फर्म "बी" ने टावर आपूर्ति का कार्य नवम्बर 1977 में पूरा किया।

(iii) फर्म ने न्यून भागों (लोअर सेक्शन) के 409 मीटरी टन उच्च तनाव वाले इस्पात के स्थान पर नरम इस्पात के 650 मीटरी टन उच्च भागों (हायर सैक्शन) का प्रयोग किया। इसके परिणामस्वरूप 253 मीटरी टन अतिरिक्त इस्पात के कारण 6.50 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत पड़ी (निर्माण में 5 प्रतिशत छीजन को सम्मिलित करके)।

(iv) टाबरों का जस्तीकरण करने के लिये फर्म को दिये गये 389 मीटरी टन जस्ते में फर्म द्वारा स्वयं दिया गया 40 मीटरी टन जस्ता सम्मिलित था जिसके लिये इसको परिषद् द्वारा दिसम्बर 1974 में 7.57 लाख रुपये का भुगतान इस तथ्य की जानकारी होते हुए भी किया गया कि फर्म द्वारा लगाया गया मूल्य (16,660 रुपये प्रति मीटरी टन, करों, भाड़ा, इत्यादि को सम्मिलित न करते हुए) अक्टूबर-दिसम्बर 1974 तिमाही में प्रभावी मूल्य (15,475 रुपये प्रति मीटरी टन, करों, भाड़ा, इत्यादि को सम्मिलित न करते हुए) की तुलना में अधिक था और इस जस्ते की उस समय लाइन के टावरों के लिये आवश्यकता नहीं थी। इस कारण फर्म को 0.54 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

फर्म 135 मीटरी टन इस्पात (मूल्य: लगभग 3.37 लाख रुपये) और 9 किलोमीटर "मूसे" कन्डक्टर (मूल्य: 2.35 लाख रुपये) वापिस करने के लिये उत्तरदायी थी। अभी तक कोई भी वसूली नहीं की गई थी (मई 1981)। फर्म से कन्डक्टर रिवाइण्डिंग व्ययों (0.47 लाख रुपये) को सम्मिलित करते हुए विभिन्न कारणों से 0.67 लाख रुपये की वसूलियां भी करनी थीं।

8.05.02. ओबरा–कानपुर 400 के वी लाइन

(क) टावरों की आपूर्ति के लिए अनुबन्ध

(i) फरवरी 1974 में, ई टी डी सी ने इस अनुबन्ध के अन्तर्गत ओबरा-सुल्तानपुर लाइन के 6 वितानों सहित 688 मीटरी टन 12 डबल सर्किट टावर 1,123 रुपये प्रति मीटरी टन की दर पर निर्माण करने के लिये फर्म के प्रस्ताव को स्वीकार किया था जबकि इसके विरुद्ध उस समय ओबरा-सुल्तानपुर लाइन के पिछले अनुबन्ध में दिए गये विशेष टावरों के लिये बढ़ी हुई दर 797 रुपये प्रति मीटरी टन थी जिनको अनुबन्ध के अन्तर्गत फर्म द्वारा परिषद् की आवश्यकतानुसार बनाना था। इसके परिणामस्वरूप 688 मीटरी टन के निर्माण व्ययों में (2.24 लाख रुपये) और 34.4 मीटरी टन के 5 प्रतिशत के अतिरिक्त छीजन (1.11 लाख रुपये) के रूप में 3.35 लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत हुई।

(ii) फर्म द्वारा दी गई दरें जस्ते की लागत (आधार मूल्य: 5,800 रुपये प्रति मीटरी टन) को सम्मिलित करती थीं। जस्ता के मूल्य में घटबढ़ परिषद् द्वारा फर्म को प्रतिपूर्ति करनी थी। अगस्त 1974 में सी एस पी सी ने जस्ते की कीमत का 100 प्रतिशत, जस्ता आपूर्तिकर्ता के बीजकों के प्रमाण के विरुद्ध या फर्म से इस बात की सूचना मिलने पर कि जस्ता की अधिप्राप्ति अपने स्वयं के साधनों से कर ली गई है तथा अपने स्वयं के बीजकों तथा निदेशकों के क्षतिपूरक बन्ध संलग्न करने पर, भुगतान करने के फर्म के अनुरोध को स्वीकार किया। अक्टूबर 1974 तथा मई 1977 के बीच फर्म के स्वयं के बिलों के आधार पर 559 मीटरी टन जस्ते की कीमत का 100 प्रतिशत के लिये 84.21 लाख रुपये का भुगतान फर्म द्वारा वहन करने योग्य लागत तत्व को घटाये बिना परिषद् द्वारा फर्म को किया गया। यह लागत तत्व बाद में निर्माण व्ययों में समायोजित किया गया। इसके परिणामस्वरूप फर्म ने जस्ता की कीमत के लिये 32.42 लाख रुपये की सीमा तक अग्रिम भुगतान प्राप्त कर लिया।

सम्परीक्षा में यह देखा गया कि जस्ता की अधिप्राप्ति, फर्म द्वारा इसके लिये भुगतान की गई वास्तविक कीमत और लाइन के टावरों के जस्तीकरण में इसका उपयोग परिषद् द्वारा कभी सत्यापित नहीं किया गया।

(iii) फर्म को जोड़ वाले एंगल के टुकड़े प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी। जैसा कि फर्म द्वारा सूचित किया गया (नवम्बर 1979), इसके कारण 7 मीटरी टन इस्पात कीलकों (कीमत: 0.82 लाख रुपये) के अतिरिक्त प्रयोग की आवश्यकता पड़ी जिसके लिये परिषद् द्वारा भुगतान कर दिया गया।

(ख) लाइन उत्थापन का अनुबन्ध

(i) फर्म को दी गयी लाइन उत्थापन की अनुबन्धित अनुसूची के अनुसार, परिषद् द्वारा 4 किस्तों में 6.22 लाख रुपये की बीमा किस्तों के भुगतान के विरुद्ध फर्म ने 27 दिसम्बर 1974 से 26 दिसम्बर 1977 तक की 3 वर्षों की अवधि के लिये लाइन सामान का उत्थापन एवं भण्डारण बीमा का प्रबन्ध किया था। फर्म को 27 दिसम्बर 1977 से 31 जनवरी 1981 की अवधि के लिये बीमा किस्तों का भुगतान किया गया, लाइन खड़ा करने की इस लम्बी अवधि के परिषद् पर 4.78 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत डाली। फर्म के बिल से लाइन सामान की हानियों या क्षतियों के लिये 1.31 लाख रुपये की वसूली प्रतीक्षित थी (मई 1981)।

(ii) दिसम्बर 1979 में, इन्सूलेटर की असफलता के कारण 13 से 15 टावर स्थलों के कन्डक्टर हट गये जिसके कारण टावर नम्बर 14 गिर पड़ा। हानि (लाइन सामान की हानि: 1.56 लाख रुपये को सम्मिलित करते हुए 2.04 लाख रुपये) के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया था (मई 1981)। चूंकि हानि का कारण इन्सूलेटर की असफलता बताया गया था, इसलिए अनुबन्ध की निष्पादन गारण्टी शर्त के अन्तर्गत फर्म "डी" पर कोई दावा नहीं किया गया।

8.05.03. केन्द्रीय प्रायोजित आई डी ए योजना लाइनें

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा इसको आवंटित किए गये 4,540 मीटरी टन आयातित इस्पात की मात्रा में से फर्म "एफ", वित्त साधनों की कमी के कारण अप्रैल 1975 तक केवल 2,733 मीटरी टन इस्पात उठा सका। इसलिए परिषद् को 3,854 मीटरी टन इस्पात (मूल्य: 44.32 लाख रुपये) विभागीय स्टाक से फर्म को देना पड़ा। यह फर्म को 44.32 लाख रुपये की ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता में परिणत हुआ।

(ii) कच्चे माल पर 4 लाख रुपये की चुंगी तथा बिक्री-कर की प्रतिपूर्ति के लिये फर्म के अनुरोध (मई 1975 तथा मई 1976) परिषद् द्वारा स्वीकार कर लिये गये, यद्यपि ऐसी क्षति-पूर्ति अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत नहीं थी। फर्म को धनराशि का भुगतान इस बात का प्रमाण प्राप्त किये बिना ही कर दिया गया कि वास्तव में इसने इसका भुगतान किया था (अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार तैयार माल पर बिक्री कर का अतिरिक्त भुगतान किया गया)।

(iii) फर्म को दिए गये आर्डर में इसके द्वारा अनुबन्ध लागत की 10 प्रतिशत की बैंक गारण्टी दिये जाने पर 90 प्रतिशत भुगतान प्रेषण प्रलेखों के प्रस्तुत करने पर और 10 प्रतिशत भुगतान कार्यस्थल पर माल की प्राप्ति और परीक्षण होने के बाद करने का प्राविधान था। किन्तु अनुबन्ध की लागत की 5 प्रतिशत की निष्पादन गारण्टी के विरुद्ध फर्म को 100 प्रतिशत भुगतान स्वीकृत किये गये जैसा कि सी एस पी सी द्वारा निर्णय लिया गया था (मार्च 1976)।

(iv) टावरों के गन्तव्य रेलवे स्टेशन तक निष्प्रभार मूल्य की 25 प्रतिशत की भारत सरकार द्वारा देय नकद सहायता फर्म के लिये 31 मार्च 1973 तक स्वीकार्य थी। 1973–74 के लिए सहायता की दर भारत सरकार द्वारा स्लाइडिंग स्केल पर घटा दी गई (जून 1973) और अप्रैल 1974 से सितम्बर 1975 तक यह पूर्णरूप से वापस ले ली गई। इसके बाद 10 प्रतिशत की सहायता सितम्बर 1977 तक फिर से स्वीकार्य हुई। फर्म के अनुरोध पर सी एस पी सी ने 25 प्रतिशत नकद सहायता प्रतिपूर्ति करने का निर्णय इस शर्त पर लिया (सितम्बर 1975) कि यदि फर्म भारत सरकार से पूर्ण या आंशिक रूप से सहायता प्राप्त करती है तो यह परिषद् को धनराशि वापस कर देगी। विभिन्न खण्डों द्वारा की गई प्रतिपूर्तियों के विवरण उपलब्ध नहीं थे, किन्तु जुलाई 1975 में ई टी डी सी द्वारा किए गए एक अनुमान के अनुसार परिषद् द्वारा लिये गए नकद सहायता दायित्व के भार की कुल धनराशि लगभग 20 लाख रुपये थी। फर्म द्वारा प्रतिपूर्तियों, भारत सरकार से इसके द्वारा प्राप्त, यदि कोई हो, की वापिसी नहीं की गई। चूंकि फर्म ने आपूर्ति के लिये अनुसूचित समय का पालन नहीं किया था इसलिए यह भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत पूरी सहायता के लिये पात्र नहीं होगी।

(v) इस्पात कीलकों पर मूल्य वृद्धि के भुगतान के लिये फर्म के अनुरोध को सी एस पी सी द्वारा इन मदों को अनुबन्ध के क्षेत्र से निकाल कर स्वीकार किया गया (सितम्बर 1976)। इसके परिणामस्वरूप 126 मीटरी टन जस्तीकृत इस्पात कीलकों की विभागीय अधिप्राप्ति में 9.36 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

ई टी डी सी द्वारा सी एस पी सी के अनुमोदन से स्वीकृत की गई पूर्वोक्त रियायतें परिषद् द्वारा इस आधार पर अनुमोदित नहीं की गईं कि यह सम्पूर्ण मामला राज्य सरकार द्वारा सरकार एवं परिषद् के प्रतिनिधियों से गठित एक हाई पावर कमेटी को निर्णय हेतु भेज दिया गया था। अनुबन्ध के अन्तर्गत फर्म के दायित्व के हिसाब को परिषद् द्वारा अभी तक (मई 1981) अन्तिम रूप नहीं दिया गया था।

8.05.04. हल्द्वानी–अल्मोड़ा 132 के वी लाइन

फर्म "आई" को दिये गए अनुबन्ध के अन्तर्गत, फर्म को निम्नलिखित लाभ दिये गये :

(i) विस्तृत आर्डर में प्राविधान की गई फर्म को देय दर (1,292.80 रुपये प्रति मीटरी टन, 175 रुपये प्रति मीटरी टन की छूट के अधीन) फर्म द्वारा दी गई 3,410 रुपये प्रति मीटरी टन (इस्पात, जस्ता तथा कीलकों की कीमत सहित) की दर से निकाली गई थी। यद्यपि परिषद् इस्पात, जस्ता तथा कीलकों को विभागीय रूप से देने के लिये सहमत हो गई थी; तथापि दर से इस्पात की 5 प्रतिशत लेखा देय तथा 5 प्रतिशत अलेखादेय छीजन के मूल्य (97 रुपये प्रति मीटरी टन), जस्ता पर अन्तर्प्रदेशीय बिक्री-कर (64 रुपये प्रति मीटरी टन), कीलकों की लागत (23 रुपये प्रति मीटरी टन) और टावर उत्थापन के दौरान 2.5 प्रतिशत कीलकों की छीजन (9 रुपये प्रति मीटरी टन) के लिये परिणामिक कटौतियां नहीं की गई। इसके परिणाम स्वरूप फर्म को 193 रुपये प्रति मीटरी टन की दर से 1.24 लाख रुपये का अनैच्छिक वित्तीय लाभ हुआ।

(ii) इस्पात (2.51 लाख रुपये), जस्ता तथा कीलकों (0.31 लाख रुपये) के अधिक निर्गमन और गारण्टीशुदा भार एवं आयतन के ऊपर टावर भार व नींव आयतन की अधिकता (0.29 लाख रुपये) के कारण फर्म से प्राप्य 3.11 लाख रुपये की वसूलियां अभी तक नहीं की गई थीं (मई 1981)।

8.05.05. सुल्तानपुर–गोरखपुर 220 के वी लाइन

फर्म "सी" की तरफ से कार्य के निष्पादन में विलम्ब के बावजूद भी परिषद् ने इसको निम्नलिखित आर्थिक लाभ मूल्य वृद्धि को पूरा करने के लिए दिये (फरवरी/अप्रैल 1976) जो कि कार्य देने के बाद हुई :

(i) फर्म द्वारा अप्रैल 1975 तथा उसके बाद निर्मित तथा आपूर्त 484 मीटरी टन सामान्य टावरों के लिए निर्माण व्ययों की दरें 323 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रति मीटरी टन और 67 मीटरी टन विशिष्ट टावरों के लिये 523 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये प्रति मीटरी टन कर दी गईं।

(ii) फर्म द्वारा 1975 (अप्रैल से), 1976, 1977 तथा 1978 में किये गये कार्य के लिये उत्थापन व्यय की दरें भी क्रमशः 25, 35, 45 तथा 60 प्रतिशत से बढ़ा दी गईं।

(iii) फर्म द्वारा प्रस्तावित 0.50 लाख रुपये की समग्र छूट को भी वापस लिये जाने के लिये अनुमति दे दी गई।

फर्म को इस प्रकार दिये गये आर्थिक लाभ 4.02 लाख रुपये के अतिरिक्त भुगतान में परिणत हुये।

8.06. उच्च दर एवं दोषपूर्ण निर्माण के कारण अतिरिक्त व्यय

टावरों की आपूर्ति और 220 के वी ऋषीकेश-रुड़की–मोदीपुरम् (मेरठ) लाइन (152 किलो मीटर) को खड़ा करने के लिये फर्म "ए" को दिये गये अनुबन्ध के सम्बन्ध में शटरिंग सहित 12,045 वर्ग मीटर टावर गड्ढों की टेकबन्दी के लिये 4.82 लाख रुपये का भुगतान 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से किया गया जो कि अनुबन्ध में कार्य की इस मद के लिये प्राविधानित इकाई दर थी, जो अतिरिक्त मद के रूप में माना गया था और यह कार्य के कुल अनुबन्ध मूल्य का भाग नहीं था। इसके विरुद्ध, विद्युत् पारेषण खण्ड, रुड़की ने शटरिंग सहित टेकबन्दी के उसी प्रकार के कार्य की व्यवस्था चिल्ला (ऋषिकेश) से रुड़की तक 132 के वी लाइन के निर्माण के लिय स्थानीय ठेकेदारों को दिये गये

नवम्बर 1977 के एक कार्यादेश तथा अनुबन्ध (फरवरी 1978) के विरुद्ध क्रमश: 4.90 रुपये तथा 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से की।

सम्परीक्षा में परख जांच में यह भी देखा गया कि "अ" प्रकार (तीन) तथा "ब" प्रकार (एक) के सामान्य टावर रुड़की के पास दो नदियों की तली में कूप नीवों, जो नदियों की तली में या उसकी सन्निधि में स्थित टावरों के लिये, ऐसे क्षेत्रों में नदियों के मार्ग परिवर्तन की सम्भावना के कारण होने वाली क्षति को रोकने के लिये आवश्यक हैं, के स्थान पर सामान्य नीवों पर प्रयोग किये गये थे। अगस्त 1977 से सितम्बर 1978 के दौरान इन टावर स्थलों पर 1.50 लाख रुपये (लगभग) की लागत से आपाती अस्थाई सुरक्षा कार्य करने पड़े। एक टावर अगस्त 1978 में गिर गया जिसके कारण लाइन एक माह के ऊपर निष्क्रिय रही। 4 वैकल्पिक टावर स्थलों के लिये कूप नीवों की व्यवस्था करने (मार्च –सितम्बर 1978) और टावरों तथा लाइन के क्षतिगस्त हिस्से को पुन: खड़ा करने की लागत पर व्यय क्रमश: 6.03 लाख रुपये तथा 1.60 लाख रुपये हुआ। फर्म के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिये कोई भी दावा नहीं किया गया क्योंकि टावर स्थल कार्य शुरू होने के पहले अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत् पारेषण मण्डल, रुड़की द्वारा अनुमोदित किये जा चुके थे।

8.07. पांचवीं योजना लाइनों के लिए टावरों का निर्माण

पांचवीं पंच वर्षीय योजना अवधि के दौरान निर्माण की जाने वाली 132 के वी लाइनों के लिये 6,300 मीटरी टन टावरों (बाद में 10,700 मीटरी टन तक बढ़ाये गये) की आपूर्ति के लिये फर्म "बी" को परिषद् द्वारा दिये गये एक अनुबन्ध के अन्तर्गत परिषद् ने फर्म को अगस्त 1976 और नवम्बर 1978 के बीच 12,840 मीटरी टन इस्पात (मूल्य : 2.85 करोड़ रुपये) दिया जिसमें मई/अगस्त 1977 में परिषद् द्वारा किये गये 16.58 लाख रुपये के भुगतानों के विरुद्ध फर्म द्वारा व्यवस्थित 874 मीटरी टन इस्पात सम्मिलित था। किन्तु फर्म ने कमियों तथा क्षतियों (58 मीटरी टन) के मुफ्त प्रतिस्थापन को सम्मिलित करते हुए दिसम्बर 1979 तक 11,221 मीटरी टन टावर हिस्सों की आपूर्ति की। निर्माण में छीजन के लिये 10 प्रतिशत की मात्रा को सम्मिलित करते हुए इस कार्य के लिये 12,280 मीटरी टन इस्पात की आवश्यकता थी। न तो शेष 560 मीटरी टन इस्पात (मूल्य : 14 लाख रुपये) का हिसाब बेबाक किया गया था और न ही फर्म ने परिषद् को 558 मीटरी टन इस्पात की 5 प्रतिशत लेखादेय छीजन के लिये 600 रुपये प्रति मीटरी टन की दर से (3.35 लाख रुपये) अभी तक (मई 1981) क्रेडिट दी।

निविदा विशिष्टियों की शर्तों के अनुसार जस्ता की कीमत फर्म को परिषद् द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी थी। किन्तु परिषद् द्वारा फर्म को अगस्त 1976 से जुलाई 1978 तक 720 मीटरी टन जस्ता के लिये इसकी अधिप्राप्ति का प्रमाण प्राप्त किये बिना 95.29 लाख रुपये के भुगतान किये गये। फर्म ने जस्ते की अधिप्राप्ति कर ली है इसके समर्थन में जस्ता आपूर्तिकर्ता के बीजकों की प्रतियां प्रस्तुत करने से इस आधार पर मना कर दिया कि अनुबंध प्रलेखों में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। इस अवधि के दौरान जिसमें फर्म द्वारा टावर निर्मित तथा जस्तीकृत किये गये, फर्म द्वारा रखे गये जस्ता स्टाक के सत्यापन की व्यवस्था भी परिषद् द्वारा नहीं की गई थी।

8.08. दोषपूर्ण जालीदार खम्भों का निर्माण

पहड़ी जिलों में 11 के वी लाइनों के लिए उपयुक्त 4,400 मीटरी टन जालीदार खम्भों (अ प्रकार के : 4,250, ब प्रकार के : 4750 और स प्रकार के: 5,600) के डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति के लिये मार्च 1972 के एक आर्डर के विरुद्ध, फर्म "एफ" ने पूरे खम्भों के लिये अनुरूप हिस्सों के निर्माण को सुनिश्चित किये बिना हिस्सों का व्यापक निर्माण प्रारम्भ कर दिया।

फर्म द्वारा आपूर्त हिस्से केवल 1,563 जालीदार खम्भों (अ प्रकार के : 500, ब प्रकार के : 251 और स प्रकार के: 812) के लिए ही पूरे पड़ते थे और आपूर्त शेष हिस्से विभिन्न आकार के 204 मीटरी टन वजन के अनुरूप हिस्सों के अभाव के कारण प्रयोग न किये जा सके। फर्म द्वारा आपूर्त ब तथा स प्रकार के जालीदार खम्भे प्रयोग के लिये अनुपयुक्त थे क्योंकि उनके पैतानों के लिये बहुत अधिक धरातल क्षेत्र की आवश्यकता थी जिसका मिलना पहाड़ी क्षेत्रों में मुश्किल था। इसके अतिरिक्त,

खम्भों के लिये आवश्यक पुस्ता दीवार की लागत अधिक थी क्योंकि खम्भों की दो टांगें समतल जमीन पर नहीं पड़ती थीं और खम्भों को खड़ा करने के लिये मजदूरी व्यय भी अधिक थे ।

इस अनुबन्ध को दिये जाने तथा इसके अन्तर्गत फर्म के निष्पादन से सम्बन्धित कागजात जांच के लिये राज्य सतर्कता विभाग को सौंपे गये बताये गये थे । इसलिये इस अनुबन्ध के अन्तर्गत जालीदार खम्भों के निर्माण में अवरुद्ध धन की मात्रा सम्परीक्षा में पता नहीं लगायी जा सकी (मार्च 1981) ।

8.09 अन्य विषय

8.09.01 टावर निर्माण में इस्पात की छीजन

प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग की दरों के अनुसूची में ट्रसों, फाटकों, रैकों, आदि के लिये संरचनात्मक इस्पात के निर्माण में 2.5 प्रतिशत इस्पात की छीजन का प्राविधान है । नैनी (इलाहाबाद) में टावरों के विभागीय निर्माण में छोटी लम्बाई के टुकड़ों के रूप में इस्पात की छीजन निर्मित टावरों के लगभग 2.5 प्रतिशत वजन के बराबर थी और ऐसे टुकड़े या तो छोटी निर्माण मदों में प्रयोग कर लिये गये थे या बेच दिये गये थे । अपनी निविदा विशिष्टियों में, जिनमें इस्पात की मुफ्त विभागीय आपूर्ति की व्यवस्था थी, परिषद् टावरों के निर्माण में छीजन के लिये 5 प्रतिशत अतिरिक्त इस्पात की अनुमति देता रहा था । किन्तु सम्परीक्षा में परख जांच के दौरान यह पाया गया (अक्टूबर 1980) कि 6 मामलों में कुछ विरचकों द्वारा टावर निर्माण में इस्पात के छीजन के लिये 10 प्रतिशत मात्रा की मांग की गई थी और परिषद् द्वारा स्वीकृति दी गई थी, यद्यपि परिषद् द्वारा जोड़ वाले टावर मैम्बरों के निर्माण की भी अनुमति दी गई थी (जुलाई 1977) । ऐसे मामलों में विभिन्न टावर विरचकों को दी गई 5 प्रतिशत अतिरिक्त इस्पात का मूल्य उनके द्वारा हिसाब में ली गई छीजन को घटाकर 51.07 लाख रुपये निकलता है, जैसा कि नीचे दिया है :

निविदा पूंछ-तांछ	टावर की श्रेणी	फर्म का नाम	टावरों की मात्रा (मीटरी टनों में)	लेखा देय छीजन (प्रतिशत)	अतिरिक्त छीजन का मूल्य (लाख रुपयों में)
फरवरी 1972	220 के वी	एफ	4,600	शून्य	4.60
अप्रैल 1972	220 के वी	ए	1,997	शून्य	1.00
जनवरी 1973	400 के वी	बी	9,066	3 (500 रुपये प्रति मीटरी टन की दर से)	14.65
		ए	8,134	3	
नवम्बर 1976	400 के वी	ए	4,320	शून्य	8.93
		बी	3,332	शून्य	4.32
जनवरी 1974	132 के वी	बी	11,221	5 (600 रुपये प्रतिमीटरी टन की दर से)	3.33 9.72
		ई	1,000	5 (600 रुपये प्रति मीटरी टन की दर से)	0.88 1.30
		आई	1,500	5 (600 रुपये प्रति मीटरी टन की दर से)	
अप्रैल 1976	220 के वी	बी	1,358	शून्य	2.34
					51.07

3 से 5 प्रतिशत की लेखादेय छीजन में एक मीटर से ऊपर के इस्पात के टुकड़े समाविष्ट थे जो कि अन्य विभिन्न कार्यों में प्रयोग किये जा सकते थे या पुनर्बेलन के लिये बेचे जा सकते थे। किन्तु परिषद् द्वारा अनुबन्ध के उन मामलों में भी जिनमें लेखादेय कटे टुकड़े वापिस करने की शर्त थी, इस्पात के इस प्रकार के टुकड़ों को वापस लेने के लिये कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया और न ही लेखादेय छीजन का अनुमानित मूल्य फर्मों को दिये गये भुगतानों से काटा गया।

परिषद् के अध्यक्ष द्वारा जून 1977 में स्थिति की समीक्षा की गई और यह आदेश दिया गया कि भविष्य में किये जाने वाले अनुबन्धों में विरचकों को इस्पात छीजन की अनुज्ञेय मात्रा निर्मित सामान के वजन का 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये।

8.09.02. **जस्ता उपभोग पर अधिक व्यय**

टावरों का विभागीय जस्तीकरण करने के लिये मार्च 1978 में इलैक्ट्रिसिटी फैब्रीकेशन यूनिट, नैनी (इलाहाबाद) द्वारा मुख्य अभियन्ता (पारेषण डिजाइन) को प्रस्तुत किये गये एक प्राक्कलन में टावर हिस्सों के हाट-डिप जस्तीकरण करने में (आई एस एस: 728–1956 में निर्धारित मानकों के अनुसार) निर्मित टावरों के ब्लैक वेट का 5 प्रतिशत की दर से जस्ता के उपभोग का प्राविधान था। किन्तु 220 के वी सुल्तानपुर–गोरखपुर सिंगिल सर्किट लाइन (145 किलोमीटर) के टावरों के लिये परिषद् द्वारा फर्म "सी" को दिये गये अनुबन्ध में ब्लैक वेट का 6 प्रतिशत की दर से जस्ता उपभोग के लिए प्राविधान किया गया था। विभिन्न फर्मों द्वारा मांगा गया तथा परिषद् द्वारा स्वीकृत किया गया इस मद का उपभोग अन्य अनुबन्धों में 6.5 से 7 प्रतिशत के बीच रहा। 220 के वी सुल्तानपुर–गोरखपुर लाइन के टावरों के लिये अनुबन्ध में परिषद् द्वारा स्वीकृत किये गये 6 प्रतिशत के न्यूनतम अनुपात की तुलना में, अन्य अनुबन्धों में परिषद् द्वारा अपनी लागत पर स्वीकृत जस्ता उपभोग का उच्च अनुपात विरचकों को दिये गये अतिरिक्त जस्ता (296 मीटरी टन) के कारण 39.33 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय में परिणत हुआ, जैसा कि निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :

विवरण	फर्म का नाम	टावरों की मात्रा (मीटरी टनों में)	जस्ता का प्रतिशत	अतिरिक्त जस्ता (मीटरी टनों में)	अतिरिक्त जस्ता का मूल्य (लाख रुपयों में)
(क) 400 के वी लाइनें					
ओबरा–सुल्तानपुर	बी	4,825	6.5	12.1	1.21
ओबरा–कानपुर	बी	9,066	6.5	45.3	6.80
ऋषीकेश–मुरादाबाद	बी	3,332	6.5	16.6	2.49
कानपुर–मुरादनगर	ए	8,134	6.5	40.7	6.10
ऋषीकेश–मुरादनगर	ए	4,320	6.5	21.6	3.24
सुल्तानपुर–लखनऊ	ए	2,866	6.5	14.3	1.85
		32,543			
(ख) 220 के वी लाइनें					
मुगलसराय–डेहरी	एफ	565	6.5	2.3	0.12
छिब्रो–रुड़की और मुरादनगर–शामली	एफ	1,660	6.5	8.3	1.25
ऋषीकेश–मोदीपुरम्	ए	2,888	6.5	14.4	1.44
हरदुआगंज–मुरादाबाद	ए	1,270	6.5	6.4	0.95
		6,383			

विवरण	फर्म का नाम	टावरों की मात्रा (मीटरी टनों में)	जस्ता का प्रतिशत	अतिरिक्त जस्ता (मीटरी टनों में)	अतिरिक्त जस्ता का मूल्य (लाख रुपयों में)
(ग) 132 के वी लाइनें					
जनवरी और दिसम्बर 1974 के दो आर्डर	बी	14,518	6.5	72.6	10.07
दिसम्बर 1974 तथा अक्टूबर 1975 के दो आर्डर	आई	2,140	7.0	21.4	3.21
मई 1968 का एक आर्डर	एफ	2,000	7.0	20.0	0.60
		18,658		296	39.33

8.09.03. परीक्षण एवं निरीक्षण

टावर निर्माण कार्य के लिए विभिन्न फर्मों को परिषद् द्वारा दिये गये अनुबन्धों में आई एस एस 226-1950(1975 में पुनरीक्षित) को आवश्यकताओं के अनुरूप प्रमाणिक गुणवाले इस्पात के प्रयोग करने और आइ एस एस 2629–1966 के अनुसार टावर हिस्सों के हाट–डिप जस्तीकरण करने की शर्त थी। सम्परीक्षा में परख जांच के दौरान यह पाया गया (अक्टूबर 1980) कि विभिन्न अनुबन्धों के अन्तर्गत आपूर्त किये गये निर्मित टावर हिस्सों के आइ एस एस 226–1950 (1975 में पुनरीक्षित) में निर्धारित तरीकों के अनुसार तनाव, झुकाव, परिमाप तथा सहनशक्ति परीक्षणों की परिषद् द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये व्यवस्था नहीं की गई कि विभिन्न अनुबन्धों के अन्तर्गत विरचकों द्वारा आपूर्त टावरों के निर्माण में परिषद् द्वारा आपूर्ति किया गया या विरचकों द्वारा परिषद् की लागत पर अधिप्राप्त किया गया प्रमाणिक गुण वाला इस्पात वास्तव में प्रयोग किया गया था। उसी प्रकार जस्तीकरण की किस्म एवं उसमें जस्ता के पूर्ण प्रयोग को सत्यापित करने के लिये आइ एस एस 2629–1966 में निर्धारित तरीकों के अनुसार परिषद् द्वारा टावर हिस्सों के हाट-डिप जस्तीकरण की किस्म का परीक्षण नहीं किया गया था।

टावर नींव कार्य में प्रयोग हुए सीमेन्ट कंक्रीट मिश्रण के प्रत्येक ढेर में से वानगी के आधार पर आइ एस एस 456(1978 में पुनरीक्षित) के अनुसार कंक्रीट क्यूब परीक्षणों की व्यवस्था नहीं की गई। इस प्रकार टावर नीवों में प्रयोग की गई कंक्रीट की किस्म और उसके लिये परिषद् द्वारा दिये गये सीमेन्ट का पूर्ण प्रयोग अपरीक्षित रहा।

8.09.04. टावर डिजाइन का पुनरीक्षण न किया जाना

विभिन्न निविदा पूंछ तांछो के अन्तर्गत परिषद् द्वारा विभिन्न फर्मों को दिये गये अनुबन्धों में यह शर्त थी कि टावर आइ एस एस : 802–1969 में निर्धारित मानकों के अनुसार बनाय जायेंग। 1973 में भारतीय मानक संस्था द्वारा मानक पुनरीक्षित कर दिया गया (आई एस एस : 802) जिसमें

टावरों के वायुभार में 30 प्रतिशत वृद्धि का प्राविधान किया गया था जिसके परिणामस्वरूप टावरों के भार में कटौती हो गई। पुनरीक्षित मानक के परिणामस्वरूप नवम्बर 1977 की एक निविदा पूंछ-तांछ के विरुद्ध फर्म "एच" द्वारा फर्म "बी" की डिजाइन (पुनरीक्षित मानक के अनुसार) पर आपूर्त किये गये टावरों के वजन में 15 प्रतिशत की कटौती हुई। किन्तु पुनरीक्षित मानक केवल 1976 के बाद से निकाली गई निविदा पूंछ-तांछों में परिषद् द्वारा समाविष्ट किया गया। 1969 के दौरान इटली में परीक्षित फर्म "बी" की 132 के वी के वजनी टावरों की डिजाइन जनवरी 1974 तक की निविदा पूंछ-तांछों के विरुद्ध फर्म "बी" "ई" तथा "आई" को आर्डर देने का आधार बनी। पुनरीक्षित मानकों को अपनाने में विलम्ब के कारण दिसम्बर 1974 में फर्म "बी" "ई" तथा "आई" को दिये गये आर्डरों के विरुद्ध उनके द्वारा आपूर्त किये गये 13,721 मीटरी टन टावरों के सम्बन्ध में परिषद् ने लगभग 103 लाख रुपये का परिहार्य व्यय टावरों के अधिक वजन (2,058 मीटरी टन) के कारण किया।

8.09.05. टावर नीव कार्य के लिए ऊंची दरें

लाइन खड़ा करने के कार्यों के लिये विभिन्न अनुबन्धों में नीव कार्य के लिये अनुबद्ध इकाई दरें ई टी डी सी द्वारा उसी प्रकार की मदों के लिए प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों की कोई अनुसूची बनाये या अपनाये बिना निविदाओं के आधार पर निश्चित की गईं। यह टावर नीव कार्य देने में तुलनात्मक रूप से उच्च दरों में परिणत हुआ, जैसा कि विस्तार से नीचे वर्णित है :

कार्य की मद	1979–80 की सा नि वि की दर सूची के अनुसार प्रति घन मीटर दरें	प्रति घन मीटर दरें जिन पर ठेके दिये गये (1973–74 से 1979–80)
	(रुपयों में)	
खुदाई कार्य (प्रति घन मीटर)		
सामान्य मिट्टी	4	6 से 40
गोली मिट्टी	5	8 से 45
मुलायम चट्टान	11*	30 से 63
कठोर चट्टान	19*	60 से 118
सीमेन्ट की लागत को अलग करके 1 : 2 : 4 में सीमेन्ट कंक्रीट	260	400 से 1450
रैन्डम रबुल चिनाई का रिवेटमेंट कार्य प्रति घन मीटर	200	300 से 480
नींव के लिए शटरिंग का प्राविधान प्रति वर्ग मीटर	8	40 से 65

परख सम्परीक्षा में देखे गये इस प्रकार की उच्च दरों के दृष्टान्तयुक्त मामले निम्नलिखित थे :

(i) 132 के वी ऋषीकेश—श्रीनगर लाइन (80 किलोमीटर)

मेरठ की फर्म "एम" को इस सिंगल सर्किट लाइन को खड़ा करने के लिये दिये गये (जून 1977) ठेके में (मूल्य: 37.99 लाख रुपये) कार्य की इन मदों के लिये अनुबन्ध में दिये गए उच्चत्तम आयतन के अनुसार 10,304 घन मीटर नीव खुदाई और 1,166 घन मीटर सीमेंट कंकरीट कार्य के सहित 260 टावरों का खड़ा करना सम्मिलित था। 208 टावरों के संबंध में

---

*नवम्बर 1975 में परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को दिया गया।

फर्म द्वारा किये गये लाइन के कार्य में 34,632 घन मीटर नीव खुदाई और 1,281 घन मीटर कंक्रीट कार्य सम्मिलित था। कार्य की इन मदों के अतिरिक्त मात्रा के लिये फर्म को किये गये भुगतान की धनराशि 28.79 लाख रुपये थी। इसके अतिरिक्त, सम्पूर्ण लाइन के कार्य की निविदा विशिष्टियों में अनुबद्ध कुल 250 घन मीटर रिवेटमेंण्ट कार्य के विरुद्ध 22 टावरों पर 450 रुपये प्रति घन मीटर की दर से सीमेंट मसाला (1,635 घन मीटर) और 760 रुपये प्रति घन मीटर की दर से सीमेन्ट कंक्रीट (266 घन मीटर) के साथ रैण्डम रबल्स के 1,901 घन मीटर रिवेटमेन्ट कार्य के लिये फर्म को 7.36 लाख रुपये का भुगतान किया गया । किन्तु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, मेरठ द्वारा स्वीकृत किये गये (जून 1980) 184.53 लाख रुपये के प्राक्कलन में क्रमशः 0.20 लाख रुपये तथा 0.02 लाख रुपये प्रति स्थल की दर से रिवेटमेन्ट के लिये केवल 10 लाख रुपये का और बैन्चिंग के लिये 3.50 लाख रुपये का प्राविधान था।

(ii) 132 के वी हल्द्वानी–अल्मोड़ा लाइन (54 किलोमीटर)

जून 1977 से एक वर्ष में पूरा करने के लिये फर्म "एम" को दिये गये इस लाइन को खड़ा करने के अनुबन्ध में (अनुबन्ध मूल्य : 19.04 लाख रुपये) रेण्डम रबल्स चिनाई के रिवेटमेण्ट कार्य का 420 रुपये प्रति घन मीटर की दर से भुगतान करने के लिये प्राविधान था। रिवेटमेण्ट कार्य की मात्रा न तो अनुबन्ध में उल्लिखित थी और न ही विद्युत पारेषण खंड, नैनीताल द्वारा टावर स्थलों के आधार पर इसका अनुमान लगाया गया था। किन्तु फर्म को 1,803 घन मीटर मिट्टी भराई कार्य के लिये 0.72 लाख रुपये के अतिरिक्त 161 टावरों में से 40 टावरों के संबंध में 5,471 घन मीटर रिवेटमेन्ट कार्य के लिये 23.79 लाख रुपये भुगतान किये गये। इसके अतिरिक्त, 3,582 घन मीटर नरम चट्टान में तथा 5,688 घन मीटर कठोर चट्टान में बैन्चिंग तथा स्थल समतल करने के कार्य के लिये फर्म को 5.98 लाख रुपये के भुगतान किये गये जिसके लिये अनुबन्ध में कोई प्राविधान नहीं किया गया था। काय की अतिरिक्त मदों के लिये ऐसे भुगतानों ने उत्थापन कार्य के ठके की लागत को 19.04 लाख रुपये से बढ़ा कर 50.44 लाख रुपये कर दिया।

8.09.06. वैभिन्य टावर भार तथा नींव आयतन

परिषद् अपनी निविदा विशिष्टियों में टावर तथा नीव आयतन की डिजाइन इंगित नहीं करती है। ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत की गई एक ही क्षमता वाली पारेषण लाइनों का वैभिन्य टावर भार तथा नीव आयतनों की डिजाइनें ई टी डी सी द्वारा समय-समय पर अनुमोदित की जाती हैं। यह एक ही क्षमता की लाइनों के लिये विभिन्न भार तथा नीव आयतनों के टावरों की अधिप्राप्ति में परिणत हुआ।

यद्यपि इस प्रकार की वृहत् वैभिन्नता ई टी डी सी द्वारा समय-समय पर देखी गई थी फिर भी सबसे अधिक मितव्ययी टावर नीव डिजाइन को तैयार करने के लिये परिषद् द्वारा ऐसी वभिन्नताओं का वित्तीय प्रभाव जांचा नहीं गया।

8.09.07. "मूसे" कन्डक्टर का क्रय

अगस्त 1974 में बंगलौर की एक फर्म को 400 के वी सुल्तानपुर–लखनऊ सिंगिल सर्किट लाइन के लिये 20,000 रुपये प्रति किलोमीटर, गन्तव्य रेलवे स्टेशन तक निष्प्रभार, की दर पर नवम्बर 1976 तक 500 किलोमीटर ए सी एस आर "मूसे" कन्डक्टर की आपूर्ति हेतु एक आदेश दिया गया। इतने बड़े नाप का कन्डक्टर निर्माण करने और आपूर्त करने की फर्म की क्षमता का सत्यापन नहीं किया गया जब कि परिषद को मालूम था कि फर्म ए सी एस आर कन्डक्टर के निर्माण के क्षेत्र में नयी थी। निरीक्षण के लिये फर्म द्वारा प्रस्तावित (अगस्त 1974) 20 किलोमीटर का प्रथम भाग प्रेषण के लिए स्वीकृत नहीं किया गया लेकिन पुनः निरीक्षण (मई 1975) और क्षतिग्रस्त ऊपरी परतों को हटाने के बाद परिषद् द्वारा 19 किलोमीटर स्वीकार कर लिया गया (जुलाई 1975)।

मई 1976 तक फर्म ने अपनी कार्यशाला में बिना कोई निरीक्षण हुए 212 किलोमीटर कन्डक्टर की और आपूर्ति की। लाइन (40 किलोमीटर) में कन्डक्टर की खिचाई के दौरान (नवम्बर 1976) कन्डक्टर की उभरन और परस्पर व्यापन जानकारी में आया। तत्पश्चात अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, सुल्तानपुर ने फर्म के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कन्डक्टर का निरीक्षण किया (नवम्बर 1976) और उसे 400 के वी लाइन के लिये पूर्णतः अनुपयुक्त पाया।

सम्परीक्षा में परख जांच के दौरान (मई 1978) निम्नलिखित बातें जानकारी में आयीं :

(i) कुल आपूर्त किये गये 231 किलोमीटर में से 121.5 किलोमीटर कन्डक्टर (मूल्य: 32.81 लाख रुपये) खराब था जिसके विरुद्ध फर्म द्वारा केवल 49.6 किलोमीटर कन्डक्टर की निष्प्रभार बदली की गई। तथापि, सी एस पी सी ने 4,000 रुपये प्रति किलोमीटर की मूल्य में कमी करने पर सब-स्टेशनों की बस बारों में 71.9 किलोमीटर खराब कन्डक्टर प्रयोग करने और बाद की निविदा पूंछ-तांछ के अन्तर्गत फर्म को दिये गये एक अन्य आदेश की शर्तों पर 27,500 रुपये प्रति किलोमीटर (गन्तव्य रेलवे स्टेशन तक निष्प्रभार) की दर पर शेष 269 किलोमीटर कन्डक्टर की आपूर्ति शुरू करने के लिये फर्म को अनुमति देने का निर्णय लिया (मई 1978)। इस प्रकार, परिषद की विशिष्टियों के अनुरूप और निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कन्डक्टर की आपूर्ति में फर्म की असफलता के बावजूद उसे 20.18 लाख रुपये की मूल्य वृद्धि प्रदान की गई।

(ii) 500 किलोमीटर कन्डक्टर के निर्माण के लिये 731.50 मीटरी टन की आवश्यकता के विरुद्ध फर्म को परिषद के कोटा से 1,059 मीटरी टन एल्यूमिनियम आवंटित किया गया। परिषद् को आवंटित एल्यूमिनियम के कोटा पर भारत सरकार द्वारा 3,130 रुपये प्रति मीटरी टन का प्रतिदान स्वीकृत किया गया था। यद्यपि फर्म के साथ हुए अनुबन्ध में यह प्राविधान था कि फर्म द्वारा प्रयोग में न आयी एल्यूमिनियम परिषद को वापिस कर देनी चाहिये (और परिषद् द्वारा अन्य मामलों में इसका दावा किया गया), परिषद् ने इस फर्म से शेष एल्यूमिनियम का दावा नहीं किया; इसके परिणामस्वरूप एल्यूमिनियम की प्रयोग में न आयी मात्रा (328.50 मीटरी टन) के क्रय में फर्म को प्राप्त हुए प्रतिदान की धनराशि के रूप में 10.28 लाख रुपये का अनैच्छिक आर्थिक लाभ हुआ।

(iii) लाइन में केवल 78 किलोमीटर कन्डक्टर प्रयुक्त हुआ और शेष 153 किलोमीटर (न बदले गये 71.9 किलोमीटर खराब कन्डक्टर सहित) को परिषद् की अन्य इकाइयों को स्थानान्तरित करना पड़ा। 71.8 मीटरी टन कन्डक्टर के, ड्रमों पर कन्डक्टर की दुबारा लिपटाई के बाद, स्थानान्तरण पर हुआ व्यय 0.37 लाख रुपये था। बचे हुए 71.2 किलोमीटर की दुबारा ढुलाई पर किया गया व्यय उपलब्ध नहीं था।

मामला सरकार/परिषद् को दिसम्बर 1980 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1981)।

8.10. निष्कर्ष

(i) पारेषण कार्यों की मुख्य मदों के लिये दरों की अनुसूची पथ प्रदर्शन के रूप में कार्य करने के लिये और विशिष्ट कार्यों की लागत के विस्तृत प्राक्कलन तैयार नहीं किये गये थे, यद्यपि परिषद् के नियमों के अन्तर्गत यह आवश्यक था।

(ii) 3 फर्मों को, उनकी कुछ अनुबन्धों के अन्तर्गत असफलता के बावजूद भी, टावर आपूर्ति का कार्य देने में अनुचित वरीयता दी गई जब कि प्रतिष्ठित फर्मों की निविदायें उपेक्षित कर दी गईं। एक फर्म ने लगभग सभी अनुबन्धों के अन्तर्गत चूकें की और चार अनुबन्धों के अन्तर्गत फर्म के विरुद्ध 69.25 लाख रुपये की वसूलियां बकाया पड़ी थीं।

(iii) (क) टावर आपूर्ति का कार्य और 400 के वी ओबरा–सुल्तानपुर लाइन को खड़ा किये जाने का कार्य फर्म "बी" को सौंपा गया, जिसने न तो अपनी टावर निर्माण कार्यशाला स्थापित की थी और न ही टावर निर्माण के लिये औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किया था। इसकी निविदा आर्थिक रूप से अनुकूल नहीं थी जिसके कारण कार्य निष्पादन के दौरान परिषद् ने 53.60 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

(ख) टावर की डिजाइन करने में लगने वाला लगभग 2 वर्ष का समय बचाने के लिये 400 के वी ओबरा–कानपुर लाइन के लिए टावरों की आपूर्ति का कार्य फर्म "बी" को दिया गया। किन्तु फर्म ने कार्य में ढाई वर्ष का विलम्ब किया।

(ग) निविदाओं का मूल्यांकन करने के लिए यथार्थवादी आधार तैयार करने के बजाय एक ही निविदा पूंछतांछ के विरुद्ध 400 के वी की चार लाइनों के कार्य को देने में परिषद् द्वारा 2 भिन्न स्तर अपनाये गये।

(iv) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत एक दोषी फर्म को टावर आपूर्ति कार्य देना 59.65 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय और 40 लाख रुपये मूल्य के असमान टावर हिस्से के संचयन में परिणत हुआ।

(v) एक निविदा पूछतांछ के विरुद्ध एक ही प्रकार की डिजाइन के टावरों पर कुछ 132 के वी लाइनों के खड़ा करने का कार्य लगभग एक ही प्रकार की स्थलाकृतिक दशाओं में विभिन्न फर्मों को विस्तृत रूप से वैभिन्य दरों पर दिया गया जिससे 95.44 लाख रुपय का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(vi) कुछ फर्मों के द्वारा चूक किये जाने के बावजूद भी उनको निम्नलिखित मामलों में अनुचित तथा अतिरिक्त लाभ दिये गये :

(क) फर्म "बी" को जस्ता की अधिप्राप्ति के लिये अग्रिम भुगतान (32.42 लाख रुपये) के अतिरिक्त 400 के वी ओबरा–सुल्तानपुर लाइन के सम्बन्ध में 26.96 लाख रुपये और 400 के वी ओबरा–कानपुर लाइन के सम्बन्ध में 4.17 लाख रुपये।

(ख) फर्म "एफ" को इस्पात की अधिप्राप्ति के लिये दी गई 44.32 लाख रुपये की आर्थिक सहायता के अतिरिक्त केन्द्रीय प्रायोजित 220 के वी लाइनों के सम्बन्ध में 33.36 लाख रुपये।

(ग) 220 के वी सुल्तानपुर–गोरखपुर लाइन के सम्बन्ध में फर्म "सी" को 4.20 लाख रुपये।

(vii) दो नदियों की तली में 220 के वी ऋषीकेश–मोदीपुरम् (मेरठ) लाइन के टावरों की दोषपूर्ण स्थिति के कारण परिषद् ने 9.13 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

(viii) कुछ अनुबन्धों के अन्तर्गत टावर निर्माण कार्य में इस्पात की अतिरिक्त छीजन स्वीकृत की गई (मूल्य : 51.07 लाख रुपये)।

(ix) टावरों की आपूर्ति के लिये कुछ अनुबन्धों के अन्तर्गत दो फर्मों को उच्च दर पर जस्ता के उपभोग की अनुमति दी गई जिससे 39.33 लाख रुपये मूल्य का 296 मीटरी टन जस्ता अधिक उपभोग हुआ।

(x) सम्बन्धित भारतीय मानक विशिष्टियों के अनुरूप (1973 में पुनरीक्षित) टावर की डिजाइन का पुनरीक्षण न किया जाना, दिसम्बर 1974 में दिये गये आर्डरों के विरुद्ध 103 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय को समाविष्ट करते हुए वजनी टावरों (पुरानी विशिष्टियों के अनुरूप) की आपूर्ति में परिणत हुआ।

(xi) विभिन्न अनुबन्धों में शटरिंग सहित टावर नींव, रिवेटमैण्ट और टावर गड्ढों की टेक बन्दी के कार्यों लिये विस्तृत रूप से वैभिन्य दरों का प्राविधान किया गया था जो कि उस समय के प्रचलित सार्वजनिक निर्माण विभाग की दरों की अनुसूची से बहुत ऊंची थीं ।

(xii) कन्डक्टर की आपूर्ति में एक फर्म की असफलता के बावजूद भी परिषद् के कोटा के विरुद्ध आपूर्त किये गये कन्डक्टरों के लिये आवश्यकता से अधिक अल्यूमिनियम की अधिप्राप्ति के लिये इसको 20.18 लाख रुपये की अनुचित मूल्य वृद्धि और 10.28 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई ।

अनुभाग IX

राजस्व की हानि

9.01. दर–सूची का गलत लगाया जाना

(क) पहली जून 1979 से पूर्व, दर-सूची एच वी–2 बी (भारी शक्ति) औद्योगिक और/या प्रोसेसिंग उद्देश्यों के लिये और राज्य लिफ्ट सिंचाई के लिये 200 के डब्लू (235 के वी ए) से ऊपर अनुबन्धित मांग वाले सभी उपभोक्ताओं पर लागू थी। रेलवे, आल इण्डिया रेडियो (टेलीविजन) और वाटर वर्क्स के लिये विद्युत आपूर्ति इस दर -सूची के अन्तर्गत नहीं आती थी और दर-सूची एच वी–1 बी (100 के डब्लू से ऊपर मिश्रित भार) के अन्तर्गत बिल की जानी थी। तथापि, लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग ने आल इण्डिया रेडियो (टेलीविजन) और वाटर वर्क्स विभाग को विद्युत आपूर्ति के लिये दर–सूची एच वी–2 बी के अन्तर्गत चार्ज किया जो 37.48 लाख रुपये (मार्च 1977–मई 1979) की सीमा तक राजस्व की कम वसूली में परिणत हुई।

मामला परिषद्/सरकार को मई 1980 में प्रतिवेदित किया गया था ; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1981)।

(ख) एक उपभोक्ता की प्रार्थना (फरवरी 1967) पर, जिसे 112.5 के डब्लू का भार स्वीकृत किया गया था (दिसम्बर 1966), विद्युत वितरण खण्ड I, बलिया द्वारा प्रथम कार्य चालन अवधि के लिये 56.25 के डब्लू भार के लिये एक संयोजन दिया गया। यह संयोजन स्वीकृत भार में कमी करने के लिये परिषद् की स्वीकृति प्राप्त किये बिना चलता रहा और उपभोक्ता 75 के डब्लू तक के संयोजित भार पर लागू दरों पर फरवरी 1978 तक बिल किया गया। लगी हुई मोटरों के संयोजित भार का सत्यापन नहीं किया गया। एक सहायक अभियन्ता द्वारा भौतिक सत्यापन (अप्रैल 1978) के दौरान उपभोक्ता का संयोजित भार 110.6 के डब्लू पाया गया जिसके लिये उच्चतर दरें लागू होनी थीं। गलत निम्नतर दर पर बिलिंग के परिणामस्वरूप अप्रैल 1975 से फरवरी 1978 की अवधि के दौरान (इससे पहले की अवधि के लिये अभिलेख उपलब्ध नहीं थे) 0.35 लाख रुपये का कम प्रभार हुआ।

मामला परिषद् को नवम्बर 1979 में और सरकार को सितम्बर 1980 में सूचित किया गया था ; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1981)।

9.02. विद्युत् कटौती

(क) 1979–80 के दौरान (21 अगस्त 1979 से प्रभावी) राज्य में विद्युत की कमी के कारण राज्य सरकार ने भारी, मध्यम और अविरल प्रक्रिया वाले उद्योगों के सम्बन्ध में संयोजित भार या अगस्त 1978 से जुलाई 1979 तक के 12 महीनों में से किसी भी महीने के दौरान उच्चतम अंकित मांग, या अनुबन्धित मांग, जो भी कम हो, पर 33.33 से लेकर 66.66 प्रतिशत तक विद्युत् कटौती लगायी। अनुज्ञेय मांग के ऊपर कोई भी अधिकता प्रथम, द्वितीय और उसके बाद की गलतियों के लिये विद्युत संयोजन हटाने के अलावा क्रमशः 100/200/300 रुपये प्रति के वी ए के दण्ड शुल्क के लिये उत्तरदायी थी।

सम्परीक्षा के परख जांच (मार्च/अप्रैल 1980) में प्रकट हुआ कि चार उपभोक्ताओं ने (चार खण्डों में प्रत्येक में एक) अपने आपको कुल 12.30 लाख रुपये के दण्ड शुल्क के लिये उत्तरदायी बना लिया था, जो यद्यपि लगाया नहीं गया; दण्ड शुल्क न लगाने के कारण अभिलेखों पर नहीं थे।

मामला परिषद्/सरकार को मई और अगस्त/ सितम्बर 1980 में सूचित किया गया था ; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1981)।

(ख) उत्तर प्रदेश विद्युत (सम्भरण, वितरण, उपभोग और उपयोग का विनियमन) आदेश, 1977 (7 अप्रैल 1977 से प्रभावी और 1977–78 के लिये लागू) के अन्तर्गत सरकार ने विद्युत ऊर्जा के सम्भरण, वितरण, उपभोग और उपयोगकोविनियमितकरने के लिये 1977–778 के दौरान विद्युत कटौती लगाई । आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्राविधान था कि जनरेशन के अपने स्वयं के साधनों वाले एक औद्योगिक उपभोक्ता को जनरेशन के ऐसे साधन की लगी हुई क्षमता की सीमा तक विद्युत कटौती अपनानी चाहिये । यह भी प्राविधान था कि राज्य सरकार, सार्वजनिक हित में, इन प्रतिबन्धों को ऐसी सीमा तक और इतने समय के लिये जैसा कि वह उचित समझे ढीला कर सकती है (किसी भी उपभोक्ता के सम्बन्ध में) । उपभोक्ता द्वारा इस सीमा से ऊपर प्रत्येक अधिक आहरण पर 50 रुपये प्रति के वी ए प्रति माह का दण्ड शुल्क लगना था ।

विद्युत वाणिज्यिक खण्ड, इलाहाबाद के 600 के डब्लू के अनुबन्धित भार वाले एक उपभोक्ता के पास जनरेशन (1108 के डब्लू) का अपना स्वयं का साधन था लेकिन उसे सरकार द्वारा अप्रैल 1977 में (प्रतिबन्धों की ढील में) परिषद् से 400 के डब्लू तक विद्युत आहरण की अनुमति दी गयी। परख सम्परीक्षा के दौरान (अक्टूबर 1979) यह पता चला कि उपभोक्ता 400 के डब्लू की स्वीकृत सीमा से अधिक विद्युत का लगातार (1977–78) आहरण कर रहा था परन्तु 50 रुपये प्रति के वी ए प्रति माह का दण्ड शुल्क नहीं लगाया गया । न लगाये गये दण्ड शुल्क की धनराशि 0.38 लाख रुपये (1977–78) निकली ।

मामला परिषद्/सरकार को नवम्बर 1979/सितम्बर 1980 में सूचित किया गया था,; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1981) ।

9.03. सर्किट्स का पृथक न किया जाना

यदि एक वृहत् और भारी शक्ति उपभोक्ता को फैक्टरी के लिये आपूर्त की गई विद्युत घरेलू उपभोग के लिए भी उपयोग की जाती है तो ऐसा उपभोग अलग से मीटर किया जाना और चार्ज किया जाना चाहिए। जिसमें असफल होने पर सम्पूर्ण उपभोग मिश्रित भार पर लागू उच्चतर दर पर प्रभारित करना पड़ता है।

सम्परीक्षा (मार्च 1980) में परख जांच से पता चला कि विद्युत वितरण खण्ड I, अलीगढ़ का एक उपभोक्ता मिश्रित भार के लिये लागू उच्चतर दरों पर बिल नहीं किया गया परिणाम-स्वरूप 0.95 लाख रुपये की (अगस्त 1977–अगस्त 1979) वसूली न हो पायी।

सम्परीक्षा में यह इंगित किये जाने पर खण्ड ने कम प्रभार के लिए बिल जारी किया (अप्रैल 1980); वसूली प्रतीक्षित थी (मार्च 1981) ।

मामला परिषद्/सरकार को जनवरी और मई / सितम्बर 1980 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1981) ।

9.04. अवरुद्ध/बन्द मीटर्स

परिषद् के आदेशों (अक्तूबर 1976) के अनुसार यदि किसी उपभोक्ता का मीटर अवरुद्ध/बन्द पाया जाता है तो पिछले तीन माह के दौरान अंकित अधिकतम मांग और उपभोग के आधार पर कर निर्धारण होता है ।

यह पाया गया कि 14 उपभोक्ताओं के मामले में 5 वितरण खण्डों ने उपभोक्ताओं को, जिनके मीटर्स अवरुद्ध/बन्द पाये गये, निम्नतम प्रभार/औसत उपभोग के आधार पर (परिषद् के आदेश में दिये गये आधार के बजाय) बिल किया था परिणामस्वरूप 5.32 लाख रुपये (नवम्बर 1976–मार्च 1980) का राजस्व कम प्रभारित हुआ।

सम्परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (अप्रैल 1980) खण्डों में से एक ने बताया कि परीक्षण खण्ड द्वारा मीटर्स बदल दिये जाने के बाद परिषद् के आदेशों के अनुसार उपभोक्ताओं को बिल जारी किया जायगा। तदोपरान्त, इस खण्ड ने मार्च 1977 से नवम्बर 1980 तक की अवधि के लिए 6 उपभोक्ताओं के विरुद्ध 2.17 लाख रुपये के कम प्रभार के लिए बिल जारी किये; एक उपभोक्ता का मीटर प्रयोग में नहीं आ रहा बताया गया। बिल की गई धनराशि में से 1.18 लाख रुपये की वसूली हो गयी थी (फरवरी 1981)। अन्य खण्डों से कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ था (मार्च 1981)।

मामला परिषद् / सरकार को मार्च, मई और सितम्बर 1980 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1981)।

9.05. अतिरिक्त प्रभार का न लगाया जाना

(क) लाइसेन्सदारों, भारी और वृहत् शक्ति और मिश्रित भार (100 के डब्लू के ऊपर) उपभोक्ताओं पर लागू दर-सूची के अनुसार, यदि मासिक बिल का भुगतान निर्दिष्ट देय तिथि तक नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता न भुगतान की गई धनराशि पर सात पैसे प्रति 100 रुपये या उसके भाग पर, विलम्ब के प्रति दिन के लिए, अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

परख सम्परीक्षा (जून–नवम्बर 1979/फरवरी 1980) में यह पाया गया कि खण्डों ने 18 उपभोक्ताओं (7 खण्ड) के सम्बन्ध में अतिरिक्त प्रभार वसूल नहीं किया था परिणामस्वरूप 4.95 लाख रुपये (अक्तूबर 1974–दिसम्बर 1979) का कम प्रभार हुआ।

सम्परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (जुलाई 1980) विद्युत् वितरण खण्ड, कानपुर ने उपभोक्ताओं को 0.95 लाख रुपये के अतिरिक्त प्रभार (अगस्त से दिसम्बर 1980 तक) के लिए बिल दिये जिसमें से 0.56 लाख रुपये की वसूली हो गयी थी (फरवरी 1981)।

(ख) इन उपभोक्ताओं में से एक फैक्टरी भार के अतिरिक्त बिजली व पंखे के लिए 50 के डब्लू का स्वीकृत भार भी रखता था और बिजली व पंखे के उपभोग के लिए फैक्टरी उपभोग के बिल के साथ ही बिल किया गया। दर-सूची के अनुसार, बिजली और पंखा उपभोग के सम्बन्ध में बिल का समय से भुगतान करने पर 5 पैसे प्रति के डब्लू एच की छूट अनुमन्य है। यह जानकारी में आया कि दिसम्बर 1976 से मार्च 1979 तक की अवधि के दौरान 0.32 लाख रुपये की छूट प्रदान की गयी थी जबकि उपभोक्ता ने समय से भुगतान नहीं किये थे।

मामला परिषद् को जलाई 1979 से अगस्त 1980 के दौरान और सरकार को मई और सितम्बर 1980 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1981)।

9.06. अधिभार का न लगाया जाना

लघु/माध्यमिक शक्ति उपभोक्ताओं (12 अक्टूबर 1974 से प्रभावी) और सिंचाई के उद्देश्यों हेतु निजी नलकूपों/पम्प सेटों (पहली नवम्बर 1974 से प्रभावी) पर लागू दर-सूची के अनुसार मासिक बिलों का भुगतान निर्दिष्ट देय तिथि तक नहीं किये जाने की अवस्था में उपभोक्ता बिल की धनराशि पर, बकायों, यदि कोई हों, को छोड़कर, 12 प्रतिशत का अधिभार भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है। यदि भुगतान में 6 माह से अधिक का विलम्ब होता है (भुगतान की देय तिथि से आगामी माह के प्रथम दिन से गणना करने पर), तो उपभोक्ता ऐसे विलम्ब की अवधि के लिये प्रतिमाह या उसके भाग पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार भुगतान करने के लिये भी उत्तरदायी है।

परख सम्परीक्षा (अगस्त 1978 से नवम्बर 1979 तक) में यह जानकारी में आया कि 6 खण्डों में विलम्बित भुगतानों के लिए 2 प्रतिशत प्रतिमाह का अधिभार नहीं लगाया गया

था परिणामस्वरूप 149 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में कुल 1.75 लाख रुपये का कम प्रभार हुआ ।

सम्परीक्षा में यह इंगित किये जाने पर परिषद् ने बताया (अगस्त 1980) कि खण्डों में से 3 में बिल जारी किये गये थे (दिसम्बर 1979/मार्च से मई 1980 तक) ।

मामला परिषद् को अक्टूबर 1978/मार्च 1979/मई 1980 में और सरकार को मई/सितम्बर 1980 में सूचित किया गया था; परिषद् के (अन्य 3 खण्डों के सम्बन्ध में) उत्तर और सरकार से उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1981) ।

9.07. किश्तों की वसूली न होना

प्राथमिकता के आधार पर निजी नलकूपों और पम्प सेटों को संयोजन देने के लिए वाणिज्यिक योजना (जुलाई 1972 से चलाई गई) के अन्तर्गत यदि संयोजन देने के लिए परिषद् द्वारा किया जाने वाला व्यय 4,000 रुपये तक है तो उपभोक्ता से 700 रुपये की धनराशि की वसूली करनी होती है । 4,000 रुपये से अधिक लेकिन 6,000 रुपये तक के व्यय के लिए उपभोक्ता से 1,050 रुपये की धनराशि की वसूली करनी होती है । वसूलियां 10 समान वार्षिक किश्तों में करनी होती हैं, प्रथम किस्त पम्प सेटों को ऊर्जित करने से पहले वसूलनी होती है । यदि व्यय 6,000 रुपये से अधिक है तो 6,000 रुपये से ऊपर की पूरी धनराशि एकमुश्त में वसूलनी होती है ।

सम्परीक्षा (अक्टूबर/नवम्बर 1979) में परख जांच से प्रकट हुआ कि अप्रैल 1973 से मार्च 1979 तक विद्युत वितरण खण्ड I, जौनपुर (481 उपभोक्ता: 0.95 लाख रुपये), विद्युत् वितरण खण्ड I, गाजीपुर (500 उपभोक्ता : 1.64 लाख रुपये) और विद्युत् वितरण खण्ड II, गाजीपुर (325 उपभोक्ता : 1.08 लाख रुपये) में देय 3.67 लाख रुपये की किश्तें अब तक वसूल नहीं की गई थीं (मार्च 1981)।

मामला परिषद् को दिसम्बर 1979 में और सरकार को मई 1980 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1981) ।

9.08. भार में कमी

विद्युत वितरण खण्ड I, रायबरेली से विद्युत की आपूर्ति प्राप्त कर रहे 6 औद्योगिक शक्ति उपभोक्ताओं के साथ हुए अनुबन्ध (जनवरी-नवम्बर 1975) दो वर्षों की प्रारम्भिक अवधि (आपूर्ति की दिनांक से) के लिए बैध थे और उसके पश्चात वार्षिक आधार पर अवधि बढ़ायी जा सकती थी। कोई भी पक्ष आपूर्ति की प्रारम्भिक अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात लिखित में 12 माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त कर सकता था। 6 उपभोक्ताओं की प्रार्थना (अगस्त 1976) पर परिषद के अध्यक्ष ने आपूर्ति प्रारम्भ होने की दिनांक (जनवरी-नवम्बर 1975) से इन उपभोक्ताओं के अनुबन्धित भार में (कुल मिलाकर 50 प्रतिशत तक) कमी के आदेश दिये (मई 1977) ।

आपूर्ति की प्रारम्भिक अवधि समाप्त होने से पहले भार में अनियमित कमी के परिणामस्वरूप 2.21 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई । साथ ही, 0.16 लाख रुपये के कमी करने के प्रभार की वसूली भी छोड़ दी गई, जिसके लिये कारण अभिलेखों पर नहीं थे ।

मामला परिषद् को अक्टूबर 1979 में और सरकार को सितम्बर 1980 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1981) ।

9.09. अनियमित छूट

भारी शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू दर-सूची के अनुसार अन्य उद्देश्यों के लिये प्रयुक्त होने वाली किसी भी शक्ति के लिए उपभोक्ता द्वारा एक प्रथक मीटर का प्रबन्ध करना होता है जो लागू दर-सूची के अनुसार प्रभारित किया जाना होता है। एक प्रथक मीटर के अभाव में सम्पूर्ण उपभोग उच्चतर दर पर प्रभारित किया जाना होता है।

विद्युत वितरण खण्ड I, रायबरेली में एक भारी शक्ति उपभोक्ता ने फैक्टरी भार को अन्य उद्देश्यों के लिये प्रयुक्त किया और जून 1977 तक, जब एक प्रथक मीटर लगाया गया, उच्चतर दरों पर बिल किया गया। तथापि, अगस्त 1977 में, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) द्वारा जारी किये गये निर्देशों के आधार पर, खण्ड ने भारी शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू निम्नतर दर-सूची के आधार पर सितम्बर 1975 से जून 1977 तक की अवधि के लिए 1.34 लाख रुपये की एक छूट (दर-सूची के प्राविधानों के उलंघन में) स्वीकार की। इसके परिणामस्वरूप परिषद् को 1.34 लाख रुपये की हानि हुई।

मामला परिषद् को अक्टूबर 1979 में और सरकार को सितम्बर 1980 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1981)।

9.10. ईंधन लागत परिवर्तन प्रभारों की वसूली न करना

राज्य में लघु इस्पात संयन्त्रों, बेलन तथा पुनर्बेलन मिलों और प्रेरण (इंडक्शन) भट्टियों को प्रोत्साहन देने के विचार से, परिषद् ने निर्णय लिया (फरवरी/जून 1977) कि भारी और वृहत शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू दर-सूची के अन्तर्गत आने वाले और रात्रि 9 बजे से प्रातः 9 बजे के बीच शक्ति प्राप्त कर रहे उपभोक्ता, मई 1977 से, 16 पैसे प्रति यूनिट की एक रियायती दर और समय-समय पर लागू विद्युत कर पर आपूर्ति पायेंगे। यह दर फरवरी 1977 में प्रचलित कोयले, ईंधन, तेल के मूल्यों और स्टाफ की मजदूरी पर आधारित थी और ईंधन की लागत और मजदूरी में वृद्धि के साथ समय-समय पर वृद्धि के आधीन थी। अप्रैल 1979 में परिषद ने प्रभारित की जाने वाली दर, मई 1977 से पूर्वकालीन प्रभाव से, बढ़ाकर संशोधित की। तथापि, लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग ने दो उपभोक्ताओं (मई 1977--मार्च 1978) से संशोधित दरों पर प्रभारों की वसूली नहीं की, परिणामस्वरूप 1.25 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

सम्परीक्षा में यह इंगित किये जाने पर, इकाई ने अक्टूबर 1979 में बिल जारी कर दिये लेकिन वसूली प्रतीक्षित थी (मार्च 1981)।

मामला परिषद्/सरकार को मई 1980 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1981)।

9.11. देयों की वसूली न होना

लखनऊ इलैक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग के एक उपभोक्ता ने फरवरी 1974 से बिजली देयों का भुगतान करना बन्द कर दिया लेकिन शक्ति की आपूर्ति का विच्छेदन मई 1975 में किया गया जबकि देय इकट्ठे होकर 0.70 लाख रुपये के हो गए थे यद्यपि नियमों के अन्तर्गत भुगतान में गलती करने के 30 दिन के अन्दर आपूर्ति विच्छदित कर दी जानी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट इलैक्ट्रिकल अण्डर टेकिंग्स (ड्यूज रिकवरी) एक्ट, 1958 की धारा 3 के अन्तर्गत एक मांग सूचना 1.10 लाख रुपये (अप्रैल 1976 तक) के लिए जुलाई 1976 में भेजी गई। उसी अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत जारी किया गया (सितम्बर 1976) एक वसूली प्रमाण-पत्र कलेक्टर लखनऊ क माध्यम से इस टिप्पणी के साथ वापिस आ गया कि उपभोक्ता का व्यापार परिसमापन के चला गया था।

मामला परिषद् को नवम्बर 1979 में और सरकार को मई 1980 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1981)।

9.12. अतिरिक्त प्रभार का न लगाया जाना

भारी और वृहत शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू दर-सूची के अनुसार 400 बोल्ट की आपूर्तियों के लिए जून 1979 से 7.5 प्रतिशत का एक अतिरिक्त प्रभार लगाया जाना था। प्रतापगढ़ खण्ड के 2 उपभोक्ताओं के मामले में 0.26 लाख रुपये (जून 1979–जनवरी 1980) का 7.5 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रभार नहीं लगाया गया था।

मामला परिषद्/सरकार को मई/सितम्बर 1980 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1981)।

9.13. विद्युत कर की कम वसूली

एक उपभोक्ता को बेची गई बिजली ऐसी दर पर विद्युत् कर के आधीन है जैसा कि सरकार समय-समय पर निर्धारित करे। मिश्रित भार के मामले में ऐसा कर ईंधन लागत परिवर्तन समायोजन को सम्मिलित करते हुए कुल दर पर लगाया जाना होता है। तथापि, विद्युत् वितरण खण्ड I, अलीगढ़ के अन्तर्गत 1,900 के डब्लू के सम्बधित भार वाला एक मिश्रित भार उपभोक्ता अप्रैल 1974 से जून 1978 तक ईंधन लागत परिवर्तन के लिए बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखे बिना विद्युत् प्रभार की दर पर विद्युत् कर के लिये प्रभारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 1.02 लाख रुपये के विद्युत् कर की कम वसूली हुई।

मामला परिषद्/सरकार को मई/सितम्बर 1980 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1981)।

अनुभाग X

अन्य रोचक विषय

10.01. दावे का स्वीकार न किया जाना

थर्मल पावर स्टेशन, ओबरा द्वारा मैकेनिकल प्लाण्ट डिवीजन, हरदुआगंज को अभ्रक विसंबाहित ईंटों के रेल द्वारा भेजे (जून और जुलाई 1975) दो प्रेषण हरदुआगंज में अत्यधिक क्षत और कार्य के अयोग्य अवस्था में पाए गये (मार्च 1976)। रेलवे से 3.16 लाख रुपये के दावे (जनवरी 1977) कालातीत रूप में अस्वीकार कर दिये गये (फरवरी 1977) क्योंकि वे सुपुर्दगी के 6 माह के अन्दर प्रस्तुत नहीं किये गये थे। दावों के दायर करने में विलम्ब का उत्तरदायित्व अब तक निश्चित नहीं किया गया था (मार्च 1981)।

मामला परिषद्/सरकार को मई/सितम्बर 1980 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1981)।

10.02. अतिरिक्त व्यय

(क) इस्पात संरचनाओं की रंगाई का कार्य अधीक्षण अभियन्ता, थर्मल सिविल कंस्ट्रक्शन सरकिल I, ओबरा द्वारा एक ठेकेदार को उसके निविदा दर 14.23 रुपये प्रति मीटरी टन पर दिया गया (मई 1976)। तथापि, कार्य प्रारम्भ किये जाने का आदेश निर्गत नहीं किया गया और इस बीच (जनवरी 1977) श्रम और माल की लागत में मुख्यरूप से वृद्धि के कारण ठेकेदार ने 20.50 रुपये प्रति मीटरी टन की मांग की। बढ़ी हुई दर स्वीकृत नहीं की गई और अधीक्षण अभियन्ता ने इस्पात निर्माणों को खड़ा करने और निर्माण के क्षेत्र में लगा एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 40 रुपये प्रति मीटरी टन की दर से (नई निविदाएं आमंत्रित किये बिना) कार्य आवंटित किए जाने का निर्णय ले लिया (मार्च 1977)।

उच्चतर दर (14.23 रुपये प्रति मीटरी टन के विरुद्ध 40 रुपये) पर कार्य का आवंटन 7,000 मीटरी टन (दिसम्बर 1979 तक) की रंगाई पर 1.80 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय में परिणत हुआ। यदि कार्य जनवरी 1977 में ठेकेदार द्वारा मांगे गए 20.50 रुपये प्रति मीटरी टन पर आवंटित कर दिया गया होता तो परिषद् 1.37 लाख रुपये की सीमा तक अतिरिक्त व्यय बचा ले गई होती।

मामला परिषद् को जनवरी 1979 में और सरकार को अगस्त 1979 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 1981)।

(ख) सीमित पूछ-ताछ के विरुद्ध ठेकेदारों द्वारा प्रस्तावित दरों के औचित्य को निश्चय किये बिना 'ब' थर्मल पावर स्टेशन ओबरा के ब्वायलर मेंटीनेंस डिवीजन ने अनुरक्षण कार्यों (मूल्य: 0.40 लाख रुपये) के लिये 7 कार्यादेश (अप्रैल/मई 1979) दिए। वार्षिक अनुरक्षण और मरम्मत के लिये खण्ड द्वारा बाद में आमंत्रित (जून 1979) और जुलाई 1979 में निर्णीत निविदाओं ने प्रदर्शित किया कि कार्यादेशों के विरुद्ध भुगतान की गई दरें असामान्य रूप से उच्च थीं। यदि जुलाई 1979 में स्वीकृत की गई कीमतों पर कार्यादेश आवंटित किए गए होते तो 0.40 लाख रुपये के विरुद्ध 0.13 लाख रुपये की लागत आती।

मामला परिषद्/सरकार को फरवरी/सितम्बर 1980 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1981)।

10.03. अधिक भुगतान

(क) मार्च 1974 तक ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति के लिए कानपुर की एक फर्म पर भण्डार अधिप्राप्ति मण्डल द्वारा निर्गत (अक्टूबर 1971–मार्च 1973) क्रयादेशों की शर्तों के अनुसार

90 प्रतिशत अग्रिम आदेशों के साथ भुगतान होना था और शेष 10 प्रतिशत भुगतान आपूर्त माल की स्वीकृति के बाद 70 प्रेषिती खण्डों द्वारा मुक्त किए जाने थे।

मई 1972 और दिसम्बर 1973 के बीच विद्युत् अनुरक्षण खण्ड, कानपुर (36 बिलें) को आपूर्त मालों के सम्बन्ध में 104 लाख रुपये की धनराशि के 10 प्रतिशत का भुगतान प्रेषिती से बिलों को सत्यापित कराये बिना सीधा मुख्य लेखाधिकारी द्वारा कर दिया गया (दिसम्बर 1975)। मुख्य लेखाधिकारी से डेबिट एडवाइस प्राप्त होने पर (जनवरी 1976) प्रभाग ने पाया कि इन 36 बिलों के विरुद्ध केवल 0.50 लाख रुपये की रकम भुगतान योग्य थी और पूरी सीमा तक डेबिट एडवाइस स्वीकृत की गई (सितम्बर 1979)।

सम्परीक्षा में इंगित किये जाने पर प्रभाग ने पड़े हुए बिलों से फरवरी 1981 में आधिक्य भुगतान (0.54 लाख रुपये) समायोजित कर लिया।

मामला परिषद्/सरकार को मार्च/सितम्बर 1980 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1981)।

(ख) भण्डार अधिप्राप्ति मण्डल II, लखनऊ द्वारा कन्डक्टर की आपूर्ति के लिए 3 फर्मों पर प्रेषित (सितम्बर 1978) आदेशों में आपूर्तकों द्वारा कन्डक्टर के निरीक्षण के लिये प्रस्ताव किये जाने के दिनांक से एक माह पूर्व प्रचलित कच्चे माल (अल्युमिनियम और इस्पात तार) के आधार मूल्य पर आश्रित दरों में वैभिन्नता के लिए प्राविधान था। अल्युमिनियम का आधार मल्य 18 अक्टूबर 1979 के प्रभाव से भारत सरकार द्वारा 13,705.25 रुपये से 12,875.14 रुपये प्रति मीटरी टन घटा दिया गया। तथापि, 20 नवम्बर 1978 को फर्म द्वारा निरीक्षण के लिए प्रस्तावित 306.947 कि मी कन्डक्टर की आपूर्ति का भुगतान अल्युमिनियम के घटे हुए आधार मूल्य पर आधारित दरें घटायें बिना कर दिया गया। यह फर्मों को 0.26 लाख रुपये के अधिक भुगतान में परिणत हुआ। सम्परीक्षा में इंगित किए जाने पर (अप्रैल 1979) सितम्बर/अक्टूबर 1981 में दो फर्मों से 0.19 लाख रुपये की रकम का दावा किया गया, वसूली प्रतीक्षित थी। एक फर्म से प्राप्य धन का दावा नहीं किया गया था (अक्टूबर 1981)।

मामला परिषद् / सरकार को जनवरी/सितम्बर 1980 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1981)।

10.04. धन की हानि

0.46 लाख रुपये धनराशि की तीन चेकें उप प्रभागीय अधिकारी, कुण्डा द्वारा अपने उप-प्रभागीय लिपिक के पक्ष में पृष्ठांकित किए गये (सितम्बर 1979) जिसने 5 सितम्बर 1979 को ये चेकें प्रतापगढ़ में भुना लीं और प्रतापगढ़ में उपप्रभागीय कर्मचारियों को 0.08 लाख रुपये वितरित किये। शेष 0.38 लाख रुपये खो गये बताये गये जब कि उप प्रभागीय लिपिक और उसका गार्ड कुण्डा और प्रतापगढ़ के बीच मार्ग में थे जिसके लिये 5 सितम्बर 1979 को पुलिस में प्रतिवेदन लिखा दिया गया था। यह जानकारी में आया कि चेकें उप प्रभागीय लिपिक के पक्ष में गलती से पृष्ठांकित की गई थीं जो नकद संभालने के लिए अधिकृत न था। बीमा कम्पनी से किया गया दावा (सितम्बर 1979) कम्पनी के पास पड़ा था।

मामला परिषद्/सरकार को मई/सितम्बर 1980 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1981)।

10.05. बिक्री कर का अधिक भुगतान

उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 (जैसा 26 मई 1975 के प्रभाव से संशोधित) के आधीन परिषद् अपने प्रयोग के लिए क्रय सामानों पर बिक्री कर की रियाअती दर (30 जनवरी 1975 तक 3 प्रतिशत और उसके बाद 4 प्रतिशत) के लिए योग्य था। रियाअत प्राप्त करने के लिये परिषद् को निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा देनी होती थी।

विद्युत् पारेषण परिकल्पना मण्डल, लखनऊ ने निर्धारित घोषणा दिए बिना इलाहाबाद की एक फर्म से 68.58 लाख रुपये कुल मूल्य के क्रय किए (अगस्त 1978-फरवरी 1979) जो बिक्री कर के रूप में 2.06 लाख रुपये के परिहार्य भुगतान में परिणत हुआ।

मामला परिषद्/सरकार को मार्च/सितम्बर 1980 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1981)।

10.06. माइक्रो हाइडल सेटों का अनुपयोग

यह जानकारी में आया कि 1.18 लाख रुपये की लागत से 1963 में क्रय किए गये (चमोली जिले में माइक्रो हाइडिल स्टेशनों में प्रयोग के लिए) 8 माइक्रो हाइडिल सेट न तो उपयोग किए गये थे और न निस्तारित किए गये थे (मार्च 1981)। परिषद् ने बताया (सितम्बर 1972) कि सेटों का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि आशान्वित भार की दृष्टि में उच्च क्षमता के हाइडिल स्टेशन निर्मित कर दिए गए थे।

मामला परिषद् को दिसम्बर 1979 में और सरकार को सितम्बर 1980 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1981)।

अनुभाग XI

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

11.01. विषय प्रवेश

निगम राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत 1 नवम्बर 1954 को कानपुर में स्थापित हुआ था।

11.02. कार्य

निगम के लिए मुख्यतः राज्य में लघु एवं मध्यम औद्योगिक संस्थाओं को अचल सम्पत्ति यथा भूमि, फैक्टरी भवन, तथा संयंत्र की अधिप्राप्ति तथा नई इकाइयों को स्थापित करने और/या वर्तमान इकाइयों के नवीनीकरण, विस्तार, आधुनिकीकरण इत्यादि के लिए सावधि ऋण सहायता प्रदान करना अभीष्ट था। कार्यशील पूंजी या पूर्व ऋणों की अदायगी के लिये ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता है।

निगम, प्राइवेट एवं पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा पंजीकृत सहकारी समितियों में प्रत्येक को 30 लाख रुपये तक और अन्य मामलों में प्रत्येक को 15 लाख रुपये तक के ऋण स्वीकृत करने को प्राधिकृत है।

निगम को अन्य कार्य भी सम्पादन करने का अधिकार है जैसे औद्योगिक इकाइयों द्वारा पूंजीगत माल क्रय करने के लिये खुले बाजार या अनुसूचित बैंकों इत्यादि से उठाये गये ऋण पर गारंटी देना, पृथक्-पृथक इकाइयों के स्टाक, अंशों, बंध-पत्रों और ऋण-पत्रों में अभिदान करना, औद्योगिक इकाइयों के अंश, बंध पत्र और ऋण पत्र के निर्गमन का अन्डर राइटिंग करना, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या अन्य वित्तीय संस्थाओं के, उनके द्वारा स्वीकृत किये गये ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में, अभिकर्ता के रूप में कार्य करना।

निगम के वर्तमान समय में मुख्य क्रिया-कलाप निम्न हैं:

—सावधि ऋणों की स्वीकृति तथा वितरण,

—तकनीकी उद्यमियों को घटी हुई मार्जिन, परियोजनाओं के बनाने में तकनीकी मार्ग दर्शन द्वारा सहायता,

—विभिन्न योजनाओं के लिये ऋणों/उपदान के प्रशासन व वितरण यथा शिक्षित बेरोजगारों को स्वतः रोजगार,औद्योगिक संकुलों व शिक्षित बेरोजगारों को मार्जिन मनी ऋण, लघु स्तर इकाइयों को पूंजी उपदान और ब्याज उपदान के लिय राज्य/केन्द्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना, और

—देहरादून, रुड़की, झांसी तथा अतर्रा (बांदा) में 4 औद्योगिक संकुल स्थापित करना और इन संकुलों पर इकाइयों के चलाने के लिये चयन किये हुए उद्यमियों को पैकेज सहायता प्रदान करना।

11.03. प्रबन्ध

निगम का सर्वांगीण प्रबंध अध्यक्ष (अंशकालिक) तथा प्रबंध निदेशक को सम्मिलित करते हुए 12 निदेशकों से युक्त एक निदेशक मण्डल में निहित है। इन निदेशकों में से चार राज्य सरकार द्वारा नामित किये जाते हैं, एक भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) द्वारा और दो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) द्वारा, चार अनुसूचित बैंकों, सहकारी बकों, बीमा कम्पनियों और अन्य अंशधारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिये, अंशधारियों द्वारा चुने जाते हैं। प्रबंध

निदेशक की नियुक्ति आई डी बी आई की सलाह से राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य सरकार के उद्योग विभाग का आयुक्त/सचिव मंडल का वर्तमान अध्यक्ष है। प्रबंध निदेशक निगम के दिन-प्रतिदिन के प्रबंध की देख-रेख करते हैं और उनकी सहायता के लिये सामान्य प्रबंधक, सचिव तथा मुख्य लेखाधिकारी हैं। अपने कार्यों के सम्पादन में, मंडल, नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों से मार्ग-दर्शित होता है जो राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 39 (1) के अन्तर्गत आई डी बी आई की सलाह पर निर्गमित किये जाते हैं।

ऋणों की स्वीकृति व वितरण के कार्य को गति देने के लिये निगम ने क्षेत्रीय/शाखा प्रबंधकों के अन्तर्गत 13 क्षेत्रीय कार्यालय और 2 शाखा कार्यालय स्थापित किये हैं।

11.04. पूंजी संरचना

(क) 31 मार्च, 1980 को निगम की अधिकृत पूंजी 100 रुपये प्रत्येक के दस लाख अंशों से युक्त 10 करोड़ रुपये थी। प्रदत्त पूंजी जो 31 मार्च 1979 को 6.45 करोड़ रुपये से बढ़कर 7.45 करोड़ रुपये हो गयी थी, का विभाजन निम्न प्रकार से था:

विवरण	अंशों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)	अंशों का प्रतिशत
राज्य सरकार	4,07,860	407.86	54.75
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई)	3,07,500	307.50	41.27
अनुसूचित/सहकारी बैंक, जीवन बीमा और अन्य वित्तीय संस्थायें	27,096	27.10	3.64
अन्य	2,544	2.54	0.34
योग	7,45,000	745.00	100.00

(ख) राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 4 ए के अधीन निर्गमित विशिष्ट श्रेणी के अंशों को छोड़कर, अधिनियम की धारा 6 (1) के अनुसार मूलधन की अदायगी तथा 3.5 प्रतिशत वार्षिक लाभांश भुगतान करने की गारंटी दे रखी है। विशेष श्रेणी के अंशों पर अभी तक कोई लाभांश नहीं दिया गया था (मार्च 1981)।

(ग) 1975–76 के दौरान, निगम ने, राज्य सरकार तथा आई डी बी आई द्वारा समान रूप से अभिदत्त 35 लाख रुपये की विशेष अंशपूंजी (अधिनियम की धारा 4 ए के अन्तर्गत) बढ़ाई। इस पूंजी वृद्धि का उद्देश्य तकनीशियनों, उद्यमियों एवं शिल्पियों को लघु स्तर क्षेत्र में स्थापित करने के लिये परियोजनाओं हेतु आसान शर्तों पर सहायता प्रदान करना है। दी जा सकने वाली ऋण की अधिकतम धनराशि परियोजना लागत की 20 प्रतिशत या 2 लाख रुपये, जो कम हों, थी। इस योजना ने कोई प्रगति नहीं की क्योंकि इस संबंध में आई डी बी आई के मार्ग दर्शन पर राज्य सरकार का अनुमोदन (मई 1976 में प्रस्तुत) दिसम्बर 1980 में ही प्राप्त हुआ था। प्रबंधक ने बताया (जनवरी 1981) कि योजना के शीघ्र क्रियान्वयन की आशा थी।

11.05. उधार

निगम ने बंध-पत्रों के निर्गमन तथा अन्य उधारों से भी धन उठाया। 31 मार्च 1980 को उधार के बकाये की राशि 5,690.66 लाख रुपये निम्न प्रकार से थी:

विवरण	धनराशि (लाख रुपयों में)
(क) अधिनियम की धारा 7 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार से गारंटी किये हुए 1981 और 1990 के बीच अदा किये जाने वाले 6–6.75 प्रतिशत के बन्ध-पत्र	2,722.38
(ख) अधिनियम की धारा 7 (3) के अन्तर्गत राज्य सरकार से	22.09
(ग) अधिनियम की धारा 7 (4) के अन्तर्गत आई डी बी आई (पुनर्वित्त योजना) से	2,946.19
योग	5,690.66

11.06. वित्तीय स्थिति और कार्य परिणाम

(क) वित्तीय स्थिति

निम्न सारणी निगम की 1979–80 तक तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति बड़े शीर्षकों में संक्षेप में प्रदर्शित करती है:

विवरण	1977–78	1978–79	1979–80
		(लाख रुपयों में)	
पूंजी एवं दायित्व			
प्रदत्त पूंजी	495.00	645.00	745.00
संचित एवं आधिक्य	306.72	385.84	465.13
उधार			
बंध-पत्र और ऋण-पत्र	1,974.88	2,337.38	2,722.38
अन्य (आर्थिक सहायता और विशिष्ट योजनाओं क अन्तर्गत धन को सम्मिलित करते हुए)	1,509.30	2,123.72	3,252.00
अन्य दायित्व एवं प्राविधान	195.13	208.62	261.98
योग	4,481.03	5,700.56	7,446.49
परिसम्पत्तियां			
नकद एवं बैंक अवशेष	216.75	352.15	495.45

विवरण	1977–78	1978–79	1979–80
		(लाख रुपयों में)	
विनियोग	29.81	30.10	32.57
ऋण एवं अग्रिम	3,974.16	5,036.19	6,591.50
अन्डर राईटिंग संविदा के अन्तर्गत प्राप्त ऋण-पत्र, अंश इत्यादि	0.47	..	..
शुद्ध अचल परिसम्पत्तियां	22.60	27.53	29.42
लाभांश कमी खाता	13.50	13.50	13.50
अन्य परिसम्पत्तियां	223.74	241.09	284.05
योग	4,481.03	5,700.56	7,446.49
नियोजित पूंजी	3,815.59	4,844.71	6,086.25
शुद्ध मूल्य	788.22	1,017.34	1,196.63

टिप्पणी:

नियोजित पूंजी प्रदत्त पूंजी, बंध-पत्रों, निधि संचित और उधारों के प्रारम्भिक एवं अंतिम अवशेषों के औसत को प्रदर्शित करती है।

शुद्ध मूल्य प्रदत्त पूंजी और संचित के जोड़ में से प्रकीर्ण व्यय तथा हानियों को घटा कर निकाला गया है।

(ख) कार्य परिणाम

निगम के 1979–80 तक तीन वर्षों के कार्य परिणाम नीचे इंगित किये जाते हैं :

विवरण	1977–78	1978–79	1979–80
		(लाख रुपयों में)	
आय	394.40*	485.27	572.15**
व्यय (सेवोपहार धन एवं अप्राप्य ऋणों के प्राविधानों को सम्मिलित कर)	288.91	357.65	439.34
लाभ (कराधान एवं संचित के प्राविधानों के पूर्व)	105.49	127.62	132.81
कराधान के लिये प्राविधान	37.43	47.08	51.57@
संचित के लिये प्राविधान	55.25	62.89	59.37

*में सेवोपहार धन हेतु प्राविधानों की पुनरांकित (रिटिन बैक) धनराशि 5.71 लाख रुपये सम्मिलित है।

**में भविष्य निधि पर ब्याज के प्राविधान की पुनरांकित धनराशि 2.40 लाख रुपये सम्मिलित है।

@में 1.62 लाख रुपये का आयकर भुगतान सम्मिलित है।

विवरण	1977–78	1978–79	1979–80
		(लाख रुपयों में)	
लाभांश के लिये उपलब्ध लाभ	12.81	17.65	21.87
लाभांश दायित्व (न्यूनतम गारन्टी के अन्तर्गत)	12.78	17.63	21.93
नियोजित पूंजी	3815.59	4844.71	6086.25
नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (लाभ तथा ऋणों पर ब्याज)	298.03	369.39	439.63
		(प्रतिशत)	
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की दर	7.8	7.6	7.2

नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत 1977–78 में 7.8 प्रतिशत से घट कर 1979–80 में 7.2 प्रतिशत हो गया ।

धन के उपलब्ध श्रोतों तथा उनके उपयोग के सम्बन्ध में 1979–80 तक तीन वर्षों की स्थिति नीचे इंगित की जाती है :

	1977–78	1978–79	1979–80
		(लाख रुपयों में)	
स्रोत			
प्रदत्त पूंजी (अतिरिक्त उठायी गयी)	120.00	150.00	100.00
संचित	68.50	79.09	79.36
उधार (सकल)			
भारतीय रिजर्व बैंक से (प्रतिभूतियों की गिरवी के विरुद्ध)	..	..	25.00
भारतीय रिजर्व बैंक से (तदर्थ बंध पत्र)	150.00	171.00	..
आई डी बी आई से	392.60	825.28	1301.47
बन्ध पत्रों एवं ऋणपत्रों का निर्गमन	495.00	412.50	385.00
सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय / विमोचन	10.00	..	..
ऋणियों द्वारा ऋणों एवं अग्रिमों (मूलधन) की अदायगी	176.73	185.27	236.60
अन्य (नकद एवं बैंक अवशेषों को शामिल कर)	170.80	330.01	569.72
योग	1583.63	2153.15	2697.15
उपयोग			
ऋण एवं अग्रिम वितरित	749.22	1088.60	1668.18
सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग (अंकित मूल्य)	10.00	..	2.50
ऋणों की अदायगी			
राज्य सरकार को	11.09	7.84	8.10
भारतीय रिजर्व बैंक को (तदर्थ बन्ध पत्र)	50.00	171.00	..
भारतीय रिजर्व बैंक को (सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध गिरवी)	..	..	25.00

उपयोग	1977–78	1978–79	1979–80
	(लाख रुपयों में)		
आई डी बी आई को	193.63	231.26	301.82
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट का भुगतान	..	67.17	27.53
बंध पत्रों का विमोचन	50.00	50.00	..
नकद तथा बैंक जमा	216.75	352.15	495.45
अन्य (परिसम्पत्तियों में वृद्धि)	202.94	185.13	168.57
योग	1583.63	2153.15	2697.15

11.07. ऋण परिचालन

11.07.01. विषय प्रवेश

निगम का मुख्य कार्य औद्योगिक इकाइयों को ऋण स्वीकृत करना है। पार्टियों से ऋण के लिये निर्धारित प्रपत्र में आवेदनों पर निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के तकनीकी और वित्त अनुभाग में कार्यवाही की जाती है। दो लाख रुपये तक के ऋण क्षेत्रीय समितियों द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। 2 लाख रुपये से अधिक के ऋण मुख्यालय पर स्वीकृत होते हैं, 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक के ऋण एक आंतरिक समिति द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं, 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक के अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत बनायी गयी कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत होते हैं और 10 लाख रुपये से ऊपर के ऋण मंडल द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। ऋण, निगम के अधिकारियों द्वारा आवेदनकर्ताओं के परिसर की निरीक्षण किये जाने एवं स्थल पर उपलब्ध जमानत का सत्यापन किये जाने तथा यह सुनिश्चित करने (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण-पत्र के आधार पर) कि ऋणी के पास आवश्यक मार्जिन उपलब्ध है, के बाद वितरित किये जाते हैं।

11.07.02. **स्वीकृति एवं वितरण**

निम्न सारणी 1979–80 तक तीन वर्षों की अवधि के दौरान प्राप्त आवेदन-पत्र, स्वीकृत ऋण, वितरित धनराशि, इत्यादि को इंगित करती है :

	1977–78		1978–79		1979–80		संचयी (आरम्भ से)	
	संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)	संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)	संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)	संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
वर्ष के प्रारम्भ में अनिस्तारित आवेदन-पत्र	108	426.33	181	721.36	163	730.21	..	..
प्राप्त आवेदन-पत्र	978	3,387.76	1,210	4,350.37	4,268	6,239.00	12,635	33,417.47
योग	1,086	3,814.09	1,391	5,071.73	4,431	6,969.21	12,635	33,417.47
अस्वीकृत/वापस किये गये/निरस्त किये गये इत्यादि आवेदन-पत्र	299	880.09	500	1,609.30	1,349	2,349.97	4,765	12,437.66
स्वीकृत आवेदन-पत्र	606	2,017.04	728	2,848.77	2,745	3,320.02	7,568	16,856.03
वर्ष के अन्त में अनिस्तारित आवेदन-पत्र	181	721.36	163	730.21	337	947.19	337	947.19
स्वीकृति के बाद निरस्त किये गये/ घटाये गये आवेदन-पत्र	235	508.91	285	773.72	356	1,538.28	2,169	5,188.85
प्रभावी बचन बद्धतायें	..	4,469.55	..	5,431.31	..	6,124.52	..	11,667.18
वितरित ऋण	324	749.22	427	1,088.60	774	1,668.18	3,059	7,210.83
प्रभावी बचन बद्धताओं पर वितरित ऋण की प्रतिशतता	..	16.8	..	20.0	..	27.2	..	

टिप्पणी :– धनराशि के स्तम्भ (3) के अन्तर्गत और (4), (5) और (6) में दी हुई धनराशियों के जोड़ के आंकड़ों में अन्तर आवेदन की हुयी तथा वास्तव में स्वीकृत ऋण की धनराशि के अन्तर को प्रदर्शित करता है ।

संचयी आंकड़ों के संबंध में 35 आवेदन–पत्रों की त्रुटि का प्रबन्धकों द्वारा अभी समाधान होना है ।

प्रभावी स्वीकृतियों और वास्तविक वितरणों में अन्तर मुख्य तौर पर अपर्याप्त अनुसरण के कारण था। प्रबंधकों ने बताया (जून 1980) कि वैधानिक औपचारिकताओं के पूर्ण होने और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब, योजनाओं में प्रत्यावर्तन/परिवर्तन के निवेदन और बहुत से आवेदनकर्ताओं की उदासीनता, ऋणों के समय से वितरण सुनिश्चित करने में प्रमुख बाधायें थीं।

निगम ने आगे बताया (सितम्बर 1980) कि स्थिति और अच्छी हुई होती यदि निगम के नियन्त्रण से बाहर कुछ तत्व जैसे विद्युत की कमी, भवन एवं आवश्यक कच्चे माल की अनुपलब्धता साथ-साथ लागत में वृद्धि, अनिश्चित विपणन दशायें इत्यादि न होतीं।

11.07.03. ऋण का आकार

1979–80 तक तीन वर्षों के अन्त में निगम की ऋण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋणों (प्रभावी) की मात्रा निम्न प्रकार थी :

धनराशि (लाख रुपयों में)	1977–78 संख्या	1977–78 धनराशि (लाख रुपयों में)	1978–79 संख्या	1978–79 धनराशि (लाख रुपयों में)	1979–80 संख्या	1979–80 धनराशि (लाख रुपयों में)
0.50 तक	373	110.84	431	124.72	2,568	563.38
0.50 से 1.00	274	202.91	343	243.35	446	352.12
1.00 से 2.00	727	1081.45	862	1267.11	999	1626.83
2.00 से 5.00	830	2721.80	915	2998.99	813	2965.07
5.00 से 10.00	229	1770.09	267	2015.68	328	2226.56
10.00 से 20.00	109	1661.89	155	2273.29	193	2579.35
20.00 से 30.00	25	624.40	37	962.29	52	1353.86
जोड़	2567	8173.38	3010	9885.43	5399	11667.17

5 लाख रुपये या इससे अधिक के ऋण, 1979–80 तक तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत (प्रभावी) कुल ऋण के लगभग 49.64 प्रतिशत से 53.1 प्रतिशत तक होते थे।

11.07.04. ऋणों पर ब्याज

निगम द्वारा अग्रिम दिये हुए ऋणों पर प्रतिवर्ष ब्याज की दर समय से भुगतान की दशा में 2.5 प्रतिशत छूट के साथ पिछड़े जिलों के मामले में 12–16 प्रतिशत प्रति वर्ष और अन्य जिलों के मामलों में 13.5–17 प्रतिशत प्रति वर्ष के बीच थी। जब ऋण पुनर्वित्त द्वारा व्यवस्थित होते हैं तो कुछ श्रेणी के ऋणों पर ब्याज में 0.5–1.00 प्रतिशत की कमी की जाती है।

पहली जनवरी 1979 के पूर्व, ऋण की किस्तों की अदायगी में विलम्ब के लिये 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दण्ड ब्याज भारित किया जाता था। निगम के अनुसार दंड ब्याज का लगाना निगम की उपार्जित आय में, बढ़े हुए कर दायित्व के साथ वृद्धि के अलावा अदायगी में विलम्ब के लिये प्रभावशाली निवारक साबित नहीं हुआ। दण्ड ब्याज का लगाना पहली जनवरी 1979 से बन्द कर दिया गया।

11.07.05. ऋणों की उगाही

ऋण सामान्य तौर पर 2 वर्ष के अधिस्थगन काल के साथ 10 वर्ष के लिये स्वीकृत किये जाते हैं। ब्याज अर्द्धवार्षिक देय होता है (जून/दिसम्बर)। ऋण अनुबन्धों के प्राविधानों के अन्तर्गत, निगम द्वारा अग्रिम किये हुए ऋणों के सम्बन्ध में समस्त बकायों की उगाही, निगम की इच्छा पर, भू-राजस्व के बकाये की तरह की जाने की व्यवस्था है।

निगम ने चूक के मामलों को सुव्यवस्थित रूप से अनुसरण करने, मूलधन की अदायगी या ब्याज के भुगतान के लिये कोई प्रक्रिया नहीं निर्धारित की थी या कोई निर्देश/मार्गदर्शन नहीं जारी किया था। तथापि, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अपनायी गई सामान्य पद्धति निम्न प्रकार से थी :

—अर्द्धवार्षिक किस्तों के लिये नियत तिथि के एक पखवारे के पूर्व अग्रिम नोटिस निर्गमित किये गये,

—इसके बाद तीन महीने के भीतर अनुस्मारक पत्र (जहां आवश्यक हों) भेजे जाते थे,

—इसके बाद निरीक्षण के द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किये गये,

—इसके बाद प्रारम्भिक प्रत्याह्वान (रिकाल) नोटिसें निर्गत की गईं,

—देयों की तीन लगातार चूकों के बाद क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा ये मामले प्रधान कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये जिसने तब बकाये की पूरी धनराशि (ऋण और ब्याज) के वापस करने की मांग की नोटिस निर्गत की,

—इसके बाद तीन महीना बीतने पर, यू0पी0 पब्लिक मनी (रिकवरी आफ ड्यूज) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र (प्रबन्ध निदेशक द्वारा) से अनुसरण किया जाता था।

यह देखा गया कि अति प्राप्यों की वसूली हेतु एक सामयिक समीक्षा तथा प्रभावशाली अनुसरण के लिये कोई केन्द्रीय-कृत नियंत्रण अभिलेख नहीं रखे जा रहे थे।

निगम/सरकार ने बताया (जनवरी/मार्च 1981) कि जबकि इकाइयों का समय से निरीक्षण और अनुस्मारकों, प्रत्याह्वान नोटिसों, वसूली प्रमाण-पत्रों को निर्गत करने में शीघ्र कार्यवाही करने के कुछ मामलों में निगम की असफलता ने अति प्राप्यों की स्थिति में बढ़ोत्तरी की और अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों में वृद्धि की, अधिकांश मामलों में चूक बहुत से अन्य कारणों से थी, नामतः कच्चे माल की कमी, लगातार विद्युत आपूर्ति की अनुपलब्धता, धन की कमी इत्यादि।

जबकि ऋणियों द्वारा निगम को अपने संपरीक्षित लेखाओं की प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना आवश्यक था (बन्धक डीड के अनुसार) यह देखा गया कि अधिकांश मामलों में यह प्रस्तुत नहीं किये जा रहे थे। इस प्रकार सहायता प्राप्त इकाइयों की वित्तीय दशा के सम्बन्ध में सूचना के एक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय स्रोत से निगम वंचित रहा। यह भी देखा गया कि प्राप्त लेखाओं के आलोचनात्मक मूल्यांकन के लिये निगम के पास कोई प्रक्रिया या मशीनरी नहीं थी।

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1980) कि सभी क्षेत्र अधिकारियों को सहायता दी जाने वाली इकाइयों से संपरीक्षित वार्षिक लेखे प्राप्त करने और इकाइयों के वार्षिक निरीक्षण को सुनिश्चित करने के आदेश दे दिये गये थे (मई 1980)।

11.07.06. वितरणोपरान्त पर्यवेक्षण

(i) वितरित ऋणों के मामलों में वितरणोपरान्त निरीक्षण एवं अनुसरण, निगम के परिचालन में उपेक्षित क्षेत्र था। जबकि समस्त सहायता प्राप्त इकाइयों का निरीक्षण होना एक वर्ष में एक बार आवश्यक था, यह देखा गया कि किसी भी विभाग विशेष या कर्मचारी को विशेष रूप से यह

उत्तरदायित्व सौपा नहीं गया और न तो निगम के पास वर्षानुवर्ष किये गये अनुवर्ती निरीक्षणों की संख्या के बारे में कोई सूचना थी ।

निगम/सरकार ने बताया (जनवरी/मार्च 1981) कि जबकि निगम ने प्रत्येक इकाई को एक वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण कराने का प्रयत्न किया, क्षेत्रीय कार्यालयों में सीमित समय और कर्मचारियों के कारण विस्तृत निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं की जा सकी होगी ।

11.08.परख सम्परीक्षा (अगस्त–अक्टूबर 1980) के दौरान जानकारी में आये कुछ मामलों की मुख्य विशेषतायें नीचे दी जाती है :

11.08.01.एक यांत्रिक अभियन्ता के स्वामित्व की लखनऊ की एक फर्म को आक्जेलिक एसिड प्लान्ट स्थापित करने के लिये 13.63 लाख रुपये का ऋण निम्न प्रकार से स्वीकृत किया गया :

स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत धनराशि	आहरित धनराशि (मार्च 1980)	उद्देश्य
	(लाख रुपयों में)		
1970–71	5.40	5.40	भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनें
1971–72	0.30	0.29	ट्रान्सफार्मर
1975–76	2.00	1.98	तुलन उपकरण
1978–79	5.93	5.40	परियोजना के परिवर्तन के कारण अतिरिक्त संयंत्र
जोड़	13.63	13.07	

1.18 लाख रुपये के दो मार्जिन मनी ऋण भी स्वीकृत किये गये थे जिसके विरुद्ध मार्च 1980 तक 1.15 लाख रुपये वितरित हुए थे ।

फर्म ने 1976–77 में उत्पादन प्रारम्भ किया परन्तु कुछ भी भुगतान नहीं किया (0.30 लाख रुपये के एक दूसरे ऋण में से समायोजित 0.19 लाख रुपये को छोड़कर) और 31 दिसम्बर 1980 को 20.47 लाख रुपये मूलधन (14.03 लाख रुपये) और ब्याज (6.44 लाख रुपये) के रूप में बकाया था ।

क्योंकि इकाई ने हानियां उठायी थीं और ऋण और ब्याज की किस्तों का भगतान करने में असमर्थ थी, 7.70 लाख रुपये की अदायगी को 4 से 8 वर्षों में स्थगित करते हुए, ऋणों की अदायगी अवधि में संशोधन किया गया ।

राज्य सरकार के औद्योगिक सलाहकार ने जिनको प्रथम ऋण स्वीकृत करने के पूर्व प्रस्ताव मदर्भित हुआ था, इंगित किया था (सितम्बर 1970) कि फर्म का स्वामी न तो एक रसायनिक अभियन्ता था और न ही उसे आक्जेलिक एसिड प्लान्ट का कोई अनुभव था और यह कि योजना तकनीकी रूप से सुदृढ़ होगी यदि प्रक्रिया में नाइट्रिक तेजाब उगाही की व्यवस्था होती । किन्तु निगम ने नाइट्रिक तेजाब उगाही के लिये किसी व्यवस्था, यदि कोई हो, का सत्यापन किये बिना ऋण वितरित कर दिया और तुलन तथा अतिरिक्त संयंत्र हेतु जिसके लिये बाद में 7.93 लाख रुपये योग के दो ऋण स्वीकृत हुये थे के प्रस्ताव पर औद्योगिक सलाहकार से परामर्श नहीं लिया गया ।

इकाई ने 31 दिसम्बर 1980 तक अपने परिचालन के प्रथम चार वर्षों में 30.96 लाख रुपये की हानि उठाई। 20.47 लाख रुपये के प्राप्यों (दिसम्बर 1980) के विरुद्ध 31 मार्च 1980 को जमानत के मूल्य की धनराशि 12.82 लाख रुपये थी। निगम के तकनीकी आंकलन के अनुसार फर्म की भुगतान क्षमता संशोधित अदायगी कार्यक्रम के अनुरूप नहीं थी।

11.08.02. प्रवलित सीमेन्ट कन्क्रीट (पी सी सी) खम्भों की आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से एक संविदा (अक्टूबर 1969) प्राप्त करने के उपरान्त दिल्ली की एक साझेदारी फर्म ने 2 लाख रुपये के ऋण के लिये आवेदन किया। निगम ने बेहतर ऋण पूंजी अनुपात हेतु 3.50 लाख रुपये की बढ़ी हुई धनराशि का ऋण स्वीकृत किया (नवम्बर 1969)। बढ़े हुए ऋण के लिये बिना किसी नये आवेदन-पत्र के और 3.33 लाख रुपये की धनराशि दिसम्बर 1969-सितम्बर 1970 के दौरान अवमुक्त कर दी गयी। ऋण दिसम्बर 1971 से 8 वार्षिक किस्तों में अदा किया जाना था। फर्म ऋण की किस्तें अदा करने में आरम्भ से ही असफल रही तथा उत्पादन प्रारम्भ करने में विलम्ब और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को पी सी सी खम्भों की आपूर्ति में घाटे को ऋण अदा न करने का कारण बताया। इकाई के निरीक्षण (जुलाई 1972) ने प्रकट किया कि निर्माणशाला जनवरी 1972 से बन्द पड़ी थी। नेमी मांग नोटिसें नवम्बर 1972 तक निर्गत की गयीं थीं। अक्टूबर 1973 में कार्य कारणी समिति ने फर्म की बन्धक परिसम्पत्तियों की नीलामी से प्राप्यों की वसूली करने का निर्णय लिया। परन्तु जनवरी 1974 में अनुसूचित नीलाम निरस्त कर दिया गया क्योंकि फर्म ने 0.50 लाख रुपये तुरन्त और शेष को 0.08 लाख रुपये की मासिक किस्तों में अदा करने का आश्वासन दिया। किन्तु फर्म अपने आश्वासन पूरा करने में असफल रही। 5.50 लाख रुपये (जनवरी 1976 तक ब्याज तथा खर्चों के 2.17 लाख रुपये शामिल करते हुए) का वसूली प्रमाण-पत्र मार्च 1976 में निर्गत किया गया। किन्तु, राज्य सरकार के अनुरोध पर वसूली प्रक्रिया 6 महीने के लिये स्थगित कर दी गयी (अक्टूबर 1977) और फर्म से इकाई को पुनः चालू करने की योजना प्रस्तुत करने को कहा गया। इसके बदले में फर्म ने नट और बोल्ट के निर्माण की एक इकाई स्थापित करने हेतु 1.50 लाख रुपये के एक अतिरिक्त ऋणका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। निगम द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया और जून 1978 में 7.68 लाख रुपये (मई 1978 तक ब्याज और खर्चों के 4.35 लाख रुपये शामिल करते हुए) का वसूली प्रमाणपत्र निर्गत किया गया। पुनः राज्य सरकार के अनुरोध पर निगम ने वसूली प्रक्रिया स्थगित कर दी (अक्टूबर 1978) और मामला अभी भी राज्य सरकार से पत्राचार के अन्तर्गत था (मार्च 1981)।

11.08.03. गाजियाबाद में छेदन उपकरणों (ड्रिलिंग इक्युपमेन्ट) के निर्माण हेतु एक इकाई स्थापित करने के लिये एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी को 12 लाख रुपये (अप्रैल 1968) तथा 0.75 लाख रुपये (अप्रैल 1969) का ऋण स्वीकृत किया गया। भवन, संयंत्र और मशीनों में उपयोग होने वाले आवंटन, अदायगी अनुसूची, वितरण विधि, आदि से सम्बन्धित कुछ शर्तें जिन पर प्रथम ऋण स्वीकृत किया गया था प्रबन्ध निदेशक द्वारा (मई 1969) आंशिक रूप से संशोधित कर दी गईं (कम्पनी के निवेदन पर)। दूसरे ऋण की 0.19 लाख रुपये की (0.10 लाख रुपये नवम्बर 1971 में और 0.09 लाख रुपये मार्च 1972 में) दो अंतिम किस्तें मार्जिन कम करने के बाद तथा बढ़ायी गयी पूंजी के समर्थन में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण-पत्र को प्राप्त किये बिना तथा आपूर्तिकर्ताओं को किये गये अग्रिम भुगतान के दावे के समर्थन में बाउचरों का सत्यापन किये बिना वितरित की गयीं।

यह ऋण (12 लाख रुपये) जून 1972 से प्रारम्भ होकर 9 वार्षिक किस्तों में अदा होना था परन्तु कम्पनी द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया। 31 मार्च 1975 तक प्राप्य धनराशि 18.86 लाख रुपये (ब्याज सहित : 6.11 लाख रुपये) थी और निगम ने ऋण वापसी के लिये मांग नोटिस निर्गत किया (अप्रैल 1975)।

निगम ने कम्पनी से चिट्ठा (बैलेंस शीट), प्रगति प्रतिवेदन इत्यादि प्राप्त करने का कोई प्रयत्न नहीं किया तथा कम्पनी की वित्तीय स्थिति में किसी गिरावट के बारे में मण्डल में कम्पनी के नामित से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ । मई 1975 में कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध गम्भीर आरोप प्रकाश में आये और कम्पनी के बैंकर ने कम्पनी के कार्य एवं धन का अत्यन्त कुप्रबन्ध के कारण स्वीकृत साख सुविधा को ठप करने के बारे में निगम को तार से सूचित किया (मई 1975) । स्थिति के मूल्यांकन हेतु निगम द्वारा किये गये (जून 1975) निरीक्षण की उपलब्धियां मशीनरी के अधूरे सत्यापन पर आधारित थीं । कम्पनी परिसमापन में जा चुकी थी और कम्पनी की परिसम्पत्तियों को अधिकारिक परिसमापक ने अधिकार में ले लिया था (अप्रैल 1977) । 31 मार्च 1980 को कुल प्राप्य धनराशि 18.96 लाख रुपये (ब्याज : 31 मार्च 1975 तक 6.11 लाख रुपये, अन्य व्यय : 0.10 लाख रुपये को सम्मिलित करते हुए) थी और अब तक कुछ भी वसूली नहीं हुई थी (अक्टूबर 1980) ।

11.08.04. निगम ने नई दिल्ली की एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को, बिना यह पता लगाये कि कम्पनी को भारत सरकार से शराब बनाने का लाइसेन्स स्वीकृत था या नहीं तथा राज्य उद्योग निदेशालय से पंजीकृत थी या नहीं, गाजियाबाद में शराब का संयंत्र स्थापित करने के लिये 8.40 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया (नवम्बर 1970) जो बाद में बढ़ाकर 9.55 लाख रुपये कर दिया गया (सितम्बर 1971) । ऋण की प्रथम किस्त (0.62 लाख रुपये) नवम्बर 1972 में इस शर्त के साथ अवमुक्त की गयी कि आगे वितरण, शराब संयंत्र स्थापित करने हेतु लाइसेंन्स प्रस्तुत करने तथा राज्य सरकार से विद्युत हेतु स्वीकृति के बाद किया जायेगा । परन्तु निगम ने 8.70 लाख रुपये की ऋण की अगली किस्तों को लाइसेन्स तथा विद्युत भार की स्वीकृति के सत्यापन के बिना अवमुक्त कर दिया (जनवरी 1972 तथा मई 1973) ।

ऋण की अदायगी नवम्बर 1973 से आरम्भ होकर 8 वार्षिक किस्तों में होनी थी परन्तु इकाई उत्पादन में नहीं गयी और ऋण की किस्तों की अदायगी तथा ब्याज के भुगतान में व्यतिक्रम किया । निगम ने 16.87 लाख रुपये (दिसम्बर 1977 तक ब्याज : 7.39 लाख रुपये और व्यय : 0.16 लाख रुपये को सम्मिलित करते हुए) की धनराशि के प्राप्यों के लिये जिलाधिकारी को वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया (अप्रैल 1978) । इकाई की नीलामी 6 बार (अगस्त 1978–जनवरी 1979) रखी गयी परन्तु अपर्याप्त बोलियों (शराब बनाने के लाइसेंन्स की अनुपस्थिति में) परिसम्पत्तियां बेची नहीं जा सकीं और जिलाधिकारी द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र वापस कर दिये गये (जनवरी 1979) । इन प्राप्यों (दिसम्बर 1977 तक 7.39 लाख रुपये ब्याज को जोड़ते हुए 16.87 लाख रुपये) की वसूली के लिये आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई (जनवरी 1981) ।

11.08.05. कानपुर में वाईफरकेटेड रिविट बनाने की एक इकाई की स्थापना के लिये कानपुर की एक एकाधिकार स्वामित्व की फर्म को 3.45 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया । निगम ने 3.35 लाख रुपये अवमुक्त किया (अक्तूबर 1971–अप्रैल 1972) और अदायगी अक्तूबर 1972 से प्रारम्भ होकर 7 वार्षिक किस्तों में होनी थी । फर्म ने कोई भी भुगतान नहीं किया । निगम द्वारा जनवरी 1974 में स्थगित (पार्टी के निवेदन पर) 7.45 लाख रुपये (सितम्बर 1978 तक ब्याज: 4.06 लाख रुपये और व्यय 0.04 लाख रुपये को सम्मिलित करते हुए) के धनराशि की वसूली प्रक्रियायें अक्टूबर 1974 में पुनः आरम्भ की गयीं । निगम सितम्बर 1980 तक मात्र 0.30 लाख रुपये वसूल करने में समर्थ रहा था ।

ऋण स्वीकृत करते समय निगम ने मालिक के वित्तीय श्रोतों की जांच नहीं की और/या इकाई, जिसमें कि वह एक साझेदार था, का इतिहास प्राप्त नहीं किया । निगम के तकनीकी अधिकारी द्वारा वितरण बाद निरीक्षण (जलाई 1972) ने प्रकट किया कि इकाई में स्थापित मशीनरी (2.66 लाख रुपये के ऋण में से) नई नहीं थी और बम्बई तथा अमृतसर के मशीनरी आपूर्तिकर्ताओं के बीजकों की असलियत संदिग्ध थी । फिर भी, इस प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

मालिक और उसके पिता साथ में लगे हुए प्लाट में स्थित एक दूसरी फर्म "अ" (समान क्रिया-

कलाप में संलग्न) में साझेदार थे और इस इकाई में स्थापित सभी मशीनें बन्धक दस्तावेज की शर्तों का उल्लंघन करके उस फर्म के परिसर से हटाकर लाई गई थीं। फर्म "अ" ने भी निगम द्वारा 1964–65 में सहायता प्राप्त की थी और 1.54 लाख रुपये की सीमा तक (फरवरी 1976 तक ब्याज: 0.61 लाख रुपये सम्मिलित करते हुए) व्यतिक्रम किया था। फर्म "अ" के विरुद्ध वसूली प्रक्रिया मार्च 1976 में आरम्भ की गयी थी परन्तु मामले का अनुसरण निगम द्वारा जिलाधिकारी से नहीं किया गया।

11.08.06. लखनऊ की एक फर्म को, माइल्ड स्टील इंगट/बिलेट के निर्माण एक इकाई स्थापित करने के लिये 10 लाख रुपये का एक ऋण स्वीकृत किया गया और अप्रैल-नवम्बर 1971 के दौरान अवमुक्त धन अप्रैल 1973 से 9 वार्षिक किस्तों में अदा करना था। ऋण एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण-पत्र पर कि ऋणी ने 9.35 लाख रुपये विनियोजित किया था वितरित किया गया था। फर्म द्वारा प्रस्तावित जमानत का मूल्य निगम के तकनीकी अधिकारी द्वारा बिना कोई विवरण प्राप्त किये या यह सत्यापित किये कि मशीनें कार्यशील दशा में थीं, 17.98 लाख रुपये (पुरानी मशीनें: 13.11 लाख रुपये को सम्मिलित करते हुए) आंका गया। परन्तु वितरण बाद निरीक्षण (दिसम्बर 1971) ने यह प्रकट किया कि ऋणी द्वारा विनियोजन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण-पत्र में इंगित 9.35 लाख रुपये के विरुद्ध मात्र 0.64 लाख रुपये था। संयंत्र और मशीनों के क्रय/अधिप्राप्ति से संबंधित कागजात निगम के अधिकारियों को नहीं दिखाये गये क्योंकि उनके द्वारा इकाई के निरीक्षण के प्रत्येक अवसर पर ऋणी का आंतरिक सम्परीक्षक बाहर था। फर्म ने, अप्रैल 1973 में प्रथम किस्त (0.80 लाख रुपये) की अदायगी के बाद व्यतिक्रम किया और 31 मार्च 1980 तक प्राप्य धनराशि 9.13 लाख रुपये (मूलधन: 8.05 लाख रुपये, ब्याज: 1.08 लाख रुपये) थी। फिर भी, निगम द्वारा इसकी वसूली के लिये अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (मार्च 1981)।

निगम के पास 9.13 लाख रुपये के बकाये के विरुद्ध मात्र 0.64 लाख रुपये की जमानत थी।

11.08.07. नई दिल्ली की एक कम्पनी को गाजियाबाद में शुष्क बैटरी सेलों के निर्माण के लिये 20 लाख रुपये का एक ऋण स्वीकृत किया गया। फर्म द्वारा मांगे गये ऋण का बंटवारा निम्न प्रकार से था:

—फैक्ट्री बिल्डिंग:	10 लाख रुपये,
—आयातित मशीनें:	5 लाख रुपये,
—देशी मशीनें:	3.25 लाख रुपये; और
—भूमि के लिये उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (यू पी एस आई डी सी) को देय पट्टा प्रीमियम:	1.75 लाख रुपये।

सम्परीक्षा में परख जांच (अक्तूबर 1980) के दौरान यह जानकारी में आया कि जुलाई 1973 में वितरण पूर्व निरीक्षण के बाद ऋणी की मार्जिन सामान्यत: 50 प्रतिशत से 34 प्रतिशत कम करने पर वितरित की जा सकने वाली धनराशि 6.32 लाख रुपये होती थी। परन्तु, ऋणी से दूरभाष पर बात-चीत के बाद वितरित होने वाली धनराशि 17.35 लाख रुपये (पार्टी का कथन स्वीकार करके कि 16.35 लाख रुपये की अतिरिक्त सम्पत्ति सृजित की जा चुकी थी) तक बढ़ा दी गयी और 16 लाख रुपये की एक धनराशि जुलाई 1973 में अवमुक्त कर दी गयी। भारतीय स्टेट बैंक ने निगम को सूचित किया (जुलाई 1973) कि कम्पनी के कच्चे माल इत्यादि बैंक के पास गिरवीं थे और इस प्रकार कम्पनी के रहतियों पर प्रभार के सम्बन्ध में बंधक दस्तावेज में धारा प्रभावहीन थी। इसके बावजूद 1.75 लाख रुपये का पट्टा प्रीमियम का भुगतान मार्च 1974 में यू पी एस आई डी सी को कर दिया गया और इसके बदले में अतिरिक्त जमानत प्राप्त किये बिना मई 1974 में 2 लाख रुपये की अगली किस्तें वितरित की गयीं।

फैक्ट्री जनवरी 1974 से वाणिज्यिक उत्पादन में गयी और दिसम्बर 1975 में बन्द हो गयी।

ऋण जुलाई 1975 से 8 वार्षिक किस्तों (2.50 लाख रुपये) में अदा होना था। परन्तु कम्पनी ने कुछ भी अदायगी नहीं की और जनवरी 1979 में 36.87 लाख रुपये (ब्याज: 15.52 लाख रुपये और अन्य व्यय: 1.60 लाख रुपये) का वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया जो बाद में 6 महीने के लिये स्थगित कर दिया गया (अगस्त 1979) क्योंकि अन्य वित्तीय संस्थाओं का एक पुनर्जीवन कार्यक्रम विचाराधीन था। वसूली प्रक्रिया अब तक पुन: आरम्भ नहीं की गयी थी (जनवरी 1981) ।

11.08.08. कानपुर की एक औद्योगिक इकाई (मगरवारा, उन्नाव में अपने व्यापारिक स्थान सहित) को कम घनत्व के पालीथीन नलों, बोरियों और चादरों के निर्माण हेतु संयंत्र और मशीनें क्रय करने के लिये 1.27 लाख रुपये का एक ऋण स्वीकृत किया गया (जनवरी 1972)। 1.22 लाख रुपये की एक धनराशि मार्च 1972 में वितरित की गयी और इकाई ने जून 1972 में उत्पादन प्रारम्भ किया।

ऋण मार्च 1974 से 9 वार्षिक किस्तों में अदा होना था परन्तु ऋणी ने आरम्भ से ही व्यतिक्रम किया। अक्तूबर 1974 में एक निरीक्षण के दौरान इकाई बन्द हुई पायी गयी। फरवरी 1975 में ऋणी ने संयंत्र एवं मशीनों को कानपुर के एक किराये के परिसर में (निगम की वांछित आज्ञा के बिना) हटा दिया। निगम ने न तो इसको गम्भीरता पूर्वक लिया और न ही नए बंधक दस्तावेजों के निष्पादन के लिये कोई प्रभावी कदम उठाया। इकाई के निरीक्षण (अप्रैल 1975) के बाद निगम के अधिकारियों ने यह प्रतिवेदित किया कि (क) नये स्थल पर मशीनें लगाई नहीं गयी थीं, (ख) इकाई कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना कर रही थी, और (ग) उपलब्ध जमानत प्राप्यों की वसूली में अपर्याप्त थी। किन्तु, इस प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। वसूली प्रकिया जिलाधिकारी, उन्नाव के माध्यम से अगस्त 1975 में प्रारम्भ की गयी जिन्होंने नोटिस को वापस कर दिया क्योंकि स्थल पर न कोई फैक्ट्री और न ही कोई सम्पत्ति उपलब्ध थी। इसके बाद वसूली प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी, कानपुर को निर्गत किया गया (अक्टूबर 1976) जिन्होंने भी इस टिप्पणी के साथ इसे वापस कर दिया कि ऋणी का पता नहीं था और सम्पत्तियों का अस्तित्व ज्ञात नहीं था। 31 मार्च 1980 को वसूली योग्य राशि का योग ब्याज के 1.13 लाख रुपये को सम्मिलित करते हुए 2.35 लाख रुपये था। निगम ने बताया (सितम्बर 1980) कि साख गारण्टी योजना के अन्तर्गत आर बी आई से 1.09 लाख रुपये प्राप्त हुआ था (अगस्त 1980)।

11.08.09. मगरवारा (उन्नाव) में एक निर्माणशाला वाली कानपुर की एक इकाई को कृषि औजारों के निर्माण हेतु भूमि क्रय करने (0.15 लाख रुपये), फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने (0.54 लाख रुपये) और संयंत्र क्रय करने (0.50 लाख रुपये) के लिये 1.19 लाख रुपये का एक ऋण स्वीकृत हुआ था। ऋण, फरवरी 1972 में वितरित किया गया। बढ़ी हुई लागतों को पूरा करने के लिये 0.22 लाख रुपये का एक दूसरा ऋण स्वीकृत (जुलाई 1973) और वितरित (नवम्बर 1973) किया गया। फैक्टरी ने मार्च 1973 में उत्पादन प्रारम्भ किया परन्तु दिसम्बर 1974 तक अनियमित रूप से चली और जनवरी 1975 में बन्द कर दी गयी। फिर भी, एक जनरेटर क्रय करने के लिये फरवरी 1975 में 0.83 लाख रुपये का एक अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया गया और मई 1975 में 0.77 लाख रुपये वितरित किया गया। परन्तु फैक्टरी ने उत्पादन पुन: प्रारम्भ नहीं किया। ऋणी ने कुछ भी अदा नहीं किया। वसूली प्रक्रियायें जनवरी 1977 में प्रारम्भ की गयीं और मार्च 1978 में 3.16 लाख रुपये (ब्याज : 0.97 लाख रुपये तथा व्यय : 0,01 लाख रुपये को सम्मिलित करते हुए) का वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत

किया गया जो लागू नहीं किया जा सका क्योंकि व्यवसाय जुलाई 1977 से बन्द किया जा चुका था। जब नवम्बर 1978 में इकाई का पुनर्जीवन के सन्दर्भ में निरीक्षण किया गया तो यह देखा गया कि जनरेटर लगाया नहीं गया था और ऋण से खरीदी गयी मशीनें या तो गायब थीं या कूड़े के रूप में पड़ी थीं। 31 मार्च 1980 को वसूली हेतु कुल प्राप्य धनराशि 3.16 लाख रुपये (मार्च 1978 तक ब्याज : 0.97 लाख रुपये को सम्मिलित करते हुए) थी और अब तक कुछ भी वसूली नहीं की गई थी (मार्च 1981)।

11.08.10. नई दिल्ली की एक कम्पनी को गाजियाबाद में पूर्व ढलित स्तम्भ निर्माण संयंत्र की स्थापना हेतु 25.69 लाख रुपये का एक ऋण (आई डी ए क्रेडिट के विरुद्ध 12.07 लाख रुपये की मशीनों के आयात को सम्मिलित करते हुए) स्वीकृत किया गया (मार्च 1974)। 24.58 लाख रुपये की धनराशि वितरित हुई (अगस्त 1975 से जून 1977) और ऋण की शेष धनराशि (1.10 लाख रुपये) निरस्त कर दी गयी (जनवरी 1979)। ऋण अगस्त 1977 से प्रारंभ होकर 8 वार्षिक किस्तों में अदा होना था। निगम द्वारा शेडों के निर्माण के लिये इस कम्पनी को एक ठेका (25.94 लाख रुपये) दिया गया (नवम्बर 1976) और इस ठेके के विरुद्ध कम्पनी को देय धनराशि से ब्याज की तीन किस्तों की वसूली कर ली गयी। परन्तु मूलधन के किसी भी किस्त की वसूली नहीं की गयी यद्यपि 340 लाख रुपये का ठेके का भुगतान अगस्त 1977 के बाद किया गया। वसूली प्रक्रिया मार्च 1979 में आरम्भ की गयी और अगस्त 1979–अक्टूबर 1980 के दौरान सात अवसरों पर नीलामी हुई परन्तु नीलाम पर बोली बोलने वाला कोई नहीं आया। 31 मार्च 1980 को प्राप्य धनराशि 37.70 लाख रुपये (ब्याज और व्यय : 13.12 लाख रुपये को सम्मिलित करते हुए) होती थी।

11.09. नामित निदेशक

राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 27 (2) में निहित अधिकारों के कार्यान्वयन में निदेशक मंडल ने अध्यक्ष को 10 लाख रुपये या इससे अधिक के ऋण प्राप्त करने वाली इकाइयों के निदेशक मंडल में एक निदेशक (या तो निगम का एक अधिकारी या बाहर का विशेषज्ञ) नियुक्त करने के लिये प्राधिकृत किया (नवम्बर 1973)।

सहायता प्राप्त इकाइयों के निदेशक मंडल में 96 नामित निदेशक थे (जुलाई 1980) तथा कम्पनियों, जिनमें नामित निदेशक अभी भी नियुक्त होने थे, की संख्या के सम्बन्ध में सूचना तत्कालिक रूप से उपलब्ध नहीं थी (मार्च 1981)।

जब तक कि (दिसम्बर 1978) कम्पनी ने नामित निदेशकों हेतु मार्ग-दर्शन नहीं निर्गत कर दिया और उन्हें निगम के हित के प्रभावित करने वाले मामलों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये वांछनीय नहीं कर दिया तब तक नामित निदेशकों से प्रतिवेदन हेतु कोई तरीका बद्ध प्रक्रिया नहीं थी। ये प्रतिवेदन निदेशक मंडल के सामने रखे जाने अपेक्षित थे।

नामित निदेशकों की भूमिका को आइ डी वी आई द्वारा समीक्षा ने प्रकट किया कि सहायता प्राप्त इकाइयों की समस्त मंडल बैठकों में निगम के नामित उपस्थित नहीं होते थे, आवश्यक प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं किये जा रहे थे तथा प्रतिवेदनों में लाये गये मामलों का निगम द्वारा सक्रिय रूप से अनुसरण नहीं हो रहा था। निगम/सरकार ने बताया (मार्च 1981) कि नामित निदेशक समयाभाव और अन्य आवश्यक तथा महत्वपूर्ण कार्यों के दबाव के कारण कई मामलों में बैठकों में उपस्थित नहीं हो सके।

11.10. अदायगी में व्यतिक्रम

निम्न सारणी 1979-80 तक तीन वर्षों के अन्त में बकायों और व्यतिक्रमों की स्थिति को दर्शाती है :

वर्ष	बकाये की राशि			अतिप्राप्यों की धनराशि			अतिप्राप्य धनराशि का प्रतिशत	
	मूलधन	ब्याज	योग	मूलधन	ब्याज	योग	मूलधन	ब्याज
1977–78	3411.20	562.95	3974.15	395.09	291.88	686.97	11.6	51.8
1978–79	4316.15	720.04	5036.19	422.44	354.55	776.99	9.8	49.2
1979–80	5749.01	842.46	6591.50	514 21	418.66	932.87	8.9	49.7

उपरोक्त तालिका के आंकड़ों में उन मामलों के ब्याज, जहां वसूली प्रमाणपत्र निर्गत किये गये थे या जिनके लिये दीवानी मुकद्दमा कायम किया गया था या जहां व्यतिक्रम 3 वर्ष या ऊपर था, सम्मिलित नहीं हैं।

वसूली प्रमाण-पत्र तथा विधि मुकदमों के अधीन मामलों को हिसाब में लेने पर 1979-80 तक तीन वर्षों के अन्त में कुल अतिप्राप्य निम्न थे :

वर्ष	अतिप्राप्य	वसूली प्रमाण पत्र मामले	दायर किये गये मुकदमों के मामले	योग	कुल बकाये पर प्रतिशत
			(लाख रुपयों में)		
1977–78	686.97	486.95	15.74	1189.66	34.9
1978-79	776.99	846.19	15.75	1638.93	38.0
1979-80	932.87	1224.89	21.63	2179.39	38.0

अतिप्राप्यों का 31 मार्च 1980 को आयुवार विश्लेषण निम्न प्रकार से था :

अवधि	अतिप्राप्यों की धनराशि	
	मूलधन	ब्याज
	(लाख रुपयों में)	
3 महीने तक	33.84	9.73
3-6 महीने	33.35	88.22
6 महीने–1 वर्ष	64.39	51.52
1–2 वर्ष	85.75	48.41
2 वर्ष से अधिक	296.88	220.78
योग	514.21	418.66

उन ऋणियों, जिनके विरुद्ध विधि कार्यवाही आरम्भ की गयी है (1246.52 लाख रुपये) से प्राप्य कुल अवशेष विचार करनेपर अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्राविधान (54.95 लाख रुपये) लाभ के अधिक दिखाये जाने के परिणाम के साथ अपर्याप्त प्रतीत होगा।

जबकि निगम राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 29, 30 तथा 31 की शर्तों के अनुसार व्यतिक्रम के मामलों में इकाइयों के प्रबंध का अधिग्रहण करने, सहमति-अवधि के पूर्व कुल ऋण वापस मांगने तथा बंधक परिसम्पत्तियों को बेचने के लिये प्राधिकृत है यह इस आधार पर,कि प्रक्रियाये महंगी तथा अधिक समय लेने वाली पायी गयी थीं, अधिनियम के इन प्राविधानों को क्रियान्वित नहीं करता रहा है।

अक्तूबर 1979 में मण्डल ने व्यतिक्रम के बड़े मामलों के अध्ययन तथा बेहतर वसूली हेतु सामरिक महत्व की नीति प्रस्तुत करने के लिये एक वसूली समीक्षा समिति गठित किया। मार्च 1980 में हुई अपनी पहली बैठक में समिति ने (i) क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर अनुसरण व्यवस्था मजबूत करने, (ii) कि प्रत्येक इकाई का विस्तृत वार्षिक निरीक्षण होना चाहिये तथा (iii) कि 5 लाख रुपये के और ऊपर के अतिप्राप्य के सभी मामले समिति को प्रतिवेदित होने चाहिये, का निर्णय लिया। इस पर की गयी कार्यवाही तथा उनके परिणाम निगम से प्रतीक्षा में थे (मार्च 1981)।

1979-80 तक तीन वर्षों के दौरान कुल धनराशि जो प्राप्य होनी थी का विवरण तथा वर्ष के दौरान किसी एक समय में व्यतिक्रम की उच्चतम धनराशि नीचे दी जाती है :

वर्ष	प्राप्य धनराशि			वर्ष के दौरान व्यतिक्रम की उच्चतम धनराशि	व्यतिक्रम का प्रतिशत
	मूलधन	ब्याज	योग		
	(लाख रुपयों में)				
1977-78	355.91	351.90	707.81	466.07	65.8
1978-79	256.22	382.80	639.02	495.70	77.6
1979-80	351.41	491.86	843.27	508.57	60.8

सहायता प्राप्त इकाइयों के साथ प्राप्यों की वसूली हेतु जब कभी कोई व्यवस्था तय हो जाती है तो निगम जिलाधिकारियों से वसूली प्रमाण-पत्र वापस ले लेता है। यह देखा गया कि आरम्भ से ही कोई धनराशि अशोध्य ऋण के रूप में अपलेखित नहीं की गयी यद्यपि तमाम मामलों में ऋणियों/उनकी परिसम्पत्तियों के पते ठिकाने ज्ञात नहीं थे। निगम ने बताया (दिसम्बर 1979) कि वसूली के समस्त उपायों के समाप्त होने तथा संबंधित जिलाधिकारी से यह प्रमाण-पत्र लेने पर कि धनराशियां वसूल नहीं की जा सकीं और कि ऐसे प्रमाण-पत्र आसानी से नहीं मिल पा रहे थे, के बाद ही धनराशियां अपलेखित की जायेंगी। इस बीच निगम अपने लेखे में समस्त प्राप्य धनराशियों को अवधि व्यतीत हो जाने या वसूली की वास्तविक प्रत्याशा का विचार किये बिना वसूल होने योग्य प्रदर्शित करता रहा है।

निगम के अनुसार (दिसम्बर 1979) अतिप्राप्यों में वृद्धि के मुख्य कारण थे (i) विद्युत् आपूर्ति में व्यवधान के कारण इकाइयों का अनार्थिक कार्यकलाप (खासतौर पर विद्युत् चाप भट्टियों, लघु-स्पात तथा पुनर्वेलन संयंत्र); (ii) अभियंत्रण उद्योग में मन्दी; (iii) वस्त्र बाजार में भरमार; (iv) आयातित तथा दुर्लभ कच्चे माल की अनुपलब्धता तथा (v) ऋणियों की प्रबन्ध अक्षमता, इत्यादि। किन्तु आई डी बी आई ने एक प्रतिवेदन में जिस पर मण्डल द्वारा दिसम्बर 1979 में विचार किया गया, राय व्यक्त की कि निगम की व्यवस्थात्मक कठिनाइयां अतिप्राप्यों के लिये मुख्य उत्तरदायी तत्व थे।

11.11. पुनर्वित्त योजना

निगम को आई डी बी आई से पुनर्वित सुविधा उपलब्ध है जो कि 5 लाख रुपये तक के ऋणों के विरुद्ध पूर्ण एवं 5 लाख रुपये से अधिक के ऋणों के विरुद्ध 80 प्रतिशत का पुनर्वित स्वीकृत करता है। परन्तु, पिछड़े जिलों में वितरित ऋणों के संबंध में पूर्ण पुनर्वित स्वीकृत किया जाता है। आई डी बी आई द्वारा स्वीकृत परन्तु निगम द्वारा उपयोग न किये पुनर्वित पर 1 प्रतिशत प्रति वर्ष का वचनबद्धता भार देय है।

1979–80 तक तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत तथा उपयोग किये गये पुनर्वित्त तथा भुगतान किये गये वचनबद्धता भार की स्थिति निम्न थी :

वर्ष	पुनर्वित्त स्वीकृत		उपयोग में लाया गया पुनर्वित्त		वर्ष के दौरान उपयोग में न लाई गई धनराशि	उपयोग में न लाई गयी राशि का स्वीकृत राशि पर प्रतिशत	भुगतान किया गया वचनबद्धता भार
	वर्ष के दौरान	प्रगतिशील	वर्ष के दौरान	प्रगतिशील			
			(लाख रुपयों में)				
1977–78	1097.77	4979.76	392.60	2094.62	706.17	64.2	6.21
1978–79	2100.88	7080.64	825.28	2919.90	1275.60	60.7	6.03
1979–80	2784.67	9865.31	1301.47	4221.37	1483.20	53.3	9.38

वचनबद्धता भार के भुगतान में घटोत्तरी करने के दृष्टिकोण से समय-समय पर उपयोग में न लाये गये पुनर्वित्त की समीक्षा के लिये निगम द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया था।

11.12. साख गारण्टी योजना

निगम, लघु उद्योगों को अग्रिम किये गये ऋणों पर हानि के विरुद्ध आंशिक बचाव के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित साख गारन्टी योजना (जुलाई 1970) में सम्मिलित हुआ। तदनुसार निगम भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) से व्यतिक्रम धनराशि का 75 प्रतिशत (पहली अप्रैल 1974 से 90 प्रतिशत) या गारन्टी की गई धनराशि, जो भी कम हो, वसूल करने का हकदार था। गारन्टी के लिये निगम द्वारा गारन्टी के विरुद्ध अग्रिम किये हुए अधिकतम धन पर 0.25 प्रतिशत प्रति वर्ष का एक प्रभार देय था।

योजना के अनुसार दावों को उनके दायर करने के 30 दिन के अन्दर आर बी आई द्वारा निपटारा करना था। परन्तु निगम ने कोई अवधि सीमा या अवस्था, जिस पर आर बी आई के साथ दावे दायर होने थे, निर्धारित नहीं किया था। प्रबन्धकों ने बताया (जून 1980) कि वे इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं को दोष रहित करने के निमित्त कार्यवाही कर रहे थे। अप्रैल 1973 से मार्च 1980 की अवधि के दौरान निगम ने 123.18 लाख रुपये योग के 74 दावे दायर किये थे जिसके विरुद्ध 13.34 लाख रुपये धनराशि (10.8 प्रतिशत) के केवल 11 दावों का भुगतान मिला, 22.87 लाख रुपये धनराशि के 12 मामले ऋण की अदायगी तिथियों में संशोधन (रिशिड्लिंग) के कारण वापस ले लिये गये तथा 1.08 लाख रुपये धनराशि का एक मामला योजना के अन्तर्गत न होने के कारण आर बी आई द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। 85.89

लाख रुपये (वर्षवार बटवारा नीचे दिया हुआ) योग के शेष 50 दावे आर बी आई के पास पड़े थे (मार्च 1980)

वर्ष	संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1973–74	4	5.99
1975–76	1	1.34
1976–77	7	12.61
1977–78	10	19.82
1978–79	26	42.81
1979–80	2	3.32
जोड़	50	85.89

प्रबन्धकों/सरकार ने बताया (मार्च 1981) कि प्रक्रिया में क्रियाविधिक कठिनाइयां विलम्बित निपटारे के मुख्य कारण थे ।

11.13. सरकारी ऋण योजना

निगम, राज्य/केन्द्रीय सरकार ऋण योजना के अन्तर्गत ऋणों/उपदानों के वितरण, प्रशासन इत्यादि हेतु राज्य/केन्द्रीय सरकार के अभिकर्ता के रूप में भी कार्य करता है ।

राज्य/केन्द्रीय सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास हेतु 1972–73 के आगे से उपदानों/ऋणों के रूप में वितरण हेतु विशेष योजनाओं के निमित्त निगम के निस्तारण पर धन दिया । इस सेवा के लिये निगम को कोई एजेन्सी कमीशन देय नहीं था । प्राप्य धन निगम के कार्यशील धन में मिला दिया गया । राज्य सरकार ने योजनाओं के आरम्भ से इन विशेष फन्डों के अवशेष पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज भारित करने का निर्णय लिया (जुलाई 1976) तथा निगम को इन विकासमान क्रिया-कलापों पर होने वाले व्ययों को पूरा करने के लिये एक अतिरिक्त फण्ड सृजित करना था । परन्तु निगम ने इस मद पर 1976–77 से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर प्राविधान किया । खर्च न किया गया धन सरकारी कोषागार में खोले गये एक व्यक्तिगत लेखा खाता में मार्च 1979 में स्थानान्तरित कर दिया गया । निगम ने अपने प्रशासनिक खर्चों, जो कि 1979–80 से उसके अपने धन से पूरा किये जा रहे थे, को पूरा करने के लिये ब्याज फण्ड की स्थापना नहीं की ।

निगम द्वारा प्राप्त धन, वितरित धन तथा 1979–80 तक उपयोग में न लाये गये शेष धन नीचे विवरणित हैं :- -

विवरण	अवधि	प्राप्त धनराशियां	वितरित धनराशियां	वापस की गयीं/ स्थानान्तरित की गई धनराशियां	अवशेष (वर्धमान)
		(लाख रुपयों में)			
(क) अनुदान/	मार्च 1977 तक	426.78	375.98	38.52	12.28
उपदान	1977–78	181.20	155.81	..	37.67
योजनायें	1978–79	133.38	90.29	..	80 76
	1979–80	187.65	58.15	9.00	201.26
		929.01	680.23	47.52	

विवरण	अवधि	प्राप्त धनराशियां	वितरित धनराशियां	वापस की गयीं/ स्थानान्तरित की गई धनराशियां	अवशेष (वर्धमान)
			(लाख रुपयों में)		
(ख) ऋण योजनायें	मार्च 1977 तक	170.98	26.53	93.33	51.12
	1977–78	25.00	9.01	..	67.11
	1978–79	7.00	21.94	..	52.73
	1979–80	43.00	24.68	1.52	68.97
		245.98	82.16	94.85	

यह देखा जायेगा कि 1174.99 लाख रुपये की कुल प्राप्त धनराशि के विरुद्ध 270.23 लाख रुपये की एक धनराशि अनुपयोगित रही ।

उदाहरणार्थ

(क) औद्योगिक संकुलों हेतु मार्जिन मनी ऋण के लिये 1976–77 में सरकार द्वारा अग्रिम किये गये 20.78 लाख रुपये की धनराशि में से 1979–80 के अन्त तक 6.97 लाख रुपये (33 प्रतिशत) की धनराशि के ऋण वितरित किये गये ।

(ख) एक अन्य मामले में एक हस्तकर्घा संकुल हेतु मार्जिन मनी ऋण प्रदान करने के लिये सरकार से कुल 20.80 लाख रुपये के प्राप्त धन में से वास्तविक वितरण की धनराशि 3.31 लाख रुपये (15.9 प्रतिशत) थी :

वर्ष	प्राप्त धनराशि	वितरित धनराशि
	(लाख रुपयों में)	
1976–77	6.80	..
1977–78	7.00	0.31
1978–79	7.00	1.53
1979–80	..	1.47
जोड़	20.80	3.31

11.14. क्रियान्वित न की गयी योजनायें

निम्न योजनायें जिन्हें निगम ने 1975–76 में लेने का निर्णय किया था अभी तक क्रियान्वित नहीं की गयी हैं (मार्च 1981) :

—लघु उद्योगों की पूंजी में भागीदारी ।

—नर्म शर्तों पर मार्जिन मनी ऋणों हेतु योजनायें ।

प्रबन्धकों ने बताया (जनवरी 1981) कि इन योजनाओं को अब अन्तिम रूप दिया जा चुका था ।

11.15. औद्योगिक संकुलों की स्थापना

राज्य सरकार ने 1976 में समस्त आवश्यक सुविधायें यथा वित्तीय सहायता, सर्वेक्षण तथा परियोजना प्रतिवेदनों के लिये सलाहकारी सेवा, भूमि अधिप्राप्ति एवं विकास में सहायता, कारखाना शेडों का निर्माण, विद्युत एवं जलसम्पूर्ति, मशीनों एवं उपकरणों का क्रय, कार्यशील पूंजी का प्राविधान, कच्चे माल की आपूर्ति, निर्यात लाइसेन्स विपणन इत्यादि, प्रदान करने के द्वारा एक ही प्रकार के उद्योग की बहुत सी इकाइयों हेतु औद्योगिक संकुल विकसित करने की एक योजना आरम्भ किया

निगम को वित्तीय सहायता के लिये समन्वयकारी एजसी के रूप में सेवा प्रदान करना था और कुल परियोजना लागत के 2 प्रतिशत तक सरकारी उपदान का हकदार था ।

उद्यमियों को कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत विनियोजित करना वांछनीय था जिसमें से 5 प्रतिशत तक राज्य सरकार से नर्म ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाना था । शेष 90 प्रतिशत लागत सावधि ऋणों के रूप में निगम तथा बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाना था ।

राज्य सरकार ने निम्नलिखित 4 संकुलों की स्थापना का काम निगम को सौंपा (मार्च 1976) :

---ऊनी होजरी संकुल, देहरादून
--रेखण उपकरण संकुल, रुड़की
--हस्त एवं कटाई औजार संकुल, झांसी
---धान आधारित संकुल, अतर्रा (बांदा) ।

निम्न सारणी प्रत्येक संकुल की आयोजनागत इकाइयों की संख्या तथा परियोजना की अनुमानित लागत इंगित करती है :

संकुल का नाम	इकाइयों की संख्या	परियोजना लागत				
		भूमि	भवन	मशीनें एवं प्रकीर्ण	कार्यशील पूंजी	योग
		(लाख रुपयों में)				
ऊनी होजरी, देहरादून	16	1.52	11.00	46.97	42.95	102.44
रेखण उपकरण, रुड़की	30	2.03	12.60	62.50	35.00	112.13
हस्त एवं कटाई औजार, झांसी	16	1.40	12.50	52.92	35.00	101.82
धान आधारित संकुल, अतर्रा (बांदा)	7	2.00	18.00	105.00	10.00	135.00
योग	69	6.95	54.10	267.39	122.95	451.39

(क) ऊनी होजरी संकुल

यह संकुल उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (यू पी एस आई डी सी) द्वारा इस उद्देश्य से पहले से ही आरक्षित एक भूखण्ड पर स्थापित होना था । उद्योग विभाग ने निगम को सूचित किया (अगस्त 1976) कि 1 रुपया प्रति वर्ग फुट की दर से 16 भूखण्डों के लिये भूमि की लागत (0.83 लाख रुपये) देहरादून इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव इस्टेट लिमिटेड को भुगतान करनी थी । 91 आवेदकों में से उनकी तकनीकी, प्रबन्धकीय तथा वित्तीय क्षमता विचार करने के बाद निगम ने इस संकुल के लिये 21 उद्यमियों का चयन किया (सितम्बर 1976) । 11 आवेदकों ने इस परियोजना के लिये अभिदान का अपना हिस्सा जमा किया ।

परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु निगम ने शेडों का निर्माण कार्य अपने स्वयं के धन से शुरू किया तथा यह व्यय उद्यमियों द्वारा उनको स्वीकृत ऋणों में से प्रतिपूर्ति किया जाना था । 15 शेडों का निर्माण कार्य नई दिल्ली की एक फर्म (निगम की सहायता प्राप्त ईकाइयों में से एक) को प्रति शेड 1.73 लाख रुपये (0.70 लाख रुपये के परियोजना अनुमान के विरुद्ध) तथा स्थल विकास हेतु 0.15 लाख रुपये प्रति भूखण्ड की बातचीत द्वारा तय किये गये दर पर सौंपा गया (नवम्बर 1976) । कार्य, भूमि का औपचारिक अधिग्रहण किये बिना आरम्भ कर दिया गया । अनुबन्ध

के अनुसार समस्त शेडों का निर्माण अप्रैल 1977 तक पूर्ण हो जाना था जिसके विरुद्ध अक्टूबर 1977 तक केवल 6 शेड पूर्ण हुए थे और शेष शेड अभी भी अधूरे थे (मार्च 1981)। फर्म को स्थल विकास के लिये 1.40 लाख रुपये (नवम्बर 1977/अगस्त 1978) के अतिरिक्त 25.94 लाख रुपये शेडों के निर्माण लागत हेतु भुगतान किये गये (दिसम्बर 1976–सितम्बर 1977)। स्थल विकास के लिये शेष 0.85 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव इस्टेट प्राधिकारियों ने, इस आधार पर कि स्थल विकास उनके द्वारा किया गया था, निगम से स्थल विकास की लागत (2.25 लाख रुपये) का दावा किया था (जुलाई 1979)।

1.88 लाख रुपये प्रति की दर से 6 शेड 5 उद्यमियों को आवंटित किये गये थे (नवम्बर 1977)। दर निर्धारित करते समय निगम ने ठेकेदार को अग्रिम किये गये धन पर 1.35 लाख रुपये का ब्याज दायित्व (15 शेड) हिसाब में नहीं लिया। शेष 9 शेड, नवम्बर 1977 से स्थगित निर्माण कार्य, भूमि की लागत पर झगड़े के कारण, जो अब तक निबटा नहीं था (जनवरी 1981), आवंटित नहीं किये गये थे।

परख जांच (अक्टूबर 1980) ने निम्न बातें प्रकट की

(i) जबकि 6 शेड उद्यमियों को नवम्बर 1977 में हस्तान्तरित हो गये थे 5 शेडों के सम्बन्ध में (स्वीकृत और वितरित किये गये ऋणों के विरुद्ध), 1978 के बाद से उद्यमियों की दलील के कारण कि शेडों की लागत बहुत ऊंची थी तथा निर्माण कार्य निम्न स्तर का था, बन्धक पत्र निष्पादित नहीं किये गये थे। (एक शेड की लागत जिसके लिये अक्टूबर 1978 में बन्धक पत्र निष्पादित किया गया था निगम द्वारा ऋण की तरह मान ली गई)।

(ii) एक शेड इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव इस्टेट लिमिटेड के एक सदस्य के भूखण्ड पर निर्मित किया गया था जिसने निगम तथा ठेकेदार के विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया था (जुलाई 1977) और मामला अदालत में विचाराधीन था (मार्च 1981)।

(iii) निगम ने अभी तक (सितम्बर 1980) इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव इस्टेट लिमिटेड को 9 भूखण्डों (झगड़े के अन्तर्गत एक को सम्मिलित करते हुए) के लिये भूमि की लागत का भुगतान नहीं किया था। 1 रुपया प्रति वर्ग फुट की दर पर 2 भूखण्डों का भुगतान (मार्च 1979) इस्टेट प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि उन्होंने भूमि की लागत 3 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से निर्धारित की थी और बाद में पहली अगस्त 1979 से 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया था (अगस्त 1979)।

(iv) यह देखा जायेगा कि शेडों के निर्माण हेतु परियोजना, 25.46 लाख रुपये की सीमा तक धन के फंस जाने के रूप में परिणत हुई थी (मार्च 1981)।

(ख) रेखण और उपकरण संकुल, रुड़की

इस संकुल में यू पी एस आई डी सी द्वारा दी जाने वाली विकसित भूमि पर 20 ईकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव हुआ था (मार्च 1976)। ईकाइयों से दिसम्बर 1977 तक उत्पादन प्रारम्भ करने की आशा की गयी थी और विनियोग, 324 लाख रुपये के वार्षिक विक्रय के साथ, 119.15 लाख रुपये (कार्यशील पूंजी को सम्मिलित करते हुए) अनुमानित किया गया था। चयन किये हुए 18 उद्यमियों में से केवल 14 ने मार्जिन मनी जमा किया था। 7 ईकाइयों को ऋण (7.85 लाख रुपये) वितरित किये गये जिनमें से 5 ईकाइयां उत्पादन में गईं (जनवरी 1981)। एक इकाई में बैंकों से कार्यशील पूंजी ऋण की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन प्रारम्भ न हो सका; सीमेन्ट के एक अभाव के कारण एक भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। अन्य मामलों में ऋणों की स्वीकृति हेतु औपचारिकतायें प्रगति में थीं (जनवरी 1981)।

(ग) हस्त एवं कटाई औज़ार संकुल, झांसी

यू पी एस आई डी सी द्वारा दी गयी भूमि पर, मातृ इकाई को सम्मिलित करते हुए 6 ईकाइयां स्थापित होना प्रस्तावित थीं। इन ईकाइयों में अप्रैल 1978 में उत्पादन प्रारम्भ होना था और इनकी लागत 393.32 लाख रुपये की वार्षिक बिक्री के साथ, 188.32 लाख रुपये (कार्यशील पूंजी को सम्मिलित करते हुए) की अनुमानित की गई थी। संकुल के लिये चयन किये हुए 17 उद्यमियों में से केवल 3 ने मार्जिन मनी जमा किया था (नवम्बर 1976 से मार्च 1978) तथा इनको ऋण स्वीकृत किया गया था (नवम्बर 1977 से जुलाई 1978)। परन्तु बाद में उनमें से 2 योजना से हट गये। अब तक केवल 1 शेड का निर्माण कार्य लिया गया था (मार्च 1981)।

निगम ने 1.20 लाख रुपये की कुल शुल्क पर संकुल के लिये साध्यता प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नई दिल्ली की एक फर्म को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। बाद में शुल्क, साध्यता प्रतिवेदन की प्रस्तुति के चरण तक, 0.78 लाख रुपये पर निर्धारित किया गया और धनराशि का भुगतान नवम्बर 1976 में (0.30 लाख रुपये) तथा जुलाई 1977 (0.48 लाख रुपये) किया गया। मातृ ईकाई के लिये साध्यता प्रतिवेदन (जुलाई 1977) में 86 लाख रुपये के विनियोग का प्राविधान था। सलाहकार ने संकुल की मातृ ईकाई को या तो स्वतंत्र रूप से या निगम के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित करने के निगम के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया (दिसम्बर 1978) एक दूसरी कम्पनी ने मातृ ईकाई को स्थापित करने का प्रस्ताव किया (जनवरी 1979) परन्तु भारत सरकार मातृ ईकाई के लिये लाइसेन्स के हस्तान्तरण पर सहमत नहीं हुई क्योंकि गढ़े जाने वाले (फोर्ज्ड) हस्त औजारों का निर्माण लघु स्तर ईकाईयों के लिये आरक्षित था। क्षेत्र में जल की दुर्लभता के कारण यू0 पी0 जल निगम गर्मियों के दौरान संकुल को जल आपूर्ति के लिये सहमत नहीं था। इसके अतिरिक्त, संकुल से गुजरने वाली विद्युत पारेषण लाइन अभी भी हटाई जानी थी (जून 1980)।

अप्रैल 1980 में गठित समिति (सभी औद्योगिक संकुलों की प्रगति की समीक्षा के लिये उद्योग आयुक्त एवं निदेशक की अध्यक्षता में) ने उस योजना को समाप्त करने का निगम का प्रस्ताव अनुमोदित किया (अप्रैल 1980) और सुझाव दिया कि भूखण्डों को अन्य प्रत्याशित औद्योगिक ईकाइयों को आवन्टित कर दिया जाये।

(घ) धान आधारित औद्योगिक संकुल, अतर्रा (बांदा)

एक्टीवेटेड कार्बन, चावल की भूसी का तेल, गत्ता तथा चावल मिल, इत्यादि के निर्माण हेतु 7 इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित हुई (मई 1976)। विनियोग तथा वार्षिक बिक्री क्रमशः 135 लाख रुपये (कार्यशील पूंजी को सम्मिलित करते हुए) तथा 235 लाख रुपये अनुमानित किये गये। संकुल के लिये चयन किये हुए 7 उद्यमियों में से किसी ने भी मार्जिन मनी जमा नहीं की यद्यपि 4 मामलों में ऋण स्वीकृत किये गये थे। एक शेड निर्माण के अन्तर्गत होना बताया गया (जनवरी 1981)।

अतर्रा संकुल के लिये भूमि यू पी एस आई डी सी द्वारा 1.55 रुपये से 1.65 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर पर दिया जाना प्रस्तावित था। भूमि की ऊंची लागत के कारण उद्यमी आगे नहीं आ रहे थे तथा परियोजना ने कोई प्रगति नहीं की थी। औद्योगिक संकुलों की प्रगति की समीक्षा हेतु समिति ने तय किया (अप्रैल 1980) कि अतर्रा के भूखण्ड अन्य उद्यमियों को आवंटित कर दिये जायं और कोई उत्तर न मिलने पर योजना समाप्त की जानी चाहिये।

11.16. निष्कर्ष

(i) निगम ने, लघु स्तर क्षेत्र में तकनीशियनों/दस्तकारों द्वारा स्थापित होने की नई परियोजनाओं हेतु नर्म शर्तों पर सहायता प्रदान करने के लिये 1975–76 के दौरान विशेष अंशपूंजी के रूप में 35 लाख रुपये उठाया परन्तु इस प्रकार का कोई भी ऋण स्वीकृत नहीं किया गया था।

(ii) 31 मार्च 1980 तक निगम ने 12,635 आवेदन-पत्र (334.17 करोड़ रुपये) प्राप्त किए थे, 7,568 आवेदनकर्ताओं को ऋण (168.56 करोड़ रुपये) स्वीकृत किया था, 3,059 ऋणियों को ऋण (72.11 करोड़ रुपये) वितरित किया था तथा 2,169 मामलों (51.89 करोड़ रुपये) में स्वीकृत ऋण निरस्त/कम कर दिया गया था।

(iii) प्रत्याशी ऋणियों की विधि औपचारिकतायें पूरा करने में अयोग्यता तथा परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब, योजनाओं में प्रत्यावर्तन/परिवर्तन के लिये निवेदन तथा तमाम आवेदनकर्ताओं की उदासीनता, ऋणों के समय से वितरण सुनिश्चित करने में प्रमुख बाधायें निगम द्वारा बताई गयीं।

(iv) सहायता प्राप्त इकाइयों के निदेशक मण्डल में निगम के नामित सभी मण्डल बैठकों में उपस्थित नहीं हो रहे थे, वांछनीय प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं किये जा रहे थे तथा प्रतिवेदनों में लाये गये मामलों पर निगम द्वारा सक्रिय रूप से अनुसरण नहीं हो रहा था।

(v) बिना यह सुनिश्चित किये कि क्या एक कम्पनी को भारत सरकार से शराब बनाने का लाइसेंस स्वीकृत किया गया था, उसे 9.32 लाख रुपये का एक ऋण सूरा कर्मशाला स्थापित करने हेतु वितरित हुआ था (नवम्बर 1971–मई 1973), यह ईकाई उत्पादन में नहीं गई तथा निगम के प्राप्यों का भुगतान करने में व्यतिक्रम किया। प्राप्यों की वसूली हेतु ईकाई की नीलामी की गयी परन्तु शराब बनाने के लाइसेन्स के अभाव में इकाई की परिसम्पत्तियां बेची नहीं जा सकीं। वसूली योग्य धनराशि 16.87 लाख रुपये (दिसम्बर 1977 तक 7.39 लाख रुपये ब्याज को सम्मिलित करते हुए) होती थी।

(vi) 31 मार्च 1980 को ऋणियों से वसूल होने वाली धनराशि (65.92 करोड़ रुपये ब्याज : 8.42 करोड़ रुपये को सम्मिलित करते हुए) में मूलधन (5.14 करोड़ रुपये) तथा ब्याज (4.19 करोड़ रुपये) के लिये वसूली हेतु 9.33 करोड़ रुपये का अतिप्राप्य सम्मिलित था तथा प्राप्य धनराशि का 8.9 प्रतिशत तथा 49.7 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता था।

(vii) 9.33 करोड़ रुपये में 12.25 करोड़ रुपये जिसके वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किये जा चुके थे तथा 0.22 करोड़ रुपये जिसके लिये मुकदमें दायर किये गये हैं, सम्मिलित नहीं है।

(viii) 1979–80 तक तीन वर्षों में वर्ष के दौरान कुल प्राप्य धनराशि पर अधिकतम व्यतिक्रमित धनराशि का प्रतिशत 60.8 से 77.6 के बीच रहा।

(ix) 1979–80 तक 98.65 करोड़ रुपये के स्वीकृत पुनर्वित्त के विरुद्ध निगम ने 42.21 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त का उपयोग किया तथा 1979–80 तक तीन वर्षों की अवधि के दौरान गिरावट का प्रतिशत 53.3 से 64.2 के बीच रहा।

(x) उपयोग में न लाये गये पुनर्वित्त के लिये निगम ने 1979–80 तक तीन वर्षों के दौरान 21.62 लाख रुपये वचनबद्धता भार के लिये भुगतान किया।

(xi) साख गारन्टी योजना के अन्तर्गत गत 7 वर्षों से संबंधित 85.89 लाख रुपये धनराशि के 50 प्रतिपूर्ति दावे भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन थे। ये दावे दायर किये जाने के 30 दिन के अन्दर निपट जाने थे।

(xii) विशेष योजनाओं के अन्तर्गत उपदान/ऋणों का वितरण धीमा था।

(xiii) निगम को 451.39 लाख रुपये की अनुमानित परियोजना लागत की 69 ईकाइयों से युक्त 4 औद्योगिक संकुलों की स्थापना का काम 1976 में सौंपा गया। केवल 9 ईकाइयां उत्पादन में गयीं। देहरादून स्थित ऊनी होजरी संकुल के लिए शेडों के निर्माण तथा भूमि के विकास पर व्यय किया हुआ 25.46 लाख रुपये तक का धन फंसा पड़ा था।

(xiv) समस्त औद्योगिक संकुलों की प्रगति की समीक्षा हेतु अप्रैल 1980 में गठित समिति ने निगम के हस्त एवं कटाई औजार संकुल, झांसी तथा धान आधारित औद्योगिक संकुल, अतर्रा की स्थापना के लिये योजनाओं को निरस्त करने का निगम का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

अनुभाग XII

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

12.01. विषय प्रवेश

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अधीन पहली जून 1972 को स्थापित किया गया। वर्ष 1977–78 से 1979–80 तक के लेखे बकाया में थे। लेखाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब की स्थिति राज्य सरकार के ध्यान में पिछली बार मई 1981 में लाई गई थी।

12.02. पूंजी

अधिनियम की धारा 23(i) के अधीन 31 मार्च 1977 और 31 मार्च 1978 को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा पूंजी अभिदान निम्न प्रकार था :

	31 मार्च को		वृद्धि की प्रतिशतता
	1977	1978	
	(लाख रुपयों में)		
केन्द्रीय सरकार	375.00	495.10	32.0
राज्य सरकार	1350.00	1650.00	22.2
जोड़	1725.00	2145.10	24.4

पूंजी अभिदान पर ब्याज 6.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय है।

12.03. गारन्टियां

निम्नलिखित तालिका निगम द्वारा लिये गये कर्जों की वापसी तथा उन पर ब्याज की अदायगी के लिये सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों के विवरण दर्शाती है :

विवरण	गारन्टी का वर्ष	गारन्टीकृत राशि	31 मार्च 1980 को बकाया राशि		
			मूलधन	ब्याज	जोड़
			(लाख रुपयों में)		
बैंक	1972–73				
	1973–74 और 1975–76	1325	264.25	4.04	268.29
इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इण्डियां (बिल बट्टा योजना)	1975–76 से 1977–78 तक	1300	108.55	91.76	200.31
		2,625.00	372.80	95.80	468.60*

* 1979–80 के वित्त लेखाओं के अनुसार राशि 635.12 लाख रुपये है। अन्तर का समाधान किया जा रहा है।

12.04. वित्तीय स्थिति

नीचे की तालिका में 1977–78 तक 3 वर्षों के लिये मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत निगम की वित्तीय स्थिति संक्षिप्त रूप में दी गई है:

	1975–76	1976–77	1977–78 (अनन्तिम)
		(लाख रुपयों में)	
देयताएं			
पूंजी	1,500.00	1,725.00	2,145.10
आरक्षित निधि और अधिशेष	48.95	58.60	68.95
उधार ली गई राशि	2,908.39	3,467.92	2,927.90
व्यापारिक देयतायें और अन्य चालू देयतायें	2,726.80	3,074.41	3,168.42
जोड़	7,184.14	8,325.93	8,310.37
परिसम्पत्तियां			
सकल ब्लाक	6,461.80	8,039.95	8,651.47
घटाएं : मूल्य ह्रास	3,037.07	3,513.94	4,180.70
निबल अचल परिसम्पत्तियां	3,424.73	4,526.01	4,470.77
पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य	5.32	7.65	..
निवेश	92.08	92.08	92.08
चालू परिसम्पत्तियां, कर्जे और पेशगियां	3,443.42	3,605.72	3,613.18
संचयी हानियां	218.59	94.47	134.34
जोड़	7,184.14	8,325.93	8,310.37
नियोजित पूंजी	4,141.35	5,057.32	4,915.53
निवेशित पूंजी	4,308.39	5,192.92	5,073.00

टिप्पणी :

नियोजित पूंजी निबल अचल परिसम्पत्तियां और कार्य चालन पूंजी दर्शाती है ।

निवेशित पूंजी प्रदत्त पूंजी और दीर्घकालिक कर्जे तथा मुक्त आरक्षित निधि दर्शाती है ।

12.05. कार्यचालन परिणाम

निम्नलिखित तालिका में 1977–78 तक 3 वर्षों के लिए निगम के कार्य चालन परिणामों के ब्यौरे दिये गए हैं :

विवरण	1975–76	1976–77	1977–78 (अनन्तिम)
		(लाख रुपयों में)	
(क) परिचालन			
राजस्व	5,082.85	5,653.98	6,018.27
व्यय	4,878.23	5,429.83	5,922.93
अधिशेष	204.62	224.15	95.34

विवरण	1975–76	1976–77	1977–78 (अनन्तिम)
		(लाख रुपयों में)	
(ख) गैर परिचालन			
राजस्व	150.44	204.89	218.70
व्यय	274.31	308.09	354.95
घाटा	123.87	103.20	136.25
(ग) जोड़			
राजस्व	5,233.29	5,858.87	6,236.97
व्यय	5,152.54	5,737.92	6,277.88
(घ) निबल लाभ (+)/घाटा (–)	(+) 80.75	(+) 120.95	(–) 40.91
पूंजी और दीर्घकालिक कर्जों पर ब्याज	309.34	353.45	383.64
अल्पकालिक कर्जों पर ब्याज	13.68	18.21	34.88
नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	403.77	492.61	377.61
निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिफल	394.27	492.61	377.61
निम्नलिखित पर प्रतिफल की दर		(प्रतिशत)	
नियोजित पूंजी	9.31	9.58	7.68
निवेशित पूंजी	9.15	9.49	7.44

12.06. परिचालन निष्पादन

1979-80 तक 3 वर्षों के लिए निगम का परिचालन निष्पादन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

	1977-78	1978-79	1979-80*
मार्ग किलोमीटर	1,84,263	2,17,806	2,63,178
परिचालन डिपों की संख्या	72	72	75
रखी गई गाड़ियों की औसत संख्या**	5,631	5,524	5,713
सड़क पर गाड़ियों की औसत संख्या	4,362	4,269	4,513
उपयोग की प्रतिशतता	77	77	79
तय किये गये किलोमीटर (लाखों में)			
सकल	3,284.00	3,541.00	4,063.00
प्रभावी	3,185.00	3,434.00	3,972.00
निष्फल (विभागीय मिलाकर)	99.00	107.00	91.00
निष्फल किलोमीटर की सकल किलोमीटर से प्रतिशतता	3	3	2
प्रति बस प्रति दिन औसत किलोमीटर	267	294	321
अनुसूचित यात्री किलोमीटर (लाखों में)	3,366.11	3,772.16	4,209.45
परिचालित यात्री किलोमीटर (लाखों में)	3,184.79	3,378.67	3,653.59

*वर्ष 1977–78 से 1979–80 तक के आंकड़े अनन्तिम हैं।

**गाड़ियों में बसें, टैक्सियां और ट्रक सम्मिलित हैं ।

	1977–78	1978–79	1979–80*
अधिभोग अनुपात	94.6	89.6	86.8
प्रति लाख किलोमीटर पर खराब होने की औसत संख्या	0.072	0.086	0.101
प्रति लाख किलोमीटर पर दुर्घटनाओं की औसत संख्या	0.31	0.28	0.28
प्रति प्रभावी किलोमीटर औसत राजस्व (पैसे)	196	204	209
प्रति प्रभावी किलोमीटर औसत व्यय (पैसे)	197	201	206
लाभ (+)/हानि (–) प्रति किलोमीटर (पैसे)	(–) 1	(+) 3	(+) 3

12.07. रोकड़ व्यवस्था

12.07.01. प्रभावी रोकड़ व्यवस्था में अति सावधान पूर्वानुमान और रोकड़ साधनों के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से रोकड़ प्रवाह और अर्थोपाय की सामयिक समीक्षा सम्मिलित है।

12.07.02. कोषागारों के साथ लेखे

जब निगम स्थापित किया गया (पहली जून 1972) तो राज्य सरकार ने अन्तरिम प्रबन्ध के रूप में (मई 1975 तक) निगम को अपनी प्राप्तियां "राज्य निगम निधि" के नाम में जिला कोषागारों और उप कोषागारों में जमा करते रहने की अनुमति दी। आहरणों को निधि में इतिशेषों की सीमा तक प्रतिबन्धित रखा गया।

जून 1975 में निगम ने बैंकिंग पद्धति को अपनाया और अपनी इकाइयों, जो तब तक कोषागारों से निधि जमा व आहरण कर रही थीं, को 15 अगस्त 1976 तक कोषागारों से शेषों को निकालने और उनको बैंक लेखाओं में जमा करने के निर्देश दिये (जून 1976)। कोषागारों से शेषों को निकालने की प्रक्रिया अब तक (मार्च 1981) पूरी नहीं हुई थी।

निगम के नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के अनुसार 31 मार्च 1977 को कोषागारों में पड़ा रोकड़ शेष 193.79 लाख रुपये था (कोषागार अभिलेखों के अनुसार शेष देय धनराशि निर्धारण करने योग्य नहीं थी)। निगम द्वारा कोषागारों से यह धनराशि नहीं निकाली जा सकी क्योंकि निगम के शेष के आंकड़ों का कोषागार के आंकड़ों के साथ सामाधान नहीं किया गया था (मार्च 1981)। परख जांच (अक्टूबर 1980) में यह और जानकारी में आया कि जून 1975 से पूर्व कोषागारों में निगम द्वारा जमा की गई 92.08 लाख रुपय की एक धनराशि (मूल्यहास संचयी निधि: 80.17 लाख रुपय और बीमा संचयी निधि : 11.91 लाख रुपये) निगम के आंकड़ों का कोषागार के आंकड़ों के साथ समाधान न होने के कारण वसूल न की जा सकी (अप्रैल 1981)।

निगम ने स्पष्ट नहीं किया है कि न्यूनतम सहमत आंकड़ों के बराबर धनराशि, यथा कोषागार और निगम के आंकड़ों के मध्य, कोषागार से क्यों नहीं निकाली गई है, जबकि निगम बैंकों से अपने ओवर ड्राफ्ट पर 14 से 17 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान कर रही है। इस धनराशि के आहरण से उस सीमा तक लागत म बचत हो जाती।

---

*वर्ष 1977–78 से 1979–80 तक के आंकड़े अनन्तिम हैं।

12.07.03. बैंकिंग कार्य प्रणाली

विभिन्न इकाइयां सैन्ट्रल बैंक/भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं पर नकद उगाही लेखे खोलती हैं। नकद उगाही उस खाते में रोजाना जमा की जानी होतीं हैं। वांछित निधियां ऐसे खातों से निकाली जाती हैं। यूनिट खातों में पड़े आधिक्यों से समय समय पर मुख्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निधियां स्थानान्तरित की जाती हैं।

31 मार्च 1980 को नकद साख (कैश क्रैडिट) लेखों को मिलाकर निगम 248 बैंक खातों का परिचालन कर रहा था। जबकि बैंक खातों के साथ सामयिक समाधान के लिए निर्देश जारी किये गए थे लेकिन यह पाया गया कि मुख्यालय कार्यालय ने केवल एक बैंक के साथ 1979–80 के बैंक लेन देनों का समाधान किया था जबकि अन्य बैंकों के सम्बन्ध में समाधान अभी भी प्रगति में था (अप्रैल 1981)।

12.07.04. बैंक समाधान

समाधान के परिणामस्वरूप जानकारी में आये उदधृत मामले पैरा 12.07.06 (ख) में सूचीबद्ध किये गए हैं। समय से समाधान के अभाव में निधि स्थानान्तरण करने आदि में बैंक की असफलता पता नहीं लग पायेगी।

12.07.05. बजट नियन्त्रण

सड़क परिवहन निगम अधिनियम की धारा 32 के अनुसार निगम, प्रत्येक वर्ष, दिसम्बर में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में चालू वित्तीय वर्ष के लिए पुनरीक्षित पुर्वानुमानों के साथ आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक बजट तैयार करता है।

रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र, जो रोकड़ प्रायोजन का एक निर्णायक प्रपत्र है निगम द्वारा रोकड़ प्रवाहों को नियन्त्रित करने के लिये या रोकड़ व्यवस्था निर्णय लेने के लिए भी तैयार नहीं किया जाता है। किन्तु निगम के मुख्यालय द्वारा वित्तीय संस्थाओं और बैंकों और अन्य नियन्त्रक अधिकारियों, जैसे सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो, उत्तर प्रदेश और राज्य सरकार की जरूरतों के अनुपालन में रोकड़ प्रवाह के अनुमान यदा कदा तैयार किये जाते हैं। निगम ने रोकड़ प्रवाह अनुश्रवण के लिये कोई पद्धति भी विकसित नहीं की थी।

12.07.06. निधियों के स्थानान्तरण में विलम्ब

(क) डिपो वसूली लेखों से क्षेत्रीय वसूली लेखों को

(i) दो क्षेत्रों (वाराणसी और गाजियाबाद) के सम्बन्ध बैंकों द्वारा 1978–79 और 1979–80 के दौरान डिपो वसूली लेखाओं से क्षेत्रीय वसूली लेखाओं को वास्तविक स्थानान्तरण की सम्परीक्षा की एक समीक्षा से निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई :

—1978–79 में गाजियाबाद क्षेत्र की 12 डिपो/इकाइयों में वास्तविक स्थानान्तरण (506) होने योग्य स्थानान्तरणों (840) के औसतन 60.2 प्रतिशत थे जबकि अलग-अलग डिपो के वास्तविक स्थानान्तरण होने योग्य स्थानान्तरणों के 12.9 प्रतिशत से 85.7 प्रतिशत के बीच रहे। 1979–80 में वास्तविक स्थानान्तरण (548) होने योग्य स्थानान्तरणों (1152) के औसतन 47.6 प्रतिशत थे जब कि अलग अलग डिपो के वास्तविक स्थानान्तरण होने योग्य स्थानान्तरणों के 14.6 प्रतिशत से 74 प्रतिशत के बीच रहे।

—वाराणसी क्षेत्र की 5 डिपो/इकाइयों के लिए एक डिपो विशेष से वास्तविक स्थानान्तरण होने योग्य स्थानान्तरणों के 15.6 प्रतिशत (1978–79 में) और 14.6 प्रतिशत (1979–80 में) थे; जो बहुत कम थे, होने योग्य स्थानान्तरणों के औसतन केवल 55 प्रतिशत (1978–79 में) और 49 प्रतिशत (1979–80 में) स्थानान्तरण किये गए।

(ii) कैसरबाग बस डिपो, लखनऊ में रोजाना की वसूलियों को शाम के घंटों के दौरान जमा करने के लिये एक अनुसूचित बैंक की स्थानीय शाखा के साथ विशेष प्रबन्ध किये गये थे (अप्रैल 1979)। इस प्रकार जमा की गई वसूलियां लखनऊ में स्थानीय क्षेत्रीय वसूली लेखाओं के नाम में सप्ताह में दो बार स्थानान्तरण की जानी थीं। सम्परीक्षा में यह जानकारी में आया कि कुल 87.79 लाख रुपये (1979–80) की धनराशियां 8–18 दिन बाद स्थानान्तरित की गईं।

(iii) यहां तक कि कैसरबाग और सीतापुर डिपों में डिपो/बस स्टेशन वसूली लेखाओं से क्षेत्रीय वसूली लेखा को स्थानीय स्थानान्तरण के मामले में 2 से 15 दिन तक का समय अन्तराल था।

(ख) क्षेत्रों से मुख्यालय को

निगम के मुख्यालय पर क्षेत्रों से प्राप्त राशियों की प्राप्ति सूचना देने की और या यह सुनिश्चित करने की कि ये लखनऊ में निगम के लेखाओं में शीघ्र जमा हो गयी हैं की कोई क्रिया विधि नहीं अपनाई गई है। बैंकों द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त और लेखाओं में ली गई धनराशियों का क्षेत्रों से भेजी गई राशियों के साथ सामयिक समाधान नहीं किया जाता है परिणामस्वरूप बड़ी धनराशियां लम्बी अवधि तक निगम के लेखाओं से बाहर रहती हैं।

चार क्षेत्रों की सम्परीक्षा में परख जांच से प्रकट हुआ कि 64.59 लाख रुपये के 24 मामलों (1979-80) में लखनऊ में निगम के लेखे में बैंकों द्वारा जमा करने में 31 से 669 दिन (स्थानान्तरण के लिए 3 दिन प्रदान करने के बाद) तक का विलम्ब था, परिणामस्वरूप 7.61 लाख रुपये (नकद साख शेषों पर भुगतान किये गए 17 प्रतिशत पर) के ब्याज की हानि हुई।

यह और जानकारी में आया कि 2 क्षेत्रों में 3.36 लाख रुपये के 10 मामलों में जुलाई 1979–फरवरी 1980 के मध्य स्थानान्तरित की गई धनराशियां लखनऊ में निगम के लेखे में बैंकों द्वारा अभी भी जमा की जानी थीं (जनवरी 1981)। इन मामलों में ब्याज की हानि 0.69 लाख रुपये निकली (जनवरी 1981)।

12.07.07. इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इन्डिया (आई डी बी आई) को परिपक्वता से पूर्व ऋण का पुनः भुगतान

आई डी बी आई से प्राप्त ऋणों के सम्बन्ध में ब्याज प्रभारों का भुगतान और मूलधन की किश्तों का पुर्नभुगतान उनके लिए प्रतिपादित वचन पत्रों की परिपक्वता की दिनांक को उनकी विमुक्ति द्वारा किया जाना होता है।

तथापि यह पाया गया कि 1975-76 और 1976–77 के दौरान परिपक्वता की दिनांक तक ब्याज प्रभारों सहित धनराशि के लिये दिये गये वचन पत्रों को देय तिथि से 3 से 29 दिन पूर्व विमुक्त कर दिया गया (पूरी अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करके) जिससे नीचे तालिकाबद्ध मामलों में ब्याज के रूप में 0.49 लाख रुपये की हानि हुई :

	देय तिथि से पूर्व किये गए भुगतान	
दिनों की संख्या	मामलों की संख्या	धनराशि (रुपये लाखों में)
3–5	3	7.04
6–10	35	153.71
11–20	13	33.51
21–29	4	12.53
जोड़	55	206.79

12.07.08. नकद साख

(i) 1975–76 से निगम ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ 300 लाख रुपये की सीमा तक नकद साख की व्यवस्था की थी, जो 1976–77 में 450 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई। अप्रैल 1978 में नकद साख का 25 प्रतिशत 14 इकाइयों को बांटा गया। नकद साख का बटवारा समय-समय पर परिवर्तित किया गया और नवीनतम परिवर्तन (जून 1979) के अनुसार 111 लाख रुपय का बंटवारा 16 क्षेत्रों को, 15 लाख रुपये प्रत्येक दो कार्यशालाओं को और उपसामान्य प्रबन्धक (भंडार) को किया गया और 294 लाख रुपया मुख्यालय द्वारा रोक लिया गया। तथापि, नकद साख का बटवारा केन्द्रीय कार्यशाला (15 लाख रुपये) और एलन फारेस्ट कार्यशाला (10 लाख रुपये) के मामले को छोड़ कर नवम्बर 1980 से समाप्त कर दिया गया। दिसम्बर 1980 में यह सुविधा इन कार्यशालाओं से भी वापिस कर ली गई।

निगम के लेखाओं की सम्परीक्षा में परख जांच के दौरान यह जानकारी में आया (अक्तूबर 1980) की मुख्यालय नकद साख की सुविधा उठा रहा था और 14 से 17 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज प्रभारों का भुगतान कर रहा था जब कि इकाइयों के वसूली और परिचालन लेखाओं में रोकड़ का पर्याप्त मात्रा में शेष पड़ा था। 1979–80 तक तीन वर्षों के दौरान भुगतान किया गया ब्याज नीचे प्रदर्शित है :

वर्ष	नकद साख पर बैंकों को भुगतान किये गए ब्याज प्रभार (लाख रुपयों में)
1977–78	34.88
1978–79	0.43
1979–80	2.66
	37.97

मुख्यालय द्वारा उठायी गई नकद साख की सुविधा और कुछ महीनों के अन्त में (सम्परीक्षा में परख जांच किये गए) इकाइयों के वसूली और परिचालन लेखाओं में उपलब्ध शेषों की सीमा नीचे तालिका में दर्शित है :

माह	प्राप्त की गयी नकद साख सुविधा	निम्नलिखित में शेष		कुल शेष
		वसूली लेखे	परिचालन लेखे	
	(लाख रुपयों में)			
अगस्त 1977	120.19	89.16	153.67	242.83
सितम्बर 1977	106.91	125.07	132.89	257.96
अक्तूबर 1977	214.97	139.79	137.05	276.84
नवम्बर 1977	152.43	99.78	158.73	258.51
दिसम्बर 1977	117.27	174.47	144.08	318.55
जनवरी 1978	18.41	30.89	उपलब्ध नहीं	30.89
फरवरी 1978	23.82	31.00	259.45	290.45
माच 1978	65.62	71.72	137.37	209.09
अप्रल 1978	82.03	109.98	187.52	297.50

माह	प्राप्त की गयी नगद साख सुविधा	निम्नलिखित में शेष वसूली लेखे	परिचालन लेखे	कुल शेष
		(लाख रुपयों में)		
अक्तूबर 1978	1.32	103.71	68.62	172.33
दिसम्बर 1978	1.65	162.58	105.96	268.54
जून 1979	15.84	216.80	151.31	368.11
दिसम्बर 1979	23.26	80.02	35.32	115.34
जनवरी 1980	90.60	73.15	70.50	143.65

(ii) 1979–80 के दौरान लखनऊ क्षेत्र ने 17 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज वाली नकद साख सुविधा (मुख्यालय द्वारा आबंटित की गई नकद साख सीमा के विरुद्ध) प्राप्त की जबकि लखनऊ में अन्य बैंकों के साथ इसके चालू लेखे में निधियां उपलब्ध थीं। निम्न तालिका लखनऊ क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मास के अन्त में प्रयोग में लाई गई नकद साख सीमा और लखनऊ में इसके अन्य बैंक लेखाओं में उपलब्ध निधियों की मात्रा दर्शाती है।

माह	काम में लाई गई नकद साख सुविधा	अन्य बैंक लेखाओं में उपलब्ध शेष बैंक "ए"	बैंक "बी"	योग
		(लाख रुपयों में)		
सितम्बर 1979	3.65	5.90	0.91	6.81
अक्तूबर 1979	3.63	3.34	3.23	6.57
नवम्बर 1979	3.51	5.99	4.78	10.77
दिसम्बर 1979	5.27	5.14	1.49	6.63
जनवरी 1980	12.80	6.61	4.57	11.18
फरवरी 1980	7.55	5.25	3.39	8.64
मार्च 1980	1.93	5.57	1.28	6.85

इसके परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में 0.18 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान हुआ।

(iii) उसी प्रकार की स्थिति रोडवेज केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर में थी जैसा कि नीचे दिये गये विवरण से स्पष्ट होगा :

दिनांक	काम में लाई गई नकद साख सुविधा	परिचालन लेखे में शेष
	(लाख रुपयों में)	
5 मार्च 1979	2.00	4.11
21 मार्च 1979	5.00	6.51
3 अप्रैल 1979	8.00	11.90
15 मई 1979	2.00	12.22
13 जून 1979	2.00	9.05
29 दिसम्बर 1979	15.00	20.25
17 जनवरी 1980	3.16	3.16
19 जनवरी 1980	0.24	0.40

इसके परिणामस्वरूप मार्च 1979 से जनवरी 1980 की अवधि के लिए ब्याज के रूप में 1.27 लाख रुपये का परिहाय भुगतान हुआ।

12.07.09. अल्प अवधि निक्षेप

(i) 1978–79 और 1979–80 के दौरान निगम ने अपनी निधियों को 2.5 से 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज पर 15–365 दिनों की अवधियों के लिए सावधि निक्षेपों में विनियोजित किया।

(ii) जब कि मुख्यालय 14–17 प्रतिशत की ब्याज दर पर नकद साख की सुविधा प्राप्त कर रहा था, इसकी इकाइयां निधियों को 4–6 प्रतिशत ब्याज दरों पर बैंकों में अल्प अवधि निक्षेपों में विनियोजित कर रहीं थीं। परख जांच के दौरान जानकारी में आये उदाहरणार्थ मामले नीचे दिए हैं :

निगम के मेरठ क्षेत्र ने 12 लाख रुपये (8 लाख रुपये 14 जून 1980 को और 4 लाख रुपये 28 जुलाई 1980 को) 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर 91 दिन क लिए जमा किये और गाजियाबाद क्षेत्र ने 10 लाख रुपये 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर एक वर्ष के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक में अल्प अवधि निक्षेप में जमा किये (अगस्त 1979)। इस अवधि क दौरान मुख्यालय द्वारा प्राप्त की गई नकद साख सुविधा के अन्तर्गत निम्नतम और उच्चतम शेष 0.62 लाख रुपये से 282.40 लाख रुपये तक था।

यदि निगम ने अल्प अवधि निक्षेपों में विनियोजन के स्थान पर धनराशि का उपयोग नकद साख शेष को कम करने में किया होता तो निगम नकद साख पर ब्याज क रूप में भुगतान किये गए 2.21 लाख रुपये की बचत कर लेता।

(iii) एक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जुलाई 1978 में स्वीकृत 2 करोड़ रुपये की सीमा के विरुद्ध निगम ने 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर नई चैसिसों के क्रय के लिये पहली सितम्बर 1978 को 37.53 लाख रुपये का एक ऋण लिया। अगले दिन 37 लाख रुपये की धनराशि 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर 46 दिन के लिए उसी बैंक में जमा कर दी गई परिणामस्वरूप 0.44 लाख रुपये के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

(iv) एक अन्य मामले में एक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा नवम्बर 1978 में स्वीकृत 90 लाख रुपये की सीमा के विरुद्ध निगम ने फरवरी 1979 में 28.31 लाख रुपये का एक ऋण लिया। उसी माह के दौरान 30.17 लाख रुपये की धनराशि को 2 बैंकों में क्रमशः 2.5 और 2.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर 31 दिनों क लिए निक्षेप में डाल दिया गया परिणामस्वरूप 0.24 लाख रुपये के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

12.07.10. प्राप्य रोकड़ की वसूली में विलम्ब

प्राप्य रोकड़ की शीघ्र वसूली को सुनिश्चित करना रोकड़ व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 31 मार्च 1980 को केन्द्रीय सरकार के विभागों (72.63 लाख रुपये) राज्य सरकार के विभागों (80.58 लाख रुपये), राज्य निगमों (13.32 लाख रुपये) और अन्य (6.37 लाख रुपये) से 172.90 लाख रुपये की धनराशि निगम को (दी गई सेवाओं के लिए) देय थी।

अगस्त 1973 में (राज्य और केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा भुगतान में विलम्ब के कारण) निगम के मण्डल ने निश्चय किया कि निगम के बिलों का 2 मास के अन्दर भुगतान न करने वाले विभागों से उधार की सुविधाएं वापिस ले लेनी चाहिये।

तथापि, मण्डल के आदेश विशिष्ट व्यक्तियों के अभ्यागमनों के लिए सुरक्षा, डाक व तार, रेलवे और आयुक्तों और उप-आयुक्तों के सम्बन्ध में कार्यान्वित नहीं किये गए परिणामस्वरूप बकायों में वर्षानुवर्ष वृद्धि होती रही।

निम्न तालिका 1979–80 तक के 3 वर्षों के अन्त में विविध देनदारों की स्थिति दर्शाती है :

विवरण	1977–78	1978–79	1979–80
		(लाख रुपयों में)	
केन्द्रीय सरकार के विभाग	67.56	69.20	72.63
राज्य सरकार के विभाग	76.61	79.27	80.58
राज्य निगम	16.61	14.35	13.32
निजी पार्टियां	3.61	3.61	6.30
अन्य	0.02	0.07	0.07
	164.41	166.50	172.90

देनदारों का वर्षवार विश्लेषण निगम के पास उपलब्ध नहीं था ।

बकाया देयों के उत्कृष्ट मामले नीचे दिये गए हैं :

क्षेत्र का नाम	पार्टी का नाम	धनराशि (लाख रुपयों में)	अवधि	टिप्पणियां
लखनऊ	भारत सरकार का एक प्रतिष्ठान	1.74	मार्च 1973 से मार्च 1976	अवरोध प्रभारों के सम्बन्ध में विवाद
टनकपुर	सुरक्षा विभाग	13.00	मार्च 1976 तक	परिवहन मांग पत्र, वारन्ट संख्या आदि की कमी के लिए
वाराणसी	जिला अधिकारी, वाराणसी	2.33	0.47 लाख रुपये मई 1973 से	विशिष्ट व्यक्तियों का अभ्यागमन
नैनीताल	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्	0.89	1948 से 1972	पेट्रोल की आपूर्ति के लिए, परिषद् द्वारा विवरण मांगे गये
नैनीताल और टनकपुर	डाक एवं तार विभाग	18.00	मार्च 1979 से पूर्व	डाक सेवाओं के लिये, भुगतान की जाने वाली दरों के सम्बन्ध में विवाद

12.07.11. निष्कर्ष

(i) जून 1975 से पूर्व कोषागारों में जमा किये गए रोकड़ शेषों (193.79 लाख रुपये), मूल्य ह्रास संचय निधि (80.17 लाख रुपये) और बीमा संचय निधि (11.91 लाख रुपये) के लिये 285.87 लाख रुपये के अधिशेष निगम के आंकड़ों का कोषागारों के आंकड़ों के साथ समाधान न करने के कारण निगम द्वारा वापिस प्राप्त नहीं लिये जा सके ।

(ii) 31 मार्च 1980 को निगम 248 बैंक लेखाओं का परिचालन कर रहा था ।

(iii) मुख्यालय पर रखे गये बैंक लेखाओं का समाधान बकाये में था ।

(iv) रोकड़ प्रवाहों को नियन्त्रित करने के लिए या व्यवस्था सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण-पत्र तैयार करने की कोई पद्धति नहीं थी । निगम ने रोकड़ प्रवाह अनुश्रवण के लिये कोई पद्धति भी विकसित नहीं की थी ।

(v) दो क्षेत्रों में 1978–79 और 1979–80 के दौरान डिपो वसूली लेखाओं से क्षेत्रीय वसूली लेखाओं को निधियों का वास्तविक स्थानान्तरण होने योग्य स्थानान्तरणों का क्रमश: 60.2 प्रतिशत और 47.6 प्रतिशत था।

(vi) लखनऊ क्षेत्र के कैसरबाग डिपो में, जहां डिपो की वसूलियों को जमा करने के लिये विशेष प्रबन्ध किये गये थे, सप्ताह में दो बार निर्धारित स्थानान्तरणों के विरुद्ध 1979–80 के दौरान 87.79 लाख रुपये की निधियों को क्षेत्रीय वसूली लेखे में स्थानान्तरण करने में 8–18 दिन लिये गये।

(vii) यहां तक कि स्थानीय स्थानान्तरण के मामले में कैसरबाग और सीतापुर डिपों में डिपो/बस स्टेशन वसूली लेखाओं से क्षेत्रीय वसूली लेखा में 2 से 15 दिन तक का समय अन्तराल था।

(viii) क्षेत्रों द्वारा मुख्यालय को भेजी गई राशियों का बैंकों द्वारा मुख्यालय के लेखे में जमा की गई धनराशियों के साथ समाधान करने की कोई क्रिया विधि नहीं है, परिणामस्वरूप निगम की बड़ी धनराशियां लम्बी अवधि तक लेखाओं के बाहर रहती हैं। 64.59 लाख रुपये के 24 मामलों (4 क्षेत्र) में लखनऊ में निगम के लेखे में जमा करवाने में 31 से 669 दिन (3 दिन स्थानान्तरण के लिए प्रदान करने के बाद) तक का विलम्ब था। धनराशि जमा करवाने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 7.61 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई। जुलाई 1979—फरवरी 1980 के मध्य स्थानान्तरण किये गए 3.36 लाख रुपये के 10 मामलों (2 क्षेत्र) में जमा अभी तक (जनवरी 1981) प्राप्त नहीं हुई थी। इन मामलों में ब्याज की हानि 0.69 लाख रुपये निकलती है।

(ix) इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इंडिया से प्राप्त 206.79 लाख रुपये के ऋणों के 55 मामलों में पुनर्भुगतान परिपक्वता की तिथि से पूर्व (3 से 29 दिन तक) किये गये थे।

(x) 1977–78 से 1979–80 के वर्षों के दौरान निगम ने नकद साख की सुविधाएं प्राप्त कीं, केवल इसके मुख्य कार्यालय द्वारा ऐसे नकद साख पर 37.97 लाख रुपये ब्याज प्रभार के रूप में अदा किये गये। तथापि उसी अवधि में समय-समय पर इसकी विभिन्न इकाइयों के वसूली और परिचालन लेखाओं में शेष पड़े थे जिनको नकद साख शेषों को घटाने के लिये प्रयुक्त किया जा सकता था।

(xi) केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर में इकाई के चालू लेखे में उपलब्ध शेष के प्रयोग द्वारा मार्च 1979 से जनवरी 1980 तक की अवधि के लिये बैंक को भुगतान किये गये 1.27 लाख रुपये के ब्याज को बचाया जा सकता था।

(xii) मेरठ और गाजियाबाद क्षेत्रों ने आधिक्य निधियों को अल्प-अवधि निक्षेपों में विनियोजित किया जब कि मुख्यालय ने नकद साख की सुविधा उपलब्ध की। यदि निगम ने अल्प अवधि निक्षेपों में विनियोजन के स्थान पर धनराशि का प्रयोग नकद साख शेष को कम करने में किया होता तो उसके द्वारा 2.21 लाख रुपये की बचत की जा सकती थी।

(xiii) निगम के मुख्य कार्यालय ने 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 37.53 लाख रुपये का एक ऋण लिया (सितम्बर 1978) जब कि 37 लाख रुपये उसी बैंक में उसी माह में 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर विनियोजित कर दिये गये। दोबारा, फरवरी 1979 में 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर 28.31 लाख रुपये का एक ऋण लिया गया जबकि 30.17 लाख रुपये उसी माह में 31 दिन की अवधि के लिए 2.5 से 2.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज पर विनियोजित किये गये। इसके परिणामस्वरूप 0.68 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

(xiv) विविध देनदारों से वसूली योग्य धनराशि 31 मार्च 1978 को 164.41 लाख रुपये से बढ़कर 31 मार्च 1980 को 172.90 लाख रुपये हो गयी। देनदारों का वर्षवार ब्योरा उपलब्ध नहीं था।

12.08. अन्य रोचक विषय

12.08.01. पथ कर की वापसी

वाहनों के सम्बन्ध में पथकर त्रैमासिक अग्रिम में भुगतान किया जाना होता है लेकिन कम से कम 3 माह की अवधि के लिये (मई 1977 से घटाकर 1 माह कर दी गई) पथ से अलग रहने वाले वाहनों से सम्बन्धित कर वापसी योग्य है बशर्ते क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर टी ओ) को समय पर सूचना दे दी जाय। आर टी ओ द्वारा निर्गमित पंजीकरण प्रमाण-पत्र भी पथ से अलग रखे जाने वाले वाहनों के सम्बन्ध में सूचना भेजते समय समर्पित किये जाने होते हैं। तथापि, यह जानकारी में आया कि अधिकांश मामलों में पथ से अलग रखे जाने वाले वाहनों के विषय में सूचना आर टी ओ को समय पर नहीं भेजी गई और पंजीकरण प्रमाण-पत्र या तो समर्पित ही नहीं किये गए या बहुत विलम्ब से समर्पित किये गए। परिणामस्वरूप निगम झांसी (50 मामले : जनवरी 1978 से जुलाई 1979), गोरखपुर (47 मामले : अप्रैल 1977 से फरवरी 1979) और मुरादाबाद (25 मामले: अप्रैल 1977 से नवम्बर 1978) क्षेत्रों के सम्बन्ध में कुल 1.47 लाख रुपये के पथ कर को वापिस प्राप्त न कर सका।

मामला निगम/सरकार को मई 1980 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1981)।

12.08.02. दूकानों का निर्माण

यात्रियों को अल्पाहार की सुविधाएं प्रदान करने के विचार से 0.50 लाख रुपये की कुल लागत से सराय अकील बस स्टेशन (इलाहाबाद क्षेत्र) पर छः दूकानों (कैन्टीन, पान की दूकानों, आदि के रूप में किराये पर उठाने के लिये) का निर्माण कराया गया (सितम्बर 1969)। दूकानें ऐसी जगह स्थित थीं कि यात्री अल्पाहार लेते समय अपनी बसों की निगरानी नहीं कर सकते थे और नवम्बर 1969 से अगस्त 1979 के दौरान की गई नीलामियों के बावजूद भी किराये पर नहीं उठाई जा सकीं और खाली पड़ी हुई थीं (मार्च 1981)।

मामला निगम/सरकार को मई 1980 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1981)।

12.08.03. बिक्री कर में छूट का लाभ न उठाना

उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 (26 मई 1975 से संशोधित) के अन्तर्गत राज्य में स्थित सरकार द्वारा स्वामित्व की गई या नियन्त्रित की गई किसी कम्पनी, निगम या उपक्रम के सभी कार्यालय अपने स्वयं के प्रयोग के लिये सामान, बिक्री कर की रियायती दर, अर्थात् 30 जून 1975 तक 3 प्रतिशत और उसके बाद 4 प्रतिशत, पर क्रय कर सकते थे। यह सुविधा केवल तभी उपलब्ध थी जब सम्बन्धित उपक्रम बिक्री कर विभाग से प्राप्य निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा आपूर्तिकर्ता को प्रस्तुत करे।

परख सम्परीक्षा (मई और जुलाई 1979) के दौरान यह जानकारी में आया कि निगम के दो क्षेत्रीय कार्यालयों इटावा (जनवरी–जुलाई 1979 : 0.26 लाख रुपये) और आगरा (जुलाई 1978–मार्च 1979 : 0.19 लाख रुपये) द्वारा मुख्य रूप से कल पुर्जों, गीयर तेल और चिकनाई, आदि के क्रय के विरुद्ध 0.45 लाख रुपये की सीमा तक बिक्री कर की रियायती दर का लाभ नहीं उठाया गया।

मामला निगम/सरकार को अगस्त और सितम्बर 1979 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1981)।

के. सुब्रमन्यम.

(के० सुब्रमन्यम)
महालेखाकार, उत्तर प्रदेश-II

इलाहाबाद : 24 APR 1982

प्रतिहस्ताक्षरित

ज्ञान प्रकाश

(ज्ञान प्रकाश)
भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली : 29 APR 1982

28 APR 1981

5 1 APR 1981

परिशिष्ट

परिशिष्ट "क"

(सन्दर्भ :

सरकारी कम्पनियों

क्रमांक	कम्पनी का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखा अवधि	कुल निवेशित पूंजी	लाभ (+)/ हानि (–)
1	2	3	4	5	6	7
1	दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	उद्योग	22 फरवरी 1924	1979–80	201.50	(+) 11.50
2	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	12 फरवरी 1974	1979–80	143.40	(+) 9.16
3	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड	उद्योग	20 जनवरी 1966	1979–80	281.95	(+) 2.80
4	उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	29 मार्च 1972	1979–80	8880.85	(–) 248.50
5	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	29 मार्च 1961	1979–80	2010.30	(+) 119.63
*6	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड	उद्योग	8 मार्च 1978	1979–80	9.20	(–) 1.55
*7	उत्तर प्रदेश टायर्स एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड	उद्योग	14 जनवरी 1976	1979–80	162.45	..
*8	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेण्ट्स लिमिटेड	उद्योग	1 जनवरी 1975	1979–80	129.05	(–) 28.43
9	उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	22 दिसम्बर 1969	1979–80	3401.32	(+) 357.31
*10	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0I) लिमिटेड	उद्योग	20 अगस्त 1974	1979–80	2182.74	(+) 60.41

पैरा 1.02 पृष्ठ 1)

के कायकलापों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों का विवरण

(कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

लाभ और हानि लेखे में कुल प्रभारित ब्याज	दीर्घ कालिक ऋणों पर ब्याज	निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (7+9)	निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (7+8)	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता
8	9	10	11	12	13	14
0.78	..	11.50	5.7	197.28	12.28	6.2
..	..	9.16	6.4	143.26	9.16	6.4
18.66	9.31	12.11	4.3	312.02	21.46	6.9
8.64	0.86	(–) 247.64	..	1579.42	(–) 239.86	..
34.19	33.93	153.56	7.6	2078.71	153.82	7.4
0.21	..	(–) 1.55	..	2.30	(–) 1.34	..
..	..	..	..	18.42	..	..
10.01	7.24	(–) 21.19	..	50.42	(–) 18.42	..
85.86	83.42	440.73	13.0	2238.10	443.17	19.8
91.98	88.74	149.15	6.8	1482.42	152.39	10.3

परिशिष्ट "क"

1	2	3	4	5	6	7
*11	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 II) लिमिटेड	उद्योग	20 अगस्त 1974	1979–80	0.01	..
12	प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम लिमिटेड	पशुपालन	7 दिसम्बर 1974	1979–80	50.00	(–) 1.14
13	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 मार्च 1976	1979–80	106.93	(+) 3.15
14	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 मार्च 1976	1979–80	105.30	(+) 0.38
15	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त 1975	1979–80	14.13	(+) 1.57
16	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त 1975	1979–80	21.18	(+) 1.42
17	उत्तर प्रदेश (रुहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त 1975	1979–80	29.98	(+) 5.73
18	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	उद्योग	28 दिसम्बर 1972	1979–80	406.51	(+) 0.17
19	उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड	सिंचाई	25 मई 1976	1979–80	402.29	(+) 2.02
20	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	सूचना	10 सितम्बर 1975	1979–80	168.48	(–) 8.15
21	हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	25 जून 1976	1979–80	15.00	(–) 2.14
22	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	उद्योग	29 मार्च 1972	1979–80	2974.68	(+) 73.57

(जारी)

(कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

8	9	10	11	12	13	14
..	..	..	..	(–) 0.80	..	..
..	..	(–) 1.14	..	45.78	(–) 1.14	..
0.04	..	3.15	2.9	106.81	3.19	3.0
0.09	..	0.38	0.4	103.24	0.47	0.5
7.54	..	1.57	11.1	116.18	9.11	7.8
15.77	..	1.42	6.7	220.59	17.19	7.8
5.35	..	5.73	19.1	107.69	11.08	10.3
0.21	..	0.17	0.1	211.29	0.38	0.2
..	..	2.02	0.5	371.11	2.0	0.5
0.24	0.12	(–) 8.03	..	121.32	(–) 7.91	..
..	..	(–) 2.14	..	32.79	(–) 2.14	..
83.83	83.83	157.40	5.3	2986.65	157.40	5.3

परिशिष्ट "क"

1	2	3	4	5	6	7
23	उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	उद्योग	13 जून 1958	1979–80	354.41	(+) 24.96
*24	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन पाटरीज लिमिटेड	उद्योग	27 अप्रैल 1976	1977–78	6.27	(–) 1.70
*25	उत्तर प्रदेश प्रेस्ट्रैस्ड प्रोडक्ट्स लिमिटेड	उद्योग	30 सितम्बर 1972	1976–77	11.24	..
26	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	चीनी उद्योग	26 मार्च 1971	1979–80	3612.67	(–) 237.67
*27	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	चीनी उद्योग	18 अप्रैल 1975	1979–80	733.93	(–) 89.81
*28	चांदपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड	चीनी उद्योग	18 अप्रैल 1975	1979–80	686.57	(–) 70.60
*29	नंदगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	चीनी उद्योग	18 अप्रैल 1975	1979–80	1500.69	(–) 232.35
*30	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	चीनी उद्योग	17 फरवरी 1972	1979–80	516.35	(+) 15.85
31	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स लिमिटेड	योजना	15 मार्च 1972	1979–80	62.77	(+) 5.14
32	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	30 मार्च 1974	1979–80	292.85	(+) 11.55
*33	अपट्रान डिजिटल्स सिस्टम लिमिटेड	उद्योग	18 मई 1979	1979	33.47	..
*34	अपट्रान कैपेसिटर्स लिमिटेड	उद्योग	13 मार्च 1978	1979	67.18	..
35	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 मार्च 1976	1978–79	45.00	(–) 1.06
36	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 मार्च 1976	1978–79	45.65	(+) 0.62
37	कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	30 मार्च 1971	1978–79	281.54	(+) 6.24

(जारी)

(कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

8	9	10	11	12	13	14
80.41	29.85	54.81	15.5	910.33	105.37	11.6
..	..	(–) 1.70	..	2.65	(–) 1.70	..
..	..	..	..	9.48	..	..
407.34	244.44	6.77	0.2	501.02	169.67	33.9
66.63	51.09	(–) 38.72	..	369.11	(–) 23.18	..
64.15	48.50	(–) 22.10	..	325.55	(–) 6.45	..
100.42	95.34	(–) 137.01	..	809.83	(–) 131.93	..
101.46	47.56	63.41	12.3	65.27	117.31	179.7
..	..	5.14	8.2	153.31	5.14	3.4
3.01	..	11.55	3.9	184.96	14.56	7.9
..	..	..	..	19.57	..	..
..	..	..	..	64.95	..	..
0.07	..	(–) 1.06	..	47.51	(–) 0.99	..
0.03	..	0.62	1.4	49.15	0.65	1.3
5.97	4.93	11.17	4.0	250.67	12.21	4.9

परिशिष्ट "क"

1	2	3	4	5	6	7
*38	कुमाऊं अनुसूचित जन-जाति विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	30 जून 1975	1978–79	25.51	(+) 0.60
39	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 मार्च 1976	1978–79	50.14	(–) 10.17
40	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 जनवरी 1976	1978–79	52.83	(+) 1.83
41	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	23 मार्च 1974	1978–79	389.61	(+) 5.17
*42	उत्तर प्रदेश कारबाइड एण्ड कमिकल्स लिमिटेड	उद्योग	23 अप्रैल 1979	1979–80	206.13	..
43	उत्तर प्रदेश पूर्वान्चल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	30 मार्च 1971	1977–78	107.27	(–) 9.09
44	तराई अनुसूचित जन-जाति विकास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	2 अगस्त 1975	1977–78	5.00	(–) 2.41
45	उत्तर प्रदेश राज्य हथ-करघा निगम लिमिटेड	उद्योग	9 जनवरी 1973	1977–78	507.50	(+) 11.80
*46	हैण्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन (गोरखपुर एण्ड बस्ती) लिमिटेड	उद्योग	26 मई 1976	1977–78	92.50	(–) 0.38
47	उत्तर प्रदेश पंचायती राजवित्त निगम लिमिटेड	पंचायती राज	24 अप्रैल 1973	1976	71.25	(+) 4.51

टिप्पणी— (i) निवेशित पूंजी, प्रदत्त पूंजी, दीर्घकालिक कर्जों और मुक्त आरक्षित निधियों की

(ii) नियोजित पूंजी (क्रमांक 5, 22 और 47 की कम्पनियों को छोड़कर) निबल चालन पूंजी की द्योतक है ।

(iii) क्रमांक 5, 22 और 47 की कम्पनियों के सम्बन्ध में नियोजित पूंजी, (i) प्रदत्त पूंजी, सम्मिलित करते हुए उधार और (v) जमाओं के प्रारम्भ और अन्त के शेषों के

(iv) क्रमांक 7, 11, 25, 33, 34 और 42 की कम्पनियों में उत्पादन प्रारम्भ नहीं

* सहायक कम्पनियां इंगित करता है ।

(समाप्त)

(कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

8	9	10	11	12	13	14
..	..	0.60	2.4	25.47	0.60	2.4
0.23	..	(−) 10.17	..	21.55	(−) 9.94	..
..	..	1.83	3.5	52.60	1.83	3.5
0.02	..	5.17	1.3	370.71	5.19	1.4
..	..	...	..	201.10	..	..
0.13	..	(−) 9.09	..	47.48	(−) 8.96	..
2.73	..	(−) 2.41	..	3.21	0.32	10.0
12 08	11.57	23.37	4.6	475.80	23.88	5.0
5.21	5.21	4.83	5.2	90.51	4.83	5.3
..	..	4.51	6.3	69.79	4.51	6.5

द्योतक है ।

स्थायी परिसम्पत्तियों (पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों को छोड़कर) और कार्य

(ii) बाण्ड और डिबेन्चर, (iii) आरक्षित निधियों, (iv) पुनः वित्त को

कुल जोड़ के मध्यमान की द्योतक है ।

हुआ है ।

परिशिष्ट "ख"

(सन्दर्भ : पैराग्राफ 5.01

सांविधिक निगमों के कार्य-कलापों के

(कालम 6 से 10,

क्रमांक	निगम का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखा अवधि	कुल निवेशित पूंजी	लाभ (+) / हानि (–)
1	2	3	4	5	6	7
					(क) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत्	
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्	शक्ति	1 अप्रैल 1959	1979–80	2,22,800.39	(+) 1,750.35
					(ख) अन्य सांविधिक निगम	
2	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	उद्योग	1 नवम्बर 1954	1979–80	6,845.83	(+) 132.81
3	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	सहकारिता	19 मार्च 1958	1979–80	2,023.90	(+) 113.13

टिप्पणी– (i) निवेशित पूंजी-प्रदत्त पूंजी, दीर्घकालिक कर्जों और मुक्त आरक्षित निधियों की

(ii) नियोजित पूंजी (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को छोड़कर) निबल स्थायी परि-

(iii) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बन्ध में नियोजित पूंजी, (i) प्रदत्त पूंजी, (ii) सम्मिलित करते हुए उधार, (v) जमा, और (vi) राज्य सरकार द्वारा पेशगी के कुल जोड़ के मध्यमान की द्योतक है ।